



राजपाल एण्ड सन्स कश्मीरी गेट, दिल्ली

# इन्दिरा गांधी का पतन

---

इमर्जेन्सी की लोमहर्षक कहानी

डी० आर० मानकेकर  
कमला मानकेकर

मूल्य सोलह रुपये 16 00 (अजिल्द)

प्रथम संस्करण 1977 © डी० आर० मानकेकर और कमला मानकेकर

INDIRA GANDHI KA PATAN EMERGENCY KI LOMHARSHAK  
KAHANI (Hindi version of Decline and Fall of Indira Gandhi  
19 Months of Emergency) by D R Mankekar and Kamala Mankekar

जयप्रकाश नारायण  
को समर्पित  
जो अकम्पित भाव से  
हमें अधकार से प्रकाश में  
ले आये



## भूमिका

विभाजन की तरह आपातस्थिति भी हमारे देश के जीवन में एक युगान्तरकारी घटना घटी है और कहानी एवं निबंध, अनेक पुस्तकों के लेखन को प्रेरित कर रही है।

लासदी, भयानक आघात, पराकाष्ठा एवं प्रतिकाष्ठा—लम्बी अघेरी रात जिसने अचानक घुलकर जीवनदायी उत्फुल्ल दिन को स्थान दे दिया—उसके नायक और नायिकाएं और उसके खलनायक और हा, विदूषक भी—यह सब ऐसी भरी-पूरी सामग्री है कि इससे एक दूसरा महाभारत लिखा जा सकता है, और उसमें इसके अपने दुर्योधन और दु शासन और अजुन और कृष्ण होंगे।

यह वह मिट्टी है, जिसे हाथ में लेने के लिए और अपने अपने भाव के अनुकूल, उनकी कला का शिल्प जैसा कहे वैसा रूप उसे देने के लिए पत्रकार उपयासकार, कवि, नाटकार और फिल्म निर्माता कसमसाते हैं।

यह पुस्तक आपातस्थिति पर लिखे जाने वाले ढेर से साहित्य को एक पत्रकार का योगदान है। प्रस्तुत विषय में विवरण देने, आज के विशिष्ट इतिहास का विवेचन करने और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित उठाने की बड़ी भारी सामग्री है और आन वाले लम्बे समय तक लेखक इन सबसे जूझेंगे।

यह पुस्तक एक ग्रीक द्रुक्षात नाटक की नियति की, उस अभेद्य घमत्कार की दशयावली प्रस्तुत करती है, जिसने इस देश के भाग्य को और उस अक्खड, आत्म-तुष्ट शासक के भाग्य का मोड़ दिया, जो अपनी अमोघता, लोकप्रियता एवं अनश्वरता के बारे में पूरी तरह आश्वस्त थी और अंत में जिसने अपने पतन की दिशा में स्वयं अपना कदम बढ़ाया। इस नाटक के उपसंहार में सचमुच ही रेचन के तत्व हैं।

एक कठोर अन्तिम तिथि को धारणा कि जो राष्ट्रीय घटनाएँ इस विवरण में उल्लिखित हुई हैं, उन्हें अनिवायत राजधानी में बठकर ही परछा निरखा जा सका है। अधिक समय मिले तो इस विषय पर अधिक बड़े कनवास पर और अधिक विस्तृत ढंग से लिखा जा सकता है और पूरे देश में, अर्थात् आसाम और पश्चिमी बंगाल में, काश्मीर और उड़ीसा में, केरल और कर्नाटक में, (अब जाकर यह प्रकट हुआ है कि कर्नाटक ने आपातस्थिति के दौरान सबसे अधिक नज़रबन्दी जेला में भेजे थे) चले अत्याचार के विरुद्ध जनता के शानदार सघष की विवरण-पूर्ण झाकी, जिसे एक राक्षसी सेंसर ने दबा दिया था, प्रस्तुत की जा सकती है।



## क्रम

पर्दा उठता है	11
लक्ष्मण रेखा पार कर ली गई	23
श्रीमतीजी की कायविधि	34
एक लम्बी रात की शुरुआत	49
ईनी अमीन को भी मात दे दी	68
शुक्ल की दादागीरी	82
सेसर पागल हा उठा	98
कुछ मामले समाचार पत्र	111
कुछ मामले—समाचार एजेंसिया	124
वह बिगड़ा हुआ लडका	133
सजय का करिश्मा	142
चोटी की मूखता	155
बसीलाल के फारनाभे	169
‘याय के मोर्चे पर	180
नियति का हस्तक्षेप	191
यवनिका पतन	201
उपसंहार	210



फोटो चित्र प० 112 और 113 के मध्य  
रेखा चित्र प० 64 और 65 के मध्य





## पर्दा उठता है

यह नाटक एक ग्रीक त्रासदी (दुःघात नाटक) ही है। इसमें प्रखर गति से बहने वाला घटना प्रवाह अपनी निश्चित परिणति की ओर लपकता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि।

त्रासकारी उन्नीस महीनों के कम न होने वाल अधकार के बाद अचानक पौ फटती है और नीचे धुके घने बादलो को भेदकर सूप एक बार फिर चमक उठता है। अन्धआई बुराई पर विजय प्राप्त कर लेती है। भारतीय लोकतन्त्र अपना जोर दिखाता है और उस निरनुश सत्तावाद को उलट देता और उखाड़ फेंकता है, जिसके सदा-सदा के लिए हमारे बीच टिक रहने का घतरा बन उठा था।

पर्दा 12 जून 1975 के दिन इलाहाबाद 'यायालय के एक कमरे में उठता है। कमरा उत्तुम्ब दशको से छचाछच भरा है। मौसम में बड़ी ही उमस और घुटन है। 'यायालय के वातावरण में तनाव है और उत्कठा की सरसराहट है।

इन्दिरा गाधी के लिए यह फँसले का दिन है। उस चुनाव याचिका का फँसला होने ही वाला है, जिसे 1971 के चुनावों में रायबरली के चुनाव-समय के बाद उनके अपराजेय प्रतिद्वन्दी राजनारायण ने उनके विरुद्ध दाखिल की थी। मुकदमा लगभग पूरे तीन वर्षों तक घिसटता रहा है एक कायस्थगन स दूसरे कायस्थगन तक और एक 'यायाधीश से दूसरे न्यायाधीश तक।

दस बजने में ठीक पहले साफ बेदाग नपडा में सज्जित पेशवार अदालत के कमरे में प्रकट हाता है और वहाँ उपस्थित लागा को 'यायाधीश महोदय का एक स-देश सुनाता है। स-देश में लोगो को चेतावनी दी गई है कि जब 'यायाधीश महोदय अपना फैसला सुना रहे हा तब कोई प्रदर्शन अथवा नारेबाजी न की जाए। यह विशिष्ट चेतावनी अदालत में पहले से ही यतमान तनाव को और भी बडा देती है।

ठीक दस बजते ही 'यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा पिछने द्वार से 'यायालय में प्रवेश करते हैं और मंच पर अपनी कुर्सी ग्रहण करत है। सभी वकील और दशक उठकर खड़े हो जाते हैं। 'यायालय में गहरी खामोशी छा जाती है।

'यायाधीश महोदय अपने सामने उपस्थित जन-समूह पर जल्दी से एक नजर डालते हैं और तब धोपणा करते हैं

‘ मैं इस मुकदमे के विभिन्न मुद्दों पर अपने निष्कर्षों को ही इस समय पढ़ूंगा पूरा फसला (यह 259 फुलस्केप पन्नों में था।) नहीं।’

पूण स्तब्धता के बीच यायाधीश महोदय बोलना शुरू करते हैं याचिका स्वीकार की जाती है।’ और उनकी चेतावनी के बावजूद और उन्हें भारी उलझन में डालते हुए भी उपस्थित दशक तालिया पीट उठते हैं।

और अब वह महस्वपूण घोषणा हाती है ‘ प्रधानमंत्री को छ वर्षों के लिए मताधिकार संचित किया जाता है।’ यायाधीश महोदय के बाकी शब्द शोर मचाने जाते हैं। अदालत के कमरे में इतना कोलाहल होता है कि नियन्त्रण से बाहर हो जाता है। दशक उत्तेजना से पागल हो उठे हैं। उन पर दौरा-सा आ गया है। यहाँ तक कि सदा गम्भीर रहने वाले सवादादाता और वकील भी उसमें शामिल हो जाते हैं।

‘यायमूर्ति सिन्हा को अपना फसला पढ़ने में पांच मिनट से भी कम लगे। तब वे अपने कक्ष में वापिस चले गए। अब जो थोड़ी-बहुत रोक थी वह भी हट गई और दशक एकदम बं-बाबू हो गए। भारी गुल गपाडा मच उठा। लोग नारे लगाने लगे नाचने लगे एक-दूसरे से गले मिलने लगे। सभी एक-दूसरे को बधाइया दे रहे थे और अविश्वास विस्मय और हैरानी में अपन सिर हिला रहे थे।

राजनारायण के वकील शांतिभूषण अपने इस गौरव का आनंद लेने के लिए वहाँ नहीं है। अनिवाय व्यावसायिक काम से वे कहीं और गए हैं। उनके स्थान पर उनका सहायक खड़ा है। श्रीमती गांधी के वकील एस०सी० खरे भौंचक और स्तब्ध दीख पड़ रहे हैं। उनके चेहरे का सारा रंग उड़ गया है। खरे अपन को सभालते हैं और रास्ता बनाते हुए अदालत से बाहर निकलते हैं और ‘यायमूर्ति सिन्हा के कक्ष में प्रवेश करते हैं फंसले पर काय-स्थगन के हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए। ‘यायाधीश महोदय तत्क्षण बीस दिनों के लिए पूण स्थगन की मजूरी दे देते हैं।

फसले के अनुसार श्रीमती गांधी को जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 123 (7) के अधीन निम्न दो मुद्दों पर भ्रष्ट साधन अपनाने का दोषी करार दिया गया

(क) 1 फरवरी तथा 25 फरवरी 1971 को श्रीमती गांधी द्वारा रायबरली में सम्बोधित सभाओं के लिए मंच बनाने और लाउडस्पीकरों को बिजली देने के लिए सरकारी अधिकारियों का सहयोग प्राप्त करना, तथा

(ख) 7 जनवरी 1971 से 24 जनवरी 1971 के बीच की अवधि में श्रीमती गांधी के चुनाव प्रचार को आगे बढाने के लिए श्री यशपाल कपूर का सहयोग उपलब्ध किया जाना, जबकि इस अवधि में श्री यशपाल कपूर भारत

सरकार की सेवा में एक पजीकृत अधिकारी थे और प्रधान मंत्री कार्यालय में विशेष अधिकारी के पद पर थे।

‘यायाधीश महोदय ने श्रीमती गांधी को श्री राजनारायण द्वारा उठाके विरुद्ध लगाए गए अथ आरोपों से घरी बर दिया। ‘यायाधीश महोदय ने माना कि श्रीमती गांधी ने चुनाव खर्च की निश्चित अधिकतम सीमा से ज्यादा खर्च नहीं किया और न ही उन्होंने उपहार आदि के रूप में, और मुफ्त यातायात की सुविधा के रूप में मतदाताओं को रिश्वतें दीं। चुनाव यात्राओं के दौरान भारतीय वायुसेना के विमानों और हेलीकाप्टरों के श्रीमती गांधी द्वारा इस्तेमाल को भी उन्होंने भ्रष्ट आचरण नहीं माना। उन्होंने इन आरोपों को भी रद्द कर दिया कि गाय और बछड़े के चुनाव चिह्न का इस्तेमाल मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं से गलत लाभ उठाना था और इसलिए यह एक भ्रष्ट आचरण था।

श्रीमती गांधी को उपयुक्तता मुद्दों पर दोषी करार दते हुए ‘यायाधीश महोदय ने याचिका को स्वीकार किया और श्रीमती गांधी के चुनाव को रद्द घोषित कर दिया और जन प्रतिनिधित्व बिल की धारा 8 अ के अनुसार इस फैसले की तिथि से आरम्भ करके छ वर्षों की अवधि तक के लिए उनकी अहता समाप्त कर दी।

इलाहाबाद में दिया गया यह फैसला भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना माना जायेगा। इसने भारतीय राजनीति को एक गहरा मोड़ दिया घटनाओं की गति को एक नई व्यग्रता प्रदान की और भिन्न मापदंडों एक मूल्यों वाली पूरी तरह से एक नई शासन पद्धति का देश में सूत्रपात किया।

600 किलोमीटर दूर भारत की राजधानी नई दिल्ली में इलाहाबाद में दिए गए फैसले की खबर एक स्तब्धकारी आघात की तरह पहुंचा है। प्रधानमंत्री को मताधिकार से वंचित कर दिया गया है—इस अविश्वसनीय खबर ने पूरे देश को ही जैसे मथ डाला है। म्बर। सफदरजग माग पर सुरक्षा प्रबंध बस दिए जाते हैं। ट्रका में भरकर जाण गण पुलिस के सिपाही उतर रहे हैं और पूरे क्षेत्र में हर कहीं तनात किए जा रहे हैं। दल के नेता और कानूनी विशेषज्ञ आ रहे हैं और जा रह है क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी गहरी चर्चाओं में डूबी है। इंदिरा के समय में सगठित प्रदर्शन बाहर अभी स शुरू हो गए हैं। 13 जून के दिन— कांग्रेस सगठन की मशीन अब तक पूरी तरह हलचल में आ चुकी है। निल्ली परिवहन की 1400 बसों में से कुल 380 सड़का पर हैं दोष का भीड़ की भीड़ लोगो को जन प्रदर्शनों के लिए प्रधानमंत्री निवास के बाहर पहुंचान के काम पर लगा दिया गया है।

चुनाव के समय किए गए सरकारी वायद पूरे नहीं गए हैं। सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार बर की तरह बर रहा है। नश की जय यवस्था चरमरा रही है। कीमते सामान को छू रही है। आम जादमी की हालत दिन पर दिन असह्य

बनती जा रही है। पूरा उत्तरी और पश्चिमी भारत एक राजनीतिक विप्लव की स्थिति में है। जयप्रकाश का आन्दोलन गुजरात और बिहार से बढ़कर दश के अन्य हिस्सा में फैलता जा रहा है और जोर पकड़ता जा रहा है। इस नाज़ुब वातावरण में इलाहाबाद से आई यह खबर शीगे की फा पर आ टिक मेहराब की तरह सबको दीठी।

सबसे पहले सुभद्रा जोशी श्रीमती गांधी से मिलने पहुँची। सुभद्रा के सामने उन्होंने अपनी बेवगी जाहिर की और कहा अब मेरी कौन मुनेगा? इलाहाबाद के फमले की श्रीमती गांधी पर यह पहली छाप थी। लेकिन उन्होंने जल्द ही अपने को समाल लिया। सासब द्विविधा के शूल पर वे चढ़ी थी। कुछ मित्रा और हितचिंतकों ने उन्हें सलाह दी कि वे इस फमले से आगे सिर झुका दें और उच्चतम न्यायालय का अंतिम निणय प्राप्त होने तक अस्थाई रूप से पदत्याग कर दें। वे इन पर और इनके मुझाव पर मुस्कराती हैं। ये मित्र यह सोचते हुए चले जाते हैं कि श्रीमती गांधी न उनका मुझाव मान लिया है।

कुछ अन्य मित्र और हितचिंतक भी आते हैं और परामश देते हैं कि उन्हें जमे रहना चाहिए और पदत्याग नहीं करना चाहिए। उनके प्रति भी वे बस मुस्कराती हैं। वे लोग भी आश्वस्त हो जाते हैं कि उनकी सलाह मान ली गई है। इन बातों के लोको में पी०एन० हक्सर हैं जो यह खबर सुनते ही नम्बर 1 सफदरजग माग की ओर दौड़ पड़े थे। वे श्रीमती गांधी को आश्वासन देते हैं कि उनके विचार से अनुसार उन्हें इलाहाबाद से इस फसले की उपेक्षा कर देनी चाहिए और पद पर डटे रहना चाहिए।

लोग तो यह या वह परामश दोगे ही पर निणय तो श्रीमती गांधी को ही लेना है। यह लड़ाई वे अकेले ही लड़ रही हैं। जो भी निणय वे लेती हैं परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण और दूरगामी होगा। उनके दिमाग में जब सघष मचा होता है तभी सजय भागकर मा के पास आता है और डटे रहने के लिए मा को उस्ताहित करता है। वह कहता है 'हम यह लड़ाई मिलकर लड़ेंगे।' श्रीमती गांधी के भायकाल में इस भयानक सकट के समय सजय उनके लिए एक शक्ति-स्तम्भ तथा परामश एवं साहस स्रोत सिद्ध होता है। बाद में दिए गए अपने एक वक्तव्य में श्रीमती गांधी ने यह बात स्वयं मानी है।

यहां तक कि श्रीमती गांधी पद त्याग न करने के अपने फसले के पक्ष में आचाप विनोबा भावे तक का आशीर्वाद प्राप्त कर लेती हैं। वर्धा से मिले समाचार के अनुसार विनोबा इस समय अपने आश्रम में गम्भीर रूप से बीमार पड़े थे। उनकी शिष्या निमला देशपांडे ने बिस्तर पर पड़े विनोबा जी की आँखों के सामने कागज़ का एक टुकड़ा सरकाया जिस पर ये शब्द लिखे थे— 'इदिरा पदत्याग करें या डटी रहे?' विनोबा ने उस कागज़ पर लिख लिया 'डटी रहे।' निमला

देशपाडे अब दिल्ली की ओर भागी और उन्होंने विनोबाजी का यह सन्देश अपने हाथ से श्रीमती गांधी को दिया।

प्राप्त अकाट्य साक्षी से पता लगता है कि उस अवसर पर प्रकाशित समाचारों के विपरीत, इलाहाबाद के फसले की घोषणा के बाद स्याई अथवा अस्याई रूप में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात पर श्रीमती गांधी ने एक बार भी गम्भीरता से विचार नहीं किया था। असल में इसके प्रमाण मिल हैं कि एक महीना पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निणय उलटा पड़ जाने की हालत में एक आपात योजना पर विचार किया गया था। एक विश्वासभाजन ने तो आवश्यकता पड़ने पर सविधान तक को भंग कर देने की बात की थी। आन्तरिक आपातस्थिति लागू कर देने तक की सभावना पर विचार किया गया था।

नाथमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा की अदालत में मुकदमे का जो खद दीख पड़ रहा था उसने प्रधानमंत्री के शिविर में कइयों के मन में घबराहट पैदा कर दी थी और आपात योजनाओं की बातें इसीलिए की गई थी। यदि अस्याई अथवा स्याई पद त्याग का हलके से हलका विचार भी उस समय या बाद में बहा रहा होता तो आपात योजना अथवा सविधान के स्थगन जसी निराशाजनक भाषा का प्रयोग न किया गया होता।

श्रीमती गांधी के जो मित्र और हितचिन्तक यह छाप लेकर गए थे कि पद त्याग की उनकी सलाह को स्वीकार कर लिया गया है, उन्होंने उनके उत्तराधिकारी के बारे में भी चिन्तन किया था। इस प्रकार सिद्धायशकर राय स्वर्णसिंह और देवकांत बरूआ के नामों पर धारी धारी से विचार किया गया था और जब श्री जगजीवनराम की सम्भावित प्रतिकूल प्रतिश्रिया का ख्याल किया गया तो ये नाम रद्द कर दिए गए थे।

जहाँ तक श्रीमती गांधी का सबध है उनके दिमाग में निणय बन चुका था और वह साफ था। 11 जून की रात से नम्बर 1 सफ्टरजग लेन के चारों ओर जो सुरक्षा प्रबन्ध आरम्भ किए गए थे और इलाहाबाद के फसले के नई दिल्ली पहुंचने से बहुत पहले ही 12 जून की सुबह प्रधानमंत्री निवास पर पुलिस के उच्चतम अधिकारियों का जो सम्मेलन किया गया था उससे इस धारणा को और भी बल मिलता है।

साथ पहल करता है और आदेश देता है और यश बपुर और अजुनदास मदान में उतर पड़ते हैं। और उसी दिन सध्या तक प्रधानमंत्री निवास के बाहर स्वयं प्रेरित प्रदर्शन आरम्भ हो जाते हैं। कायश्रम यह है कि पांच प्रदर्शन प्रति दिन किए जाएं। यह निणय किया जाता है कि लोगों की भीड़ों को लाने के लिए दिल्ली परिवहन की बसों को नियुक्त किया जाए। दिल्ली कांग्रेस की पूरी मशीन को चालू कर दिया जाता है। इस सबके पीछे मौजूद सगठनकारी प्रतिभा, तथा

जिस गति और कुशलता से यह सब किया गया उसकी प्रशंसा करनी ही पड़ता है।

उस दिन 12 जन 1975 को वातावरण में छाया राजनीतिक तनाव गुजरात राज्य के चुनाव परिणाम निकल जाने के फलस्वरूप और भी बढ़ जाता है क्योंकि ये परिणाम कांग्रेस के विरुद्ध गए हैं। और इसी सुबह दिल्ली में श्री डी० पी० धर की मृत्यु हो जाती है। वे मास्को न जाकर यहीं ठहर गए थे जिससे कि इस सकट के समय वे श्रीमती गांधी के साथ रह सकें। और दलाहाबाद के फैसले के आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई।

इस क्षण श्रीमती गांधी की आत्म संरक्षण की प्रसिद्ध प्रवृत्ति ने नाटकीय ढंग से अपना जोर दिखाया और हर अर्थ विचार को उन्होंने अपने सामने से हटा दिया।

एक बार पहले भी 1969 में जब कांग्रेस दल के पुराने महारथियों ने उन्हें लगाम पहनानी चाही थी—और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो महारथियों ने उन्हें दल से निकाल देने की धमकी दी थी—तब भी श्रीमती गांधी ने पूरी तरह धिरे कर भी जवाबी वार करने की अपनी अद्वितीय प्रतिभा का प्रदर्शन किया था और वे लडाई को शत्रु के शिविर में खींच ले गई थी। उस समय अस्तित्व रक्षा की राजनीति में वे परम दक्ष सिद्ध हुई थी।

उत्तर अहिंसक और पुरानी पद्धति के तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष निज लिगप्पा उनके तीखे आक्रामक तरीके के सामने ठहर नहीं सके थे। श्रीमती गांधी ने कुछ ही महीने पहले कांग्रेस का अध्यक्ष पद इन पर थोपा था। ये इस समय बीमार थे और एक अनिच्छुक यादगार और हर बार जैसे ही श्रीमती गांधी एक दाव इनसे जीतती थी इनका रक्तचाप बढ़ जाता था। सिंडीकेट के बाकी सदस्य भी लडाई के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध में श्रीमती गांधी की दक्षता से वे बौखला उठे थे यहाँ तक कि उनकी चालाकी प्रशंसा तक वे कर उठते थे। लेकिन युद्ध में नतिक तरीके का पूर्ण अभाव जो वे दिखा रही थीं उससे उन्हें पीडा होती थी। वे सोचते थे यह क्रिकेट का खेल नहीं है और इसमें अब तक वे उनके साथी उनके विरोधी हैं।

श्रीमती गांधी ने उन्हें पराजित कर दिया और देखते-देखते उनके समर्थकों को उखाड़ फेंका और तब उन्होंने अपनी राजनतिक नौका को धामपपी हवा के अनुकूल मोड़ दिया। उनकी सरकार के अल्पमत में रह जाने के कारण अपनी सरकार की रक्षा के लिए उन्हें नये साधनों की खोजनी थी। और उन्होंने प्रयास पूर्वक पेशकश की कि लोकसभा में कम्युनिस्ट पार्टी उन्हें समर्थन दे और वह उन्होंने प्राप्त कर लिया। बकी का राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ उन्होंने आम बीमे का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया और काफी घूमघडाके के साथ वे राजाबा की

प्रिवी पर्लॉ की समाप्ति का विधेयक भी ले आइ। यद्यपि कांग्रेस दल में इस भारी त्रार के पडने से पहले वे अधिक उदार एक कानून के पक्ष में थी, जिसके अनुसार राजाओं के सिफ विरोधाधिकार ही समाप्त किए जाने थे।

ऐसे जनवादी जोर वामपंथी उपायो से उहोंने लोकसभा के कम्युनिस्ट और वामो मुख सदस्यों को खुश किया और अगला आम चुनाव होने तक अपनी जल्पमत सरकार की स्थिति को बड़ी चालाकी से स्थिर बनाए रखा। 1971 के चुनाव में वे भारी बहुमत के साथ आइ और तब उहोन उस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी पर अपनी शर्तें आरोपित करनी शुरू का जिस पर पिछली लोकसभा में अपनी सुरक्षा के लिए उहोन दीनतापूर्वक निर्भर किया था।

अब 1975 में एक बार फिर उनकी पीठ दीवार से लगे गई है और आत्म सभरण की उनका प्रवृत्ति पूरी तरह उभर कर ऊपर आ गई है। वस्तुतः इस बार तो उहोंने अपन ही पहल क करतबों तक को पीछे छोड़ दिया है और एक दुर्द्वय साहस और अस्तिस्वरक्षा के क्रोधो मत्त दृष्टनिश्चय के साथ ऐसा जवाबी आक्रमण व कर रही है जिसने उनके राजनीतिक विरोधियों को सन्न कर डाला है।

इलाहाबाद के पत्रों की खबर दिल्ली में प्रातः 10.15 पर पहुंचती है। उसी दिन सध्या को आठ बजे तक श्रीमती गांधी इस निश्चय पर पडच जाती हैं कि चाहे कुछ भी हो उह अपने पद पर डटे रहना है। इसके बाद तो पीछे मुडकर देखना नहीं है। पासा फेंका जा चुका है। उनका भीतरी गुट बैठता है और रात में बहुत देर तक उन विभिन्न सम्भावनाओं पर विचार करता है जो डटे रहने के निणय में स पैदा होती हैं।

इस स्तर पर उनके सलाहकारी में प्रमुख ह पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धाथशर राय और बम्बई प्रश काग्रस के प्रमुख रजनी पटेल। पूरी तरह से नई युद्धनीति बनाई जाती है। इस साहसिक पडपल की मूल बात है दश में आंतरिक आपात स्थिति का लागू किया जाना। यह विचार सिद्धाथशर राय के उपजाऊ मस्तिष्क में पदा हुआ था और रजनी पटेल ने इसका पूरी तरह समर्थन किया था।

इस समय तक कानून मंत्री श्री एच० आर० गोखले को इस गम्भीर निणय क बारे में पूरी तरह अधर में रखा गया। वात् में यह भी समाचार मिला कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस उलपन भारी स्थिति से उबरन क ऐसे आसान तरीके अर्थात् आंतरिक आपात स्थिति लागू करन की सम्भावना को खोज निकालने में विफल रहन के लिए श्री गोखले की भरमना भी की थी क्योंकि विधिमन्त्री होने के नान यह काम तो उही का था। वस्तुतः प्रधानमंत्री के इस अत्यंत महत्वपूर्ण एक पंथीय निणय क बारे में पूरे मन्त्रिमंडल का हा वाई पान नहा था।

प्रधानमंत्री का नम्बर ] मफ्जग माग स्थित बंगला एक घिरे हुए किल का



रूप ग्रहण कर लेता है। फौलाटी पाइपों के दुहरे अवरोध पास व विशाल गोल धक्कर के चारों ओर भगा लिए जाते हैं। यही धक्कर जन प्रश्नो का स्थल था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस हरियाणा और दिल्ली की सशस्त्र पुलिस व लोगो के साथ साथ सफ़ा सफ़दपोष पुलिस वाले भी इस पूरे क्षेत्र में बिखरा लिए गए। वे नम्बर 1 सफ़दरजग भाग की आर जान वाल हर भाग और हर चौगाइ पर पहरा देने लग। नेहरू ब्रिगेड के द्वारा उपहार म लिया गया श्रीमती गांधी का एक आदमकद चित्र इस दशय का निरीक्षण कर रहा था।

समाचारपत्रा म यह भी छपा था कि इलाहाबाद व फसले की घोषणा से एक घटा पहने दिल्ली की पुलिस क सभी सर्वोच्च अधिकारी प्रधानमंत्री निवास पर इकट्ठे हुए थे। कारण यह कि दिल्ली म इस बात का पहने ही आभास हो गया था कि फसला श्रीमती गांधी के विरुद्ध होगा। इस फसले पर सावजनिक प्रतिक्रिया क्या होगी यह साचने का कठिन काय इन अधिकारिया व सामने था और ऐसी किसी परिस्थिति का मुकाबला करन के लिए एक कायक्रम उन्हें तयार करा था। अमल म पिछली रात म ही पुलिस को सचत कर दिया गया था और बाजारो सावजनिक चौक चौराहो और अय नाजुक जगहो पर पुलिस-दल तनात कर दिए गए थे।

उसी सध्या का मसल के काप्रेस सदस्य मोटरों का एक जुलूस बनाकर प्रधान मंत्री निवास पर जात है और अपनी नेता श्रीमती गांधी के प्रति अपनी सगठित शक्ति और वफादारी का प्रश्न करते है। उसो सध्या को श्रीमती गांधी 'याप भूनि सिंहा द्वारा प्रश्न किए गए बीस दिन के स्थगन आदेश के आधार पर अपने पद पर बने रहने का निणय घोषित करता है। तत्काल ही काप्रेस ससनीय बीड इस फसले का समथन कर देता है।

अब मोर्चाबिनी ही चुकी है। इलाहाबाद के फसले के एक दिन बाद जयप्रकाश नारायण पटना म गरज उठत हैं उच्चतम 'यायालय के फसले व सामन श्रीमती गांधी का न शकना न सिफ इलाहाबाद उच्च 'यायालय द्वारा सम्मत कानून के विरुद्ध है बल्कि यह सभी सावजनिक मर्यादाओ एव लोकतंत्रीय आचारो के भी विपरीत है। उसी रात को विरोधी दल के नेता राष्ट्रपति भवन के बाहर एक घरना शुरू करने है और माग करते हैं कि श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दें। राष्ट्रपति काशमीर गए हैं। घरना 16 जून तक चलता रहता है। राष्ट्रपति राजधानी म वापिस आत है। व सरयाग्रहियों से मिलते हैं और उनकी माग सुनते है, पर जवाब मे कुछ विरोप कहने के लिए उनके पास नही है।

काप्रेस के प्रचार यत्न पूर जोर शार मे काम म जुट जाते हैं। टुक भर भरकर लाए गए किराये के लोग प्रधानमंत्री के घर के सामने उनके प्रति जनसमथन का

प्रदर्शन करत हैं। लाग उनकी ओर हार फेंकते हैं और बहुत कुछ अमगत रूप में मात हैं लाठी गोली खायेंगे पर आपको बचायेंगे।”

14 जून को अपने निवास के सामने एक सभा के समक्ष बोलत हुए श्रीमती गांधी घोषणा करती हैं, ‘यह भुला नहीं गिया जाना चाहिए कि चुनौतिया का ठह निमाग से मुकाबला करने की मुझे आत्त है।’ विरोधी दलो द्वारा उन पर प्रभिप्त ‘जपमाना एव दोषारोपा’ का हवाना दत हुए वे घोषणा करती हैं कि विरोधी दल मुझे खत्म कर डालना चाहते हैं” लेकिन मैं कभी इस बात की परवाह नहीं की है। वे कहती हैं कि उनकी शक्ति उह जनता से प्राप्त होती है।

15 जून को अखबारो में एक समाचार छपता है जो इस प्रकार है ‘आधि वारिक् रूप से पता लगा है कि श्रीमती गांधी तब तक अपने पद पर बनी रहेगी जब तक उच्चतम न्यायालय उनकी अपील पर अतिम निणय नहीं दे गेता।’ अब क्याकि श्रीमती गांधी पक्का फमला कर चुकी हैं इसलिए वे शात और स्थिर प्रतीत होती हैं।

लगभग सभी समाचारपत्र श्रीमती गांधी को सलाह देते हैं कि वे अगलत के फैसले को मानकर इस्तीफा दें। विराधी दलो ने पहले ही इसके लिए आदोलन शुरू कर दिया है।

कांग्रेस ससदीय दल की बठक बहुत जल्दबाजी में 18 जून को आयोजित की जाती है। इसमें 494 में से 450 सस्य भाग लते हैं। ये एक प्रस्ताव स्वीकार करने हैं जिसके अनुसार श्रीमती गांधी में पूणतम विश्वास की पुष्टि की जाती है और यह घोषणा की जाती है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका अविच्छिन्न नतुत्त्व राष्ट्र के लिए अपरिहाय है। इस प्रस्ताव को श्री जगजीवनराम पेश करत है और श्री यशवतराव चव्हाण इसका अनुमादन करत हैं।

कांग्रेस अध्यक्ष बरआ घोषणा करते हैं यह फयना किसा भी रूप में प्रधान मंत्री की नतिक सत्ता का कम नहीं करता और यह भी कि लोगो की दृष्ट इच्छा उनका पत्र पर घने रहने को सगति प्रदान करती है। ‘हमने एक लडाई हारी है, हम अब महायुद्ध जीतने की तैयारी करनी चाहिए। —यह है लडाई का वह नारा जो कांग्रेस अध्यक्ष अपने दल के लोगो को और साथ ही आम जनता को त्त है और दल एव जनता इन दोनो के बीच का फक तेजी से मिटता जा रहा है क्योंकि इतिरा ही भारत का रूप ग्रहण कर रही हैं।

इसी बठक में कांग्रेस अध्यक्ष श्री देवकात बरआ न यह प्रसिद्ध उक्ति गयी थी भारत ही इतिरा है और इतिरा ही भारत है। इस बठक को सम्बोधित करते हुए श्रीमती गांधी घोषणा करती हैं मेरा पत्र पर बन रहना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि विरोधी दल क्या चाहत हैं बल्कि इस पर करता है कि मेरा अपना दल और आम जनता क्या चाहती है।’

जयप्रकाश जवाब में कहते हैं 'मुदा यह नहीं है कि कांग्रेस के सदस्य-सदस्य श्रीमती गांधी के नेतृत्व में विश्वास रखते हैं या नहीं बल्कि यह है कि क्या देश में कानून का शासन है? क्या वह ऊँचे अथवा नीचे सब पर एक समान लागू होता है?' लड़ाई की गति बढ़ती जाती है।

अब कांग्रेस दल अपने आन्दोलन के सबसे विराट घमांके की, इतिहास में अब तक के सबसे विशाल प्रदर्शन की एक इतिहास समयक भव्य महासभा की एक अखिल भारतीय वृहद रली की तयारी में लग जाता है। इस 20 जून को नई दिल्ली में किया जाना है और इसका उद्देश्य है सत्तार की और विरोधी दलों को अपनी शक्ति प्रदर्शित करना।

उन्हें आशा है कि इस रली में देश के सभी हिस्सों से कम से कम दस लाख व्यक्ति राजधानी में एकत्र होंगे और श्रीमती गांधी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। विरोधी दल शीघ्रतः हैं कि इस तमाश पर देश का एक करोड़ से कम योग्य खूब नहीं होगा।

बीस जून का राजधानी की सभी सड़कें बोट बन्द की ओर जान वालों से भरी है। पूव पश्चिम उत्तर और दक्षिण भारत से आने वाली इतिहास स्पेशलें दिल्ली पहुंच रही हैं। सिर्फ पंजाब से ही नारे लगाते और छुट्टी के माहौल में शोर मचाते (पूरी तरह मुफ्त मर के लिए निकले) स्त्री-पुरुषों से भरी एक हजार बसें यहां पहुंची। लाग ट्रक्टरों निजी कारों सावजनिक बसों और ट्रकों में आए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सीमा सुरक्षा दल की एक एजेंट बटालियनें लाई गई और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के जवानों का हर कहीं तनात किया गया।

12 फुट ऊंचा एक विशेष मंच बनाया गया जिस पर श्रीमती गांधी के चित्रा वाले पोस्टरों से सजाया गया था। कहा जाता है कि उपराज्यपाल किशनचंद ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहकर प्रबन्ध का निरीक्षण किया था। दिल्ली प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल धना चौबीस घंटे तनात रहा था जिससे कि रली को विराट रूप में मफल बनाया जा सके। पूरे सरकारी यंत्रों की रली के संगठन के लिए इस्तेमाल किया गया था। सजय गांधी प्रबन्ध का निरीक्षण करने के लिए आते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। यह देखकर संगठनकर्ता खुशी से झूम उठते हैं।

जब श्रीमती गांधी माइक के सामने पहुंचती है तो भीड़ गगनभेदी नारों से अभिवादन करती है और जिदाबाद चिल्लाती है। श्रीमती गांधी बड़ ही सतोप के साथ अपने सामने पत्र मानवता के विराट सागर का सर्वेक्षण करती है। (दल के व्यवस्थापक इस भीड़ को पंद्रह लाख से ऊपर बूतते हैं।) अपने भाषण में वे एक बार फिर विरोधी दलों द्वारा चलाए जा रहे गाली गलौज भरे निन्दा आदान का जिक्र करती हैं और अपना यह आरोप दुहराती हैं कि 'उह हटा दन के लिए

आदोलन" किया जा रहा है और देश के भीतर भी और बाहर भी कुछ शक्तिशाली तत्व एक पडयत्र रच रहे हैं।" बड़ी ताकत उनका तर्क उलट देने के लिए और उन्हें नष्ट कर डालने के लिए कोशिश कर रही हैं। वे आगे कहती हैं कि "इन विरोधी दलों' को समाचारपत्रों का समर्थन प्राप्त है और 'तथ्यों को बिगाड़ने और सफेद झूठ फलाने की इहे अनोखी आजादी है।' अब अपनी आवाज को नाटकीय ढंग से ऊंचा करते हुए वे जोश के साथ बालती हैं 'सवाल यह नहीं है कि मैं जीवित रहती हूँ या मर जाती हूँ, सवाल राष्ट्र के हित का है।"

एक कांग्रेस सचिव ने रली की राष्ट्रीय प्रकृति पर बहुत जोर दिया। वे कहती हैं 'काशमीर से लेकर केरल तक और आसाम से लेकर पंजाब तक के लोग हज़ारों मोला का सफर करके अपनी प्रिय नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए यहाँ आए हैं।" एक अखबार का सवादादाता अपनी रपट में दावा करता है कि स्त्रियों के एक ऐसे दल में जिहे आसाम से आया बताया गया और जो तिनकों के कोनदार टोप पहने हुए थी कुछ स्थानीय चेहरे साफ दीख पड रहे थे।

दिल्ली दूरदर्शन ने रली का पच्चीस मिनट लम्बा सीधा प्रसारण प्रस्तुत किया। इलाहाबाद के फसले के बाद के दस दिनों के दौरान दिल्ली दूरदर्शन ने इंदिरा-समर्थक प्रदर्शनों पर 21000 फुट लम्बी फिल्म खींची। (100 फुट लम्बी फिल्म पर 33 रपया खर्च आता है।)

इसी बीच 23 जून को श्रीमती गांधी ने अवकाशकालीन 'यायाधीश 'याय मूर्ति कृष्ण अय्यर के सामने पूणस्थगन के आदेश के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया ताकि जब तक उच्चतम 'यायालय उनकी अपील पर फसला दे तब तक वे प्रधान मंत्री पद को और ससद में अपने स्थान को सुरक्षित रख सकें। 'यायमूर्ति अय्यर ने अगल ही दिन अपने निर्देशों की घोषणा कर दी। निर्देशों के अनुसार श्रीमती गांधी को सशत स्थगन ही मिल पाया। उन्हें अनुमति दी गई कि वे अपने प्रधान मन्त्रित्व को बरकरार रखें और इस रूप में ससद को भी सम्बोधित करती रहे, पर वे ससत्सदस्य के रूप में मत देंगी और न हा सदस्यता का बतन प्राप्त करेंगी। इन आदेशों ने उनकी स्थिति में सुधार लाने के बदले उसे और बिगाड़ लिया तथा उस और अधिक अपमानजनक बना दिया।

'यायमूर्ति अय्यर कहते हैं 'मैं तत्काल उही आधारों पर स्थगन का निर्देश देना चाहता हूँ जिन पर समान मामलों में पहले भी स्थगन निर्देश दिया जा चुका है। हा, प्रस्तुत मामले की बाध्यताओं का अंतर जरूर पड़ेगा।' पहले वे उच्चतम 'यायालय द्वारा स्वीकृत पूणस्थगन को ही और लम्बा करना चाहत थे। लेकिन अधिक विस्तृत चिन्तन के बाद इस मांग को अपनाने में वे हिचकिचाए क्पाकि 'उच्चतम 'यायालय का निणय अतत वह कितना ही लचर क्या न साबित

हो, तब तक प्रभावी रहता है जब तक कि उसे बटल ही न दिया जाए ।' अपील का निपटारा चूँकि दो या तीन महीनों के भीतर हो जाने की सम्भावना थी इसलिए उसी टोली को बरकरार रखना लाभप्रद था जो मन्त्रिमण्डल व केंद्रीय व्यक्तित्व की उपस्थिति से अनुप्राणित थी । इससे अर्थ आदेश का अर्थ श्रीमती गांधी के लिए दारुण परिणाम पदा करना हाता बयोकि भल ही उच्चतम न्यायालय अंत में उ ह बरा कर ने किंतु राजनीति में आवश्यक नहीं होता कि छोई हुई सत्ता कानूनी विजय के बाद पुन प्राप्त हा ही जाए ।'

उस सध्या को कम्युनिस्ट पार्टी को छोट सभी विरोधी दलो के नेताआ ने एक सात सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की । इसमें यह शामिल था कि विरोधी दल के सदसदस्य राष्ट्रपति से मिलें और प्रधान मंत्री के त्यागपत्र की माग करें । 15 जून से 22 जून तक त्यागपत्र माग सप्ताह मनान की भी घोषणा की गई ।

## लक्ष्मण-रेखा पार कर ली गई

25 जून की संध्या को जब श्रीमती गांधी का आंतरिक गुट नम्बर 1 सफ़र जग माग म बठकर देश पर कठोर आपात स्थिति लागू करने का पडयत्न रच रहा था, उस समय श्री जयप्रकाश नारायण रामलीला मैदान म एक विराट ऐतिहासिक सभा के सामने भाषण दे रहे थे।

श्री जयप्रकाश नारायण ने राजधानी म और देश के अ्य नगरों मे एक सविनय अवज्ञा कार्यक्रम की घोषणा जनता के सामने की। पुलिस और सेना के प्रति अपने इस सदेश को उन्होंने दुहराया कि वे सरकारानुनी आदेशों का पालन न करें। उन्होंने छात्रों से अनुरोध किया कि वे, कक्षाओं से निकल आयें और जेलों को भर दें।'

उन्होंने भारत के मुख्य 'यायाधीश श्री ए० एन० राय को सुझाव दिया कि श्रीमती गांधी की अपील की सुनवाई के लिए गठित उच्चतम 'यायालय के खण्ड-पीठ म सम्मिलित होना उनक व्यक्तिगत हित म नहीं हागा क्याकि वे अपनी नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री न अहमानमद हैं।

उन्होंने कहा कि जनता को यह बात जाननी चाहिए कि अदालत म अपनी गवाही के दौरान श्रीमती गांधी ने कम से कम 27 झूठ बाल अर्थात हर 15 मिनट बाद एक झूठ बोला।

उन्होंने माग की कि पुलिस के पुनगठन की सिफारिश करने वाली खोसला समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाए।

उन्होंने कहा कि यदि श्रीमती गांधी महसूम करती हैं कि मैं उनक विरुद्ध राजद्रोह का उपदेश दे रहा हू तो उह आजादी है कि वे मुझ पर राजद्रोह के आरोप लगायें और मुकदमा चलायें।

श्री जयप्रकाश ने घोषणा की यह भारत है। यहां कोई मुजीब पनप नहीं सकता (यह सक्त बंगला देश म मुजीब की उस कायवाही की ओर था जिसके अनुसार उन्होंने सविधान को बदलकर ससदीय प्रणाली न स्थान पर राष्ट्रपतिक प्रणाली और एकदलीय शासन लागू कर दिया था।) श्री जयप्रकाश ने कहा कि भारत म ऐस लोगों को सहन नहीं किया जाएगा।

इसी बीच जब अघेरा घिर रहा था, लगभग 8 30 बजे श्री सिद्धार्थशंकर राय के साथ श्रीमती गांधी राष्ट्रपति भवन गई और अनौपचारिक रूप से

राष्ट्रपति को बताया कि उन्होंने आंतरिक आपातस्थिति लागू करने का महत्वपूर्ण फैसला ल लिया है। इस समाधारण काल के बारे में श्री पट्टाभेदीन अली अहमद ने कुछ कहा या नहीं यह अभी तक पता नहीं लगा है।

लगभग 11 बजे मूकेश्वरी श्री प्रधानमंत्री रेडडी का प्रधानमन्त्री निवास पर बुलाया गया और उन्हें इस नियम के बारे में बताया गया। आध घंटे बाद एक विशेष उच्चाधिकार प्राप्त सदस्यवाहक मन्त्रावली लेकर हुता 11 के लिए राष्ट्रपति के पास गया। क्योंकि उह पहल हा सूचित कर लिया गया था इसलिए श्री पट्टाभेदीन अली अहमद न उस पर महज रूप में हस्ताक्षर कर दिए। बिनाप बात यह है कि इस घोषणा पत्र पर कोई तिथि नहीं पड़ी है।

अंतरंग विश्वासभाजन श्री आम मेहता को छाड़कर किसी भी अन्य मंत्री को उस रात इस बारे में कोई जानकारी नहीं था।

पहले यह घोषणा की गई थी कि प्रधानमंत्री 23 जून को राष्ट्र के प्रति सदेश देंगे पर बाद में इस कार्यक्रम को रद्द कर लिया गया। इस बात को लेकर उस तनावपूर्ण वातावरण में कितने ही उत्तजनापूर्ण अनुमान लगाए गए। आखिर राष्ट्र सवे क्या कहना चाहती थी? अंतिम क्षण पर उन्होंने अपना विचार क्या बदल दिया?

श्रीमती गांधी के समय में मगठित अनेकों रलिया में से एक के सामने बोलत हुए प्रधान मंत्री ने यह अनिष्टमूकक घोषणा की थी 'हमन बहुत काफी सहन किया है। कोई सरकार एसी बातों को सहन नहीं करेगी। (विश्वी मिलों में) प्रत्येक मुकस पूछता है—आप यह सब वर्दाशत क्यों करती है? अब हम यह सब बिलकुल वर्दाशत नहीं करेगे।

विरोधी दल और आम जनता सभी न इस वक्तव्य को बहुत अघपूण माना। इसके कुछ ही दिन बाद आपातस्थिति लागू कर दी गई।

अगली सुबह 6 बजे मन्त्रिमण्डल की बैठक की गई और देश में आपातस्थिति की घोषणा के बारे में मन्त्रियों को बताया गया। इससे बहुत पहले आधी रात से ही और कुछ मामलों में उससे भी पहले से विरोधी नेताओं को गिरफ्तार करना आरम्भ कर दिया गया था। श्री जयप्रकाश नारायण और श्री मारारजी दसाई को रात में 3 बजे सोत से जगाया गया। 26 जून को दिन में बहुत बाद तक गिरफ्तारियां चलती रही।

प्रातः पांच बजे मन्त्रियों के घरों में टेलीफोन की घटिया बजी और उन्हें बिस्तर छोड़कर 6 बजे मन्त्रिमण्डल की बैठक में आने के आदेश दिए गए। डाक्टर कर्णसिंह बैठक में दर से पहुंचे। उनका शयनकक्ष में टेलीफोन नहीं था इसलिए सूचना उन्हें तत्काल नहीं मिल सकी थी।

प्रधानमंत्री निवास की ओर जाते हुए मन्त्रिगण इतनी जल्दबाजी में की गई

म बठक के कारणों के बारे में व्यग्र अनुमान लगा रहे थे। कुछ न सोचा कि ज्ञायद म बठक का सम्बन्ध जयप्रकाश नारायण द्वारा पिछली सध्या का रामलीला मदान की सभा में दी गई धमकी के जवाबी उपाय सोचने से है। धमकी यह थी कि इलाहाबाद के फमल क बाद विरोधी दलों द्वारा प्रधानमंत्री के इम्तीफे की मांग को बल देने के लिए उनके निवास का घेराव किया जाएगा।

मन्त्रिमण्डल की बठक कुल 15 मिनट में समाप्त हो गई। प्रधानमंत्री का चेहरा गम्भीर और तनावपूर्ण था और उन्होंने मक्षेप में घोषणा की कि राष्ट्रपति द्वारा उसी रात हस्ताभर कर देने के बाद आपातस्थिति लागू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हालात हाथ से निकलते जा रहे थे और आपातस्थिति की घोषणा अनिवार्य थी। तब उन्होंने गृहसचिव छुराना से कहा कि वह घोषणापत्र को पढ़कर सुना दें और गृहराज्यमंत्री श्रीम मेहता पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालें।

यहां एकत्र मन्त्रीगण को इससे गहरा धक्का लगा। किसी के मुह से भी आवाज नहीं निकली। विरोध करना तो दूर किसी न प्रश्न तक नहीं पूछा। कुछ मिनट बाद श्री स्वर्ण सिंह ने अपना होश मभाला और कुछ स्पष्टीकरण चाहे। बाह्य आपातस्थिति का विधान पहले ही है। क्या सरकार उसके अधीन इच्छित कदम नहीं उठा सकती थी? क्या इस एक और आपातस्थिति की घोषणा की जरूरत थी? प्रधानमंत्री इन प्रतिबंधों को कितनी देर तक लागू रखना चाहती हैं?

प्रधानमंत्री ने सन्न आवाज में श्री स्वर्ण सिंह का ध्यान पिछली सध्या में श्री जयप्रकाश नारायण के भाषण की ओर आकर्षित किया जिसमें उनके निवास का घेराव करने की धमकी दी गई थी। श्रीमती गांधी ने मन्त्रिमण्डल को यह भी बताया कि दश में कठोर मंत्र लागू किया जाएगा।

जब मन्त्रिमण्डल का बन्क चल रही थी तो मजबूत गांधी सुरक्षा अधिकारियों के साथ कक्ष के बाहर चहलकदमी कर रहे थे जिस कि मन्त्रिमण्डल की बँटक में मन्त्रियों के व्यवहार पर नजर रख रहे हों।

बताया गया है कि उस रात लगभग 400 बारणों पर हम्नाक्षर किए गए। आपातस्थिति के घोषणा पत्र पर क्योंकि पिछली सध्या को 8:30 पर हम्नाक्षर हुआ था इसलिए इस विशाल दश भर में विरोधी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश जल्दी से जल्दी 10 बजे तक भेजे जा सकते थे।

इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्थापित हो चुका है कि आपातस्थिति के घोषणा पत्र पर मन्त्रिमण्डल की सहमति से पहले ही राष्ट्रपति हस्ताभर कर चुके थे और इस प्रकार विधान की धारा 74 का भंग किया गया था। इन दृष्टि से यह घोषणा गुरकानूनी और असंवधानिक थी।

चुनावों में अपनी हार और अपने दल की पृष्ठ पराजय के बाद श्रीमती गांधी



ने यह तक दिया कि उन्होंने मंत्रिमण्डल से पहले ही परामर्श इसलिए नहीं किया था क्योंकि वे इस विषय को गुप्त रखना चाहती थी। इस तक से मंत्रिमण्डल ने अपने साथियों के प्रति उनकी अवज्ञा और निश्चित सवधानिक कार्यक्रमों के प्रति उनकी अल्प सम्मान भावना ही व्यक्त होती है।

अब उनके दल के जनसम्पर्क प्रबन्धकों ने अपना दिमाग इस बात पर केंद्रित किया कि ऐसा अनुकूल वातावरण निर्मित किया जाए जिसमें श्रीमती गांधी कानून अथवा सविधान अथवा राजनीतिक विरोध किसी भी दिशा से किसी भी बाधा अथवा विघ्न से निश्चिन्त होकर देश का शासन चला सकें। इसाहावाद के फसले के फौजदार प्रचार का जो आधार निश्चित किया गया था उसे ही जनता की रलिया के और सभी प्रचार माध्यमों के द्वारा बहुधा रूप में और पद्धतिबद्ध ढंग से प्रसार दिया गया।

आकाशवाणी और दूरदर्शन को कोलाहलपूर्वक एक व्यक्ति की पूजा का साधन बना दिया गया और श्रीमती गांधी (जिन्हें अब स आकाशवाणी और दूरदर्शन पर मात्र प्रधानमन्त्री के स्थान पर हमारी प्रधानमन्त्री कहा जाने लगा) को भारत को मुक्ति दिलाने वाली कहा जाने लगा—मुक्ति उस अराजकता से जिसमें श्री जयप्रकाश नारायण और उनके सहयोगी दल को झोकना चाहत थे। शीघ्र ही समाचार एजेंसी को भी इस काम में जोत दिया गया।

प्रचार के हर माध्यम द्वारा जिस मंत्र को बार बार दोहराया जाने लगा वह था—देश के सामने उपस्थित इस अभूतपूर्व संकट के समय श्रीमती गांधी उसके लिए अपरिहार्य हैं और वही हैं जो इस बतमान संकट में से देश को निकाल सकती हैं। सवधानिक और कानूनी पाबंदियां स मुक्त अब व हा देश को तेजी से समाजवाद सामाजिक न्याय और आर्थिक प्रगति की ओर ले जाने में समर्थ हैं।

इस लक्ष्य की सिद्धि के लिए एक बहुत ही जोरदार जनवाणी कार्यक्रम लागू किया गया। प्रातः स संध्या तक प्रधानमन्त्री निवास की ओर जाते रहने वाले, नारे लगाते शानदार जुलूमों के अतिरिक्त नम्बर 1 सफरजग भाग पर और राजधानी में सब कहीं सवधानिक रलिया के सिलसिले हर दिन की बात हो गई। कार्यक्रम में रोटी और सरकस दोनों ही शामिल किए जाने लगे।

नगर के सभी भागों से तथा गुडगाव सोनीपत एवं उत्तर प्रदेश और हरियाणा के अथवा पड़ोसी नगरों से लोगों की भीड़ों का लाने के लिए दिल्ली परिवहन की बसों को लगाया गया। लोगों को दो घंटों के लिए प्रति व्यक्ति पांच या दस रुपये के हिसाब से इकट्ठा किया गया। टक्की चालकों का प्ररित किया गया कि वे अपनी टक्कियों में पेट्रोल भरें और रलियों के लिए लोगों को लाकर चान्सीस से पचास रुपये दैनिक कमाएं। हिसाब लगाया गया है कि इस प्रयोजन के लिए बस देकर दिल्ली परिवहन ने चार लाख का घाटा उठाया था।

इस प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री के प्रति जनता के पक्के समयन के गीत चीख चीखकर गाए और उनमें देश की निहित आस्था को वाणी दी और उनसे प्रार्थना की कि वे प्रधानमंत्री के पद पर बनी रहें। उन्होंने शोर मचाकर दावा किया कि जनता उच्चतम न्यायालय से कहीं ऊंची है और इसलिए उच्चतम न्यायालय को जनता की इच्छाओं की उपेक्षा करने का साहस नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त मजदूरों किसानों वकीलों अध्यापकों लेखकों टक चालकों टकसी चालकों स्कूटर चालकों और विद्यार्थियों के संगठित समूह नम्बर 1 सफरजग मांग गए और उन्होंने श्रीमती गांधी को प्रेरित किया कि वे डटी रहें और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सब उनके पीछे हैं।

इन रलियों के स्थलों पर चाहे वह नम्बर 1 सफरजग मांग हो या बोट क्लब मदान या रामलीला मदान बर्फ का ठंडा पानी प्यासों को और छोल-पूड़ी भूखा को बाटी जाती थी। आइसक्रीम बेचने वालों को भीड़ के बीच घूमने की पूरी आजादी थी। पुलिस चारों ओर घेरा डाल रही थी और देखती रहती थी सब कुछ अनुशासन में चल रहा है। वस्तुतः एक संगठित विशाल पब्लिक का वातावरण ऐसी जगहों पर रहता था।

ऐसा ही एक रैली में यायभूति जगमोहनलाल सिन्हा का पुतला जलाया गया। नगर में पोस्टर लगाए गए जिनमें कहा गया था कि यायाधीश महोदय और सी० आई० ए० के बीच साठ गांठ है। जब आख से दखन वाले सवाद दाताओं ने यह सब बताया तो श्रीमती गांधी ने जोरदार शब्दों में इससे इंकार किया।

26 जून का दिन प्रधानमंत्री के लिए एक व्यस्त दिन था। प्रातः छ बजे मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आठ बजे उन्हें आकाशवाणी पर राष्ट्र के नाम सन्देश देना था।

उन्होंने अपना सन्देश इस आश्वासन के साथ शुरू किया 'राष्ट्रपति ने आपातस्थिति की घोषणा कर ली है। इसमें आतंकित होने की कोई बात नहीं है।' तब उन्होंने उस गहरे और व्यापक पडयत्र की ओर मकत किया जो तभी से चल रहा था जब स उन्होंने 'भारत के सामान्य स्त्री पुरुषों की भलाई के लिए कुछ प्रगतिशील कानून लागू करने शुरू किए थे।'

आपातस्थिति की घोषणा को सगत ठहराने के लिए जा कारण उन्होंने दिए उनमें से कुछ इस प्रकार थे लोकतन्त्र के नाम पर लोकतांत्रिक गतिविधियों को ही समाप्त करने का पक्ष की गई है। विधिपूर्वक चुनी गई सरकार का काम करने नहीं दिया गया है और कुछ मामलों में तो कानूनी ढंग से निर्वाचित विधान सभाओं का भंग कराने के उद्देश्य से सदस्यों को इस्तीफे के लिए बलपूर्वक मजबूर किया गया है। आंदोलनों से वातावरण में ऐसी उत्तेजना फैल गई है कि हिंसक

धटनाएँ घट रही हैं। मन्त्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री एल०एन० मिश्र की क्रूर हत्या से पूरे देश को गहरा धक्का लगा है। हम भारत के मुख्य 'यायाधीश' पर कायरतापूर्ण हमल की भी कठोर निंदा करते हैं। कुछ लोग तो हमारी सशस्त्र सेनाओं को विद्रोह के लिए और पुलिस को बगावत के लिए उकसाने की सीमा तक आगे बढ़ गए हैं। यह तथ्य है कि हमारी सुरक्षा सेनाएँ और पुलिस दल अनुशासित एवं अत्यंत दशभक्त हैं और वे उकसाने में नहीं आयेगे फिर भी इससे इन उत्तजनात्मक कायवाहियों की गम्भीरता कम नहीं होता। विघटनकारी तत्व अपने पूरे जोर पर हैं। साम्प्रदायिक भावनाएँ भड़काई जा रही हैं और इससे हमारी एकता खतरे में पड़ गई है।

इसके बाद श्रीमती गांधी ने उनका विरुद्ध लगाए गए 'झूठे आरोपों' का हवाला दिया और कहा 'मैं प्रधानमंत्री रहती हूँ या नहीं यह महत्त्वपूर्ण नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री की संस्था का महत्त्व है और इस बदनाम करने के जानते दूधत जो राजनीतिक प्रयत्न किए गए हैं वे लोकतंत्र अथवा राष्ट्र किसी के हित में नहीं हैं।

उ होना कहा हमने बहुत लम्बे अरस तक अधिकतम धर्म के साथ इन गति विधियाँ को सहन किया है। (इस हम से शाही हम की गंध आती है) अब हमें सामान्य कायकलाप को अस्तव्यस्त करने के उद्देश्य से कानून और अनुशासन को चुनौती देने के एक नये कायक्रम का पता चला है। कोई भी सरकार, जिसमें जरा भी तत्व है, कैसे यह सब दखती रह सकती है और कैसे देश की स्थिरता का खतरे में पड़ने दे सकती है? याद से लोगो के काम विराट बहुमत के अधिकारों को सबक में डाल रहे हैं। कोई भी स्थिति जो देश के भीतर निर्णायक ढंग से काम करने की राष्ट्रीय सरकार की क्षमता को कमजोर बनाती है बाहरी खतरों को अनिवार्य रूप से प्रोत्साहित करती है। हमारा सर्वोच्च कर्तव्य है कि हम एकता और स्थिरता की रक्षा करें। राष्ट्र की अखंडता की मांग है कि सख्त कायवाही की जाए।

अगले ही दिन श्रीमती गांधी ने दूसरा प्रसारण किया और इसमें एक बार फिर उ होने आपातस्थिति की घोषणा को सगत ठहराने के लिए कहा कि हिंसा और घणा का वातावरण पैदा किया गया था, जिसके फलस्वरूप एक कैबिनेट मंत्री की हत्या की गई और भारत के मुख्य 'यायाधीश' का जीवन लेने का प्रयास किया गया।

उ होने केन्द्रीय सरकार को पगु बनाने के उद्देश्य से देश भर में बंध घेराव, आन्दोलन तोड़ फोड़ के तथा औद्योगिक मजदूरों पुलिस एवं सुरक्षा सेनाओं के सिपाहियों को भड़काने के प्रस्तावित कायक्रम का जिक्र किया। तब उन्होंने घोषणा की यह अच्छी तरह समझ लिया जाना चाहिए कि लोकतंत्र में भी कुछ

सीमाएँ होता हैं जिन्हें लाघा नहीं जा सकता। हिंसात्मक कायवाही और अथ हीन सत्याग्रह उस पूरे आकार को ही तो फोड़ देंगे जो वर्षों के बीच अत्यंत परिश्रमपूर्वक और अनेकों आशाओं के साथ निर्मित किया गया है।'

आयु-होन देश पर सेंसर लागू किये जान को सगत ठहरात हुए कहा आप जानत है कि समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता में भेरा सत्ता ही विश्वास रहा है और अब भी है। लेकिन अब सभी स्वतन्त्रताओं की तरह ही इसका इन्तमाल भी जिम्मेदारी और समय के साथ ही किया जाना चाहिए। आंतरिक गडबडियों का स्थिति में वे चाहे भापाई दग रहे हो या साम्प्रदायिक अनुत्तरदायी लखन क माध्यम से गम्भीर शरारतें की गई हैं।

हम ऐसी स्थिति को रोकना ही था। कुछ अरस में कुछ समाचारपत्र जान बूझ कर खबरों को बिगाड़न रह हैं और निर्यापूण एव उत्तेजनात्मक टिप्पणियाँ लिखत हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि शांति और स्थिरता की स्थिति लाई जाए। सेंसर नगान का मतलब है फिर से विश्वास का वातावरण पदा करना।

एक पूण सेंसरशिप ने और बड़ी सख्या में सागा को जेलो में डाल दिए जाने ने ठीक जवाब देने का अवसर से विरोधी पक्ष को महसूस कर लिया। सभी प्रचार यंत्रा को, आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार एजेंसी तथा सारे के सारे प्रेस को सरकारी आदेश से विरोधी पक्ष पर कीचड़ उछालने के काम पर लगा दिया गया। श्री जयप्रकाश नारायण न जेल से लिखे एक पत्र में उनके और अब विरोधी नताया का ऊपर श्रीमती गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों का उत्तर दिया था लेकिन यह पत्र उन्नीस महीन बाद जनवरी 1977 में आम चुनावों की घोषणा तक और सेंसरशिप का उठाए जान तक प्रकाशित नहीं हो पाया।

इस पत्र में उन्होंने कहा था कि श्रीमती गांधी के भाषणों और भेंट वार्ताओं का जो विवरण पत्रों में छप है, उनसे वे आतंकित हो उठे हैं। उन्होंने आगे कहा था यह तथ्य कि अपनी कायवाही को सगत ठहराने का लिए आपका हर दिन कुछ न कुछ कहना पड़ता है इस बात का सूचक है कि आप में एक अपराध चेतना काम कर रही है।'

पत्र में कहा गया था समाचारपत्रों का और हर प्रकार की सांख्यिक असहमति का गला घोटकर आप आलोचना अथवा विराध का डर से मुक्त रह कर तथ्या को विवृत करती और लगातार झूठ बोलता जा रही हैं। यदि आप सोचती हैं कि इस प्रकार आप जनता की दृष्टि में अपन का सगत मिट्ट कर सकती और विरोधी दलों को राजनीतिक मूनाच्छेद की आरंभ कर सकेंगी तो आप गनती पर हैं।

श्री जयप्रकाश नारायण न इस आरोप से साफ इकार किया कि सरकार को पगु बनाने की कोई योजना थी। उन्होंने अपनी इस मायता को दुहराया कि

नोकान्त म जनता को यह अधिकार है कि यदि उनकी निर्वाचित सरकार भ्रष्ट हो जाए और कुशासन करने लगे तो वे उससे त्यागपत्र देने के लिए कहें। यदि कोई विधानमंडल ऐसी सरकार का समर्थन करते रहने की जिद करता है तो उसे भी भंग कर दिया जाना चाहिए जिससे कि जनता अधिक अच्छे प्रतिनिधि चुन सकें।

उन्होंने कहा, जहां तक बिहार का सम्बन्ध है पटना में हुई विराट सभाएं और निकाल गए जनसूचक पूरे राज्य में की गई हज़ारों क्षेत्रीय सभाएं तीन दिन का बिहार बन्ध 4 नवम्बर की स्मरणीय घटनाएं तथा 18 नवम्बर को गांधी मठान में हुई विराटतम सभा—य सब बातें जनता की मर्जी की ओर दृढ़ भक्ति करती हैं।

श्री जयप्रकाश की मायता थी कि बिहार में सरकार को मौका दिया गया था कि वह बातचीत के द्वारा मामलों को तय कर ले। विद्यार्थियों की कोई भी मांग अनुचित अथवा समझीते से परे नहीं थी। लेकिन बिहार सरकार ने मध्य के तरीके को अर्थात् अप्रतिम दमन को चुना। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ। दानो ही जगह सरकार ने बातचीत के और मेड़ पर बठकर मुद्दों को तय करने के रास्ते को रद्द कर दिया और सधर्ष के मांग को चुना।

सर्वोच्च नेता न जोर देकर कहा बिहार को छोड़कर भारत के किसी भी अन्य राज्य में आन्दोलन जैसी कोई भी चीज नहीं थी। अतः सरकार का पगु बनाने की जिम्मेदारी आपकी है वह केवल आपकी कल्पना का परिणाम है और इस आपने अपने निरक्षुभ कार्यों को सगत ठहराने के लिए सोच निकाला है।

उन्होंने कहा कि अगर कोई योजना थी भी तो वह एक साधारण निर्णय और कम अवधि की योजना थी जिस उच्चतम न्यायालय द्वारा आपकी अपील पर फसला होने तक चनाया जाना था। इसी योजना की 25 जून को रामलाला मदान में घोषणा की गई थी और उस मध्याह्न के उनका भाषण का विषय भी यही था। कायत्रम यह था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती गांधी की अपील पर फसला लिए जाने तक के लिए वे पद से अलग रहें और इस मांग के समर्थन में कुछ चुने हुए लोग उनके निवास के सामने या उसके निकट सत्याग्रह करें। कायत्रम था कि सात दिनों तक दिल्ली में ऐसा किया जाए और इसका बाद इस राज्य में चलाया जाए। मैं नहीं समझ पाता कि इसमें ध्वमात्मक या छतरनाक क्या है। किसी भी लोकतन्त्र में सविनय अवज्ञा का पक्का अधिकार नागरिक को होता है। जब भी वह दमन कि शिवायन दूर करने अथवा सुधार लाने के अर्थ माध्यम बढ़ हो चुके हैं वह ऐसा कर सकता है।

श्री जयप्रकाश ने आगे कहा कि सत्याग्रह का यह कायत्रम विरोधी पक्ष को

सूझता ही नहीं 'यदि आपने अपने पद से चुपचाप चिपके रहने तक ही सतोप किया होता। लेकिन आपन ऐसा नहीं किया। अपन समयको के द्वारा आपन अपन निवास क बाहर रलिया और प्रशान आयोजित कराए जिनम आपस प्रार्थना की गई कि आप इस्तीफा न दें। आप इन जन समूहो के सामने बोली और अपने पत्र को सगत ठहराने के लिए आपने मिथ्या तक पेश किये और विरोधी पक्ष को लाछनों स लाद दिया। जब एसी निन्दनीय घटनाए हर दिन हाने लगी तो इस शरारत का जवाब देने के सिवाय और कोई चारा विरोधी पक्ष क पास न रहा। और ऐसा किस ढंग से करने का फसला उहाने किया? गुडागर्गी क द्वारा नहीं बल्कि अनुशासित सत्याग्रह के द्वारा आत्म बलिदान क द्वारा।'।

इस आरोप का जवाब दत हुए कि सशस्त्र सेनाआ म एव पुलिस म विद्रोह के बीज बोने की कोशिश उहान की श्री जयप्रकाश ने कहा कि उहोने केवल यह किया था कि सेनाआ और पुलिस के मिपाहिया और अफसरो को उनके बतब्यों और जिम्मेदारियों के प्रति सचेत किया था। इस बारे म जो कुछ भी उहाने कहा था वह कानून मविधान सना विधेयक और पुलिस विधेयक क अंतगत था।

पत्र को समाप्त करते हुए उहाने लिखा 'ऐसा लगता है जब आपकी व्यक्तिगत स्थिति को घतरा होता है तभी आप तेजी स और नाटकीय ढंग स काम कर पाती हैं। जैसे ही आपकी स्थिति निर्विघ्न होती है आपका रूख पुन बदल जाता है। डिदरा जो कृपा करके अपने का राष्ट्र के साथ एकरूप मत करिए। आप अनश्वर नहा है भारत अनश्वर है।'

सद्यप समिति ने कायवाही का जो कायक्रम सोचा था, उसम यह शामिल था कि 27 जून स 7 जुलाई तक जिला नगर और राज्य स्तरो पर सब कही जन सभाए की जाए और प्रधानमंत्री पत्र से श्रीमती गांधी के त्यागपत्र की माग करते हुए प्रस्ताव पास किए जाए। 6 जुलाई को नेताओ को स्थिति का जायजा लेना था और अगले कदम के बार म तय करना था। 25 26 जून को दश मे आपात स्थिति लागू कर दी गई और विरोधी नेताओ को पकड लिया गया और इस प्रकार आन्दोलन क प्रस्तावित कायक्रम के लिए शक्ति सगठित करने का अवसर ही नहीं मिला।

यह बात ध्यान म रखन की है कि श्रीमती गांधी ने देश पर आपातस्थिति उस क्षण लागू की जब जयप्रकाश का आन्दोलन मद पड रहा था। असल मे विरोधी पक्ष किसी भी सद्यप के लिए तयार नहीं था यह तथ्य उस समय स्पष्ट उभरा जब 26 जून का सामूहिक गिरफ्तारिया के बाद लम्बे समय तक तब तक स्तब्धता रही जब तक कि छुपे हुए नेताओ न एक दूसरे स सम्पर्क नहीं कर लिया और थोड़ी बहुत प्रभावशाली गतिविधि के लिए एक सगठन की शकल निर्मित नहीं कर ली।

सत्य यह है कि नेताजी ने यह सोचा भी नहीं था कि पूरे देश में विरोधी पक्ष के नेताओं की सामूहिक गिरफ्तारी जैसे चरम तरीके को श्रीमती गांधी अपनाएंगी और इसीलिए वह स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में किसी भी जवाबी कायबाही के लिए उन्होंने अपने को अप्रस्तुत पाया।

असल में जिस दिन 'यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने श्रीमती गांधी के आवेदन पर अपना फसला दिया उस 24 जून को कृष्ण मेनन मांग स्थित श्री मोरारजी देसाई के निवास पर विरोधी नेताओं की बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने 'यायमूर्ति अय्यर के फसले से पदा होने वाली बातों का अध्ययन किया था और श्रीमती गांधी के पद-त्याग न करने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएं यह तय किया था। सवथ्री जयप्रकाश नारायण राजनारायण और लालकृष्ण अडवानी इस बैठक में थे। चारों दलों का प्रतिनिधित्व करने वाले चालीस नेताओं में इसमें भाग लिया था।

श्री जयप्रकाश को अगली सुबह दिल्ली से पटना जाना था। उनसे प्रायना की गई थी कि वे अपना जाना एक दिन के लिए स्थगित कर दें और अगल दिन दिल्ली में एक सावजनिक सभा के सामने बोलें। जयप्रकाश ठहर जाने के लिए तयार हा गए थे बशर्ते कि नेताजी को यह विश्वास हो कि इतने छोड़ समय में वे एक सावजनिक सभा का आयोजन कर सकेंगे। नेताजी ने इसका जिम्मा लिया। तभी यह भी तय किया गया कि श्रीमती गांधी के निवास पर 29 जून से सत्याग्रह शुरू किया जाए। सत्याग्रहियों को नम्बर 1 सप-दरजग माग और नम्बर 2 अक्बर रोड वाले गोल चक्कर पर इकट्ठा होना था नारे लगाने थे और गिरफ्तार होना था। सत्याग्रह 15 दिन तक चलना था।

है। निराश स्वर में वे कह उठे कि जयप्रकाश जी के लिए नूतन सारे स्वयंसेवक व कहा सपना करेंगे। स्पष्ट था कि चारों दलों में स कोई भी एक बहुदलीय राजनीतिक संघ के लिए न मन से तैयार था और न ही साधनों से।

यह भी स्पष्ट था कि श्रीमती गांधी के गुप्तचर विभागों (RAW) और सी० आई० बी० ने उन्हें बताया था कि प्रधानमंत्री निवास अथवा राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना देने से अधिक सरकार के लिए कोई गंभीर परेशानी पैदा करने में विरोधी पक्ष असमर्थ था। फिर भी श्रीमती गांधी अपने सावजनिक भाषणों में यही लकीर पीटती रही कि विरोधी दल सरकार को पशु बनाने और देश में अराजकता पैदा करने का पड्यत्न रच रहा है।



सत्य यह है कि नेताओ ने यह सोचा भी नहीं था कि पूरे देश में विरोधी पक्ष नताओ की सामूहिक गिरफ्तारी जैसे चरम तरीके को श्रीमती गांधी अपनाएंगी और इमीलिए वहद स्तर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में किसी भी जवाबी वायवाही के लिए उन्होंने अपने को अप्रस्तुत पाया।

असल में जिस दिन 'यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने श्रीमती गांधी के आवेदन पर अपना फसला लिया उस 24 जून को कृष्ण मेनन माग स्थित श्री मोरारजी देसाई के निवास पर विरोधी नताओ की बैठक हुई थी। इसमें उन्होंने 'यायमूर्ति अय्यर के फसल से पदा होने वाली बाता का अध्ययन किया था और श्रीमती गांधी के पद-त्याग न करने की स्थिति में क्या कदम उठाए जाएं यह तय किया था। सचश्री जयप्रकाश नारायण राजनारायण और लालकृष्ण अडवानी इस बैठक में थे। चारो दसों का प्रतिनिधित्व करने वाले चालीस नताओ ने इसमें भाग लिया था।

श्री जयप्रकाश को अगली सुबह दिल्ली से पटना जाना था। उनमें प्रायना की गई थी कि वे अपना जाना एक दिन के लिए स्थगित कर दें और अगले दिन दिल्ली में एक सावजनिक सभा के सामने बोलें। जयप्रकाश ठहर जाने के लिए तयार हो गए थे बशर्ते कि नेताओ को यह विश्वास हो कि इतने थोड़े समय में वे एक सावजनिक सभा का आयोजन कर सकेंगे। नताओं ने इमका जिम्मा लिया। तभी यह भी तय किया गया कि श्रीमती गांधी के निवास पर 29 जून से सत्याग्रह गुरु किया जाए। सत्याग्रहिया को नम्बर 1 सपदरजग भाग और नम्बर 1 अकबर रोड जाने गोल चक्कर पर इकट्ठा होना था। नारे लगाने और गिरफ्तार होना था। सत्याग्रह 15 दिन तक चलना था।

वायक्रम के विवरणों पर विचार करत हुए श्री जयप्रकाश ने उपस्थित नेताओ से यह आश्वासन चाहा था कि सत्याग्रह 15 दिनों तक जारी रखा जाएगा। जब नेताओ ने उन्हें आश्वासन दिया तब जयप्रकाश ने माग की 'मुझे आदमी दो!' कौन सा दल कितने स्वयंसक्क दगा और कितने दिनों तक?

बिना अधिक साचे विचारे और बिना कोई तयारी किए चारो दसों के प्रति निधियों ने जो सख्याएँ दीं वे 500 से 1000 स्वयंसक्को के बीच कुछ भी मानी जा सकती थीं। इस आधार पर यह माना गया कि वे कुल मिलाकर पाँद्रह हजार से ऊपर स्वयंसक्क देंगे। श्री जयप्रकाश बहुत ही सतुष्ट और खुश नजर आए।

इस बैठक में उपस्थित एक व्यक्ति के अनुसार श्री जयप्रकाश के जाने के बाद नता लोग थापम में लगडने लग और श्री जयप्रकाश को अत्युक्तिपूर्ण मछयाएँ देने का दोष एक दूसरे पर मगन लगे। उ होन स्वीकार किया कि कितने स्वयंसक्क देने का वचन वे लोग ने बठ है उतने स्वयंसक्क उनमें से कोई भी जुटा नहीं पागगा क्याकि अभी तो अपने अनुयायियों को उ होन संगठित तक नहीं लिया

है। निराश स्वर में वे कह उठे कि जयप्रकाश जी के लिए दूतने मारे स्वयंसेवक वे कहाँ सपना करेंगे। स्पष्ट था कि चारों दलों में से कोई भी एक बहुदलीय राजनीतिक सघट्टे के लिए न मन से तैयार था और न ही साधनों से।

यह भी स्पष्ट था कि श्रीमती गांधी के गुप्तचर विभाग (RAW) और सी० आई० बी० न उन्हें बतला दिया था कि प्रधानमंत्री निवास अथवा राष्ट्रपति भवन के बाहर घटना देने से अधिक सरकार के लिए कोई गंभीर परेशानी पैदा करने में विरोधी पक्ष असमर्थ था। फिर भी श्रीमती गांधी अपने सावजनिक भाषणों में यही लकीर पीटती रही कि विरोधी दल सरकार को पगु धतान और देश में अराजकता पैदा करने का पड्यार रच रहे हैं।

## श्रीमतीजी की कार्यविधि

व्यक्तियों और प्रश्ना में बरती के श्रीमती गांधी के बहुत कुछ चक्करदार तरीके को उन्हींके मंत्रिमंडलीय साथियों ने नाम दे रखा था — 'श्रीमतीजी की कार्यविधि'। वे के प्रति अत्यंत मित्रतापूर्ण एवं निवृत्त होती लेकिन यदि कोई विवादास्पद प्रस्ताव या कोई आलोचना उन तक पहुंचाना वे चाहती तो के से सीधे कुछ न कहती बल्कि 'ख' के माध्यम से उन्हें सूचित करती। दूसरी ओर यदि 'ख' की किसी विधेय गतिविधि के बारे में अपने विचार वे उन तक पहुंचाना चाहती तो सीधे 'ख' से मुद्दे पर विचार विमर्श करने के बजाये यह काम के को सौंपती। अपनी राजनीतिक गतिविधि का ये संदेशवाहको के माध्यम से चलाती थी। यही उनका तरीका था।

जब श्रीमती गांधी ने माइनुल हक चौधरी को अपनी मन्त्रि परिषद से हटाने का फैसला किया तो उन्हीने यह बुरी खबर अस्पताल में पड़े श्री चौधरी के पास श्री यशपाल कपूर के माध्यम से भजी। जब श्री राजबहादुर को मंत्रिमंडल में अलग किया गया तो इन्ही यशपाल कपूर के हाथ यह समाचार भेजा गया। लगता है यशपाल कपूर बुरी खबर पहुंचाने की बजाय के विधेय बन गए थे। वित्तमन्त्री के पास बर्खास्त किए जाने की सूचना श्री मोरारजी देसाई को पी० टी० आई० के टेलीप्रिन्टर से मिली थी।

ये तरीके क्यों इस्तमाल किए जाते थे इसका स्पष्टीकरण में मुझ यह बताया गया कि इस प्रकार श्रीमती गांधी काफी उन्नतता से बच जाती थी। बाजार में यदि मामला बिगड़ जाए और उनकी पक्षकण विपणन हो जाए तो वे साफ बच निकलती थी और उन्हें उससे कुछ लेना देना नहीं रहता था। वह बात तब उनके मित्रों की उपज बिलकुल नहीं रहती थी। लेकिन यदि सब ठीक हो जाए तब प्रेरणा उन्ही की मानी जाती थी और वे उमका यश होती थी।

अपने आसपास के लोगों पर वे गहन छाप छोड़ती हैं जिससे वे सबसे उन्नत और दूर दूर हैं। अपने विचार वे अपने तक ही रखती हैं। वे कभी अपनी मुट्ठी खुलने नहीं देती और अपने पक्ष को अपनी छाती में छुपाए रहती हैं। मित्रों और सहायकों की बातें वे ठीक मित्रों से सुनती हैं लेकिन बरती वही है जो वे खदे चाहता है।

एक बार जब स्वर्गीय, डा० पी० आर० गाडगिल (उस समय योजना आयोग

के उपाध्यक्ष) को श्रीमती गांधी ने तत्कालीन पंचवर्षीय योजना के बारे में उनके विचार जानने के लिए बुलाया। इस मामले में उन्होंने जो रुचि दिखाई उससे डा० गाडगिल बहुत ही प्रसन्न हुए। सभी तथ्या और आंकड़ों से सज्जित होकर वे उनके दफ्तर में पहुँचे। वे लगभग धारोस मिनट तक अपनी बात कहते रहे। यह देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि इस बीच श्रीमती गांधी अपनी मेज पर झुकी सामने रंगे पड पर बैठकर तत्परता से मिले चली जा रही थी। जब अचानक उन्होंने अपनी गदन ऊँची करके देखा तो यह देखकर वे खीज उठे कि प्रधान मंत्री के सामने रखा कागज टूटी मनी रेखाओं से भरा हुआ था।

अपने मन्त्रिमंडल को वे कभी अपने विश्वास में नहीं लेती थीं। वे सदा एक चौकड़ी के माध्यम से ही काम चलाती थीं। मन्त्रिमंडल की बैठकों में कभी-कभी ही ऐसा होता था कि कोई अथपूर्ण बहस या विचार विनिमय हो। अधिक से अधिक राजनीतिक मामला को समिति में कुछ विचार विमर्श ही पाता था।

दो वरिष्ठ मन्त्रियों को वे कभी परस्पर निकट नहीं जान देती थीं। भेद डाली और शासन करने की नीति में वे दक्ष थीं। अपने मन्त्रियों को एक दूसरे से भिडा कर उन्हें अपना गुलाम बनाए रखने की इग्लड की रानी एलिजाबेथ प्रथम की प्रतिभा का वे अच्छे प्रदर्शन करती थीं। उनके अकड़पन और अधिकार की प्यास ने उन्हें कितने ही लागे से काट दिया। घाघ और हितावी होने के कारण उनमें उदारता की कमी थी और अक्सर वे प्रतिहितात्मक बन जाती थीं।

एक समय उनके अंतरंग सलाहकारों में प्रमुख थे—सवथ्री त्रिनिशसिंह पी० एन० हंसर इंदर गुजराल और रमेश थापर। एक बार एक येनजरो से गिरते गए। इनके स्थान पर दूसरा गुठ आ गया जिसमें प्रमुख थे—टी० पी० धर। कुछ समय के बाद इनका रंग भी उड़ गया। इनके बाद सिद्धाशकर राय और रानी पटेल की बारी आई।

अतः मंजय की चौकड़ी का शासन देश पर लागू हुआ और अच्छे के लिए या बुरे के लिए उन्होंने आपत्कालीन तंत्र का रूप और आकार दिया। इस चौकड़ी में मंजय गांधी के अतिरिक्त सुरक्षा मंत्री ब सीलाल सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण गुप्त गृह राज्य मंत्री आम महता और राने त्रुमुमार धवन थे।

यह अंतिम व्यक्ति जो प्रधान मंत्री के कार्यालय में रखा गया, उस समय रसाय विभाग में एक मुख्य लिपिक मात्र था। यह राजमहल के एक महत्त्वपूर्ण दरवारी यश कपूर का भाजा था और यश कपूर ही इसे प्रधान मंत्री के मन्त्रालय में लाया था। धवन अब मन्वर । सफ्टरजग भाग का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन गया। प्रधान मंत्री के अतिरिक्त निजा सचिव के पद पर रहकर वह प्रधान मंत्री के दफ्तर में राजनीतिक मामला का दखन लगा। बिना उसकी अनुमति या आज्ञाकारी कपता भी जमीन पर नहीं गिरता था।

वह सजय गांधी का बड़ा ही मुहलगा और श्रीमती गांधी का विश्वासपात्र था। इसीलिए राजनीति प्रशासन उद्योग एवं व्यापार के शक्तिशाली लोग उनके आगे-पीछे घूमते थे और उसकी खुशामद करते थे। इस गठन की अजीब बात यह थी कि शुक्ल और ओम मेहता जैसे मंत्री भी सजय का प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से होठ लगाए रहते थे।

श्रीमती गांधी के इस ढंग में शाहीपन हो या न हो घब्रता जरूर है। वे इस बात के लिए प्रसिद्ध हैं कि अपने मित्रों और सलाहकारों को तेजी से बदलती रहती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दूसरों पर बहुत अधिक और बहुत देर तक विश्वास नहीं करती। मामूली से मामूली मतभेद भी उन्हें नाराज कर देता है और वे मित्र या सलाहकार को अपने से तोड़ फेंकती हैं और इसके बाद कभी उसकी ओर नजर उठाकर भी नहीं देखती।

एक समय त्रिनेश सिंह उनके बड़े स्नेहभाजन और विश्व मंत्री थे। उन्हें मन्त्रिमण्डल से अलग कर दिया गया और एक गम अगारे की तरह निजी मित्रों के घेरे से बहिष्कृत कर दिया गया। पी०एन० हक्सर काफी दिन चल, लेकिन अचानक वे भी नजरों से गिर गए। बताया जाता है कि इस समय जहां तक श्रीमती गांधी का सम्बन्ध है यशपाल कपूर को बाहर कर दिया गया है।

1975 के मध्य जून में अपने राजनीतिक जीवन के सबसे बड़े सक्क के समय सिद्धायशकर राय एक चट्टान की तरह श्रीमती गांधी के साथ रहे और नैतिक एवं कानूनी समर्थन देते रहे। फिर भी कठिनाई से एक साल बीता था कि बिना किसी संकोच के श्रीमती गांधी ने उन्हें काट फेंकने का फैसला ले लिया। यह दूसरी बात है कि एक आकस्मिक परिस्थिति के कारण श्री राय बच गए।

अपने रास्ते में रोड़ा बनाने का साहस करने वाले किसी भी व्यक्ति को वे कठिनाई से ही भूतती अथवा माफ करती हैं। अपने आमपास जति कुशल एवं महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को वे सहन नहीं करती। जिस क्षण भी वे ऐसी लक्षण प्रदर्शित करते हैं वे इनके पत्र कुतर देती हैं अथवा निकाल बाहर करती हैं। इस ढंग से उन्होंने सिर्फ हा हा करने वालों से अपने को घेरे लिया था। यहाँ तक कि चुनाव में भारी पराजय के बाद जब कांग्रेस दल ने अपने आपका सभालना शुरू किया और उस अवितरव की खोज आरम्भ की जो श्रीमती गांधी के स्थान पर दल का नेतृत्व सभाल सके, तब यशवंतराव चव्हाण के अतिरिक्त कोई भी आवश्यक ऊँचाई वाला व्यक्ति दीख नहीं पड़ा। श्रीमती गांधी सिर्फ बीना और चमचो से घिरी थीं।

श्रीमती गांधी के बारे में यह बात बिल्कुल सच है कि उनके केवल स्थाई हित थे स्थाई मित्र बिल्कुल नहीं थे। स्वर्गीय पद्मजा नायडू ही इसका एक अपवाद थीं। वे श्रीमती गांधी की घनिष्ठ मित्र मागदशक एवं परामशक भी थीं। जब से पद्मजा

मरी श्रीमती गांधी अकेली पड़ गई। इसके बाद कभी-कभी वे अपन दूररे बेटे सजय स अपने मन की बातें कर लेती। और बाद में तो सलाह और मानसिक चम के लिए वे उसी पर अधिकाधिक निर्भर होती गई।

मनोविश्लेषक इस अविश्वास के बहुत-कुछ एकान्त भय के मूल को असुरक्षा की उस निहित भावना में खोजते हैं जो उस समय उनमें पनपी जब आरम्भ के अपन कच्चे दिनों में उन्हें एकाकी जीवन बिताना पड़ा। उनके माता पिता लम्बी अवधियों के लिए उनसे दूर चले जाते थे। उनकी माता बहुत जल्दी ही मर गई थी और पिता का अधिकतर समय जेल जाने आन में ही बीतता था। अपनी बुआओं से भी उनके सम्बन्ध बिलकुल स्नेहपूर्ण नहीं थे।

नेहरू जी ने अपने नीचे के लोगों से सम्मान और पूजा प्राप्त की थी। लाल बहादुर शास्त्री ने अपने अधीन लोगों का स्नेह पाया था। श्रीमती गांधी उनमें भय का संचार करती थीं।

श्रीमती गांधी प्रकृति से ही एक प्रतिष्ठित महिला हैं और जब वे चाहे तब अपने व्यक्तित्व को अत्यन्त मनोहर बना पाने में समर्थ हैं। यद्यपि उनकी मुस्कान में अक्सर एक पेंच छुपा रहता है। पर्याप्त आकषण से मुक्त उनका व्यक्तित्व उनकी बहुत बड़ी सम्पत्ति है। इसका उद्देश्य भरपूर लाभ उठाया है। एक मन्त्री ने कहा था 'पत्थर से पत्थर लिल को भी वे एक मुस्कान से पिघला सकती हैं।' जब भी कोई केविन्ट स्तर का मन्त्री प्रधान मन्त्री के पास से लौटता था तो उसकी पत्नी का पहला सवाल उससे यही होता था 'उनके चेहर पर मुस्कान थी या भवें टेढ़ी थी।' मन्त्री का दिन इसी हिस्सा से बन या बिगड़ जाता था। अपने इस आकषण का उपयोग वे बहुत चुनाव के साथ करती थीं और इसी से पुरुषों और स्त्रियों, दोनों का ही दिल वे जीत लेती थीं। जब रायवरेली में वे असम्मानपूर्वक हार गईं तो जिन लोगों ने उनका विरुद्ध मत दिया था उनमें अनेक सच्चे दिल से कह उठे थे, 'हाय ! लेकिन उन्हें हराया नहीं जाना चाहिए था।'

पिछले दस वर्षों में उनमें एक करिश्मा पैदा हुआ गया था। इस क्षण भी, जब कि 1977 के चुनावों में कांग्रेस की बदनाम हार के लिए वे पूरी तरह जिम्मेदार हैं कितने ही कांग्रेसियों पर उनका जादू जया का त्याग है और वे उनके भक्त हैं।

1969 में घरेलू राजनीतिक युद्ध में श्रीमती गांधी द्वारा अपनी लक्ष्यपूर्ति के लिए प्रयुक्त राजनीतिक चालबाजी और दूरता का काफी स्वाद सिडीवेट अर्थात् कांग्रेस दल के पुराने महारथियों को चखना पड़ा था।

1969 में जब श्रीमती गांधी वस्तु निर्जालिगण्या के विरुद्ध दाव पर दाव जीतती जा रही थीं तब नई दिल्ली में अमेरिका के राजदूत भूतपूर्व सीनेटर जान कीटिंग ने इन पवित्रों के लेखक में कहा था 'मैं इस महिला का अभिवादन करता



किया वह सब इस अवधि के बीच उनकी मन स्थिति की ओर मग्न बर रहा था।

जिस समय श्रीमती गांधी के विरुद्ध श्री राजनारायण की चुनाब-याचिका पर 'याचिका' जगमोहनलाल सिंह ने अपना फंमला दिया उस समय नम्बर 1 सफरजग माग पर और दशभर में ऐसा ही तनावपूर्ण वातावरण था। वे पहले ही किनारे पर झूल रही थी। इस फमले ने उन्हें एक सिर पर ला खड़ा किया। आरम्भ डगमगाहट के बाद शीघ्र ही उन्होंने अपने मन को दृष्ट किया और अपनी निरकुशता की कामना को व्यवहार रूप देने और भारत के इतिहास में एक नम प्रवण महान नारी कहलान के इस अवसर में पूरा लाभ उठान का निश्चय किया।

1969 में कांग्रेस के पुराने महारथियों के विरुद्ध जो अत्यंत दक्ष राजनीतिक युद्धशील उन्होंने प्रदर्शित किया था और देश की विदेश नीति के मदभ में जो बारीक सूचबूझ उन्होंने दिखाई थी उससे पूरी दुनिया की प्रशंसा उठ मिली थी। पाकिस्तान पर उन्होंने उल्लेखनीय सैनिक विजय प्राप्त की थी जिसके फलस्वरूप उस देश के दो टुकड़ हो गए थे और बंगला देश का मुक्ति मिल गई थी।

लदन इकानामिस्ट में उन्हें भारत की साम्राज्ञी कहा गया था और लगता है जैसे वे इस पर विश्वास कर बैठी थी। कुछ भी हा इस कथन ने उनके दिमाग में कुछ विचार जन्म डाले थे। उनके मन में इस बात में कोई संदेह नहीं था कि घरेलू क्षेत्र में भी ऐसा कोई नक्षत्र नहीं था जिसके उपलब्ध न कर सकती हो। इस लोकतंत्रीय प्रणाली द्वारा लागू कुछ प्रतिबंध ही रखावट बन रहे थे। वे थे अभिभक्ति की स्वतंत्रता और कानूनमम्मत रहने पर जार। उन्हें अब घर में अनुकूल स्थितियां निर्मित करने की दिशा में अपनी शक्ति लगानी चाहिए। उन्हें सवधानिक और लोकतंत्रीय सभी रखावटों की मांग में से हटा देना चाहिए।

इलाहाबाद के फसल के तुरंत बाद जो स्थिति सामने आ खड़ी हुई थी, उसने श्री जयप्रकाश नारायण के बढ़ते हुए आंदोलन के साथ मिलकर उन तरीकों को लागू करने की आवश्यक प्रेरणा और बहाने उन्हें प्रदान कर लिए जिन्हें सामान्य समय में लागू करने का साहस वे नहीं कर सकती थी। आपातस्थिति लागू करने एक हमले में उ होन विरोधी दला की वकवास'स छुट्टी पा ली थी और पत्रों का मला घोट दिया था। श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा दी गई सम्पूर्ण क्रांति की धमकी ने इस असाधारण कदम की मगति उन्हें प्रदान कर दी। इस सब सामग्री को लेकर सरकार द्वारा नियंत्रित प्रचार साधनों के माध्यम में जनता के समक्ष अपने अनुकूल एक मजबूत पक्ष के अब निर्मित कर सकती थी। अब आकाशवाणी और दूरदर्शन के अतिरिक्त ममाचार एजसी और एक दंतू व आनाकारी प्रस भी उनके अगुओं के नीचे था।

सब प्रकार के विरोध को इस तरह चुप कर देने के बाद अब वे कठोर नियंत्रण ल सकती थी और अलाकप्रिय, लेकिन आवश्यक, नीतियों का लागू कर सकती थी।



वे त्वरित परिणाम लिया सकती थी और जनता के मन को जीत सकती थी ! इसके बावजूद देश के सामने जा सकती थी और भारी बहुमत में जीतकर सत्ता फिर से प्राप्त कर सकती थी और इस प्रकार काम मिट्ट करन वाले अधिक प्रभावी एक निरंकुश शासन के पक्ष में साफ-सीधा लोकमत प्राप्त कर सकती थी । साथ जनिक प्रचार साधन उनके साथ थे और दुनिया में क्या था जा वे उपलब्ध नहीं कर सकती थी ।

आपातस्थिति में निरंकुशता के माग पर जानबूझकर कदम बढ़ाती सरकार के रास्ते में सभी कानूनी और सबधानिक अवरोधों को अनायास ही समाप्त कर लिया । मूलभूत अधिकार महा तक कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी स्थगित कर लिया गया । साम्राज्यवादी अंग्रेजों के राज्य में भी जसा देखने को नहीं मिला था वसा निष्ठुर समर प्रेम पर लगा लिया गया । इस संसार का लागू करने के तरीके में भाषिया को भी पीछे फेंक दिया । जानबूझकर स्थापित किए गए अनाक्याती शासन के द्वारा अध्याधुनिक गिरफ्तारियों और नजरबन्दियों तथा शक्ति के नग प्रदर्शन द्वारा देश में भय की एक मानसिकता पैदा कर दी गई जिससे लोगो को भड-बकरी बना लिया ।

27 जून को राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार कानून के समान संरक्षण के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के तथा अपनी आजादी के लिए बिना वारण्ट की गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण के नजरबंदी के सबधानिक अधिकार समाप्त कर लिए ।

दो दिन बाद एक और अध्यादेश जारी करके आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) में मशौघन किया गया और इस अपक्षा को समाप्त कर दिया गया कि विशिष्ट अवधि में नजरबंदी के कारणों की सूचना नजरबंद को अवश्य दी जानी चाहिए ।

सिर्फ दिल्ली में 25/26 जून 1975 की रात के पहले फेरे में 83 व्यक्तियों का पकड़ा गया । 26/27 जून के दूसरे फेरे में 250 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए । 25 जून 1975 (जिस रात राष्ट्रपति ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए) से लेकर 18 मार्च 1977 (जिस दिन आपातस्थिति समाप्त की गई) तक मीसा के अंतर्गत पूरे देश में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 34630 पहुंच गई । इनमें कुल 6244 नजरबंद हुए सामान्य मीसा कानून के अंतर्गत पकड़े गए थे जब कि शेष 28386 मीसा के आपराज्यवादीन उपबंध धारा 16 के अंतर्गत बंदी बनाए गए थे ।

मार्च 1977 में चुनावों के समय सभी जिलों में 17000 राजनीतिक नजरबंद थे जबकि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ता ने जार देकर कहा था कि सभी राजनीतिक नजरबंदों को रिहा कर दिया गया है । आपातस्थिति के दौरान

नजरबंदों के मामले में बिहार सूची में सबसे ऊपर रहा। यहाँ 2116 लोग पकड़े गए थे। 1805 की मर्यादा वाला गुजरात दूसरा था। इसके बाद आंध्र प्रदेश के 1078 और दिल्ली के 1011 व्यक्ति पकड़े गए।

इसके बावजूद एक जोरदार भूमिगत आन्दोलन जारी रखा गया। गैर कानूनी सूचनाएँ साइक्लोस्टाइल की रवा छापी जाती और बाँटी जाती। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सत्याग्रह किए जाते। इस आन्दोलन की रीढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कायकता थे जिन्हें उच्चकोटि की सैद्धांतिक शिक्षा मिली थी। इनके पास अपना गतिविधियों के लिए कामचलाऊ यंत्र के रूप में पहले से ही तैयार एक संगठन था। इन लोगों ने सरकार के नक्सल दमन के बावजूद हिम्मत हारने से इंकार कर दिया और आन्दोलन का जीवित रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 25000 से अधिक कार्यकर्ता भीसा और डी० आई० मार० के अधीन गिरफ्तार किए गए और 100000 ने सत्याग्रह किया। लगभग 70 व्यक्ति जेलों में अथवा भूमिगत कार्य करते हुए मृत्यु की भेंट चढ़ गए।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के उदार स्वभाव वाले मुखरूत में त्री इंदर गुजराल को जिनका अपराध यहाँ था कि वे पत्रकारों के साथ तालमेल रखते थे भोड़े ढंग से हटाकर उड़ड़ और अकखड स्वभाव के विद्याचरण शुक्ल का ल आया गया जो श्रीमती इंदिरा गांधी के इस नये अवतार के एक शानदार शस्त्र साबित हुए।

21 जुलाई को लोकसभा का आपत्कालीन अधिवेशन बुनाया गया जो 19 दिना तक चला। विरोधी पक्ष ने इसका बहिष्कार किया। इस अधिवेशन ने अगपत स्थिति की घोषणा पर निष्ठापूर्वक अपनी सहो कर दी और विधि संग्रह का प्रतिगामी विधेयक के पुनि दे स दूषित कर दिया।

लोकसभा के दाना गटना में पहला काम यह किया गया कि कायविधि के सामान्य नियमों को स्वगित कर दिया गया। प्रश्नोत्तर काल पर और गैर सरकारी सदस्या के प्रस्तावों पर राक लगायी गई जिससे कि इस अधिवेशन के दौरान सिर्फ सरकारी काम-काज ही किया जा सक। लोकसभा के इस आपत्कालीन अधिवेशन में ही संविधान का 39वाँ संशोधन विधेयक स्वीकार किया गया जिसके अनुसार आपातस्थिति लागू करने के राष्ट्रपति के कारणों को किसी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती थी और यह भी कि राष्ट्रपति कोई घोषणापत्र पहले से जारी किया गया है या नहीं, अलग-अलग आधारों पर अलग अलग घोषणापत्र जारी कर सकते थे।

लोकसभा ने संविधान का 41वाँ संशोधन विधेयक भी स्वीकार किया जिसमें यह विधान था कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रा अथवा राज्यपाल है या रहा है उसका विरुद्ध इस पद पर आन स पहले अथवा इस पद पर रहने की अवधि में,

वे त्वरित परिणाम दिखा सकती थी और जनता के मन को जीत सकती थी। इसके बाद देश के मामलों में जा सकती थी और भारी बहुमत से जीतकर सत्ता फिर से प्राप्त कर सकती थी और हम प्रकार काम सिद्ध करने वाले अधिक प्रभावी एक निरंकुश शासन के पक्ष में माफ-मोघा लोकमत प्राप्त कर सकती थी। माफ जनिक प्रचार-माधन उनके साथ थे और दुनिया में क्या था वह उपलब्ध नहीं कर सकती थी।

आपातस्थिति में निरंकुशता के माग पर जातबूझकर काम बढ़ाती सरकार के रास्ते में सभी कानूनी और सबधानिक अवरोधों को अनायास ही समाप्त कर दिया। मूलभूत अधिकार महात्मा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार भी स्थगित कर दिया गया। साम्राज्यवादी अंग्रेजों के राज्य में भी जमा देयकों को नहीं मिला था वसा निष्कर सस्तर प्रेस पर लगा दिया गया। इस संसद को लागू करने के तरीके में माफिया को भी पीछे फेंक दिया। जानबूझकर स्थापित किए गए आतंकवादी शासन के द्वारा अधाधुंध गिरफ्तारियाँ और नजरबन्दियों तथा शक्ति के नये प्रदर्शन द्वारा लोग में भय की एक मानसिकता पैदा कर दी गई जिसे लोग को भड़काने बना दिया।

27 जून का राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके अनुसार कानून के समान संरक्षण के जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के तथा अपनी आजादी के लिए बिना वारंट की गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के विरुद्ध संरक्षण के नजरबंदों के सबधानिक अधिकार समाप्त कर लिए।

दो दिन बाद एक और अध्यादेश जारी करके आंतरिक सुरक्षा अधिनियम (मीसा) में संशोधन किया गया और इस अपेक्षा को समाप्त कर दिया गया कि विशिष्ट अवधि में नजरबंदी के कारणों की सूचना नजरबंदों को अवश्य दी जानी चाहिए।

सिर्फ दिल्ली में 25/26 जून 1975 की रात के पहले फरे में 83 व्यक्तियों को पकड़ा गया। 26/27 जून के दूसरे फरे में 250 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। 25 जून 1975 (जिस रात राष्ट्रपति ने घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए) से लेकर 18 मार्च 1977 (जिस दिन आपातस्थिति समाप्त की गई) तक मीसा के अंतर्गत पूरे देश में पकड़े जाने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या 34630 पहुंच गई। इनमें कुल 6244 नजरबंदों का सामान्य मीसा कानून के अंतर्गत पकड़े गए थे जब कि शेष 28386 मीसा के आपत्कालीन उपबंध धारा 16 के अंतर्गत बंदी बनाए गये थे।

मार्च 1977 में चुनावों के समय मंत्री जेलों में 17000 राजनीतिक नजरबंदों के जबकि तत्कालीन केन्द्रीय सरकार के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा था कि सभी राजनीतिक नजरबंदों को रिहा कर दिया गया है। आपातस्थिति के दौरान

नजरबन्दी के मामले में बिहार सूची में सबसे ऊपर रहा। यहाँ 2116 लोग पकड़े गए थे। 1805 की मर्यादा वाला गुजरात दूसरा था। इसके बाद आंध्र प्रदेश 1078 और दिल्ली के 1011 व्यक्ति पकड़े गए।

इसके बावजूद एक ज़रतार भूमिगत आन्दोलन जारी रखा गया। हर कानूनी सूचनाएँ मादक्लोम्पाइल की रथवा छापी जाती और बाटी जाती। दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में सत्याग्रह किए गए। इस आन्दोलन की रीढ़ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता थे जिन्हें उच्चकोटि की सैद्धांतिक शिक्षा मिली थी। इनके पास अपनी गतिविधियों के लिए कामचलाऊ खर्च के रूप में पहले से ही तयार एक संगठन था। इन लोगों ने सरकार के नशस्त दमन के बावजूद हिम्मत हारने से इनकार कर दिया और आन्दोलन को जीवित रखा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 25000 से अधिक कार्यकर्ता मौसा और डी० आई० भार० के अधीन गिरफ्तार किए गए और 100000 से सत्याग्रह किया। लगभग 70 व्यक्ति जेलों में अथवा भूमिगत काय करते हुए मृत्यु की भेंट चढ़ गए।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के उत्तार स्वभाव वाले मुमस्वृत मंत्री इन्दर गुजरान को जिनका अपराध यही था कि वे पत्रकारों के साथ तालमेल रखते थे, भाड़े दग से हटाकर उद्द और अनखड स्वभाव के विद्यावरण शुक्ल को ल आया गया जो श्रीमती इन्दिरा गांधी के इस नये अवतार के एक शानदार शस्त्र साबित हुए।

21 जुलाई को लोकसभा का आपत्कालीन अधिवेशन बुलाया गया जो 19 दिनों तक चला। विरोधी पक्ष ने दसका बहिष्कार किया। दस अधिवेशन ने आपात स्थिति की घोषणा पर निष्ठापूर्वक अपनी सन्धि कर ली और विधि सभ्य का प्रतिगामी विधेयक को पुलि से दूषित कर दिया।

लोकसभा के दाना गन्ना में पहना काम यह किया गया कि कायविधि के सामान्य नियमों का स्थगित कर दिया गया। प्रश्नोत्तर काल पर और हर सरकारी सन्ध्या के प्रस्तावों पर रोक लगा ली गई जिससे कि इस अधिवेशन के दौरान सिर्फ सरकारी काम-काज ही किया जा सके। लोकसभा के इस आपत्कालीन अधिवेशन में ही संविधान का 39वाँ संशोधन विधेयक स्वीकार किया गया जिसमें अनुसूचित आपातस्थिति लागू करने के राष्ट्रपति के कारणों को किसी अदालत में चर्चीती नहीं दी जा सकता थी और यह भी कि राष्ट्रपति कोई घोषणापत्र पहन स जारा किया गया हो या नहीं, अलग-अलग आधारों पर जलम अलग घोषणापत्र जारी कर सकते थे।

लोकसभा ने संविधान का 41वाँ संशोधन विधेयक भी स्वीकार किया जिसमें यह विधान था कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अथवा राज्यपाल हैं या रहा है उससे विरुद्ध इस पक्ष पर आन से पहले अथवा इस पक्ष पर रहने की अवधि में,

जो भा काय उमन किया हा उसको लेकर किसी अदालत म कोई फौजदारी मुकदमा न दायर किया जा सकता है और न जारी रखा जा सकता है और इसी प्रकार हमे किसी व्यक्ति क विरुद्ध पत्र पर आने स पहन अथवा उमक बाद व्यक्तिगत स्तर पर किए गए किसी भा काय को लेकर कोई दीवानी मुकदमा भी दायर नहीं किया जा सकता ।

इस लोकसभा द्वारा स्वीकृत एक विशिष्ट विधेयक (39वें संशोधन) क द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय म दाखिल श्री राजनारायण की याचिका म उठाए गए चारो मुद्दों का भा निरस्त कर लिया गया और नई धाराओ को पूर्वव्याप्ति सहित लागू माना गया । नई धाराए इस प्रकार की (क) कि चुनाव क छवों एव अथ प्रयाजना क अथ किमा यकिन की उम्मीदवारो जसा कि 1951 क जनप्रतिनिधित्व कानून म निर्धारित है तब स नही मानी जाएगी जबसे कि चुनाव क उपस्थित होने पर उमन स्वयं की भावी उम्मीदवार मानना शुरू कर लिया हो बल्कि तब स मानी जाएगी जबसे कि उसे उम्मीदवार बनाया गया हो (ख) कि चुनाव आयुक्त द्वारा लिया गया कोई भी चिह्न धार्मिक या राष्ट्रीय चिह्न नहा माना जाएगा (ग) कि 1951 क जनप्रतिनिधित्व विधेयक की बहू धारा जो उम्मीदवारो को अपनी चुनाव-सम्भावनाओ को आगे बताने क लिए सरकार अफसरा की सहायता प्राप्त करने म मना करती है उसकाय पर लागू नहा होगी जिस सरकारी अफसर न अपन सरकारी कर्तव्य की पूर्ति क दौरान किया हो तथा (घ) कि सरकारी मजदूर म प्रकाशित सूचना केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार क किसी भी मकक की नियुक्ति त्यागपत्र संल समाप्ति अथवा उसक हटाए जाने का अथवा जिस तिथि स यह लागू हो रहा हो उसका अंतिम प्रमाण हांगी ।

विधि मन्त्री श्री एच० आर० गांधी ने इसी अधिवेशन म एक और विधेयक रखा जिसम कहा गया था कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष और प्रधान मंत्री से सम्बन्धित सभी मामले संसद द्वारा स्थापित एक नये अधिकरण के सामने रखे जायें । इस कानून का किसी अदालत के सामने चुनौती नहीं दी जा सकती थी और वर्तमान कानून का अध्याय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधान मंत्री क विरुद्ध जो भी मामले चल रहे हा वे समाप्त माने जायेंगे ।

जब उच्चतम न्यायालय क मविधान पीठ ने श्रीमती गांधी की अपील पर 11 अगस्त को सुनवाई आरम्भ की तो प्रधान मंत्री के वकील अशोक भाने अदालत मे कहा कि 39वें संशोधन (जिस पहल ही दिन अर्थात् 10 अगस्त को ही अंतिम रूप स स्वीकार किया गया था) न क्योंकि फसले को खत्म कर लिया है इसलिए संसद आधार पर मजा को फौरन समाप्त कर लिया जाए । श्री राजनारायण के वकील श्री शांतिभूषण का कथन था कि न्यायालय पहले यह तय करे कि क्या संशोधन संवैधानिक है । उ होना या न होना न्यायालय कि उच्चतम न्यायालय ने 1973 मे

यह स्थापना भी थी कि समस्त मविधान के मूल ढांचे अथवा आधार का बचन नहीं सकता। अटार्नी जनरल श्री नीरज दे ने इस तक का जवाब यह कहकर दिया कि चुनाव से सम्बंधित चण्डे का फसला मविधान के मूलभूत ढांचे अथवा आधार का धारणा के अंतर्गत नहीं आता।

7 नवम्बर का उच्चतम न्यायालय की मविधान पीठ ने जिनमें मुख्य न्यायाधीश श्री ए० एन० राय के अतिरिक्त सब श्री एच० आर० खन्ना के० मयू लम० एच० बग तथा वार्ड० वा० चन्द्रचड्ढे एकमत से फसला देकर रायबरेली क्षेत्र से श्रीमती गांधी के चुनाव का बंध ठहरा दिया तथा 39वें मसौदा को पूरी तरह से खारिज करार देते हुए भी आपत्कालीन अधिवेशन में स्वीकार किए गए चुनाव नियम मसौदा विधायक 1975 का बंधता को मायना दे दी।

इस घटना चक्र पर पाछे से नज़र डालें तो यह पूरा घटिया प्रयास अवांछित मद्द्गा और अनिवायत बचनाजनक प्रतीत होता है क्योंकि श्री राजनारायण की याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती गांधी को निर्णय करार दे दिया। जैसा कि श्रीमती गांधी का उनका मित्रा एव आवाचका ने इस वाच की अवधि में परामर्श दिया था कि अस्थायी रूप से पत्र से उत्तर सकती थी और चार महीने बाद उच्चतम न्यायालय द्वारा उनका अपील पर निणय हो जान पर अपने पत्र पर वापिस लौट सकता थी और तब उनकी प्रतिष्ठा और लोकतन्त्राय मूल्य के प्रति सम्मान अभ्युण्ण रह जाना और साथ ही उनका विराधिया की तोपें भी बंकार हो जाती। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि यदि वह जनवादी सावजनिक प्रदान न किए गए हात और आपातस्थिति के लागू किए जान में तथा ताकसभा के आपत्कालीन अधिवेशन द्वारा नये चुनाव नियम स्वीकार किए जान में ना स्थितिया पैदा हुई कि न हुई हाती तब एक भिन्न वातावरण में क्या उच्चतम न्यायालय ने श्रीमती गांधी का दोषमुक्त करार दिया जाता ?

टकर के स्थान पर बातचीत यह काम कर सनना भी, नकिन किसी भी लोकतन्त्र में इसमें निरापेक्ष मरकार का ही करनी हाती है। वस्तुतः नश के मामले उपस्थित विभिन्न राष्ट्रीय मसला के बारे में श्री जयप्रकाश जो चाहते थे और श्रीमता गांधी का कन्ता भी उसमें कोई विनाय मैद्दातिक अंतर नहा था। नकिन श्रीमता गांधी की अकम्प और निरकुण मनोवृत्ति ने उन्हें मद्द्ज नहा बनन दिया। फलतः नशा कि राष्ट्र को आपातस्थिति के उ नाम महाना के धार धाम में म गुजरना पना और इसमें ठीक था ही श्रीमता गांधी के शासन का अवमानपूर्वक उतट दिया गया और भारतीय जनता ने लाकतन्त्र एव स्वतन्त्रता के अपन अधि कार का नाटकीय रूप से पुन म्हापित कर दिया।

आपातस्थिति का पहल पहल तो भारतीय जनता पर ठीक वसा ही एक अनुकूल असर पना जसा कि चीम रूप पढ़ने जय अयूर ने पाकिस्तान पर ताना

भाही लागू की थी तो पाकिस्तानियों पर पड़ा था। उस्ताहो अफसरों ने इस्लामी की पटरिया की साफ कर डाला मुनाफाकारी को बठोरता से दबा दिया और आवश्यक चीजों की कीमतों पर नियंत्रण किया और सामाजिक एवं औद्योगिक अनुशासन को लागू किया। औद्योगिक उत्पादन क्षमता एवं उत्पादन बढ़ गया। एक रात के भीतर छात्रों की गुंडागर्मी खत्म हो गई और बसाए भर उठी। आम आदमी ने इस सब का स्वागत किया। अनुकूल मानसून ने देश में अन्न की स्थिति का सहज कर दिया और मुत्सद्दीगति का नियंत्रण में आया गया। मामूली मुद्दों हुए नजर आने लगे। पहलू छ महीना तक हर बात जमे स्वतः होती चला गई। पर इसके बाद दरारें पड़नी शुरू हो गई।

आपातस्थिति के दौरान भारी आर्थिक प्रगति का जो शोरशरावा दश भर में मचा उसके पीछे से कुछ नगण्य धाक रह गया। यद्यपि भ्रष्टाचार अभूतपूर्व स्तर तक पहुँच गया था। बराजगारी बहुत अधिक बढ़ गई थी। गरीबी का स्तर सनीध जाने वाला की मर्यादा 27 करोड़ से 42 करोड़ हो गई थी। अनाज वनस्पति चाय जूते कपड़ा घर रेल के डिब्बों में जगह दूध और जड़े आदि की प्रति व्यक्ति उपलब्धि 30 प्रतिशत से घटकर 10 प्रतिशत रह गई थी (य आंकड़े सरकारी आंकड़ों के अनुसार हैं)।

सज्ज की चौकड़ी ने अब घटनाओं को रूप देने में भारी हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। प्रसन्न का गला घुट गया था। कितनी भी सही क्यों न हो अधिकांश कार्रवाई की आलोचना एकत्रित बढ़ दी। अफसरों के दुराचार भ्रष्टाचार और शक्ति के दुरुपयोग की घटनाओं से वातावरण भर उठा था। स्थानीय कार्यकर्तों ने सब पर धीरे जमाना शुरू कर दी थी।

किन्हीं खास सड़क पर अपनी जगह पर खड़े सिपाही से लेकर बिन्नी कर व इस्पेक्टर तक हर टुकड़े अधिकारी ने दूकानदारों रिक्शावालों और छोमन्नेवाला से चौथ वसूलनी शुरू कर दी थी। इन नये सरकारानी कानूनों के माध्यम से अपन निजी बदन लिए जाते थे। जिन अधिकारियों और व्यापारियों ने सरकार में ऊँचे पद रखने वाला का कभी नाराज कर दिया था उनके घरों पर आयकर विभाग के अथवा बिन्नीकर विभाग के अफसरों द्वारा अक्सर गड़े गए आरोपों को लेकर अघाधुघ छाप मारे गए।

इस दश से कानून का राज्य व्यवहारत बहिष्कृत हो गया था। बन्दी प्रत्यक्षीकरण (टैबिलिस कारपस) का अधिकार स्थगित हो जाना का साथ साथ पुलिस का अत्याचार बहुत ही बढ़ गया और अनेकों निर्दोष लोगों को आतंकित किया गया। छात्रमण्डल का पृष्ठभूमि वाल युवकों को सबसे अधिक यातनाएँ झेलनी पड़ी। उन्हें कालिजी का बाहर बस स्टॉपों पर अथवा उनके घरों में बरामदा में धर दबाया

जाता पकड़ ले जाया जाता और आरोपित, भूमिगत घनसात्मक गतिविधिया के बारे में सूचनाएँ निकालने के नाम पर उन्हें यातनाएँ दी जाती।

उनकी गिरफ्तारी के बारे में उनके माता पिताआ का कभी कोई खबर नहीं दी जाती और वे बचारे उनके बारे में अज्ञान ही लगातार रहते। कुछ मामलों में तो माता पिताओ और रिश्तेदारों तक को लग किया गया घानों में ले जाकर उन्हें बन्द कर लिया गया सताया गया और घंटों पूछताछ की गई। उद्देश्य यह था कि लोगों के दिलों में डर बसा दिया जाए। और हम प्रक्रिया में व्यक्तिगत पुलिस अफसरों की परपीडन बर्तित (साइडरम) एवं विवृत्तियों को छुसकर खलने का अवसर मिला।

नगर को साफ करने और सुन्दर बनाने के नाम पर भुंगी चापड़ी वाला को उनके घरों से उखाड़ फेंका गया और कई मील दूर एक स्थान पर डाल दिया गया जहाँ वे अपनी चिन्ता स्वयं करें। परिवार नियोजन लागू करने के नाम पर दिल्ली में और पूरे उत्तरांचल प्रदेश में गावों और नगरों के गरीब लोगों पर जो अत्याचार किए गए और उन पर जिन क्रूर ताकत का इस्तमाल किया गया उससे बेहतर तो ईश्वर अमान के दश में भी नहीं किया जा सकता था। असल में, यह विश्वास करने में कठिनाई होती थी कि हमारे अधिकारी इतनी क्रूरता और कट्टरता दिखाने की सामर्थ्य रखते हैं और आज जब भी यह नखक सड़क पर किसी पुलिस वान के पास से गुजरता है एक वितण्णा की भावना अनायास ही पैदा हो जाती है। इस राक्षसी व्यवहार का न सह पाकर पूरे के पूरे ग्रामों ने अफसरशाही के विरुद्ध विद्रोह किया और बदले में उन पर लाठीचार्ज बरसाई गई और गोलियाँ चलाई गईं। नसबंदी कायप्रमाण अतगत पुलिस के छापो से बचने के लिए पूरे के पूरे ग्रामों में घबस्कु पुरखों के कितने ही दिना और राता तक जगला में पड़े रहने के उदाहरण बड़े ही आम थे।

कठोर सेंसर को घयवाद दिया जाना चाहिए कि उसने अत्याचारा की सभी कहानियों को पूरी तरह दबा दिया था जिसके फलस्वरूप राजधानी अफवाहा का एक विशाल कारखाना बन गई थी जहाँ अकसर सञ्चार कहानी से भी अधिक अज्ञान प्रतीत होती थी। जल्द ही तथ्य और कहानी के बीच की विभाजक रेखा धुंधली पड़ गई क्योंकि विश्वास के अयोग्य और एक रागी कल्पना की उपज माने जाने वाले अत्याचारा की कहानियाँ सत्य-कथाएँ सिद्ध होनी लगतीं। अखबारा में छपी बातों में कोई किसी भी दशा में विश्वास नहीं करता था क्योंकि हर कोई जानता था कि उनके कानों में छपी खबरें सरकार द्वारा पकाई जाकर ही परोसी गई हैं। इस प्रकार का अवसर पर ऐसा हुआ कि घटने के जनक जिनो बाद तुकमान गट की घटना और मुजफ्फरनगर के दगा के क्षीण विवरण सरकार ने प्रकाशित कराए जिसका एकमात्र उद्देश्य यह था कि अधाधुध अफवाहा को रोकना



जा सने। इन अपवाहा म से अधिकतर वात् म सच निकली और असल म सरकार ह। भयानक तथ्या को हलका बनाकर उहे कृत्रिम रूप दे रही थी।

पाकिस्तान म अयूब शासन का पुराना नाटक ही भारत म खेला जा रहा था। कराची म मेना क जवान कप्ताना जोर भजरो न कराची की सडका पर घूम घूमकर पत्रिया पर ठेके मिखारिया और शरणाथिया का डडा क जोर से वहा म हटाया था। लेकिन जल्द ही व सब भ्रष्ट हा गए जोर आम लागो से पस वमूलन और उनमे बगार नने लग और उ ह आतंकित करने लग।

और भी उत्तरेखनीय समावता यह रही कि पाकिस्तानी तानाशाह का भी वटा ही अपने पिता के विनाश का कारण बना जैसे सजय श्रीमती गाधी के राजनीतिक पतन के लिए मुख्यत जिम्मेदार है। दाना ने ही छलाग लगाती अपनी महत्वाकांक्षा का पूरा करने और जल्द ही अमीर बनने क लिए विशप स्थिति का लाभ उठान का फसला किया था। यह एक अजाब तथ्य है कि इतिहास ने अपने को दोहराया है।

एक दूसरा पाठ जिसे बाद म श्रीमती गाधी के जनभव ने भी पुष्ट किया और जिस अयूब खा न भयानक कीमल देकर सोखा यह है कि तानाशाही तक अपने निजी हित की दृष्टि से भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के विना काम नहीं चला सकती। इन लोगो न समाचार पत्रो का गला धोटा जोर खबरो का अपनी मर्ती के बनमार ही छपने दिया और इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण जानकारी से अपने को गह्रुम रखा कि जनता उनके बारे म क्या सोचती है और सच सच क्या कहती है। इसक वात् इन लागो न अपने दरबारियो और चापसूसा म कार्णिक त्रिष्वाम करना शुरू किया जि हान उहे आश्वस्त किया कि व कभी गलता नहीं कर सकत व अपरिहाय है जोर लोकप्रिय है। और जम ही उहान चुनाव क जात्रा लिए उनका अंत आ गया जोर उहे एक तिरस्कारपूर्ण पराजय का सामना करना पडा।

सत्ता भ्रष्ट बनाती है और असामित सत्ता जसीमिन रूप म भ्रष्ट बनाती है। नाड एकरन का यह प्रसिद्ध उक्ति अत्रिा की आपातस्थिति म जितनी अच्छी तरह चित्रित हुई है उतनी पहन कहा नहीं हुई था।

आपातस्थिति लागू होते हा पहल कुछ नाजक मत्ताहो क दौरान पुलिस और प्रशासन क अपसरा न आदेशा का एस पालन किया जस कि व जात्रा यहा तक कि मन्त्रिण से भी खारिज यत्र हा। एमा जगता था जस लागो न स्वय सोचना बंद कर दिया था जोर बिना इस बात की परवाह किए कि आप्शे कानूनों जथवा 'यायमम्मन हैं या नहीं और कौन उ उ द रहा है व बस उनका पालन करता गए। एस म अभ म ना जयप्रकाश नारायण द्वारा पुलिस और सत्ता को लिया गया प्रवा धन कि जिस व 'यायरहित जोर गर कानूनी समय उगका पालन न करें गम्भीर रूप से मगत सिद्ध होता है।

श्रीमती गांधी ने चुनाव कराने का फैसला क्यों किया ? यह सौं कराइ रूपे का कीमत का एक प्रश्न है । व आश्वस्त थी कि उस समय यदि चुनाव कराया गया ता व सौ फीसती जीतेंगी और भारी बहुमत लेकर लोकसभा में लौटेंगी । उन्होंने अपने इस फैसले को अपनी अनन्य राजनीतिक गुप्तचर सेवा रॉ (RAW) का अफसरों तथा अन्य सरकारी सूत्रों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित किया था । लेकिन प्रधानमंत्री का अकचिकर तथ्य देने के वार में रा एव अन्य सरकारी गणना के अधिकारियों में इतना अधिक डर पैदा हुआ गया था कि उ हान भी वही तथ्य उह टिपि जि ह मुनना के पमद करती थी । और यही श्रीमती गांधी के लिए शोक का कारण बन गया ।

और भी विश्वसनीय कारण ये कम से कम उस समय के विश्वसनीय लग थे, जि होंन श्रीमती गांधी का प्रेरित किया कि व समय से एक वर्ष पहले ही चुनाव करा लें । सभी हान ही में संविधान में मशाघन करके मधोय ससद की कायविधि में एक वर्ष बढ़ाया गया था ।

उद्योग पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों में शासक पक्ष में मन्थीर दरारें पैदा हो गई थी और तत्काल आवश्यक हो गया था कि कांग्रेस में आंतरिक एकता खान के लिए एक उत्साहवर्धक एवं उत्प्रेरक स्थिति पैदा की जाए जिसमें धरण को फौरन रोक जा सकें । एक शिखर पर पहुंचकर दश की आर्थिक स्थिति ने फिर नाच गिरना शुरू कर दिया था । कीमतें फिर से बढ़ने लगी थी और मुद्रा स्थिति अपना धुणित सिर उठा रही थी । दा अच्छ मान सूनों का वाद आगामी वर्ष बुरा मानसून की आशंका थी ।

सभी अपगन्तुन श्रीमती गांधी का प्रेरित कर रहे थे कि वे सीधे जनता के पास जाय और कल्याण की उस भांति का लाभ उठाए जो धीमे धीमे मिटती जा रही थी, और एक बहुमत लेकर ससद में लौटें और दावा करें कि जनता ने उनकी नीतियां पर और शासन के उनका पक्ष पर मुहर लगा दी है और तब वे एक अधिपत्य स्थाई एवं प्लोय निरकुश शासन का दश के ऊपर घोष दें ।

ममय से पूर्व चुनावों की घोषणा के पीछे क्या विपत्ता दावा किया भी रूप में रह है ? जिस रूप में योग साचत है उस रूप में नहीं । श्रीमती गांधी इतनी स्वाभिमानिनी हैं कि वाशिगटन अथवा वहां के भी सरकारी दावा के सामने झुकती नहीं । लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि अप्रत्यक्ष दावा का असर पड़ा अस्स । पाछे मजय गांधी की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं ने उस प्रेरित किया था कि वह सुदूर पश्चिम की ओर लक्ष्य फेंके । पश्चिम के वहुराष्ट्रियों विगणकर अमराजियों के साथ मतभेद दूर कराने का प्रयास बह करता रहा है ।

पश्चिम के प्रति उमुग्रता का फल यह हुआ कि मजय अचानक ही पश्चिम का सहभाजन भारतीय गणन का उठना हुआ न तब बन गया । सजय ने अपने

जा सक। इन अफवाहों में से अधिकतर वास्तव में सच निकलीं और असल में सरकार ह। भयानक तथ्यों को हलका बनाकर उन्हें कृत्रिम रूप दे रही थी।

पाकिस्तान में जयूब शासन का पुराना नाटक ही भारत में खेला जा रहा था। कराची में सनातन अजमान कप्तानों और मजरा में कराची की सड़क पर धूम धूमकर पत्थरिया पर बैठ भिखारिया और शरणार्थियों को डंडा में जार से बहाते सड़कियां थी। नकिन जल्द ही वे सब भूख हो गए और जाम लागे स पम बसूने और उनसे बगार करने लगे और उन्हें जानकित करने लगे।

और भी उल्लेखनीय समानता यह रही कि पाकिस्तानी तानाशाह का भी बेटा ही अपने पिता के विनाश का कारण बना जम सजय श्रीमती गांधी का राजनीतिक पतन के लिए मुख्यतः जिम्मेदार है। दाना न हा छाना लगाती अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने और जल्द ही अमीर बनने के लिए विनाश स्थिति का लाभ उठाने का फमला किया था। यह एक अजीब तथ्य है कि इतिहास में अपने का दोहराया है।

एक दूसरा पाठ जिसे बाद में श्रीमती गांधी के अनुभव में भी पुष्ट किया और जिस अयूब खान ने भयानक कीमत देकर सीखा यह है कि तानाशाही तक अपने निजी हित की दृष्टि से भी एक स्वतंत्र और निष्पक्ष प्रेस के बिना काम नहीं चला सकती। उन ताशा में समाचार पत्रों का गला घोटों और खबरों का अपनी मर्जी के अनुसार ही छपने दिया और इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण जानकारी से अपने को महत्त्व रखा कि जनता उनका बारे में क्या सोचती है और सच क्या कहती है। इसका वास्तव में उनका अपने दरबारियों और चापगुसों में वास्तविक विश्वास करना शुरू किया कि इन उन्हे जासूसों के बिना ही वे भी चलता नहीं कर सकते व अपरिहाय है और लोकप्रिय है। और जम हा उन्हां चुनाव के जासूस दिए उनका अंत आ गया और उन्हें एक तिरस्कारपूर्ण पराजय का सामना करना पड़ा।

सत्ता भूख बनाती है और जसीमित सत्ता जसीमित रूप में भ्रष्ट बनाती है। ताड एकन की यह प्रसिद्ध उक्ति इतिहास की आपातस्थिति में जितनी अच्छी तरह चित्रित हुई है उतनी पट्ट नहीं हुई थी।

आपातस्थिति सामूहिक ही पहलें कुछ नाजुक मन्ताहा के दौरान पुलिस और प्रशासन के अफसरों ने आदेशों का एक पालन किया जैसे कि वे आत्मा यहां तक कि मस्तिष्क से भी छारिज यत्र ह। ऐसा लगता था जैसे लोग न स्वयं सोचना बंद कर लिया था और बिना इस बात की परवाह किए कि जासूस कानूनी जयवा पाषसम्मत है या नहीं और कौन उन्हें दे रहा है वे बस उनका पालन करते गए। उस समय में श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा पुलिस और सना को लिया गया प्रबंधन कि जिसके वायव्य और गर कानूनी समान उमका पालन न कर सम्भीर रूप से सगत सिद्ध होता है।

श्रीमती गांधी ने चुनाव कराने का फैसला क्यों लिया ? यह सी कराड रुपये की कीमत का एक प्रश्न है। वे आश्वस्त थी कि उस समय यदि चुनाव कराया गया तो व सी पीसगी जीतेंगी और भारी बहुमत लेकर लोकसभा में लौटेंगी। उन्होंने अपने इस फैसले को अपनी अनन्य राजनीतिक गुप्तचर सेवा रॉ (RAW) के अफसर तथा अन्य सरकारी सूत्रों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित किया था। लेकिन प्रधानमंत्री का जर्जिकर तथ्य देने के बारे में राणव अ य सरकारी मगठनों के अधिकारियों में इतना अधिक डर पैदा हुआ गया था कि उन्होंने भी वही तथ्य उन्हें दिए जिन्हें सुनना वे पसंद करती थी। और यही श्रीमती गांधी के लिए शोक का कारण बन गया।

और भी विश्वसनीय कारण थे कम से कम उस समय वे विश्वसनीय लग थे, जिन्होंने श्रीमती गांधी को प्रेरित किया कि वे समय से एक वर्ष पहले ही चुनाव करा लें। तभी हाल ही में संविधान में संशोधन करके मधेय ससद की कायविधि में एक वर्ष बढ़ाया गया था।

उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य जगहों में शासक दल में गम्भीर दरारें पैदा हो गई थीं और तत्काल आवश्यक हो गया था कि वाप्रस में आतंरिक एकता लाने के लिए एक उत्साहवर्धक एक उत्प्रेरक स्थिति पैदा की जाए जिससे धारण को फौरन रोका जा सके। एक शिखर पर पहुँचकर दल की आर्थिक स्थिति ने फिर नाच गिरना शुरू कर दिया था। कीमतें फिर से बढ़ने लगी थीं और मुद्रा स्थिति अपना घृणित सिर उठा रही थी। दा अच्छ मान सूना के बाद आगामी वर्ष बुरा मानसून की आशंका थी।

गभीर अपशकुन श्रीमती गांधी का प्रेरित कर रहे थे कि वे सीधे जनता के पास जाएँ और कल्याण की उस भान्ति का नाम उठाए जो धीमे धीमे मिटती जा रही थी, और एक बहुमत लेकर ससद में लौटें और दावा कर कि जनता ने उनकी नीतियाँ पर और शासन के उनके ढंग पर मुँह लगा दी है, और तब वे एक अधिक म्याई एक स्थानीय निरकुश शासन को दश के ऊपर थाप दें।

समय से पूर्व चुनावों का घोषणा के पीछे क्या विन्शो दनाव किमी भी रूप में रहें हैं ? जिस रूप में लोग सोचते हैं उस रूप में नहीं। श्रीमती गांधी इतनी स्वाभिमानिनी हैं कि वाशिगटन अथवा वही के भी सरकारी दनाव के सामने झुकती नहीं। लेकिन यह कहना एक मूलत नहीं होगा कि अप्रत्याश दवावों का असर रहा ऊपर। पाछे सत्रय गांधी की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं ने उन प्रेरित किया था कि वह मुद्रा पश्चिम की ओर दृष्टि पर। पश्चिम के बुराष्ट्रों का बिगड़कर अमराकियों के मान मन्त्र दूर कराने का प्रयास वह करता रहा है।

पश्चिम के प्रति उन्मुखता का फल यथा कि गन्ध अचानक ही पश्चिम का महाभारत भारतीय गगन का उठता तूना न बन गया। मजबूत अपने

साम्यवाद विरोध तथा स्वतंत्र उद्योग व प्रति अपने पक्षपात को गुप्त नहीं रखा।  
 न्य प्रकार हान व महीना म हमन दखा कि अमरीकी एउ पश्चिमी समाचार पत्रो  
 न श्रीमती गांधी व शासन का विरोध करना बन् कर दिया था और अधिक  
 सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणिया उनम प्रकाशित हान लगी थी।

भारतीय पूँजीवादी सजय की ओर ज्वलन्त आशा व गाय और पश्चिमी बहू  
 राष्ट्रिका का ओर साभकर महभाग का पानिर नेखने लग थे और वे अपनी भारी  
 धनिया उकर गजय व चारों ओर इक्ठ हाने लग थ। उह इसम निराशा भी  
 नहीं हुई थी। जहं हा सरकार का आधिक एव औद्योगिक नीतियो म एक  
 निश्चित दशिनपथी पकाव दीख पडन लगा था। उनके हिसाब स हर चीज बहुत  
 ही बढ़िया चल रही थी। दुर्भाग्यवश तभी चुनाव आ गए जिहोंने भारतीय राज  
 नीति व आडम्बरपूर्ण बहाव को एक प्रचण्ड मोड़ दे दिया।

जस ही चुनावों की घोषणा की गई और आपानस्थिति एक ससर म ढील दी  
 गई तथा विरोधी नेताओ का छोडा गया मसार न आश्चय के साथ दखा कि  
 भारत व राजनतिक दुरम म एक बहुरंगी परिवतन आ गया है। जगजीवनराम द्वारा  
 शासन दन म अलग हो जाना श्रीमती गांधी व तिए पक्षपात जमा मिद्ध हुआ।  
 बह एक एमा भूचान था जिसन दन को भयानक रूप स हिना दिया और इन्दि  
 विराधा सहर को बहुत तज कर दिया।

## एक लम्बी रात की शुरुआत.....

25 जून 1975 का रात के नीचे बजे है। श्री जयप्रकाश नारायण विरोधी दलों द्वारा आयोजित रामलीला मदान की सभा से अभी अभी दीनदयाल उपाध्याय माग स्थित गांधी शांति संस्थान में लौटे हैं। वे यद्यपि शरार से बहुत क्लान्त हैं पर भीतर ही भीतर बहुत अधिक आहत हैं।

अनेक मन्त्राहों से व भ्रमण करत रहे हैं 12 से 14 घण्टे तक प्रतिदिन व्यस्त रहे हैं। सावजनिक सभाओं, अन्तरंग वाद विवादों तथा कायकत्ताओं एवं दलीय नेताओं से बातचीत—दस सत्रों में उह यका दिया है।

लकिन इस मध्या की व बहुत हल्के दीख पड रहे है। तपति की एक मुक्कान उनसे होठा पर है। लोगो की प्रतिक्रिया जबरन रही है। रामलीला मदान की सभा अत्यंत उत्साहवधक थी। श्री जयप्रकाश नारायण को अब विश्वास हो गया है कि जनता सरकार का बल डालन के लिए यद्य है।

वस्तुतः पिछा तीन या चार महीना से उनकी यही जाम्या रही है। उन्होंने विभिन्न सभों में विस्तृत दौरे किए हैं। बड़ी सभाओं और छोटी समूहों दोनों के सामने व बोलें हैं। हर जगह लोगो के बीच उन्होंने आश्चयजनक जागृति दखा है।

लकिन विरोधी दलों के नेता जनता की इस मन स्थिति को समझने में विफल रह हैं। व अपनी अलग अलग सभाओं का एक समुक्त दल में विलीन कर देते हैं अभी भी हिचकिचा रहे हैं। उह यह भी विश्वास नहीं है कि इस समय छेड़ा गया कोई भी आन्दोलन सफल हो सकता है। जयप्रकाश बार बार पीछे हैं कि जनता तो राजी है पर दन नहीं है।

श्री जयप्रकाश नारायण श्री जगजीवनराम के सम्पर्क में रहे हैं और उनसे अनुरोध करते रहे हैं कि व वाद्यन व उम वग का मतत्व करें जा सगदारी नीतिया का विरोधी है। लकिन श्री जगजीवनराम शशापज में है कि एम काम के लिए ठीक समय अभी है या नहा। श्री जयप्रकाश और मध्यम श्री चण्णर के माय 23 और 24 जून का अनेक बैठके हुई है। 15 का रात का लगभग 10 बजे श्री जयप्रकाश ने चण्णर को फिर श्री जगजीवनराम के पास भजा और उनसे प्राथना की कि उम विनम्रित पडा में भी व कुछ कर। वाबूजी का अपन मदद में जाने जा र दकर कहा इस मध्या का लोगो का प्रतिक्रिया हमने दखी है।

कुछ करन के लिए अभी भी समय है।' लेकिन अब भी वे कोई नियम नहीं ल पाते हैं।

श्री जयप्रकाश को बहुत सुबह ही विमान से पटना जाना है इसलिए उनके समर्पित मित्त और सहयोगी राधाकृष्ण लगभग 11 बजे उनसे कहते हैं कि उन्हें अब लट जाना चाहिए जिससे प्रात विमान पकडने से पहले कुछ नीर और आराम उह मित्त सके।

लगभग ढढ बजे बाहर खुल म सो रहा श्री राधाकृष्ण का पुत्र चद्रहास आता है और अपने पिता का जगाकर सहमी हुई फुसफुमाहट म कहता है पुलिस गिरफ्तारी क वारंट लेकर आई है। राधाकृष्ण बाहर आते हैं। पुलिस अफसर और उनके साथी क्षमा सी मांगते हैं। वे श्री जयप्रकाश का वारंट दिखाते हैं।

श्री राधाकृष्ण क अनुसार श्री जयप्रकाश के दल म अथवा विरोधी नेताओ मे किसी ने भी यह आशा नहीं की थी कि सरकार ऐसी चरम कायवाही करेगी।

अब राधाकृष्ण की पहली चिन्ता यह थी कि उस जाधी रात के समय श्री जयप्रकाश को जगाने से कैसे बचा जाए। इसलिए वे पुलिस अधिकारी से पूछते हैं— क्या वे कुछ समय तक कम से कम तीन या चार बजे तक रुक सकेंगे? क्योंकि उस समय तो विमान पकडन क लिए तयार होने के उद्देश्य से उह उठना ही होगा। श्री जयप्रकाश बहुत थक हुए हैं और उह कुछ आराम चाहिए। यह वे पुलिस अफसर को समझाते हैं। पुलिस वाले मान जाते हैं।

इसके बाद राधाकृष्ण सो नहीं पाते। जब एमा हो ही गया है तब इस समय तत्काल उह क्या करना चाहिए व उमी भवन म रह रही टेलीफोन आपरेटर को जगाते हैं और आदेश देते हैं कि जितने मित्तो से सम्भव हो सके सम्पक स्थापित करो। बम्बई मद्रास बगनौर पटना का तथा चद्रगैखर कृष्णनात मोरारजी दमाई समेत दिल्ली क विभिन्न लागों को टेलीफोन किए जाते हैं। उस रात म उनको से सम्पक करना आसान नहीं था। मोरारजी क घर से उहे सूचना मिलती है कि उनकी भी गिरफ्तारी क आदेश लकर पुलिस वहा पहुंच चुकी है।

तीन बजे अधीर पुलिस वाले राधाकृष्ण के दरवाजे को फिर छटखटाते हैं। वे पूछते हैं कि क्या अब आप श्री जयप्रकाश को जगा सकेंगे? उह वायरलेस पर बार बार निर्देश मिल रहे हैं और पूछा जा रहा है कि क्या वे अभी तक जयप्रकाश नारायण को पुलिस स्टेशन नहीं ला सकें हैं।

राधाकृष्ण तब भीतर जाते हैं और श्री जयप्रकाश को गहरी नीर म सोया पाते हैं। वे धीमे से उह जगाते हैं और खबर देते हैं और जिला मजिस्ट्रेट सुशील कुमार द्वारा हस्ताभरित वारंट उह पत्रक सुनाते हैं। श्री जयप्रकाश अचकचा उठते हैं। तब राधाकृष्ण पूछते हैं कि क्या उहे अपनी गिरफ्तारी का

कोई अनुमान था ? जयप्रकाश स्वीकार करते हैं कि उन्हें प्रत्याशा नहीं थी कि सरकार ऐसा काम उठाएगी। तभी उन्हें गिरफ्तार करने के लिए नियुक्त पुलिस अफसर भीतर आ जाता है। वह कहता है 'माफ कीजिए श्रीमान हमारे पास आदेश है कि आपको अपने साथ ल जाए।' श्री जयप्रकाश सिर हिलाते हैं और कहते हैं, 'मुझे तयार होना के लिए आधा घंटा दो।'

राधाकृष्ण हडबडाहट के साथ धीमे गिन रहे हैं और द्रुतगति से चल रहे हैं कि कम से कम उनका कुछ मित्र विनोदकर चंद्रगखर तो आ जाए। जब जयप्रकाश तयार हो जाते हैं तो राधाकृष्ण एक प्याला चाय पीने का अनुरोध करते हैं। इसमें दस मिनट और लग जाते हैं। चंद्रगखर का अभी भी कोई चिह्न नहीं। अब श्री जयप्रकाश कहते हैं 'देर क्या की जाए अब चलें।' गांधी शांति मस्थान के भवन से दस मिनट की दूरी पर पहली ही टेलीफोन आता है और पता लगता है कि राजनारायण पकड़ लिए गए हैं।

राधाकृष्ण के साथ श्री जयप्रकाश बाहर जाते हैं तो आश्चर्यपूर्वक देखते हैं कि पूरा क्षेत्र पुलिस के सिपाहियों से भरा हुआ है। कम से कम तीन कारिया भरकर पुलिस आई है और उन्होंने गांधी शांति मस्थान भवन के चारों ओर घेरा बाल लिया है। जमे हुए जयप्रकाश पुलिस की गाड़ी में बैठते हैं एक तड़ जाती हुई टक्की रकती है और चंद्रगखर बाहर निकलते हैं। चंद्रगखर का अभिवादन करने में अधिक जयप्रकाश कुछ नहीं कर पाते क्योंकि जिसमें वे बैठे हैं पुलिस की यह गाड़ी संजो में चल रही है। राधाकृष्ण के साथ चंद्रगखर अपनी गाड़ी में श्री जयप्रकाश के पीछे पीछे जाते हैं। श्री जयप्रकाश का पारिवारिक स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ल जाया जाता है। एम० पी० और डी० एस० पी० सभा श्री जयप्रकाश के प्रति अत्यंत विनम्र हैं।

जिन्हें हानात के बारे में टेलीफोन पर बताया गया है उनमें से कुछ न आगे दूरगंवा का खबर कर दी है। इतनी सुबह भी एक छोटी सी मोटार और पाह में सवारानता पुलिस-स्टेशन के सामने इकट्ठे हो गए हैं। पुलिस में उन्हें कुछ दूरी पर रोक लिया है।

श्री जयप्रकाश का बिठाकर पुलिस मुपरि-डेंट एक मिनट के लिए दामा मांगता है और दूसरे कमरे में जाता है। एक पल में ही वह वापस आता है और श्री चंद्रगखर का एक ओर ल जाकर कहता है 'श्रीमान! बान यह है कि एक दूरगंवा में आपको लाने के लिए आपका घर गया है। चंद्रगखर मुस्कुराते हैं और उत्तर देते हैं अब क्या कि मैं यहाँ हूँ हाँ पुलिस मुझे गिरफ्तार कर सकती है। और पुलिस वगा ही करता है। इसमें श्री जयप्रकाश का आश्चर्य होता है।



उन्होंने सोचा था कि विरोधी पक्ष के कुछ लोगी के नेताओं को ही पकड़ा गया है। अब स्पष्ट है कि सरकार ने काफी विस्तृत जान पेंचा है।

पुलिस अफसर जयप्रकाश और चन्द्रशेखर का साथ निमाता है। जब चन्द्रशेखर पूछते हैं कि श्री जयप्रकाश को कहां से जाया जा रहा है तब श्री जयप्रकाश का सक्षय स्थान बताने में पुलिस अफसर बर नहीं है। राधाकृष्ण पुलिस अफसर से पूछते हैं— श्री जयप्रकाश की तबीयत क्या कि ठीक नहीं है इमतिण क्या उनके व्यक्तितगत सबक को साथ जान लिया जाएगा? यह प्रायना भा ठकरा दी जाती है। श्री जयप्रकाश राधाकृष्ण से कहत है 'ठीक है। हो मने तो कुछ किताबें मरे-पास भेज देना।'

राधाकृष्ण तब श्री जयप्रकाश से पूछत है कि क्या जनता के लिए कोई गणेश आय दना चाहत? महात्मादाता हमारे पास आणत और हमारे कायकता भी जानना चाहते। क्या उनके लिए कुछ कहना आप पता करत?

श्री जयप्रकाश आधा पल सोचत हैं। तब राधाकृष्ण की ओर सीधे देखत हैं और कहत हैं 'बिनाश का त्र विपरीत बुद्धि। य कहत है मरी मरा त्र है।

ओर इम तरह यह सन्धी रात शुरू होती है। आगातम्पिति अपने सहयोगियों आतक ओर सेंसर के साथ एक घोर की तरह रात के अघरे में दश में घत आता है। पिछली अघरात्रि ओर 26 जून का प्रात 8:30 बज तब विरोधी पक्ष के 83 शीषस्य नेताओं को पकड़ लिया गया है। अजेक जिनरे विरुद्ध वारंट है भूमिगत हा जात है ओर चारा छुपा गतिविधियों के लय विराध के लिए एक सगठन असा कुछ निमित करन का कोशिश करत है। पुलिस लाठियों बेंत की ढाला ओर लोहे की टोपा के साथ सडकी पर उतर पडी है। पूरी तरह सगसत्र कितने ही अय सारिया में भरे त्र ओर घानो की पीठा पर चढ़ हुए चौराहा पर खड हैं। त्रिनी का पनाट स्ट्राट महादुरशाह जपर माग को बिजना का त्र दा गई है जिससे कि सुबह कोई भी अखवार न निकल सक। नगर के अय हिम्नो में स्थित अय अखवारो के साथ बगा नहीं किया गया है ओर ये बिजनी काट लिए जाने से बच गए हैं।

रहस्यमय मन स्थिति लिए त्रिंग जागत है ओर घटो बा त्र भी देश में घट गई गम्भीर घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जान पाते। अत में दस उसवी पुस फुसाहट के माध्यम में ही उ त्र यह गम्भीर समाचार मिलता है।

पालियामेंट स्ट्रीट से श्री जयप्रकाश नारायण का हरियाणा सीमा के पार सीध साहना ल जाया जाता है। जम ही उनकी कार लय पर पहचती है लगभग ठीक उगी क्षण एक दूसरा कार जाता है ओर श्री मोरारजी देसाई उसमें से बाहर निकलत है। दोना नेता एन दूसरे का अभिवादन करते हैं। मोरारजी भाई सिफ

इतना कहते हैं "जो भगवान की मर्जी!" यद्यपि दोनों नेता एक ही भवन में रहे जाते हैं फिर भी खाने के समय पर भी उन्हें मिलने की इजाजत नहीं है। वे अलग रहे गए हैं और उनकी जरूरतें अलग ही पूरी की जाती हैं। तीन दिन बाद श्री जयप्रकाश नारायण को नई दिल्ली के आल इण्डिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज में ले आया गया क्योंकि उनके पेट में बहुत तेज दर्द उठ आया था।

राधाकृष्ण पार्लियामेंट स्ट्रीट जाने से घर लौट आए और सोचने लगे कि वे स्वयं कितनी देर तक मुक्त रह सकेंगे। पुलिस किसी भी क्षण उन्हें ले जान आ सकती है। इसलिए दोपहर तक वे भूमिगत हो गए। शीघ्र ही उन्होंने अथ कायकर्ताओं से सम्बंध स्थापित किया। यह बड़ा ही कठिन काम था, क्योंकि हर एक ही भूमिगत था और उनके पते अज्ञात थे।

लोक सचय समिति के महासचिव श्री नानाजी दशमुख रानी झासी मार्ग पर स्थित दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान भवन की छठी मंजिल पर अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी। लगातार बजती टेलीफोन की घटी ने नानाजी को रिस्वीवर उठाने के लिए मजबूर किया। उन्हें आश्चर्य हुआ जब एक स्त्री की आवाज ने उन्हें चेतावनी दी कि ठीक एक बजे आपकी जगह की पुलिस घेर लेगी और बच भागने के लिए आपके पास एक घंटे से भी कम समय है।

नानाजी न कुर्ता और धोती एक घंटे में डाल और बाहर खिसक लिए और दस मील दूर एक बगल में पहुंच गए। इस बीच टेलीफोन और व्यक्तिगत संदेश बाह्य इस उस को इशारा करने के लिए लगातार व्यस्त रहे। सुबह तिन निकलने तक आधा दर्जन सहयोगी दस मील दूर के उस बगल में पहुंच चुके हैं। उनमें जनसच के एम० एल० छुराना और मुन्नाहृष्यम स्वामी सगठन कांग्रेस के रवींद्र वर्मा भारतीय मजदूर सभा के दत्तोपन्त चेंगडी हैं। शीघ्र ही गांधी शांति संस्थान के राधाकृष्ण सोशलिस्ट पार्टी के सुरेंद्र मोहन जनसच के सुंदर सिंह महारो और दिल्ली के भूतपूर्व मेयर कदारनाथ साहनी भी समूह में शामिल हो जाते हैं।

इन नेताओं ने मिलकर बातचीत की और प्रतिरोध की गतिविधि को प्रेरित करने और चलाने के लिए भूमिगत सगठन निर्मित किया।

अगस्त 1975 में बम्बई में की गई लोक सचय समिति की बैठक में देश के सभी हिस्सों से कायकता आए और यहाँ गतिविधि का एक कार्यक्रम निर्धारित किया गया। बैठक में योजना बनाई गई कि (1) 14 नवम्बर 1975 से 26

जनवरी 1976 तक राज्यों का राजधानियाँ और विधान-सभा में सम्पादित किए जायें। (2) पुनित्तग गतिविजि के लिए तथा उन में पद कायकर्ताओं के परिवारों की अधिक सहायता के लिए धन-मदद किया जायें। (3) उन में पद मापिया में सम्पत्त किया जायें। (4) देण और दिनांक में प्रचार गणित किया जायें तथा (5) आन्दोलन को अहिंसक बनाए रखा जायें।

साथ मध्य समिति में श्री मुख्यालयम् स्वामी तथा मुख्यालय मध्ये श्री मुख्यालय दसा श्रीमती गणतन्त्रा गणतन्त्र श्री भारत-रठमनायी । राजना बोटाया धामना मना पत्रिका तथा श्री काननाय गणतन्त्र का काम और अज्ञान उनको सवाए प्राप्त का।

विभिन्न मन्त्रियों द्वारा दोर के लिए नए धान लिए गए और उनका बाव बाव विभाजित कर दिया गया। श्री राधाकृष्ण का दौरे राज्यों का काम मीन गया जहाँ उन्होंने और विना और गतिविजि का गणित किया। यह नहीं कि अधिक कुछ किया जा सका मन्त्रियों इस मन्त्र पर उनका और आन्दोलन को जावित रखने पर हा रहा ताकि जिग मन्त्रों का काम का अकट लिया था वह उसे पूरी तरह जड़ न बना सका। कायकम यह था कि विरोध के विविध अहिंसक कार्यों से प्रतिरोध को बनाए रखा जायें। जगतता तक मूषाए पट्टवाई जायें और और लोगो का बताया जायें कि समिति का मध्य पद रहा है जिग मन्त्रों का जाने कि आत्मा कुचनी रहा जा सकी है और कायवाही की तथा काय परिवर्तन को सम्भावनाए अभी है।

श्री राधाकृष्ण के घर पर पुनित्तग उनका परिवार का लग कर रही थी। उनको गिरफ्तारों के आदेश जारी हो चक के और पुनित्तग सगतर उनका घर जा रहा थी और निगरानी रख रखा थी। 7. भगता घोषित कर दिया गया था और उनको सम्पत्ति पर अधिकार कर दिया गया था। पुनित्तग उनका पत्रोकर टेमी विज्ञान सट रगोई के बतन और घटा तक कि छाता बनान की गत का सिनिटर तक उठा ल गई थी।

जो पुनित्तग अधिकारी आदेश पामन के लिए आया था उसने बहुत कुछ मन्त्र स काम हाकर श्रीमती राधाकृष्ण से कहा था बहुत जो मैं क्या कर सकता हूँ। आदेश एग ही है। लेकिन अपने घर से अपना गत मिलिटर मैं भिजवा दूंगा। श्रीमती राधाकृष्ण ने इस अस्वाकार करत हुए कहा था कि सब समय आपको यह दूसरा मिलिटर स जाने के लिए फिर स आना पडगा।

एक गांधीवाणी कायकर्ता ने सयोगवण प्रधानमंत्री को बताया कि श्रीमती राधाकृष्ण को भारी तंगी उगानी पडो क्योंकि पुनित्तग उनको रगोई का सामान तक उठा ले गई। कहा जाता है कि श्रीमती गान्धी अबाव स परधर की तरह खुप

हो गई। अंत में कुछ मित्रों के कहने पर अगस्त 1975 में श्री राधाकृष्ण अपने परिवार को बम्बई में एक मित्र के घर ले गए। राधाकृष्ण बंगलौर, मद्रास और बम्बई से ही काम कर रहे थे। प्रचार सामग्री छापने और बांटने के लिए प्रबंध कर लिए गए थे और कार्यकर्ताओं का संगठन किया जा चुका था।

6 सितम्बर 1975 को श्री राधाकृष्ण ने पुलिस के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। इस आत्म-समर्पण का कारण परिवार को तग किया जाना अथवा व्यक्तिगत कष्ट नहीं था। ऐसा उन्होंने गांधी शान्ति संस्थान में अध्यक्ष श्री आर० आर० त्रिवाकर की प्रेरणा से किया था। श्री त्रिवाकर ने उनसे कहा था कि एक सच्चे गांधीवादी का पुष्ट रूप से नहीं, खुले में काम करना चाहिए। उनका विश्वास था कि भूमिगत गतिविधि गांधी दशन की आत्मा के विरुद्ध है, और यह भी कि गांधी शान्ति-संस्थान अप्रत्यक्ष रूप से राजनीति में उलझता जा रहा है और इस प्रकार संस्थान को हानि पहुंच रही है। श्री राधाकृष्ण ने कहा कि यदि उनकी भूमिगत गतिविधि से, जिसके वे सेवक हैं उस संस्थान को हानि पहुंचती है तो वे स्वयं को गिरफ्तार करा देंगे।

गिरफ्तार होने पर श्री राधाकृष्ण तिहाड़ जेल में रहे गए। लेकिन फरवरी 1976 में जेल से आने के बाद भी पुलिस उन्हें परेशान करती रही। गांधी शान्ति संस्थान के दफ्तर पर दो बार छापे मारे गए। सरकार का कहना था कि गांधी शान्ति संस्थान को विदेशी सूत्रों से पसा मिलता है और इसका प्रमाण खोज निकालने के लिए ही वे संस्थान के भवन में घुस हैं। सरकार यह भी मालूम करना चाहती थी कि संस्थान का धन राजनीतिक गतिविधियों के लिए तो नहीं दिया जा रहा है। उन्हें इस बात का भी कोई प्रमाण नहीं मिला लेकिन फिर भी संस्थान की सहमति राशि रोक दी गई और तग किया जाना जारी रहा।

नानाजी जुलाई 1975 में पकड़े गए और उनका स्थान श्री रवींद्र वर्मा ने लिया। जब वे भी दिसम्बर 1975 में गिरफ्तार हो गए तो श्री थेंगडी इनकी जगह आए। आपत्काल के 19 महीनों के दौरान भूमिगत गतिविधि का लक्ष्य यही रहा कि आपातस्थिति के विरुद्ध संघर्ष का झंडा लहराता रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सूचना पत्रक, बुलेटिन जारी किए जाते थे, जिनमें भूमिगत आन्दोलन की खबरें होती थी और पूरे देश में घटन वाली घटनाओं का ब्यौरा रहता था। पूरा संसार के कारण सरकारी सूचनाओं के अनिश्चित और कोई खबर जनता को नहीं मिल पाती थी। इस आन्दोलन में दो दौर सत्याग्रह के भी शामिल किए गए थे। पहला दिल्ली और अन्य नगरों में जून 1975 में एक पखवाड़े तक चलना था और दूसरा इतनी ही अवधि तक नवम्बर 1975 में किया जाना था।

भूमिगत कायकर्ताओं ने अपने का और अपनी सामग्री को सचरित करने के बड़ ही कुशल तरीक़ निकाले थे। अकसर गर कानूनी साहित्य को वितरण के लिए ले जाने का काम जवान लडकियों और स्त्रिया से लिया जाता था। जब भूमिगत पुरुष यहा से बहा जात थे तो वेग बदल लेने के साथ साथ व अपन साथ कोई स्त्री और हो सक तो बच्चा गोदी म लिए स्त्री रखते थे। ऐसे पारिवारिक समूह पर कठिनाई स ही शक हा पाता था।

छापने और साइक्लोस्टाइल करने की बहुत छोटी और हल्की मशीनें इस्तमाल म लाई जाती थी। शक न पढ इसलिए स्टेन्सिल अधिकतर हिन्दी जानने वाली किस्ती बंगाली या दक्षिण भारतीय लडकी द्वारा हाथ से काटे जात थे और इन लडकियों को बार-बार बल दिया जाता था। कायकर्ता कभी टकसी म सफ़र नही करत थे। वे सावजनिक परिवहन की बस या स्कूटर ही लते थे।

भूमिगत आंदोलन की प्रमुख गतिविधि बुलेटिन चौपन्न सूचना पत्रक आदि तयार करना और जनता म सचरित करना था। हर राज्य पखवाड म एक बार एक हरकारा दिल्ली भेजता था जो खबरें इकट्ठी करके लाता था और हर बुलेटिन 20000 लोगो को डाक से भेजा जाता था। सत्य समाचार एक पाक्षिक था जो हर महीने की बारहवी और छःबीसवी तारीख को दिल्ली स जारी किया जाता था। यह पाक्षिक छ महीने तक प्रभावी ढग स काम करता रहा और तब पुलिस ने इसके भूमिगत कार्यालय पर छापा मारा। इसक हर अक म तब पुलिस ने इसके भूमिगत कार्यालय पर छापा मारा। इसक हर अक म फुलस्केप आकार के टाइप और साइक्लोस्टाइल किए हुए 16 से 20 तक पन्थे रहते थे। इनम श्री जयप्रकाश क सन्देश जेल मे मर जाने वाल शहीदो की सूची और वःदीगहो म पढे और बाहर कायरत कायकर्ताओ के उत्साह को बनाए रखने क उद्देश्य से आदालन की गतिविधिया के बार मे विशेष सूचनाए दी जाती थी।

इस पत्रक का सम्पादन आगनादज़र के सम्पादक श्री वी० पी० भाटिया तब तक करते रहे जब तक इस बःद ही न कर दिया गया। राज्यों से निकलने वान अय प्रसिद्ध बुलेटिन य थे—दिल्ली से जनवाणी और मशाल धाराणसी स दपण हैदराबाद स वच्युग बम्बई से असली समाचार तथा गोहाटी से सत्यव्रत। जाज़ फर्नेंडोस अपने गुप्त स्थान से अपना निजी पत्रक निकालत थे जिसम साहित्यिक और काव्यात्मक स्वाद बहुत अधिक रहता था। इसे नियमित रूप से श्रीमती गांधी को भेजा जाता था।

भूमिगत साहित्य को सचरित करने के अपराध म 7000 कायकर्ता पकडे गए थे। दो महीने के सत्याग्रह म 80000 गिरफ्तार हुए—कनटिक म 15000 केरल म 9000 बिहार और उत्तर प्रदेश प्रत्येक मे 8000 और दिल्ली मे 5000। 300 जिलो म सत्याग्रह सगठित किया गया। सब तरह क राजनीतिक बढियो की कुल सख्या 140000 थी।

गर बानूनी साहित्य चौपने पर्चे और साइक्लोस्टाइल किए हुए पत्रक अवसर सरकारी प्रेषण कार्यालया के माध्यम से सरकारी प्रेषण-गाडियों में सरकारी प्रचार सामग्री के बट्टों के बीच छुपाकर और कभी कभी परिवार नियोजन के फोल्डरो और चौपत्रों के लिए बन लिफाफों में भेज जाते थे।

लेकिन सरकार ने भूमिगत कायकर्ताओं के विरुद्ध जो भयानक दमन चक्र चला रखा था और पकड़े जाने पर उन पर जो क्रूरताएं की जाती थी, उन्होंने इस सघप को दूसरे स्वतंत्रता युद्ध के स्तर तक ऊचा उठा दिया था। इस सघप ने भी अनक महान शहीदों और वीर पुरस्कों को जन्म दिया। इनमें अधिकतर अनजाने और अनगाए ही रह गए।

चाटी के नेताओं के साथ आम तौर से कुछ शिष्टता बरती जाती थी और जेल में भी उन्हें कुछ मूलभूत सुविधायें दी जाती थी। यह तो अनाम निचल कायकर्ता ही थे जिन्हें सरकारी दमन का अधिकतर बोझा डोना पड़ा। सिर्फ उन्हें ही नहा उनके माता पिताओं और सम्बन्धियों को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। राजनीतिक विद्या पर की गई अधिकतर नशासतण और क्रूरताएं पुलिस की हवालातों में ही की गई। एक बार जब विद्या को नियमित जेलों में भेज दिया जाता था तो उनके साथ अधिक अच्छा बर्ताव किया जाता था। युवकों और विशेषकर छात्रा ने सघप को सबसे विशद और सबसे कीमती योगदान दिया और शब्दों को ऊचा रखा।

इन बहादुर कायकर्ताओं में हेमन्तकुमार विशनोई का नाम 1975-76 के स्वतंत्रता समर के दौरान साहसपूर्ण कृत्यों के इतिहास में स्वर्णशरीरों में लिखा जाएगा। जब हमन्तकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र सघ का मंत्री चुना गया था तभी वह अधिकारियों की नजरों में आ गया था। वह छात्रों के एक उग्र सगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से निकल कर सम्बन्धित था जिसने विश्वविद्यालय के छात्र सघों के 70 प्रतिशत स्थानों पर कब्जा कर लिया था। इसलिए परिषद सरकार की निगरानी का लक्ष्य बन गई थी। हेमन्त और विद्यार्थी परिषद के उसके साथियों ने राज्यों में साफ सुधरे प्रशासन के लिए श्री जयप्रकाश के आन्दोलन से सम्बन्धित मुद्दों को आधार बनाकर विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था और उसे जीता था।

बीच में और हल्की मूछों वाला सौम्य प्रकृति का युवक हेमन्त ऐसा प्रतीत नहीं होता था कि उसकी त्वचा के नीचे फीलाद भरी है। वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक सघ का सदस्य था और वाणिज्य अधशास्त्र का स्नातकोत्तर छात्र था। वह एक मध्यवर्गीय शिक्षाविद परिवार से सम्बन्ध रखता था जो यमुना-नगर की एक सादी बस्ती में रहता था। हेमन्त के पिता डा० दवेन्द्र कुमार दिल्ली विश्वविद्यालय में

पढात है। व स्वतन्त्रता से पहले के दिना के राष्ट्रवादी हैं और आजादी के लिए काग्रस आन्दोलन में उन्होंने सत्याग्रह किया था।

जून 1975 में अपने अग्र्य कार्यकर्ता साथियों के साथ हेमंतकुमार हरियाणा राज्य के राहतक नगर में एक छात्र शिविर में भाग ले रहा था। शिविर को महीने के अन्त तक चलना था लेकिन हेमन्त को 14 जून को दिल्ली विश्व विद्यालय की एक परीक्षा में बैठना था। इसलिए वह एक दिन के लिए राजधानी लौट आया था।

जब वह दिल्ली पहुंचा तो नगर इलाहाबाद के फंसले से तथा प्रधान मंत्री सघोष सरकार और देश पर इसका प्रतिक्रियाओं के अनुमानों से भरा हुआ था। उसमें वातावरण को तनावपूर्ण पाया। परीक्षा केन्द्र तक पहुंचने के लिए उसे लम्बी दूरी पदल तय करनी पड़ी, क्योंकि दिल्ली परिवहन की बहुत ही थोड़ी बसें सड़कों पर थीं। बसा से प्रधान मंत्री निवास के सामने श्रीमती गांधी के समर्थन में जन प्रिय प्रदर्शनों के लिए लोगों को डोने का काम लिया जा रहा था। अगले दिन हेमन्त छात्र शिविर में राहतक लौट गया।

जब 26 जून को आपातस्थिति की घोषणा हुई तब हेमन्त राहतक में ही था। शिविर को 30 जून को समाप्त होना था लेकिन जिला मजिस्ट्रेट ने नडको से कहा कि वे इस जलम ही खत्म कर दें। 28 जून को शिविर समेट दिया गया और हेमन्त दिल्ली लौट आया।

इस बीच दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र सघ के अध्यक्ष अरुण जेटली को पुलिस पकड़ ले गई थी। पुलिस जेटली के घर पहुंची और उसके बारे में पूछा। व्यवसाय से बकील उसके पिता ने बताया कि अरुण घर पर नहीं है। इस पर पुलिस ने तलाशी लेने के लिए घर में घुसना चाहा। अरुण के पिता ने तलाशी के वारंट के बिना उन्हें घर में नहीं घुसने दिया और ऐसा वारंट पुलिस के पास था नहीं। अब पुलिस उसके पिता को ही घाने ले गई और उन्हें बहा रोके रखा।

अगले दिन अरुण ने श्री जयप्रकाश की गिरफ्तारी के विरोध में छात्रों का एक जलूस निकला। वह कुछ सड़कों को इकट्ठा करने में सफल हो गया था। जलूस गारे लगाता हुआ विश्वविद्यालय क्षम में चारों ओर घूमा। इसके बाद अरुण विश्वविद्यालय के काफी हाउस में जा बैठा। कुछ पलों के भीतर ही पुलिस ने काफी हाउस को घर लिया और मांसा के अंतर्गत अरुण को गिरफ्तार करके ले गई और उसे तिहाड़ जेल में रख छोड़ा।

अरुण जेटली की गिरफ्तारी के बाद पुलिस हेमन्त विष्णोई की खोज में जुटी। जब हेमन्त दिल्ली लौटा तो वह घर नहीं गया। अपनी बापसी के बारे में घरवासियों को उसने बस खबर कर दी। अधिकतर नेता भूमिगत हो गए थे और कोई नहीं जानता था कि कौन कहा है। पहलू से ही निर्मित कोई कार्यक्रम अथवा कार्यक्रम

की कोई योजना मौजूद नहीं थी। वह नहीं जानता था कि साथी छात्र काय कर्ताओं से वह कहा सम्भव करे। अपने साथियों व परिवारों को टेलीफोन करने का साहस वह नहीं कर सकता था।

उमके दिमाग में वैसे यह निश्चय था कि आम गिरफ्तारियों का विरोध करने के लिए किसी तरह का कोई आन्दोलन आरम्भ अवश्य किया जाना चाहिए। इस बीच वह अपने उन मित्रों के महा ठहरता रहा जिनका छात्र-आन्दोलन से भीष्म सम्बन्ध नहीं था। और इसलिए उन पर कोई शक नहीं किया जा सकता था। क्रमशः उसने सघन समिति से और अभी तक मुक्त एवं भूमिगत अथ्य साथियों से सम्पर्क स्थापित कर लिया।

वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के महासचिव आर० के० भाटिया से मिलने में सफल हो गया और उनके माध्यम से वह कुछ अथ्य कार्यकर्ताओं से भी मिला। इन सबने कायबाही की एक मोटी योजना बनाई। योजना यह थी कि पहले छात्रों के आम समुदाय से सम्बन्ध स्थापित किया जाय और तब दलों के नेता नियुक्त किये जायें जिन्हें प्रचार का और साथी छात्रों के साथ विचार विनिमय एवं बातचीत का काम सौंपा जाए।

हेमंत का विभिन्न कालजो में काफी विम्वत मेलजो न था। इसलिए सब जगह जाकर दलीय नेता चुनने का आरम्भिक काम उसे ही सौंपा गया। इसके बाद दरियागज में एक कार्यालय बना लिया गया जहां सब लोग मिलने लगे, समस्याओं पर विचार करने लगे और गतिविधियों के कार्यक्रम तैयार करने लगे। 10 जुलाई को पुलिस ने इस कार्यालय पर छापा मारा। इस जगह किये गये एक टेलीफोन को और दिल्ली पहुंचने की सूचना देते हुए बम्बई विद्यार्थी परिषद के एक नेता के तार को पुलिस ने पकड़ लिया था। दरियागज के कार्यालय में पहुंच कर पुलिस ने आर० के० भाटिया नरेश गौड़ और दो अथ्य कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया।

अगली सुबह हेमंत ने दरियागज कार्यालय को टेलीफोन किया। उसे पिछली रात की घटना का कोई ज्ञान न था। टेलीफोन पर उसे उल्लेखी जवाब मिला। उस शक हो गया और इसके बाद वह दरियागज से दूर दूर ही रहा। लगभग आधे दर्जन कार्यकर्ता पुलिस के जाल में फस गये।

छापा पूर्वीय दिल्ली की पुलिस ने मारा था। गिरफ्तार लोगों को शाहदरा धाना ले जाया गया। आठ दिनों तक उन्हें हवालात में रखा गया। भाटिया से सूचनाएँ प्राप्त करने के लिये उसे हवालात में 36 घण्टों तक लगातार छड़े रखा गया।

दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक सघ व अध्यापक और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष श्री ओम प्रकाश बोहली को भी पकड़कर हवालात में बंद कर



निया गया था। कोहली पोलियो के शिकार हैं और एक टांग से लगे हैं। फिर भी एक पूरे दिन और रात उन्हें खड़े रखा गया। पुलिस न उदू में लिये एक वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें मजबूर करने की कोशिश की। कोहली ने तब तक हस्ताक्षर करने से इकार कर दिया जब तक वक्तव्य उन्हें पत्रक नहीं सुना दिया जाता। इस पर पुलिस न उन्हें ठोकरो और थप्पड़ों से मारा। जब अब भी उन्होंने बसा करने से इकार किया तो थानेदार ने उन्हें दूसरे कमरे में घनन के लिए कहा। जब श्री कोहली बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि अगले ही कमरे में डी० एस० पी० बठा है। उन्हें आशा हुई कि डी० एस० पी० शायद अधिक युक्ति संगत होगा और वे क्षपटकर उसके कमरे में पहुच गए और थानेदार की शिकायत उससे की। डा० एस० पी० यू० एन० बा० राव न सछती से कहा 'तब तुम उस वक्तव्य पर हस्ताक्षर क्यों नहीं कर देते?' कोहली ने कहा कि जब तक उस वक्तव्य में क्या है यह मुझ नहीं बताया जायेगा मैं उस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा। इस पर डी० एस० पी० ने अक्डकर उत्तर दिया 'मैं देखूंगा कि तुम हस्ताक्षर करने से कब तक इकार करते हो। और कोहली को उसने थानेदार को सोंप दिया। अब कोहली को दूसरे कमरे में ले जाया गया और निदयता से पीटा गया। सौभाग्यवश मीसा के अतगत उनक वारंट जारी हो चुके थे और उन्हें जेल से जाया ही जाना था क्योंकि हवालात में और उन्हें अधिक रोका नहीं जा सकता था।

हेमन्त विश्णोई अब शिकारियों से घिरा जीवन जीने लगा। खाने काम करने और सोने का उसका कोई निश्चित स्थान नहीं रहा। पुलिस उसकी सूच पर थी और वह दो लगातार रातों तक एक ही जगह नहीं सोता था। अपने साथियों से वह यहा यहा के चायघरों में मिलता था और तब वे लोग अगली योजनाओं पर बातें करते हुए पदल निकल पडते थे।

अब तक छात्र नेताओं ने एक काफी सुसंगठित जाल तयार कर लिया था। उनकी अपनी गुप्त भाषा थी। अधिकारियों की एक मीनारनुमा शृंखला तयार कर ली गई थी, जिसकी अलग-अलग मजिलो को ठीक उतनी ही सूचना दी जाती थी, जितनी उनकी अपनी गतिविधि के लिए आवश्यक होती थी। इस प्रकार पकडे जाने पर वे अधिक सूचना देने में असमय रहते थे।

16 जुलाई को विश्वविद्यालय को खुलना था। 13 और 14 जुलाई की रात को पुलिस ने ऐसे लगभग 50 छात्र नेताओं को पकड लिया जिनका उनके कानजो में कुछ भी प्रभाव था।

सघष समिति ने एक पम्पनट तयार कराया जिसमें गिरफ्तारियों की निंदा का गई थी और छात्रों से अनुरोध किया गया था कि वे इस दमन के खिलाफ लड़ें। छात्रों से कहा गया था कि 25 जुलाई का दिन वे मांग दिवस के रूप में

मनाये और विश्वविद्यालय को बंद कराए। हेमन्त ने पम्पनेट को छात्रा के बीच बहुत विस्तृत रूप में बटवाया।

पुलिस को इसकी सूचना मिल गई। लेकिन वे पम्पनेट छापने और वितरित करने वाली पर हाथ नहीं डाल सके। अतः उन्होंने उन लोगों के परिवारों, बुढ़ग माता पिताआ भाइयो यहा तक कि बच्चों तक को तग करना शुरू कर लिया। हेमन्त के पिता को घमकी ली गई कि उह गिरफ्तार कर लिया जायगा और घर पर मील लगा दी जायेगी। उह बताया गया कि उनका बेटा जहा दीखे वही उस गोली मार देने क आश्रय पुलिस के पास है।

जब पुनिम ने उनके घर को सीन करने का फमला लिया तो उह पहले ही पता लग गया और उहने पुलिस का बैमा करन से राकन क निल जिला मजिस्ट्रेट के यहा अर्जी द दी। उनका तक था कि घर हेमन्त का नहीं है और वह अपन पिता पर आश्रित मात्र है।

25 और 26 जुलाई क दिन विश्वविद्यालय में आतंक के दिन थे। इन दो दिनों में विश्वविद्यालय क्षेत्र में छात्रों में अधिक पुलिस क सिपाही रहे, अध्यापकों को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक सभ क सदस्यता को और विद्यार्थी-परिषद से जिसका किसी भी समय सम्पर्क रहा उस ही गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 186 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 120 विश्वविद्यालय क अध्यापक थे। विश्वविद्यालय क संस्कृत विभाग क तो विभागाध्यक्ष समेत लगभग सभी अध्यापकों का पकड़ लिया गया। यहा तक कि विभाग में पढाई स्थगित कर दी गयी।

एक अध्यापक श्री गणेशशंकर पालीवान अपन बगीच में पानी दे रहे थे। उनकी पत्नी रिशनेदार क यहा गई थी और दो छोट बच्चा की पति क पाम छाड़ गई थी। पुलिस उनक घर आई और उस घर की निशा में भाग आए एक चोर को दफन का बहाना लेकर घर में घुस गई। पालीवान भा उनके पीछे पीछे घर में आय। अब पुलिस ने उनका नाम सूछा। उहान अपना नाम बताया। पुलिस ने उनसे प्रायना का कि वे एक मिनट क लिए बाहर आ जाए। जब वे बाहर आए तो उह घबरेलकर सामने खड़ी पुलिस की सानी में डान लिया गया और गाडी चल गी। वे अपने पडासियों तक को खबर नहा कर सके। जब बाट में उनक बन्धा ने रोना शुरू किया तब पडासी आए।

इस सबने विश्वविद्यालय समाज में एक भय और आतंक पैदा कर दिया और यहा चाना भी गया था। गिरफ्तार अध्यापकों क परिवारों को घार आर्थिक कष्ट सहना पडा क्याकि अपने साधारण बतना क खन पर वे बम गुजारा ही कर पाते थे। रिशनेदार भा उनकी मरन करन में डरत थे। कार्ड उनसे मिलन नहीं जाता था। पडासी भी उनसे बान करने से बचत थे।

हेमन्त पुलिस की आघात म धूल झोकता रहा और छात्र वग म अपना काम करता रहा। कुछ कालिजो म वह गया भी जोर छात्रों के सामने बोला भी। आत्माराम सनातन धर्म कालिज न बसने पचें खाटे। पुलिस सनातन धर्म कालिज मघ क मंत्री मन्त भाटिया को पकड़ ल गई। उसके साथ जो बस्ताव किया गया वह अमानवीय था। मन्त क पास समिति द्वारा तयार किए गए कुछ पचें पाए गए थ। पुलिस मन्त से यह जानना चाहती थी कि य पचें उसे कहा से मिल और ये कहा और किसके द्वारा छाप गए ह।

जब पुलिस मन्तचाही सूचना उससे नहा निवाल सकी ता वह लडके को उसके घर ल गई और उसके पिता क सामने उस पीटा। किसी म यहा तक कि पडो सियो म भी मह साहस नही हुआ कि व निदा अथवा विरोध क रूप म एक उगली भी उठा सकें। व सिफ इतना ही कर सके कि तम ही पुलिस को आन दया अपन अपन घरों म घुम गए और अपने दरवाज बन्द कर लिए। पुलिस का पडोस म आना ऐसा आतक लोगो क दिलो म पदा कर दता था।

कहानी का अंत यही नही हो गया। मन्त को छावनी के पुलिस थाने म लाया गया जो अपने क्रूर तीसरे दर्जे के तरीका क लिए बदनाम था। यहा उस कोठरी म बंद कर लिया गया और उसके शरीर क बाँधो पर जलती मोमबत्ती लगाई गई। अ त्त मदन पीडा से चीख उठा। लकिन चीखवर जा उसने कहा वह था ईश्वर कसम यदि मैं जिन्दा बचा तो इस मक्का बन्ता लगा। वह चिल्लाकर बोला तुम भी मरी तरह ही जानत हा कि यह शासन सदा टिकन वाला नही है। कुछ दिन बाद मन्त को तिहाड जल म भेज लिया गया जहा उसके माघी कायकर्ता उसकी हालत देखकर रो पड और उस उत्साहित करने क लिए उहोने सब कुछ किया।

हेमन्त विश्नाई ने 1942 के भारत छोडा आन्दोलन की वपगाठ 9 अगस्त क दिन कुछ कालिजों म जान की योजना बनाई थी। श्री निवासपुरी क डी० ए० वा० कालिज को उसने चुना। पुलिस कालिज क बाहर बडी मख्या म पडी थी। पुलिस क पूरे बदाबस्त के बावजूद हम त कानज म घुस गया और एक कक्षा म जाकर अध्यापक को उसने अपना परिचय मूनियन क एक नेता के रूप म लिया और कुछ मिनट छात्रों के सामने बोलन की अनुमति चाही। यह एक आम तरीका है और ऐसा अनुमति सामान्य रूप से दे दी जाती है।

हम त कुछ मिनटो तक छात्रों क सामने बोला। उसने उनस कहा यदि आप लोग बमला देश का कटनआम यहा दोहराया जाना नहा चाहत तो आपको इस धमन का विरोध करना चाहिए। छात्रों न उत्तर म य नारे लगाये जयप्रकाश जिन्दावाद। सघष समिति जिन्दावाद। अब दूसरी कक्षाओ स भी लडके बहा आ गय और उन्होने हेम त को चारा जोर मे घर लिया। कालिज का

प्रमिषण भी उस स्थल पर पहुँच गया। जब प्रिंसिपल ने महमूस किया कि क्या हा रहा है तो उसने पुलिस को टेलीफोन कर दिया।

पुलिस तो आन के लिए हर समय तैयार थी ही। कालज भवन के ठीक सामने पड़ी पुलिस भीतर की ओर भागी। लेकिन उन्हें दर हा गई। हमत उनकी मुटठी में आकर भी निकल भागा यद्यपि कालज के भवन को चारा ओर से उतान घेर रखा था और वहा आने जान वाल हर व्यक्ति पर उनकी बड़ी नजर थी। हमत और उसके साथी अपन स्कूटरों पर भाग निकल गये।

15 अगस्त को लाल बिन पर स्वतंत्रता दिवस के उत्सव से कुछ गिरफ्तारिया पुलिस ने की। भूमिगत कार्यकर्ताओं के कुछ स्कूटरों के नम्बर पुलिस का मिल गए थे। इनमें से एक को उसने लालबिन के पास खट्ट दखा और इस पहचान के आधार पर गिरफ्तारिया कर ली गई।

इसके शीघ्र बाद ही भूमिगत साहित्य लिए हुए कुछ और कार्यकर्ता भी पकड़े गये। सताए जान पर कुछ लडकों ने हिम्मत हार दी और स्वीकार कर दिया कि यह साहित्य उन्हें आर० के० भाटिया ने दिया है। इस पर पुलिस ने भाटिया के परिवार के सभी पुरुषों को पकड़ लिया और उन्हें पीटा और कितने ही दिनों तक हवालात में रखा।

रजत शर्मा एक पतला सूखा सा लडका था। जब वह भी पकड़ा गया तो कितना को ही डर हुआ कि पुलिस के चंगुल से वह जीवित नहा लोटेगा। लेकिन आश्चर्य की बात कि पुलिस ने पीट-पीट कर रजत को नीला कर दिया लेकिन एक शब्द भी उससे निकाल नहीं सकी।

सितम्बर के आरम्भ में संघ-समिति ने अपन कार्यकर्ताओं का एक अखिल भारतीय सम्मेलन अहमदाबाद में किया। इस सम्मेलन में 22 प्रतिनिधियां ने अर्थात् हर राज्य से एक-एक प्रतिनिधि लिया। सम्मेलन में आगे का कार्यक्रम बनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय सम्पर्क-मूत्र स्थापित किये गये। यह योजना बनी कि नवम्बर में एक देश-यापी सत्याग्रह किया जाय।

राज्यों के प्रतिनिधि अपन-अपने क्षेत्रों में सत्याग्रह के संगठन के बारे में निर्देश लेकर लौटे। लेकिन जिल्ला में कार्यकर्ताओं से सम्पर्क करना अधिकाधिक कठिन और खतरनाक बनता जा रहा था। जनसंघ के संगठनकर्ताओं ने एक दूसरे से मिलने के लिए एक नया तरीका निकाला। वे सावजनिक पाकों जैसे खुले स्थानों पर पिकनिक आयोजित करते जहाँ कार्यकर्ता लडके और लडकियाँ के समूह परस्पर मिलने के लिए आते। इस अवसरों पर भूमिगत कार्यकर्ता भी पहुँच जाते और अल्प भाग लेने वालों से मिलते सूचनाएँ देते-लते और आगे के काम के लिए निर्देश प्राप्त करते।

एसी ही एक पिकनिक 15 अक्टूबर को बुद्ध जयंती पाक में आयोजित की

गई थी, जिसमें लगभग 50 नवयुवकों और नवयुवतियों ने हिस्सा लिया था। पुलिस को इसकी हवा लग गई। सत्रिय क्रायकर्ता भी जान गए कि खबर फूट गई है। लेकिन उन्हें यह पता बहुत देर से लगा मत व सगउनकत्ताओ स सम्पक करके पिकनिक को रद्द नहीं कर सके।

हमारे विश्वासोई उनमें था जिस खबर के फूट जान का कोई ज्ञान नहीं था। बुद्ध जयती पाक की ओर जाने हुए सरदार पटेल भाग पर उस पुलिस की जीपी का एक जमघट दीख पड़ा। उसे फौरन किसी गडबन्दी की आशंका हो गई और पिकनिक वालों का धतुरे से सावधान करन के लिए वह उद्यान की तरफ भागा। उद्यान के द्वार पर हमारे ने एक बस खड़ी देखी, जिस पर मडिकन कानज अमतसर लिखा कपडा खून रहा था। बस के भीतर अनेक स्त्रियां बठी थी जो वहाँ में महिला पुलिस अफसर और सिपाही निकली जिनका राज द नगर और रामवृष्णपुरम पुलिस थानों से सब ध था।


जब हमारे पिकनिक स्थल पर पहुँचा तो उमने वहाँ एक तनाव महसूस किया। पुलिस ने पिकनिक पर आए दल को घेर रक्खा था और सबका आदेश था कि ताश और दूमर भेज जावे खेल रहे थे येनते रहें जिससे कि आने वाल छात्र नेता घोख म आ सक।

हमारे स्थिति की गम्भीरता का पूरी तरह नहीं समझ पाया और उसने एक छात्र क्रायकर्ता स बात करने की कोशिश की। तत्काल एक पुलिस अफसर पास आ गया और उमने पूछा कि वह कौन है ? स्थिति को अब समझकर हमारे ने उसे थककर म डालना चाहा। उमने पुलिस अफसर को बताया कि वह पिकनिक के लिए खाना लाया है और पूछ रहा था कि खाना किसको दिया जाय। पुलिस अफसर को विश्वास नहीं आया। उसने हमारे को आदेश दिया कि वह यही ठहरे। हमारे ने तब किया कि उसे जाने दिया जाए जिससे वह द्वार पर गया सामान यहाँ ला सक। पुलिस अफसर चिल्ला पड़ा चुप रहो और बच जाओ।

पुलिस अफसर ने चिल्लाने से बचना चाहता था और लड़के लड़कियां बचने के लिए दूर उधर भागने लगे। इस पर पुलिस ने हवा में कुछ फायर किए और पूरा पुलिस उन समूह का घेरकर कम आया। लड़कों में कहा गया कि वे अपनी कमीज उतार दें और उन कमीजों में उनके हाथ पीठ पीछे बांध लिए गए। लड़कियों की चन्निया घीन ला गई और उनके हाथ भी पीछे बांध दिए गए।

हमारे विश्वास ने अपना नाम बना दिया और उसे पुलिस का एक जीपी में धकेल दिया गया। अब लड़के-लड़कियों का प्रतीक्षा करनी बस में भेज दिया गया और उन सबको छात्रों पुलिस थाने में ले जाकर हवा नात म काल कर दिया गया।

## बदियों पर टाए गए अत्याचार



सिगरेट के टकड़ों तथा मोमबतियों से पीठों पर पड़ हुए निशान



बधे पकड़कर घुटनों से बमर में धाघान पहुचाना

गई थी जिसमें लगभग 50 नवयुवकों और नवयुवतियां न हिस्सा लिया था। पुलिस को इसकी हवा लग गई। सक्रिय कार्यकर्ता भी जान गए कि खबर फूट गई है। लेकिन उन्हें यह पता बहुत देर से लगा अतः वे संगठनकर्ताओं से सम्पर्क करने पिकनिक को रद्द नहीं कर सकें।

हेमंत विश्वाजी उनमें था जिस खबर के फूट जान का कोई ज्ञान नहीं था। बुद्ध जयती पाक की ओर जान हुए मस्जिद परतेन माग पर उस पुलिस की जोड़ों का एक जमघट दीख पड़ा। उसे फौरन किसी गडबन्दी की आशंका हो गई और पिकनिक वाला का खतरे में सावधान करने के लिए वह उद्यान की तरफ भागा। उद्यान के द्वार पर हेमंत ने एक बस खड़ी देखी जिस पर मडिकल कानून अमलदार लिखा कपडा झूल रहा था। बस के भीतर अनेक स्त्रियां बठी थी जो बस में महिला पुलिस अफसर और सिपाही निकली जिनका राजद्रोह और रामकृष्णपुरम पुलिस थानों से सबंध था।


जब हेमंत पिकनिक स्थल पर पहुंचा तो उसने वहां एक तनाव महसूस किया। पुलिस ने पिकनिक पर आए तल को घेर रक्खा था और सबको आदेश था कि ताश और ड्रमर खेल जो वे खेल रहे थे तेजते रहें जिन्हें कि आने वाले छात्र नेता घोषे में आ सकें।

हेमंत स्थिति की गम्भीरता का पूरी तरह नहीं समझ पाया और उसने एक छात्र कार्यकर्ता से बात करने की कोशिश की। तत्काल एक पुलिस अफसर पास आ गया और उसने पूछा कि वह कौन है? स्थिति को अब समझकर हेमंत ने उस चक्कर में डबाना चाहा। उसने पुलिस अफसर का बताया कि बस पिकनिक के लिए खाना लाया है और पूछ रहा था कि खाना किसको दिया जाये। पुलिस अफसर की विश्वास नहीं आया। उसने हेमंत का आग्रह लिया कि वह यहीं टहरे। हेमंत ने तब किया कि उस जाने दिया जाए तब वह द्वार पर रखा सामान यहाँ ला सकें। पुलिस अफसर बिलना पडा चुप रही और बस जाओ।

पुलिस अफसर ने बिलाने से वहाँ घबड़ाहट फैल गई और लड़के लड़कियां बचने के लिए मस्जिद उधर भागने लगे। इस पर पुलिस ने हवा में कुछ फायर किए और पूरा पुलिस दल उस समूह को घेरकर कस आया। लड़कों से कहा गया कि वे अपनी कमीज उतार दें और उन कमीजों में उनका हाथ पीठ पीछे बांध दिया जाए। लड़कियों का चुन्निया छान ला गई और उनका हाथ भी पीछे बांध दिया गए।

हेमंत विश्वाजी ने अपना नाम बताया और उस पुलिस की एक जीप में धकल दिया गया। जय जय नरक नरकरियों का प्रतीक्षा करना बस में भर दिया गया और उन सबको छावना पुलिस थाने में ले जाकर हवा रात में बंध कर दिया गया।

## बदियों पर ढाए गए अत्याचार




सिगरेट के टुकड़ों तथा मोमबत्तियों से पीठों पर पड़े हुए निशान



एधे पकडकर घुटनों से कमर में घ्रापान पहुचाना






दो कुर्तियों के बीच लटकाना



रस्सी से बांधकर लटकाना



कुर्ती के नीचे उँगलियाँ रखकर दवाना

मध्या समय हमन्त को यानेदार के कमरे में लाया गया जहाँ शाहूरे का एस० पी० आर० एस० सहाय और डी० आई० जी० प्रीतम सिंह भिन्दर बठे थे। उन्होंने उससे सवाल पूछने शुरू किए। उसने कुछ मन्तव्यों के जवाब दिए लेकिन जब उन्होंने जानना चाहा कि रात में वह कहा माया था तो उसने जवाब देने में इन्कार कर दिया। उसपर कुछ भी गुजरे वह उन मित्रों के नाम बताने के लिए तैयार नहीं था जिन्होंने उसे शरण दी थी। पूछनाछ इस मुद्दे पर अटक गई। अब डी० आई० जी० भिन्दर ने उससे कहा हम जानते हैं यह बात तुममें कम निकलवाई जाए। अब जाकर लट जाओ और सोचो। तुममें फिर मित्रों।

अगले दिन हमन्त को शाहूरे पुलिस थान भेज दिया गया। वहाँ वही प्रश्न उससे फिर किया गया। उसने वही जवाब दोहराया। तब उस बताया गया कि विजयकुमार मल्होत्रा और एम० एल० खुराना तक नहीं जो कुछ व जानते थे सब बताया है ता उन सब के एक मामूली कायकर्ता हाथ हुए भी तुम क्यों नहीं सब कुछ उगल सकते। हमन्त अब भी चुप रहा।

तब ठीक है। सहाय बोला अब तुम्हें गम किया ही जाए। उसने दो हट्टे-कट्टे सिपाहियों का बुलाया और हमन्त को उन्हें नीचे लिया। व उसे दूसरे कमरे में ले गए जहाँ उन दोनों ने उनकी पीठ पर घूम बरसाये।

हमन्त अब याद करता है कि जब वह शिकारियों द्वारा पीछा किए जाते एक पशु का-सा जीवन जी रहा था तब उसने अपने साथी कायकर्ताओं पर पुलिस द्वारा इस्तमाल किए गए तीमरे दर्जे के तरीकों की दिल दहला देने वाली कहानियाँ सुनी थीं। उसे स्वयं वसा महना पड़ा तब इस विचार में वह काप-काप उठा था। तभी गुप्तचरी के आरोप में पाकिस्तानी जनता में बनी रख गए एक भारतीय द्वारा लिखित पुस्तक पाकिस्तानी जनता में तीन वर्ष उसका हाथ पड़ गई। इस पुस्तक में लेखक ने लिखा था कि यातना का भय स्वयं यातना से बढकर होता है। हमन्त ने यह भी पढ़ा था कि प्राचीन काल में धार्मिक आधारों पर दंडित लोग पीड़ा और भय पर काबू पाने के लिए चीख चीखकर भगवान की स्तुति गाया करते थे। तब उसने तय किया कि मन्त्रणा किए जाने पर वह चिल्लाएगा नहीं बल्कि जब पीड़ा असह्य हो जाएगी तब रोक्नायक की जय जैसे नारे लगाएगा।

शाहूरे थान में हमन्त की पिटाई और पूछनाछ साथ साथ चली। व उससे यही सवाल पूछते रहते कि भूमिगत रहते हुए रातों में वह कहा साया करता था। उन्हें वही एक जवाब उससे मिला। उसने इस विषय पर बात करने से पक्का इन्कार कर लिया। हमन्त जानता था कि यदि एक बार पुलिस इस मुद्दे पर उससे तोड़ गई तो उसका विरोध सदा के लिए समाप्त हो जाएगा।

अब हमन्त से कहा गया कि वह बैठ जाए अपनी टांगें ऊपर उठा ले।

दो मजबूत सिपाहियों ने उसके परो के तलुवो पर डडे बरसाए । इससे उसके पर इतने मूज गये कि कितन हा न्तिना तब वह कठिनाई से ही पर रख पाया । जब यह उपाय भी उसे बुलवाने म विफल रहा तो उ हान कपडे उतरया कर उसे पेट के बल लिटा लिया और सीधे किण गए खडक क टायरो म उम पीटा ।

अब यह भी बेकार रहा तो उन्होंने एक नई तरकीब इस्तेमाल की । दा कुसिया कुछ दूरी पर रख दी गई और बठी हुई स्थिति म उसके शरीर को और परो को बाध दिया गया । तब एक बास उसके घटना क नीचे से गुजारा गया और उसे उस स्थिति म ऊंचा उठाया गया । अब बास को दोना कुसिया क हृदयो से कस दिया गया और उम बास पर उसे बार बार चक्कर दिए गए ठीक वैसे ही जस भूजने के स्वयंचालित यन्त्र पर चूजे को घुमाकर भूना जाता है । इसका भी कोई फल नहा निकला ।

तीसरे दर्जे का सहाय का अंतिम उपाय था बदनाम पानी का उपाय । उन्होंने उस उलटा सटका लिया और उमक चहर पर ठंडा पानी डाला । लडका सास लेने के लिए तडपता रहा लेकिन बाला नहा । तब एस० पी० ने इस तरीके मे अपनी एक निजी ईजाट और जोडी । उसन कुछ पिस्ती हुई मिचो मगाइ और उह पानी म मिला लिया । यह पानी लडके क नथना म डाला गया । हम त अब बेहोश हा गया । अब जाकर उस परपीटावानी न तोनिया दिया ।

अगली सुबह पायल सूजा हुआ खून स तर मिचो से जला हुई आखें और गला लिए उस लडके को वापस छावनी के जाने म भेज लिया गया । एस० पी० सहाय ने उसकी हिम्मत की तारीफ की । वहा म उस राजद्र नगर भेजा गया । वहा भी एक यान्टार ने सूचनाए निकालने क उद्देश्य स हमत पर अपना हाथ आजमाया ।

हेमत कठिनाई से ही बोन पा रहा था । लेकिन वह जोश के साथ चीखा 'तुम भी जितनी चाहे मतनाए मुझ दे लो लेकिन कुछ मुझम ले नहीं पाओगे । और तब वह फश पर लुटक गया ।

अगले दिन जब हम त को भारत सुरक्षा कानून के अधीन जदालत म पेश किया गया तब वह लगभग अधमत था । वह कठिनाई से खडा हो पा रहा था बोन पा रहा था । उसका शरीर नीला पडा था और सूजा हुआ था । उसकी आखें फूली हुई थी लाल थी और आधा मुट्टी हुई था । लेकिन मजिस्ट्रेट ने अपराधी पर एक नजर तन नही जानी और उस जन न जान के आदेश दे दिये । हेम न न चन की सास ली । वह अभी तक जीवित था और पुलिस के पजो स छूट चुका था । अब वह जीवित रह सक्ता ।

इन लडको का हमारा अभिमान ! कितनी भी क्रूरता और तीसरे दर्ज का

अत्याचार इन्हें बालने पर विवश नहीं कर सका। ऐसे लड़के बहुत कम निकले जो मातना को सह नहीं सके और बोल गये।

अनका सरकारी अफसर यहाँ तक कि पुलिस व अफसर भी सहानुभूतिपूर्ण और सहायक रहे। लेकिन वे अपवात् ही थे, जो नियम को ही सिद्ध करत थे और वसा अक्सर दोनो के बीच की निजी तालमेल पर निर्भर करता था। निम्न पदों के वेचेहरा लोगा पर यह लागू नहीं होता था क्योंकि उह ता सदा बडाई और रनेपन का ही व्यवहार मिनता है। 26 जून को प्रात 8 बजे सुब्रह्मण्यम् स्वामी को किसी ने टेलीफोन पर कहा, "मैं आपके घर आपस मिलने आऊगा। यदि आप घर नहीं हंगे तब मैं चिन्ता नहीं करूगा।" स्वामी को सूचना मिल गई और वे गायब हो गये।

जब दिल्ली में पकडा घबडो हुई तब श्री वी० के० मल्होत्रा मसूरी में थे। दिल्ली से एक टेलीफोन उह मिला जिसने पहलने ही उह सूचित कर दिया कि उहे पकडने के लिए एक पुलिस दल मसूरी में लिए चल चुका है। यदि वे चाहते तो भूमिगत हो जाने लेकिन उहोने वसा नहीं चाहा। पुलिस 27 जून को मसूरी पहुंच गई।

तब श्रीमती मल्होत्रा मसूरी से दिल्ली लौटीं, ता वे यह मालूम करने के लिए गई कि उनके पति को कहा ले जाया गया है जिससे उनकी दवाइया उह भेजी जा सकें। (उन दिनों श्री मल्होत्रा बीमार थे और उस पहाडी स्थान पर आराम कर रहे थे।) पुलिस अफसर ने कहा 'ठीक है आप बल मुझ टेलीफोन करें और किसी भी जगह का नाम, जहा आप जाना चाह ले दें।' अगली सुबह श्रीमती मल्होत्रा ने उसे टेलीफोन किया और कहा 'मरी योजना चण्डीगढ जाने की है।' पुलिस अफसर ने उत्तर दिया 'मैं समझता हूँ आप अम्बाला जा रही है।' श्रीमती मल्होत्रा ने इशारा समझ लिया और फौरन अम्बाला में लिए चल दी जहा उनके पति रस गए थे।

दिल्ली विश्वविद्यालय के लगभग 200 अध्यापक और कुछ सौ छात्र आप स्काल के दौरान पकड गए थे। कुलपति और उपकुलपति को छाडकर विश्व विद्यालय में महत्त्व रखन वाला कठिनाई से ही कोई व्यक्ति बचा था, जिस पर शक न किया गया हो।

## ईदी अमीन को भी मात दे दी

पुलिस ने तारस फनेडीस के साथ ही प्रद व्यवहार किया और उस को  
 र नगर लाया। वहाँ एक लहलुहान बहागी है। तारस उग्र दृष्टि धूमिल  
 ने नगर में फौजीयता भाई है। आज भूमिगत हो गया था और पुलिस को  
 जा रहा था। तारस की वाशिंग में थी कि वह क्या है।

एक मध्याह्न को जब धुधलका छा रहा था पुलिस तारस के घर आई। उस  
 शक का कंधा दाखर बुलाया और पकड़ ले गई। उस मा० ओ० सी० (गुप्तचर कार  
 अर्थात् दूसरे शब्द में अर्थात् पुलिस के घर गया वह म) ले जाया गया। जहाँ  
 वह फलक में घना अक्षरमान एक मन्ता एन बाग थापक में गया स्वागत किया  
 गया। तब तारस को तारस की जाया ले जाने इधर छा गया और वह  
 जहाँ गया था। तब वह अपने में आया तो उसने तब ही पुलिस ने उस नगर  
 करीब था। अब तब सिपाहियों ने तारस को तब ही तारस से पीटना शुरू  
 किया कि तब के बाद तब तारस टटती गई।

इस घटना के बाद तारस के मन्ता एन बाग का उग्रो बताया कि वह पर पत्नी में  
 दू म न कर रहा था। मन्ता एन बाग या घिमन्ता था और फिर गिडगिडाता  
 था और तब वह फलक की तरह मुन टाकरा में मार ले थे। वह फल पर डर  
 हा गया। तब ममय रात के तीन बजे थे। तब वह जागा तब उसे भयानक  
 प्यास लगा। तारस ने पत्नी मागा। तब आंगर न एक सिपाही से कहा  
 'मन्ता एन बाग कर ले। तब सिपाही ने तब ही तब के वग नहा किया। तब  
 उग्रो ने दो तम्मच पानों से तब ही हाठा का तर किया। अपने भाई और माभी के  
 बार में जो तब वह जानता था उसने सब बता दिया था लेकिन तब पुलिस को  
 तब ही नहा हुआ था।

तब तब तारस की जान तब ही शाचनाय हा गई थी कि पुलिस डर उठी  
 कि तब ही वह मर न जाए। एक अफसर ने एक जीप तयार करत का आदेश  
 सिपाहियों को दिया और तारस ने अफसर का घर जहाँ मुता हम हम चलती  
 रेत न मारत फलक और वह तब कि तब ही आत्मत्या कर ला है।' तब से  
 उस परिवाराय पुलिस आन ले जाया गया और अगले दिन फिर मी० आ० सी०  
 में ले आया गया। यहाँ पहली बार तारस ने एक परिचित महिला का स्वर सुना।  
 यह स्नेहवत, रंग के रौनक का स्वर था।

चारेंस ने बताया कि अब पुलिस ने उसके घायल शरीर की मालिश के लिए एक मालिश करने वाला बुलाया। उसने उसके हाथ परांपर तेल लगाया पर जल ही यह कहकर हाथ खींच लिया कि लारेंस की मदद करना, उमरा यम न बाहर है। उसने अफसरों को सलाह दी कि इसे अस्पताल पढ़ा दिया जाए। उसकी हालत इतनी खराब थी कि शीघ्र आदि के लिए भी सिपाही कम उठार कर जात थे।

कुछ समय बाद ही अफसर उसे वार में डाल कर वहीं ले चला। लारेंस डार जार में या उठा। अफसरों ने कहा कि हालात में जा कुछ उमरा साथ रिया गया उसने लिए वे जिम्मेदार नहीं है। इस समय तो उनका काव्य या सिद्ध करना है कि उस यहा में 150 किलो मीटर दूर बिलदुग में गिरफ्तार किया गया है।

उमरा दकनगिरि ले जाया गया। उमरा कहा गया कि उस मजिस्ट्रेट के समने पेश किया जाएगा और उस मजिस्ट्रेट में यह कानून हागा कि उस उसी सिड यम स्टड पर पकटा गया है। वहा उमरा एक कोठरी में डाल दिया गया जा खटमना और तिलकचूरा से भरी थी। तभी दा स्थायीय इंसपक्टर आय और उराने घमकी दी कि यदि पुगिम को यातनाशा के बारे में उसने मजिस्ट्रेट में कुछ भी कहा तो उसके परिवार को छाम कर दिया जाएगा। उसकी टांग गूाकर सामान्य से दुगुनी मोट्टी हो रटा थी, फिर भी उसे मजबूर किया गया कि वह नम पर चनकर मजिस्ट्रेट के घर तक जाए।

1। मई का लारेंस का बापिल बगलौर लाया गया। उसकी हालत बहुत ही ग्रावनीय थी इसलिए उस अस्पताल ले जाना ही पडा। डाक्टर ने कवम दे व लिए कहा, लेकिन पुलिस ने एकस रे की अनुमति नहा दा। इस पर डाक्टर ने गहरी सास छाना और बोला फर्नेडास, मैं मजबूर हूँ। एक दशबर ही तुम्हें बचा सकता है।'

अब पुगिम ने उस गशीली चीज देना शुरू किया जिनसे उस पविश हा गन जो लगातार तीन दिनों तक चली। पुलिस ने अब जाकर उस देवाई दी ब्याकि मजिस्ट्रेट के मामने पेश करने से पहले व उस कुछ बेहतर हालत में लाना चाहता था। जब वह मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा तो वहा कोई उमकी जमानत देने वाला नहा था। इसलिए उस वापस पुलिस हिरामन में ले जाया गया। फिर भी लारेंस ने मजिस्ट्रेट में शिकायत कर दा कि पुलिस हिरासत में उमके साथ दुयबहार किया गया है। अब कर्त्रीय जेल की एक अग्नेरी, बंदबूदार कोठरी में उस व दे कर दिया गया।

जब वह आधी बेहाशी की सी हालत में उम रादी कोठरी में पडा था तब उसने गुना कि कोई उस बार-बार पुकार रहा है। आधाँ चारों ओर से आ रहा

थीं। लारेंस ने सोचा कि उसे ब्यामोह हो गया है लेकिन शीघ्र ही उसने समाजवादी नेता और अब जनता सरकार के रेलमन्त्री मधु दडवते की जावाज पहचान ली। मधु ने चिल्लाकर पूछा लारेंस क्या यह तुम हो? मुझे जवाब दो। क्या तुम्हें यत्नना दी गई है?

लारेंस ने बहुत कमजोर आवाज में हा कहा और बाहर एक हलचल मच उठी। मधु और दूसरे मीसाबन्धियों ने यह भाग करते हुए भूख हड़ताल कर दी कि लारेंस को इस काल कोठरी से निकाला जाए और बेहतर जगह दी जाए। लारेंस का भाई माइकेल भी उसी जेल में था लेकिन दोनों भाइयों को एक-दूसरे से मिलन नहीं दिया जाता था। एक बेहतर कोठरी की और एकांत कैद की समाप्ति की माग करते हुए लारेंस ने दो दिनों तक भूख हड़ताल की। लेकिन, अब तक वह एक ढांचा बन चुका था और उसका वजन बीस किलो घट गया था।

छूटने से कुछ दिन पहले से जेल में अफमर लारेंस के प्रति कुछ अधिक ही उदार हो गए थे और उन्होंने उसे नारियल का पानी तक पीने को दिया था।

इस दूसरे स्वातन्त्र्य मधुप की एक और शहीद है—स्नेहलता रेड्डी जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री थी और कन्नड फिल्म संस्कार की नायिका थी। उसकी आरमा लम्बे समय तक कर्नाटक पुलिस पर मड़राती रहेगी।

स्नेहलता का अपराध यही था कि उसके परिवार की फर्नेडीस परिवार से मित्रता थी। वियटन में और बंगलौर के बुद्धिजीवी वर्ग में स्नेहलता एक प्रमुख व्यक्ति थी। कमलादेवी चट्टोपाध्याय उसके बारे में लिखती हैं स्नेहलता एक बड़ी ही भद्र और अनुभूतिशील महिला थी। वह एक ऊंचे दर्जे की कलाकार थी और किसी भी समय सक्रिय राजनीति में कोई हिस्सा उन्होंने नहीं लिया था। अनेकों कलाकारों की तरह वे भी अपने घर को उन्मुक्त रखती थीं जहां सभी व्यवसायों के लोगों का आना-जाना था।

1976 की गर्मियों के आरम्भ में श्री और धामती रेड्डी मद्रास गए हुए थे। तभी पुलिस उनके बेटे कोणाक को उठा ले गई। पुलिस ने आधी रात में समय उनके घर पर छापा मारा और सुबह तक पूरे घर को छानती रही। इस बीच उसने स्नेहलता को 84 वर्षीय बूढ़े पिता को पूछनाछ के लिए जगाए रखा। रेड्डी दम्पति यह सब सुनकर बापस बंगलौर भागे और पुलिस उनके पीछे-पीछे रही।

अपने बेटे का ठौर ठिकाना न जानने के कारण स्नेहलता फिर से पहले ही पागल हुई जा रहा थी और तभी पुलिस ने उनसे पूछनाछ शुरू कर दी। मानसिक और शारीरिक रूप से जजर व रो पड़ी और यदि पुलिस उनके बच्चों और पति को बापस उन्हें गिला द तो वह सब कुछ बता देन के लिए तयार हो गई।

तबिन बतान के लिए उनका पाम वस्तु ही कम था। पुलिस उससे सतुष्ट नहीं थी। पुलिस उन्हें जल ल गई और उन्हें आठ महीनों तक बंद रखा। पहन

उन पर भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत आरोप लगाया गया और बाद में उन पर मीसा लागू किया गया। उन्हें सी दर्जा दिया गया और उनसे बड़ा ही अपमान जनक व्यवहार किया गया। उनकी हिम्मत टूट गई। दम की मरीज व पहले ही थी, अब उन्हें निल की बीमारी भी हो गई।

जेल के उन दिनों के दौरान जिस घोर निराशा को उन्हें सहना पड़ा उसकी साथी उनकी वह डायरी है जो उन्होंने उस बीच लिखी थी। 26 जुलाई को उन्होंने लिखा क्या मुझे छोड़ा नहीं जा सकता या स्वास्थ्य के आधार पर कुछ शिफ्टों की परीक्षा नहीं दी जा सकती? यहाँ की हालतों से मैं लगभग मर ही चुकी हूँ। मेरा दमा पहले कभी इतना गिरा नहीं रहा है। इजेक्शन के बावजूद यहाँ मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊँगी। मेरा स्नायविक विभाग (नवस ब्रेकडाउन) हाने ही वाला है। मैं उस शिफ्ट में बँट रही हूँ। मैं घर जाना और अपने लोगों के साथ रहना चाहती हूँ। दया करके मुझे जल्द ही यहाँ से निकालो, कोणाक व जाने से पहले (वह अध्ययन के लिए विदेश जाने वाला था)।”

29 जुलाई को उन्होंने घरेलू मामला के कमिश्नर और राज्य के गृह विभाग के सचिव को लिखा ‘एक रात मुझे दमे का दौरा पड़ा और एक डॉक्टर एक घंटे के बाद ही आ सका। इसके बाद मेरी परीक्षा के लिए चार सजनों को लाया गया। उन सबने घोषणा की कि मुझे फौरन अस्पताल भेज दिया जाना चाहिए क्योंकि यहाँ का वातावरण एलर्जी से भरा है और सब कुछ घिरा घुटा है। यहाँ इनका रोग कम नहीं होगा। बीस दिन बाद अधिकारियों ने बताया कि एक भी डॉक्टर ने अस्पताल भजने की सिफारिश नहीं की है।’

जेल अधिकारियों से व बार-बार अनुरोध करती रही कि उनके परिवार को उनसे मिलने दिया जाए। उनकी डायरी में एक जगह लिखा है, मैं बार-बार पूछती हूँ कि वे (परिवार) क्यों नहीं आए हैं। लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने इंतजार की और इंतजार करती रही। डॉक्टर आया और उसने मुझे मानसिक चयन में पाया। लेकिन कुछ नहीं किया गया। उसने बताया कि सुपरिटेन्डेंट ने मेरी मिलाइया रद्द कर दी है क्योंकि मैंने आई० जी० व सामने उससे दुर्व्यवहार किया था।’

उन्होंने लिखा है छबलानी (जेल का सुपरिटेन्डेंट) नीचतम स्तर का एक परपीडनवादी (साडिस्ट) है। वह कायर भी है और झूठा भी। ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा है। उसकी आदतें गनी हैं वह भोला और विकृत मन है। शब्द सख्त है लेकिन हर शब्द सच है। उसी के कारण मुझे घोरतम निराशा और जड़ता का सामना करना पड़ा है। मेरे सभी रास्ते बंद हो गए थे। मेरे विचारों का गला घुट गया था और मैं बँबस हो उठी थी।’

एक जगह लिखा है ‘सी वग के कदियों के साथ यहाँ मुझे बँद करने का



कोई मतलब ही नहा था। यहा हवा नही है, एक खिडकी तक नहा है जहा स जेल के अहाते ही में थाका जा सकें।

एक दूसरी जगह लिखा है य लोग मीमा बढियो क निक्कट एक कमरा मुचे दे सकत थे। ए या बी थ्रेणो की कोई शत मेरी नही थी। यहा तो पुष्प या स्त्री किमी का भी कोई सग नही है मर की जगह नहा है ताडी हवा नही है और किसी से सम्पक नहा है। मैं जानती हू कि मीसा क नियम उदार और उचित है। लेकिन इस आत्मी ने खच बचाने के लिए या सिफ मुचे सतान ५ लिए यह फगा डागा है। असल म प्रयाजनपूर्वक ही उसन मुचे यह मालूम नहा हीन दिया कि मेरे अधिकार क्या है जिससे वह मुझ सता सके। यदि वह मुच मीसा वालो के साथ रखता तो वह जानता था कि वह कुछ भी नही कर सकता था। वह निश्चय ही विकृतमन है। तभी उसने जान बूझकर मुझे यहा रखा है और मुचे सताया है। ह ईश्वर हर सुबह जागत हुए मुच डर लगता है। मुच सतान का कौन-सा नया तरीका व आज दूड लागे।

पहली जगस्त को उसने लिखा जानते वृत्त उपक्षा की जा रही है। मैं यहा धीमे धीमे मर जाऊगी अनीत क एक भूल हुए गीत की तरह। क्यों में लोग गैरो व बीच मर जान क लिए मुचे मजबूर कर रहे हैं ?

स्नेहलता का स्वास्थ्य गिरता गया। उनका दमा बडता गया और उसका दौरा लगभग अविराम पडने लगा। उनक तिजी डाक्टर को उनक पास नही जाने दिया गया और उह खतरनाक काटिजान दिया गया। अंत म उह एक महीन के परोल पर छोडा गया। परोल के अतिम दिन उह बताया गया कि उह पूरी तरह मुक्त कर दिया गया है। खुशी के मारे वे लगभग पागल हो उठी। कोई नहीं जानता था कि जेल म दिल की बीमारी भी उह लग गई है।

छूटने के पाच दिन बाद 27 जनवरी को अर्थात चुनावो की घोषणा के 7 दिन बाद स्नेहलता को बन्धी जोर का दिल का दौरा पडा और वे मर गई। कमलादेवी क अनुसार स्नेहलता एक छरहरी जीवनपूर्ण व्यक्ति थी। लेकिन जब स्नेहलता जेच से निकली तो भारी असामान्यरूप से फूली हुई जजर और प्रीन लग रही था।

यह जानत हुए भी कि श्री जयप्रकाश रोगग्रस्त है नजरबंदी के दौरान उनक साप जो व्यवहार किया गया वह अवाचित रूप से सख्त था। ऐसा लगता था जस सरकार उन सब परेशानिया के लिए उह सजा द रही थी जो कुशासन के विरुद्ध सडाई के लिए जनता को उत्तेजित करके उन्हाने सरकार के लिए पदा की थी।

नजरबंदी के 130 दिना क दौरान जिन हाताता म वे रहे उनका वणन करत हुए श्री जयप्रकाश ने (मित्रा को लिभे गए एक पत्र मे) लिखा है 'मुझे

पूरी तरह अरला (एनात व म) रखा गया। यह पूरी तरह अकेल रहना मुझे बत पीडा दना था। ऐसा वाई नहीं था जिससे माथ के मुक्त भाव व बात कर सकत। इस अकनेपन ने उ एक प्रकार की मानसिक मंत्रणा थी।

श्री जयप्रकाश न अधिकारिया स अनुरोध किया कि हड्डारा गिरफ्तार नागा म स रिमी एक का उनक साथ रख लिया जाय, जिनम नजरबंदी व शौराज विचार विनिमय करने के लिए एक उचित साठी उ रह मिन जाए। तबिन सरकार व इस प्राचना का ठुकरा लिया। अत म यह छूट ना ग कि जयप्रकाश का रिजा तीतर तुनाज माथ नजरबंदी के दौरान उनक साथ रह मरगा। तबिन श्री जयप्रकाश का निजी नौकर की नही एक भाषी की जरूरत थी।

उनक कमर के हर तरफ मशस्त्र म त्तरी तैनात निय गय थ। उ रह छल म धानी बहन-वन्मी करने तक की इजाजत नही थी। वना करना उनक दिल क निण लाभदायक रहता। वैसा व तभी कर मके जब चण्णागड स्थित डाक्टरा शिभा एव शोध क स्नातकोत्तर सस्थान क हात म स्थित अस्पताल क विश्राम गृह म उ रह भज लिया गया।

अतन सरकार ने श्री जयप्रकाश को तब छोडा जब 'उ रह मट स्पष्ट हा गया कि जो राण मुने है उसका निदान नही किया जा सका है और मेर बचन क आसार बटूत ही कम है। तब भी सरकार न पापणा यह की कि उ रह परोत पर छोडा जा रहा है जो एक भूठा वकनव्य था वयाकि उ हें बिना शत छोड लिया गया था।

चण्णीग म नजरबंदी क दौरान श्री जयप्रकाश पर जा क्रूर अकलापन घोपा गया वा स पर एक शोकप्रद प्रकाश स्नातकोत्तर मस्थान अस्पताल क विश्राम गृह म नजरबंदी के बीच उनके माथ रहे एक नौकर की उस मानसिक हालत से पडता है जिस हालत को वह पट्टा लिया गया था।

बठोरता पूर्वक और बार बार उस सबक को चिंतावनी दी गई थी कि वह श्री जयप्रकाश स अथवा उनक जास पास क किसी भी आदमी स बिलकुल न बोने, नहा ता उसे बडे मे बडा दड भुगतना पडेगा। इसस वह नौकर एकदम जड हो उठा। वह गम्भीर चेहरा लिए हाठा को सिए अपना काम करता रहता था। अपने परिवार के लोग म भी वह बिलकुल नही बोलता था। अगर कोई उसस बालने का काशिश करता भी ती वह उस एकदम यह कहकर रोक देता बात मत करिये, सरकार खत्म हा जाएगी।'

श्री जयप्रकाश के स्नातकोत्तर सस्थान मे छूट जाने और उस नौकर की इस कठिन काम से मुक्ति हो जाने के बाद भी वह बल नही सका और जा भी उसे विश्वास दिलाता कि अब वह श्री जयप्रकाश की सेवा म नियुक्त नहीं है और अब वह मुक्त रूप से बात कर सकता है, ता वह यही कहता, नही श्रीमान् ! कभी

नहीं।" वह बड़बड़ाता ' मैं कभी बात नहीं करूंगा। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ मैं कभी नहीं बोलूंगा। सरकार खत्म हो जाएगी, मेरा परिवार खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं।' तब वह अधीनता प्रदर्शित करते हुए अपने कानों को हाथ लगाता। अतः उस आत्मी को मानसिक चिकित्सा के लिए भेजना पडा।

त्रिवे द्रम में एक सकरी गली में एक बहुत विस्तृत पर सबसे अलग चलन एक दुमज्जिता भवन है। यह देश के सबसे अधिक बर्नाम यज्ञणा गहो में से एक प्रसिद्ध है। यह करल पुलिस की भयावह अपराध शाखा का मुख्यालय है। यहां की दीवारों पर क्रूर हत्याओं का हाथ पर कट शरीरों का घडा में कट छून चूत सिरों और मतका की मूनी दृष्टि वाली खुला आखा क बहुत बड़े बड़े चित्र लगे हुए हैं। गंदा और जधेरा काठरिया इसका यज्ञणा-कक्ष है।

एक सीडी ऊपर एक लम्बे चौड कायलिय में पढूचती है जहा एक युवक आई० पी० एस्० अफसर जयराम पडिक्कल बठता है जो नीचे की मजिल के नरक का निदेशक है। इस कमरे में कई टेलीफोन और विविध प्रकार के इलक्ट्रानिक यज्ञ रखे हैं जिनसे कमरे में एक आडम्बरपूण लकिन भयजनक वातावरण की सृष्टि होती है। वहा एक निकट सर्किट का टचीविगन भी रखा है जिसमें नीचे यन्त्रणा कक्षों में बस वन्धियों पर किए जात भयावह अत्याचारों के शानदार दृश्य वह देख सकता है। न सिर्फ यह कि जयराम इन राशसी कृत्यों को अदृश्य रहकर देख सकता था बल्कि इनका निर्देशन भी कर सकता था।

जा व्यक्ति इस भयावह भवन में एक बार घुस गया वह सही सलामत वापस नहीं लौगा। उसे अपग बना लिया गया उसके स्नायु तोड दिए गए और उसका जीवन सन्ना क लिए बर्बाद कर लिया गया। पिटाई लोगों की टांगों को छडों से बाधकर उन्हें लटका दिया जाना और घटा घटो नटकाए रखना यह सब खास किस्म की उन यज्ञणाओं के मुकाबल कुछ भी नहीं था जिन्हें जयराम और उसके अफसरों ने सोच निकाला था। इनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध एवं बबर था बेलन का तरीका। इसमें आदमी का एक बच पर इस तरह बाध लिया जाता था कि उसका सिर एक सिरे पर लटक जाए। तब लकड़ी क लम्ब और भारी एक बेलन को उस की टांगों पर रखा जाता था। दो पुलिस वान बलन के दोनों सिरों पर बठ जात थे अथवा छत से लटकी रस्मिया को पकडकर खडे हो जात थे और बेलन को टांगों पर फिराते थे। इससे अक्सर हड्डियों के स्नायु टट जाते थे और हड्डिया घटख उठती थी। कमर से नीचे का शरीर एकदम पिलपिला हो उठता था। तेज पीडा में आत्मी चीख भी नहीं सकता था क्योंकि बच पर लिटान के लिए नगा करने के बान कच्छ आनि का उमक मुह में ठूम लिया जाता था। अक्सर यह कायवाही शुरू होने के एकदम बाद ही आदमी बहाश हो जाता था। लेकिन पुलिस

अपना काम पूरा करने में विश्वास रखती थी और उसके बाद उस अचेत शरीर को कोठरी में फेंक दिया जाता था।

त्रिवेन्द्रम के यन्त्रणा गृह का एक दूसरा राक्षसी खिलवाड़ था आदमी के गल की कठमणि को दो उगलियों से जकड़ना और उसे भीचना। इस उपाय के बाद आदमी कई दिना तक पानी भी नहीं गिगल सकता था।

जिन लोगों को पकड़कर अपराध शाखा के इस यन्त्रणा गृह में ले जाया गया उनके बारे में अक्सर फिर कभी कुछ पता नहीं लगा। वे एकलम गायब ही हो गये। ऐसे दो उदाहरण अब सामने आय हैं और उहान जनता में एक बबडर पैदा कर लिया है। ये पी० राजन और विजयन नायर नाम के दो नवयुवकों के उदाहरण हैं।

राजन वालीकट के प्रादेशिक इंजीनियरिंग कालिज का छात्र था। 1 माच 1976 की सुबह होस्टल पर छापा मारकर अपराध शाखा उसे पकड़ ले गई थी। इसके बाद राजन का कुछ पता नहीं चला।

केरल पुलिस अपराध शाखा का मुख्यालय एक और लुप्त व्यक्ति, बारबकल में कित्ताबा की दुकान चलाने वाले एक पुरुषोत्तमन पिल्लई के पुत्र विजयन नायर के मामले में भी उलझा हुआ है। विजयन को त्रिवेन्द्रम नगर के व्यस्त ईस्ट फोट बस स्टॉप से भरे दिन में पुलिस हिरासत में लिया गया था। यह घटना 5 माच 1976 को घटी थी। विजयन को इसी बदनाम मुख्यालय में ले जाया गया और लगभग 10 दिनों तक उसे 5 अन्यो के साथ एक कोठरी में रखा गया।

कोठरी के इन साधियों में से एक ने एक सवाददाता को बाद में बताया कि विजयन को इतनी बुरी तरह यन्त्रणा दी गई थी और उसका शरीर इतना क्षत विक्षत कर दिया गया था कि जनता के सामने उसे प्रस्तुत करने में पुलिस को बहुत परेशानी हाती।

विभिन्न राज्या की लोक सभ्य समितियों ने जो विवरण सम्पादित किए हैं, उनसे राजनीतिक बढियों पर पुलिस द्वारा की गई श्रूरताओं का एक स्वरूप उभरता है। जब सत्याग्रहियों को पुलिस हिरासत में लिया जाता था तो उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं किया जाता था। कुछ दिनों तक उन्हें गैर कानूनी कद में रखा जाता था और इस दौरान उन्हें निम्न प्रकार की शारीरिक यातनाएं दी जाती थीं —

- 1 नये शरीर पर हील वाले जूने पहनकर जोर जोर से चलना।
- 2 परो के तलुवों पर बेंता से मार लगाना।
- 3 टांगा पर एक भारी बेलन रखकर और इसके दोनों सिरों पर एक-एक पुलिस वाला बिठाकर उसे फिराना।
- 4 आन्मी को पण्टों में स्थिति में पकाकर स्थिर रखना।

- 5 रीढ़ की हड्डी पर भार लगाना ।
- 6 हाथों को प्यानानुमा करके उनसे दोनों कानों पर तब तक धोत करना जब तक कि खून न बहने लग और व्यक्ति अचेत न हो जाये ।
- 7 थूक को कुत्ता से पानना ।
- 8 शरीर को छिद्रों में बरेंठ बाल तार प्रवेश कराना ।
- 9 व्यक्ति को नगा करके उस वफ की सिल्लिया पर लिटाना ।
- 10 व्यक्ति को शरीर को जनता मिगरेट से एक भोमबस्ती की लौ से दागना ।
- 11 व्यक्ति को भोजन पानी न पानना और नींद न आने देना और तब उस अपना ही पशाव पान के लिए मजबूर करना ।
- 12 व्यक्ति को नगा करके उसका चेहरा काला करके उस सावजनिक स्थानों में घुमाना ।
- 13 क्लाइडों से बाधकर लटका देना ।
- 14 व्यक्ति को विमान पर चढ़ाना अर्थात् उसके हाथों को एक रस्सी से पीछे बांध देना और रस्सी को ऊपर एक गरारी पर टालकर खींचना । इस प्रकार व्यक्ति बीच हवा में झूलता रह जाता है ।

हरियाणा कर्नाटक करल और मध्य प्रदेश का पुलिस ने ऐसे परपीनवाणी आचरण में विगप रुजि लिखाई । कर्नाटक की जयवा राया की सरकार इन नशस सताओ के बारे में न जानने का दावा नहीं कर सकती क्योंकि इन सभी सरकारों को इस विषय पर बार बार आग्रह किए गए । लेकिन ये बहरी बा उठी । इतना ही नहीं इन्होंने विराध और प्रतिरोध मिटा डालने की आशा में ऐसे तरीका के प्रस्तुतान को प्रोत्साहन भी दिया ।

गिरफ्तार लोगो की पिटाई मामूला बात है और यह कोई खबर नहा है जो मवात के योग्य भा नहा है । इसलिए हमने इन विवरणों में से सिर्फ असामान्य मामला को ही छाटा है ।

विमान पर चढ़ाना लगता है कर्नाटक पुलिस का एक बड़ा ही प्रिय खिलाड था । विवरणों में क्या गया है कि गिरफ्तार सत्याग्रहियों में से लगभग हर तीसरे का निष्पत्ता से पाटा गया अन्न-जल नहा दिया गया और विमान पर चढ़ाया गया । करल पुलिस का शौक था कि कत्तों का कब्जा तक उतारकर नगा कर दिया जाए और उस से बारह तक का सिपाहिया का दल उसे एक साथ पाट । तिरामन में रहते हुए उन्हें कोई धाना नहीं दिया जाता था । यदि उनको शरारा पर पिटाई के चिह्न बहुत प्रकट पीछने थे तो उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता था और एक जगह में दूसरी जगह बदला जाता रहता था । मध्यप्रदेश प्रमड कर सकता है कि उसने अधिवतम लोगों को राजनीतिक बंदी बनाया और उनको साथ बबरतम व्यवहार किया । भोपाल में पोलियो की मरीज एक सान साल

की उड़ना की प्रकृति के रूप में हिरासत में ले लिया गया जिससे उसकी मा भूमिगत श्रीमती स्वमणा को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जा सके। श्रीमती स्वमणी ने स्वयं को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उनकी बेटी को फिर भी नहीं छोड़ा गया। ग्वालियर जिला जेल में राजनीतिक नजरबंदियों को बंदनाम डायरी को बंधा रखा गया और उनसे उन्हें गालियाँ लीं गयीं।

शेवाम में आठ सत्याग्रहियों को पुलिस थाने में जाकर उनके कपड़े उतार लिए गए और उनकी बड़े उनके शरीरों के विवरण में डाल दिए। उन्हें मजबूर किया गया कि वे एक दूसरे के साथ गुदा मैथुन एवं मुख मैथुन करें और पुलिस थाने में सत्याग्रहियों में अपना मनोरंजन किया। बाद में उन्हें हुकम दिया गया कि वे जनसमूह पर उसका नेताओं के विरुद्ध नारें लगायें और दल से इस्तीफा पर हस्ताक्षर करें नहीं ना उनकी बेटीयों पर उन्हीं के द्वारा बलात्कार कराया जाएगा।

रात को 11 बजे कलिया के लिए जमानें लिखित की गई लेकिन इस पर भी उन्हें छोटा नहीं गया। चार बजे सुबह उन्हें जगाया गया और मीला दूर ले जाकर मझाद के जंगल में छोड़ दिया गया जिससे अगली सुबह वे अज्ञात में पशु नहा सकें और इस प्रकार उनकी जमानें जल हो जायें। मध्य प्रदेश संघ परिषद ने प्रधानमंत्री सचीय महमती और राज्य के मुख्यमंत्री को लिखित विरोधपत्र दिए पर मध्य सरकार।

पश्चिमी बंगाल में सत्याग्रहियों के साथ अपराधिया जसा व्यवहार किया गया और मिलीगुडी अलीपुर मिर्जापुर और बाकुरा में उन्हें अपराधियों के साथ रखा गया।

राजस्थान की खासियत थी मन्थ पिटाई के साथ-साथ राजनीतिक नार बन्दिया को बिजला के झटके मना।

प्रमोदान की सत्याग्रह हरियाणा महान् परपीठन के मामले में मन्थ आगे निकल गया। गिरफ्तार सत्याग्रहियों को उनके जत उनके सिरों पर रखकर बाजारा में घुमाया जाता था। उन्हें डंडों से पीटा जाता था। ठोकर मारा जाती था और अपमानित किया जाता था। एक स्थानीय स्वतंत्र शिक्षक जयप्रकाश का मामला इनमें विशेष है। उसे मन्थ के ताना में रात भर खन में नगा खड़ा रखा गया और साथ ही बाल्टिया भर भरकर पानी उस पर डाला गया। पूरी रात उस सो नहीं सिया गया। बाद में उस रस्मिया में बाधा गया और मुंह काला करके एक गाइडिंग रिबना पर बिठाकर नगर भर में घुमाया गया। पुलिसवान उसे पालन और उमर ऊपर सूखने उमरें साथ खन। करतान में तान गिरफ्तार सत्याग्रहियों का पट्टन लगा करके पाटा गया और फिर उन्हें बिठा लिया गया और तीन मिनटों में उनके शरीरों पर उछने शुरू।

उत्तर प्रदेश भी क्रूरता में पीछे नहीं रहा यद्यपि उसने बहुत थोड़ी मोचकता

प्रशिक्षित की। यहाँ अधिकतर पिटाई ही की गई। एक मामले में एक सत्याग्रही की उंगलियों को एक तख्त के पीछे रखकर कुचल लिया गया।

भारतीय पुलिस के तीसरे दर्जे के तरीके पुराने और उजड़ते हैं और ये मुगल के समय से उन्हें विरासत में मिले हैं। भारतीय पुलिस लगता है यंत्रणा के ढाँचे में आधुनिक तकनीकी तरीके और कड़ी से सूचनाएँ निवालने के परिष्कृत उपायों से पूरी तरह अनजान है। स्पष्ट है कि इस कला से अमरीका यूरोप और सोवियत रूस में जो नये सुधार किए गए हैं उनका बारे में इन्होंने सुना तक नहीं है। इनका आदर्श शायद युगांडा का ईंदी अमीन है।

आपातस्थिति के दौरान सरकार की किसी कामवाही ने कानून के शासन और सभ्य आचरण के स्थापित मापदण्डों को उतना जबरन नहीं किया जितना कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के नागरिक अधिकार के स्थगन ने किया। इसने पुलिस को पूरी छूट दे दी कि वे राजनीतिक आधार पर गिरफ्तार लोगों को जितनी देर उनकी मर्क की अवस्था परपीडन वृत्ति की तुष्टि के लिए आवश्यक हो हवालात में रखें। गिरफ्तार लोगों के प्रति पुलिस के दुराचार की अदालत द्वारा जांच से इस तरह पुलिस मुक्त हो गई।

इस प्रतिष्ठित सूची में दिल्ली ने चालीस स्त्रियाँ सहित 2409 व्यक्ति जोड़े। इनमें से तीन प्राकृतिक कारणों से जल में मर गए। भारतीय जेलों की जसी हालत है उसे देखते हुए तिहाड़ के वासियों को कोई गम्भीर शिकायत नहीं रही। खाना अधिक अच्छा लिया जा सकता था लेकिन पुराना जेल नियम इसी की इजाजत देता था। पहले 5 महीनों में हालत काफी खराब रही लेकिन बाद में उसमें सुधार हो गया।

महिला राजनीतिक बन्धियों को प्रमुखतः पिचपिच के कारण कष्ट उठाने पड़े। जेल में स्त्रियों का केवल एक बाड़ है और बेश्याओं तथा अपराधिनियों समेत सब प्रकार की स्त्रियाँ उसी में रखी जाती हैं। खालियर की राजमाता विजयराज और जयपुर की राजमाता गायत्री देवी को भी उसी बाड़ में रखा गया था यद्यपि उन्हें केबिन द लिए गए थे और अपना खाना स्वयं पकाने की अनुमति भी उन्हें थी।

इस द्वितीय स्वतंत्रता संधि में एक और उत्साहवर्धक दृश्य उपस्थित किया। आपातस्थिति में जो दमघोट अवस्थाएँ पना की उनसे विन्यपकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपहरण से रुष्ट होकर लखन नाटककार और कवि अपने एकान्त कोने से निकल पड़े और उन्होंने घणित आपातस्थिति के विरुद्ध आवाज उठाई।

इसका शान्तिपूर्ण उन्मूलन महाराष्ट्र से मिला है। प्रसिद्ध मराठी लखिका 68 वर्षीया कुमारी दुर्गा भागवत दो वर्ष पहले तक राजनीति में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी और अपने समाजवैज्ञानिक शोध एवं साहित्य में गहरी डूबी थी।

योग पर छा रही भय का मानसिकता में और आपातस्थिति द्वारा देश में

पना की गई कब्रगाह की शांति न कुमारी भागवत को बुरी तरह शकौड डाला। अभिप्रेत की स्वतंत्रता पर लगी राक न तो जैस उनका सास ही रूध दिया हो। उहाने अपने मित्रो के बीच घोषणा की, अपनी आमा को रूध दन की अपेक्षा में मर जाना अधिक पमद करूगी।' अपने हाठों पर ऐसे ज्वालापूण शब्द लिए उहाने उन असह्य स्थितिषा के विरुद्ध एक अकेली स्त्री का युद्ध छेड़ लिया।

सितम्बर 1976 म मराठी साहित्य सम्मेलन ने कुमारी भागवत को एक बप क लिए अपना अध्यक्ष चुना। महाराष्ट्र म यह सम्मान बडा ही काम्य माना जाता है। अधिवेशन यशवतराव चह्लाण क नगर बराड म हाना तय हुआ था और स्वय यशवतराव स्वागत समिति के अध्यक्ष थ।

सम्मेलन का अधिवेशन जुलाई मे हुआ। लगभग 10 हजार यक्ति इस त्रिदिवसीय समारोह म शामिल हुए। दुर्गा ने अपने उद्गार प्रकट करने के लिए यही अवसर चुना। उहाने बिना किसी भय या सकोच के आपातस्थिति और देश पर सगे संसर की निन्दा की। उहान यहा तक योजना बनाई कि विनोपकर आपात स्थिति की एव सामायत सरकारी नीतिया की निन्दा करते हुए एक अध्यक्षीय प्रस्ताव पेश किया जाए। उह इस पेशकश स मनाकर रोका गया जिमसे मेजवान श्री चह्लाण परशानी से बच सकें।

इस पर उहोने एक चाल का सहारा लिया। उहाने अध्यक्ष की ओर स एक प्रस्ताव पेश किया जिसम बम्बई म उस समय गम्भीर रूप स बीमार पडे महान देशभक्त श्री जयप्रकाश नारायण की शीघ्र रोगमुक्ति के लिए ईश्वर स प्राथना की गई थी और यह सुधाव लिया गया था कि उनके स्वास्थ्य की कामना क लिए थोता दो मिनट तक खडे हाकर प्राथना करें।

श्री यशवतराव चह्लाण समेत सभी श्रोता प्रस्ताव स प्रेरित हाकर खडे हो गए। कुमारी भागवत अपनी बात कह गई था। बात म श्री चह्लाण न अपनी स्थिति को स्पष्ट किया। उहोने कहा कि उनके विश्वास के अनुमार आपात स्थिति आवश्यक है और कुछ भी हा इन्दिरा गांधी उनकी नेता है और वे उनकी नीतिया को स्वीकार करत हैं।

अब पूरी तरह उत्तजित दुर्गा सिफ एक साहित्यकार या शोध विदुषी नहीं रह गई थी। आपातस्थिति क विरुद्ध और उसक नाम पर की गई नृशसताओ के विरुद्ध व एक धमयाडा बन गई थी। जहा भा व जाती और बोलन क लिए उहें बुनाया जाता व घोषणा करता साहित्यकार दुर्गा को भूल जाओ। वह मर चुकी है। मैं तो अब नागरिक स्वतंत्रता का लोन्पा जाना दखन के लिए ही सिन्दा ह।

अगस्त सितम्बर 1976 म कुछ घटनाए घटीं जि हान कुमारी भागवत और महाराष्ट्र सरकार क बीच मामला बतूत तनावपूण कर लिया। अब तक सरकार



उह छून तक स हिचकिचा रही थी क्योंकि महाराष्ट्र के लोग उह भारी सम्मान और प्रशंसा प्रदान करते हैं।

अगस्त में तेनफिस्टन कानिज के छात्रा न सम्बद्ध में अपने कानिज के एक समारोह में उह निमंत्रित किया। उहोंने छात्र मण्डल-कर्त्ताओं में पहले ही साफ बहसिया कि उन भाषण का उनका विषय घणित आपातस्थिति ही रहता है। उहोंने उह सदाह ली कि इस निमन्त्रण के बारे में वे अपने प्रधानाचार्य से अनुमति लें। मण्डल कर्त्ताओं ने कुमारी भागवत का चुनाव की अनुमति प्रधानाचार्य से ली लेकिन जा भागवत जी ने उनसे कहा था वह ज्यादा ज्यादा उहोंने प्रधानाचार्य का कहा बताया। सामान्य रूप में अनुमति दे ली गई।

कुमारी भागवत समारोह में आगे और वे जापानस्थिति में किए गए अपमानों और अपनी ही जनता के विरुद्ध सरकार द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों के बारे में बोली। अधिकारियों ने घोषणा की कि यह भाषण सरकार के विरुद्ध छात्रा को मनवाने की कायदाही से तनिक भी कम नहीं है।

दूसरा अवसर सम्बद्ध में जयम संकित में मण्डल उत्सव पर आयोजित एक समारोह था। इस उत्सव की नाकमाय तिनक त एक मण्डल अभिहितपूण राष्ट्रीय उत्सव बना लिया गया। यथा हुआ जा त एक सामरिक भाषण किया और खुद रूप में लोगों को प्रेरित किया कि वे अपने क सामने लड़ें और सविधान से जा अधिकार उह लिए हैं उनक लिए लड़ें। आमतौर से दुर्गा जी बहुत उत्तम बहना नहीं है लेकिन इस अवसर पर उनका भाषण भावना और उत्तजना में ऐसा भरा हुआ था कि श्रुता उसमें प्रह गए। सरकार की निन्दा करत हुए लोगों ने नारे लगाए और गरज करके गाओ मुन्दावा।

यह चरम सीमा थी। राज्य सरकार को अब कुछ न कुछ करना ही था। जयन ही दिन उह गिरफ्तार कर लिया गया।

आम जनता में जनता पार्टी का विजय के उह उम समय तक छोड़ दी गई दुगा भागवत को महात्मा गांधी की समर्पित पर हुए शपथ-समारोह में भाग लेने के लिए निन्दा बुलाया गया था। लंबा दूरी से चलकर वे दिल्ली जाई। जब वे नई दिल्ली स्टेशन पर उतरीं तो उहोंने देखा कि उह जनक लिए कोई भी नहीं आया है। दिल्ली में वे जनता पार्टी की ओर कहा जाना है यह भी नहीं जानती थी। मौभाग्य से एक महाराष्ट्री सज्जन प्लेफाम पर थे जिन्होंने उह पहचान लिया और अपने घर चलने के लिए निमंत्रित किया। राजधानी के महत्त्वपूर्ण समारोह में दुर्गा जी ने भाग लिया।

एक जयम मण्डल नरक को भी उहोंने आपातस्थिति के और कायदा सरकार के कुशासन के विरुद्ध लड़ाई लड़ा थी सम्बद्ध में चुनावों में मिली विजय का मनाने के लिए किए गए समारोह में निमंत्रित किया गया था। लेकिन

उन्होंने जाने से इकार कर दिया था। उनका कहना था कि व राजनीति नहीं है। न कभी रहे हैं और न कभी रहेंगे। वे इस पाप स लड़ने के लिए अपने घर से बाहर बंकी तौर पर ही निकले थे। अब क्योंकि दानव मारा जा चुका है इसलिए उनके विचार स उनका काम खत्म हो चुका है और अब वे अपनी मज पर वापिस लौट रहे हैं। ये थे मराठी के प्रसिद्ध नाटककार एव व्यंग्यकार श्री पी० एल० देशपांडे जिन्होंने चुनावो क दौरान बम्बई एव पूना मे जनता उम्मीदवारो के पक्ष म प्रचार किया और अपने परिहास एव वक्त्रता से श्रोताओ का मनोरजन किया तथा जनता पार्टी के उम्मीदवारो के लिए लाखा मत प्राप्त किए।

एक अय साहित्यिक सभासी, जिहे राजनीति म कोई रचि नहीं थी और जिहोंने स्वय को अपने साहित्यिक काय तक सीमित कर रखा था बिहार के श्री पणीश्वरनाथ रेणु थे। ये राज्य सरकार के कुशासन जकुशलता एव भ्रष्टाचार के विरोध मे श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा 1974 मे राज्य म आरम्भ किए गए आन्दोलन म बूद पडे थे। श्री जयप्रकाश के नेतृत्व म निकाल गए ऐतिहासिक विराट जुलूम मे य भी शामिल थे और इहोंने लाठियो का और अशु गैस का सामना किया था और जेल गए थे।

मैला आचल, तीसरी बसम और अनेक महान उपयासों के प्रसिद्ध लेखक रेणु उस समय रोग ग्रस्त थे। उन्हें कई बीमारिया यो जोर पट म कँसर का फोडा उनम से एक था। लेकिन वे इतने अधिक उद्विग्नित हा उठे थे कि उहोन अपनी एकांत साधना छोडकर बाहर आन और श्री जयप्रकाश द्वारा घोषित महान सङ्घ के लिए लड़ने का फैसला किया। कौन जानता है कि जल निवाम और राजनीति क मरण के बीच जो खतरे उह उठाने पडे उन्ही क कारण 56 वष की आयु म अप्रैल 1977 म उनकी अकाल मृत्यु हुई।

आपातस्थिति और सरकारी दमन के विरोध म रेणु न केंद्रीय सरकार द्वारा लिए गए पदम श्री का लौटा लिया था और बिहार सरकार द्वारा दी जाने वाली 250 घ० मासिक की पेंशन को नेने से इन्वार कर लिया था।

एक लम्बी अघेरी रात म भारत क आकाश म अनका अय नभल ऐसे निश्चय ही चमके होंगे जिहें इस अध्याय म स्थान मिलना चाहिए। लेकिन इस पुस्तक को तैयार करने के लिए इतना कम समय मिला है कि इस विशाल दश म उन सब नगदा को दूड निवारने का काम और उनके बारे म लिखने का काम नगभग असम्भव है।

पूरे दश म कुल मिलाकर 150000 लोग जेनों म ठूम गए। इनम 40000 नडरबंदी य (जिह बिना किसी बिगप आराप क पबड लिया गया था)। 17 व सरयाग्रही य जिहूनि हरय को गिरफ्तार कराया था। 000 अकाली भी इनम शामिल है।

## शुक्ल की दादागीरी

योजना मन्त्रालय में श्री विद्याचरण शुक्ल का काम एवढम उल्लेखनीय नहीं था। अच्छा होता वे सुरक्षा उत्पादन मन्त्रालय में ही बने रहते जहाँ उनके उच्चमी पत्रिका का अधिक सम्भावनाएँ मिलती। उन्हें अपना सही काम सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में मिला जहाँ आपातस्थिति की घोषणा होते ही श्रीमती गांधी ने उन्हें श्री कृष्ण गुजराल के स्थान पर भेज दिया था। यह उनके दिवस का काम था। यहाँ नामवरी काफी थी और फिल्म स्टारों विनोदकर नायिकाओं का चहचहाता सम्पर्क था। आपत्कालीन स्थितियों के आते ही जन सम्पर्क के साधनों पर नियंत्रण सबसे अधिक जरूरी हो उठा था और जैसे ही उन्होंने रीट रहित पत्रकार उद्योग और फिल्मी दुनिया के कमजोर व्यक्तित्वों पर अपना वजन डालना शुरू किया उन्होंने देखा कि कितने वस्तुतः बन ही इसी काम के लिए थे।

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में शुक्ल ने किसी को जरा सिर तक नहीं उठाना दिया। 28 जून शनिवार को दोपहरी के समय उन्होंने कायभार सभाला और प्रस सूचना ब्यूरो के प्रमुख सूचनाधिकारी डा० ए० आर० बाजी को बजे क लगभग दिल्ली के बड़े समाचार पत्रों के सम्पादकों को उसी दिन चार बजे नये मंत्री के साथ बैठक की सूचना दे रहे थे।

यह बैठक एकत्र सम्पादकों को सत्र याद रहगी। इस नई बैठक ने बताया कि आगे सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की नई कार्यप्रणति क्या रहेगी। जिन्होंने कम बैठक में भाग लिया उनमें थे— इंडियन एक्सप्रेस के श्री एस० मुलगावकर हिंदुस्तान टाइम्स के श्री जाज वर्गीज टाइम्स आफ इंडिया के श्री गिरिलाल जन स्टेटसमैन के श्री सुरिन्दर निहालसिंह तथा पटियट के श्री विश्वनाथ। नेशनल हेरल्ड के श्री एम० चलपति राव उसमें नहीं थे।

तीन दिन के अघरे के बाद समाचार पत्रों को बिजली अभी-अभी ही दी गई थी। मॉरर ने पूरा नियंत्रण लागू कर दिया था और तीन दिनों तक न छपने के बाद अखबार फिर से निकले थे। लेकिन सभी के हाथ पर कट चुके थे और वे क्षत विवृत थे। कुछ ने सम्पादकीय कानमों को खाली छोड़ दिया था कुछ ने ससर द्वारा काटे गए हिस्सों पर बिपिदा बिपकाकर खबरों का छापा था। सम्पादकों ने टगार की कविताओं को फिर से याद किया था। पार्नशिपल एक्सप्रेस ने सम्पादकीय कालम में टगार की इस प्रसिद्ध कविता को प्रकाशित किया था

जहा मन भयरहित हो,  
 और सिर ऊधा उठा रहे,  
 जहा नान उमुक्त हा,  
 जहा ससार को सकरी घरेनू दीवारों से  
 खण्डो म तोडा न गया हा,  
 जहा शत्रु सत्य का गहनता म स निकलते हो,  
 जहा अनयक प्रयास पूणता की ओर  
 अपनी बाह फनाता हो,  
 जहा विबक की साफ धारा  
 रू स्वभाव की नीरस रेगिस्तानी रती म  
 अपना रास्ता छो न बैठी हो,  
 जहा तुम सतत विस्तत हाते  
 विचार और कम म मन का नतत्व करते हो,  
 ह पिता ! स्वतंत्रता के इस स्वर्ग म  
 मेरा यह दश जागे ।

मनस्त्राम' क थी निखिल चक्रवर्ती ने अपन सम्पादकीय लेख के स्यात पर टगोर की एक अन्य कविता को आज क लिए टैगोर शीपक देकर छापा

मरी मातभूमि भय स मुक्ति हा वह स्वतंत्रता है जिसकी माग में तुम्हारे लिए करता हू—भय जो ऐसा छाया दैत्य है जिस तुम्हारे अपने अक्षरूप सपनों ने रूप लिया है ।

मुगा क बाझ स मुक्ति—बीस जो तुम्हारे सिर को झुकाए हुए है तुम्हारी कमर को साड रहा है और भविष्य की पुकार के प्रति तुम्हारी आया को अधा किए हुए है ।

गहग नीरु को जजोरों स मुक्ति—नीरु जिगम तुमन रात की म्त्पता मे स्वय को जवड रया है और सत्य क साहसिक पय का सकेत करन वा न नगत्र का अविश्वास तुम कर रही हो ।

नियति की अराजकता स मुक्ति—नियति, जिसके कमजोर बानवान अधो, अनिश्चित हवाआ की मुन्ठी म है ओर जिसकी पतवार मृत्यु जस रुक ओर टडे हाय म है ।

पुतनियो क गमार म रहन न अपमान स मुक्ति—उस समाज म जहा यतिविधि मस्तिष्क रहित ताग म मर्षाविग को जाना है विवकशून्य स्वभाव म सब गेहुराया जाना है, जहा पुतनिया मर्षिक नकनचा जीवन म उतरन क लिए मेन मराचक की आया की धय-नूवक प्रताशा करती है ।

अपने दफ्तर में जब मंत्री महीदय संपादकों के सामने बोल रहे थे तो वातावरण के तनाव का साफ महसूस किया जा सकता था। सम्पादकों ने पाया कि यह शुक्ल अतीत में उनका जान पहचाने शुक्ल से भिन्न था और पहले जैसा मिलनसार और मित्रतापूर्ण नहीं था। यह एकदम एक दूसरा अवतार था। यह डाक्टर जकिल नहीं, अब मि० हाइड था और एकदम ठंडा गम्भीर और निरंकुश था। क्या वह अभिनय कर रहा था ?

एकदम आरम्भ में ही शुक्ल ने साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि सरकार सम्पादकों के काम से खुश नहीं है और उन्हें अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जो हाँ चुका है (अर्थात् आपातस्थिति का लागू किया जाना) उसके बारे में उनके निजी मत हाँ सकते हैं लेकिन सरकार को कायवाही करनी है आपातस्थिति को लागू करना है और उसके लक्ष्य का पूरा करना है। उन्होंने सम्पादकों को कठोर चेतावनी दी कि आग से खाली स्थान नहीं छोड़े जायेंगे और टगोर से हो या नेहरू से कोई उद्धरण नहीं दिए जायेंगे। उनका कहना था कि आज के सदन में ये उद्धरण अप्रासंगिक हैं।

श्री मुलगावकर उनमें एक थे, जिन्होंने पूर्ण सेंसर के विरोध में सम्पादकीय कालम को खाली छोड़ दिया था। उन्होंने अपनी बात को मगत सिद्ध करना चाहा। शुक्ल ने यह कहकर उन्हें चुप करा दिया कि उन्हें ऐसा नहीं करने दिया जाएगा।

श्री जाज वर्गाज ने उन तान्त्रिकों का जिक्र किया जब विजली कट गई थी और अखबार नहीं निकल सके थे। शुक्ल ने इस बात से इकार नहीं किया कि विजली सरकार के त्शारे पर काटी गई थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरीके का सहारा सरकार को इसलिए लेना पड़ा क्योंकि उनका सेंसर का प्रवध अभी पूरा नहीं हुआ था और सरकार ने महसूस किया था कि जब तक प्रवध पूरे नहीं हो जायें अखबारों का बंद कर देना ही उत्तम रहेगा।

एक सम्पादक बोल उठे ऐसी तानाशाही को स्वीकार करना उनमें लिए असम्भव है। तब ठीक है मंत्रीजी ने उत्तर दिया हम देखेंगे कि आपका अखबार संकट बरता जाए।

मंत्रीजी के बक्तव्य ने एकत्र सम्पादकों को संतुष्ट कर दिया। तब श्री गिरिलाल ने बहस करनी चाही। उन्होंने कहा कि एम प्रतिप्रधता अग्रजी शासन में भी नहीं लगाए गए थे। शुक्ल ने बीच में ही उन्हें काट दिया यह अग्रजी शासन नहीं है। यह राष्ट्रीय आपातस्थिति है।

इसके साथ ही सवाल भगना गया और बत्क में एक स्तंभ खामोशी छा गई। बत्क वर्तमान हाँ गई और सम्पादकों के लिए और उद्धलित दीख पड़ने लग। सूचना और प्रसारण मंत्रालय में शुक्ल एक परकाष्ठावानी सिद्ध हुए।

उन्होंने तत्काल अपनी शक्तियाँ को दस बात में लगाया कि देश के विविध जनसम्पर्क माध्यमों को सरकार व ओर दल के प्रचार के एकात्मिक मशिनैट शक्तिशाली यंत्र के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने वनमाने चार समाचार एजेंसियों को उनके मंत्रालय द्वारा निर्देशित एक अकेली इकाई में एकरूप कर देने का विचार उठाया। आनाशवाणी और दूरदर्शन सरकार व कालाहलपूण प्रचारयंत्र बन गए। इन दोनों ने व्यक्ति पूजा के प्रचार का उपनम तक किया जो 'फ्यूहरर' की पूजा का प्रचार करने वाले नाजी जर्मनी के गायबल रेडियो की क्षोभकर याद दिलाता है।

इसी लक्ष्य के लिए उ होना समाचार पत्रों विशेषकर विशाल महानगरीय अखबारों का भी अपनी इच्छा के अनुरूप एक स्वरूप में ढालने की कोशिश की जिससे कि सभी जन-सम्पर्क माध्यम मंत्रालय के मंचालन में एक आर्बोस्ट्रा की तरह काम कर सकें। जिन पत्रों ने झुकने में इकार किया उ-ह सरकारी विज्ञापन न देकर दण्डित किया गया। ऐसे दण्डित अखबार लगभग सौ थे।

अखबारों की बाह मरोड़ने का काम पूरे जोश से शुरू कर दिया गया। आमतौर से मालिक अथवा मुख्य व्यवस्थापक की बाह ही मरोड़ी जाती थी सम्पादक की नहीं क्योंकि उसका बहुत त्वरित परिणाम निकलता था। सरकार की नज़रों में सम्पादक की कोई गिनती नही थी।

हिंदुस्तान टाइम्स के मामले में कोई परेशानी नहीं थी क्योंकि इसके मालिक श्री० क० क० बिरला हर तरह तैयार थे। आपातस्थिति के पहले ही जिन हिंदुस्तान टाइम्स के सूचना पट्ट पर यह लिखकर लगाया गया था कि सब कमचारी आपातस्थिति के आदेशों का मन बचन कम से पालन करें। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में समर्थित पत्र का कमचारी यूनियन ने प्रवर्धक के साथ मिलकर यह ध्यान रखा कि आपातस्थिति पूरी तरह लागू की जानी है।

हिंदुस्तान टाइम्स के सम्पादक श्री जाज वर्मा को दुहरे सेंसर के नीचे काम करना पड़ा क्योंकि सरकारी सेंसर के अतिरिक्त पत्र में प्रकाशित खबरों और अभिमतों पर प्रवर्धक ने अपने निजी बधन भी लागू किए थे। जब खबरें फीचर और लेख सम्पोज होना के लिए नीचे जाते थे तो सम्पोजीटर उस सामग्री पर कभी नज़र रखते थे और प्रवर्धक को इशारा कर देते थे। तब प्रवर्धक उस सामग्री का बिना सम्पादक का बताने सीधे सेंसर के पास मजूरी के लिए भेज देते थे।

चटोगर में टिब्यून के टैट न स्तत्रता की कीमत इस रूप में चुकाई कि उनका सरकारी विज्ञापन रोक दिया गया और जय तरीका से उस तग किया गया। उस पर दबाव डाला गया कि वह वनमाने सम्पादक का बतलकर सरकार की दृष्टि

से अधिक अनुकूल अर्थवाई व्यक्ति नियुक्त करे। मद्रास का हिन्दू और श्री तुपारकाति घाप की 'अमृत बाजार पत्रिका' पहन ही सरकारी हफेती को घाट रह भ और व कोई समस्या नहा थ। यही हालत कलकत्ता क 'हिन्दुस्तान स्टैंडर्ड और 'आनन्द बाजार पत्रिका तथा बम्बई क फ्री प्रस जनल की था।

वामपथी पट्टियट को सरकारी और अर्थ विभापना की दृष्टि न सूची न निकाल लिया गया था क्योंकि यह पत्र मजदूर का एक महान नेता बनाने के अभियान न हिस्सा नहा थ रहा था और इसन उस अपन पहन पृष्ठ से दूर ही रखा था। मदरलड को ता टीक आरम्भ न हा मुचल लिया गया था। दिल्ली क हिन्दी और उदू क समाचार पत्रा न मिलाप और तज सरकारी मरक्षण न थे। लकिन 'प्रताप' पूव-सेसर की दो अवधियो और सरकारी एव स्थानीय विभापनों की मनाही के कारण डगमगाना बड़ रहा था।

पजाब के समाचारपत्रों क केन्द्र जालघर से छबर आई थी कि उस मुबह के आरम्भक घण्टो न ही पुलिस न अखबारो के दफतरा पर छापे मारे थ प्रेसो को बन्द कर दिया था और अखबारो की छप चुकी प्रतियो को जम्त कर लिया था। बाहर क स्थाना को भेज जाने के लिए तयार प्रात कालीन गम्बरणी स लदी टविसया को भी राक लिया गया था। एक घण्टे बाद अधिकारियो न अखबारों की जम्त प्रतियो को मुक्त कर दिया और प्रकाशको को अनुमति द दी कि वे आगे छापें और भेजें।

खण्डीगन्ध न पजाब सरकार के एक प्रवक्ता ने यह स्पष्टीकरण लिया कि जालघर के समाचारपत्रा पर इसलिये छापा मारा गया था क्योंकि सरकार को सूचना मिली थी कि पत्र सेनाओ के लिए जारी की गई सरकारी आदेश न मानने से सम्बन्धित श्री जयप्रकाश की अपील को छाप रहे हैं।

इदौर स प्राप्त सूचना न बताया गया कि उस नगर न आधी रात स कुछ ही बाद अखबारो की बिजली काट दी गई थी और मुबह का कोई अखबार प्रकाशित नहीं हो सका था।

स्टेटसमन के श्री सी० आर० ईरानी और एक्सप्रेस के श्री रामनाथ गोपनका न कावू जान से इकार कर लिया था और इसके बाद से 'गुबल की फरेवी चालो और दमनकारी तरीको को इन दानो समाचारपत्रो क विरुद्ध प्ररित कर दिया गया।

'गुबल न पहल यह कोशिश की कि परेशान करने वाले पत्रा क निर्देशक बागों पर सरकारी प्रतिनिधि धोपे जाए। कुछ समय क लिए इण्डियन एक्सप्रेस' बोड में सरकार के अपन प्रतिनिधि रख भी गए। लकिन स्टेटसमन क श्री ईरानी ने इस पेशकश का अन्त तक जमकर विरोध किया। माफिया गुडागीरी की हर चाल आजमाई गई। उहान अपन अधिकारो के लिए अन्तलतो न साहसपूण सघष

क्रिया और सरकार के लहू सन हाथो को अपने से दूर रखा ।

जब समाचार पत्रो का 'टाइम्स आफ इण्डिया' समूह अगस्त म जैनों को वापिस किया गया तो मालिक श्री अशोक जन को गुवन ने बुनाया और सुझाव दिया कि वे अपने नये बोर्ड मे सजय गाधी के प्रतिनिधि को रखें । अब अशोक जन श्रीमती गाधी से मिले और उनस पूछा कि क्या कोई विशेष कदम उठाए जाने हैं ? तो उनका उत्तर था 'जैसा ठीक समयो करो । थोडा रक्बर उहाने सुझाव दिया कि उह सजय से मिल नना चाहिए और इस बारे म बात कर लेनी चाहिए ।

13 जुलाई को हि दुस्तान टाइम्स पर पूव सेसर लागू किया गया । वर्गीज का अनुमान था कि सम्भवत एसा इसलिए किया गया क्योंकि (क) राजनीतिक बदियों को छोडन और आपातस्थिति म ढील देने के बारे म श्री बलराज मधोक का एक पत्र, (ख) आपातस्थिति एव सरकार की आलोचना करत हुए आजाय कृपानी का एक पत्र और (ग) उच्चतम मायालय म श्रीमती गाधी के आवेदन पर सुनवाई के स्वीकृत अभिलेख प्रेस ट्रस्ट के विवरण के स्थान पर निजी सवादाता की रपट हि दुस्तान टाइम्स न छपी थी ।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई की रपट का जहा तक सबध है वर्गीज न मुख्य सेसर अधिकारी हैरी डि पेहा की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी । बाद म पेहा ने अपनी राय बतल दी । लेकिन वर्गीज ने पे हा के परिवर्तित निर्देशों की उपेक्षा कर दी क्योंकि रपट म सिफ काय-पद्धति विषयक बहस थी और कोई तक नही थ ।

कुछ भी हा रन हि दुस्तान टाइम्स पर पूव सेसर लागू करन का बहाना बना लिया गया । श्री वर्गीज ने इस आदेश को चुनौती दी और बताया जाने की माग की कि उहोंने सेसर मबधी नियमो अथवा निर्देशो की किस घारा का तोडा है जिससे पूव सेसर लागू करना पडा है ।

अब तक शुबल ने समाचार पत्रो से बरतने का एक आश्चयजनक तरीका विकसित कर लिया था जिमे उहाने कठोरता के साथ और नतिकता के पूण अभाव के साथ इस्तेमाल किया । इन तरीको का पर्याप्त उचित ढग मे लागू करने के लिए अपने मन्त्रालय म वे एक पुलिस अफसर क० एन० प्रसाद को विशेष अधिकारी बनाकर ले आए । बाद म इस अफसर की असाधारण सवाओ की प्रशंसा म पदोन्नति करके उसे अतिरिक्त सचिव बना दिया गया । पुलिस का आदमी काम कराने का सिफ एक ही प्रभावी तरीका जानता है और वह है तीसरे दर्जे का तरीका एव ताकत और हर मामल म उसने उही तरीका का इस्तमाल किया । उसकी जवान उसक तरीको की तरह ही अक्लड थी ।

दोप शन, मंगल भाषण और दो मुही बात—ये ऐसे जहर थे जिहोने सरकार के वक्तव्यों और आचरणो की विश्वसनीयता को पूरी तरह दूषित कर



ढाला। शत्रु के शत्रु-बोध म लिए अर्थों म विपरीत अर्थ निकाले जाने लग।

उदाहरण क लिए जत्र मूचना मन्त्री न साक्षरभा म इस बात पर प्रसन्नता प्रकट की कि शत्रु की चार समाचार एजसिया अपनी इच्छा स परस्पर मिलकर एक समाचार बन गई हैं तो शत्रुताभा ने जान लिया कि मन्त्री जानते हैं कि व मंत्र जानते हैं कि मन्त्री ने चार समाचार एजसियों क निर्देशका की पीठा पर पिस्तौलें लगाकर यह विलय उनस कराया है और चिह्नित जगह पर उनस हस्ताक्षर करा लिए है।

जब शुक्ल वसम छाकर साक्षर सभा म यह कह रहे थे कि देश म पूर्व-सेंसर अब नहीं रहा है उस समय वम्बई उच्च न्यायालय म सेंसर क विरुद्ध एक आवेदन की सुनवाई चल रही थी जिसम यह आरोप था कि एक समाचार पत्र का इमलिए दंडित किया गया क्योंकि उमने छापने से पहल एतराज किए गए तख को पूर्व सेंसर के सामने पेश नहीं किया था।

ऐस उदाहरण हैं जब किसी समाचार की रपट को अथवा तख को सेंसर द्वारा औपचारिक रूप म स्वीकार कर लिया गया और फिर टेलीफोन पर जबानी आदेश देकर उसे छपने से रोक दिया गया। एक सेंसर द्वारा मजूर एक खबर आगे एक दूसरे सेंसर द्वारा काटी छाटी जाती थी। सेंसर की शक्तिया का दुरुपयोग काफ़रस दल के भीतरी षण्डा स सम्बन्धित खबरों को दबाने म भी किया जाता था यद्यपि इनका राष्ट्र की आंतरिक अथवा बाह्य सुरक्षा म कोई सम्बन्ध नहीं था। मन्त्रियों क यथागत मित्रा की रक्षा म और उनसे सम्बन्धित भद्दी खबरा को दबाने म भी इसका गलत इस्तेमाल किया जाता था।

जब यह दख लिया गया कि दैनिक समाचार पत्र मसर के आदेशा क सामने भीगी बिल्ली बन चुक है तब सरकार न एक दूसरी योजना चलाई जिस 'आत्म-ससर' कहा गया। इस योजना क अंतगत दैनिक समाचार पत्रों क सपादकों से यह आशा की जाती थी कि वे जा छाप रहें उसका सेंसरशिप आदेश के नियमों एक माग निर्देशा क अनुसार स्वयं सेंसर कर। इन माग निर्देशा की कोई कानूनी मायता नहीं थी लकिन दैनिक समाचार पत्रा न इह नञ्जतापूर्वक स्वीकार कर लिया था। सरकार के दष्टिकोण स यह योजना बहुत बन्धिया बन रही थी क्योंकि सरकार अब दावा कर सकती थी कि देश म कोई सेंसर नहीं है और जो प्रतिबन्ध लागू है व सपादकों न स्वयं अपने ऊपर लगाए है।

जब भी कोई अखबार सरकार को जरूरीकर काई खबर अथवा आलोचना छापता ता आत्म-ससर को समाप्त कर दिया जाता और पत्र को फिर पूर्व सेंसर क हवाल कर दिया जाता जिसक अनुसार पत्र क पूरे पृष्ठों का ससर की मजूरी क लिए उसके सामने पेश करना पडता। सेंसर असाधारण रूप म अधिक देर तक पत्र को रोक रखता यहा तक कि उस सस्करण का छपना ही बेकार हो जाता।

प्रेस की स्वतन्त्रता और उन्मुक्तता का सच्चे रूप में मार दन और दफना दन का मुनिचित करन के उद्देश्य से सरकार ने नया जय उपाय भी किए। पहला यह कि कानून को रद्द करके पत्रों की स्वतन्त्रता का मित्र मरक्षक समाचारपत्र परिषद को भंग कर दिया गया। दूसरा उसी दिन आपत्तिजनक सामग्री का प्रकाश पर रोक का घणित अध्यादेश 1975 (जिसका नाम कानून बना दिया गया) लागू कर दिया गया।

सरकार का दावा था कि यह कानून 1951 के आपत्तिजनक प्रेम सामग्री अधिनियम को फिर से लागू किए जाने से अधिक कुछ नहीं था क्योंकि वह अधिनियम 1954 में चुंब गया था। नया कानून में आपत्तिजनक सामग्री की परिभाषा बहुत ही विशद की गई थी। दूसरे 'प्रेस मभी शांति' संवत् अथवा दशय चित्र शामिल थे जो भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति प्रधान मंत्री अथवा सभ की मंत्रि परिषद के किसी संस्य लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यपाल के प्रति अपमानजनक है। इस सूची में प्रधानमंत्री एवं के द्रीय मंत्रियों का शामिल किया जाना विशिष्ट महत्त्व रखता है।

इसके अतिरिक्त 1951 के कानून में जब किसी कायकारी अधिकारी का किसी प्रेम से जमानत मागनी जाती थी और किसी प्रेम का उन्मुक्त करना होता था तो बसा करने से पहन उसे संशय में यायाधीश के सामने आवदन करना पड़ता था। लेकिन वर्तमान कानून में जमानतें मागने और प्रेमों का उन्मुक्त करने का अधिकार कायकारी अफसरों का प्रदान कर दिया गया और त्रस्त पत्रों को अधिकार दिया गया कि पढ़ने वह के द्रीय सरकार से अपील करे और उसके बाद ही उच्च न्यायालय में जाए।

सूचना मंत्री एवं उनकी मानकिन प्रधानमंत्री नेना भारतीय समाचार पत्रों द्वारा जान बूझकर किए गए कृत्यों के एवं गपवता के काल्पनिक पापों के आरोप पत्रों के एकाधिकारी पूजीवाणी प्रतिश्रियावाणी मालिका पर सावाणिक मन्ना से उगात व। पर निजी तौर पर सरकार उ ही एकाधिकारी पूजीवाणिया का पूरा संरक्षण भी नती थी और उनमें दल के लिए माटे चर्चा दकठ करन में उसकी आत्मा कोइ चुभन महसूस नहा करती थी।

सरकारी प्रवक्ता लगातार यह घोषणा करत थे कि एकाधिकारी पूजी के दुष्ट प्रभाव से मुक्त करने एवं सक्रिय पत्रकारों की स्वतन्त्रता एवं उन्मुक्तता उद्देश्य वापिस लाने के उद्देश्य से भारतीय प्रेस को व्यापक बनाने एवं उस 'कडी से अलग करन की उम्मीद मशा है। लेकिन वर्तमान सरकार ने ऐसा करना कभी चाहा नहीं। वह वर्तमान स्थिति से एकत्र प्रसन्न थी। इनके अतिरिक्त समाचार पत्रों के मालिकों का समय समय पर एकाधिकारी पूजीवाणी प्रतिश्रियावाणी कहकर सरकार उद्देश्य मका भी सकती थी और उनसे अधिक जाश के साथ

सरकारी आदेश भी पूरे करा सकती थी। लेकिन उनके मुकाबले सपाक को से सरकारी आदेशों का पालन कराना उतना आसान नहीं था। उनमें कुछ सनकी ऐसे थे जो इस लकर हंगामा खड़ा कर सकते थे।

सच्चाई यह थी कि सम्बन्धित एकाधिकारी पूजीपतियों में से दो ने तो एकदम लीन ही कर रखी थी। इनमें एक थे 'हिन्दुस्तान टाइम्स' के श्री के० के० बिरला जिन्होंने अपने को अपने वित्तीय माधनों को एवं समाचारपत्रों को सरकार की तथा दल की सेवा में पहरा सही समर्पित कर रखा था। दूसरे 'टाइम्स आफ इण्डिया' समूह के मालिक शांतिप्रसाद जन थे। शायद अपनी अनेकों परेशानियों के कारण वे इतने कमजोर थे कि वे सरकार से झगड़ा मौल लेने की मन स्थिति अथवा स्थिति में बिल्कुल नहीं थे। यदि उन्हें उनकी अपनी खाल में छोड़ दिया जाए तो सरकार के लिए कुछ भी करने को वे नैश्वर्य थे। अत्य महानगरीय समाचारपत्र इस श्रेणी में नहीं आते थे यद्यपि दो को छोड़कर सभी आजादारी और अनुकूल थे।

के० एन० प्रसाद के अतिरिक्त जो एक सार्जेंट मेजर की तरह मन्त्रालय को चलाता था वरिष्ठ अधिकारी तक मन्त्री महोदय से खूब नहीं थे। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ शुक्ल की बैठकें कुछ ही मिनटों में समाप्त हो जाती थी। यदि कभी कोई तक या बहस शुरू भी होती तो मन्त्री महोदय के यह कहते ही वह फौरन खरम हा जाती कि 'ये आदेश ऊपर के हैं।' और ऐसा बहुत अक्सर होता था। मन्त्री के अधिकारियों को शिकायत थी कि जब भी वे लोग उनसे मिलते हैं केवल आदेश लेने के लिए ही मिलते हैं और परामर्श देने की कोई गुंजाइश रहती ही नहीं।

एक बार मन्स्ट्रीम के प्रभावशाली सपाक श्री निखिल चक्रवर्ती शुक्ल से सेंसर के उस दुहपयोग के बारे में बहस कर रहे थे जिसके अधीन सेंसर को उन मामलों पर भी लागू कर दिया जाता था जिनका सरकार की नीतियों से अथवा देश की सुरक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं था।

मन्त्री महोदय ने श्री चक्रवर्ती से अनुरोध किया यदि आप चाहें तो सरकार की आलोचना करें यन्त्रि भगवान् के लिए सजय को न छुए। चुनाव में पराजय के बाद शुक्ल ने यह स्वीकार किया कि यद्यपि अब यह एक लच्छर दलील मालूम पड़ेगी पर सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के सामने कोई और चारा नहीं था और वे ऊपर के आदेशों का ही पालन कर रहे थे।

इससे यह पता लगता है कि सजय गांधी जिस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अतिरिक्त सवधानिक सत्ता कहकर निर्गदित किया था समाचार की गतिविधियों का संचालन करने और दिल्ली प्रशासन को चलाने के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय की कायवाहियों का भी निर्देशन कर रहा था।

शुक्ल ने सत्वहीन फिल्म उद्योग के साथ भी यही लुका छिपी का खेल खेला। यह एक तानाशाह का प्रेम घणा का सम्बन्ध था। आकषक फिल्म स्टारा की मर्गति में वे अपनी पूरी रौनक पर होत थे। फिर भी यदि कोई उनकी सनक के बाग सिर झकान में चूक जाता था तो वे उसे मीसा की धमकी दे डालत थे। यदि कोई गायक शुक्ल के सुर में गाने से इकार कर दता था, तो आकाशवाणी एव दूरदर्शन पर उसके रिकार्ड बजान बन्द कर दिए जात थे। यदि कोई अभिनेत्री उनकी मांग को पूरा नहीं करती थी तो कर की चोरी के अपराध में उसके घर पर छापा मारा जाता था। यदि कोई निमाता वाछित मनोरजन प्रदान करने में विफल रहता था, तो उसकी फिल्म सेंसर में अटक जाती थी। अपना मनचाहा कराने के लिए चक्का दना, बरस पडना और आतंकित करना ही शुक्ल का तरीका था।

जब राजधानी में युवक कांग्रेस द्वारा आयोजित संगीत प्रदर्शन में प्रसिद्ध गायक किशोर कुमार आ नहीं पाए तो आकाशवाणी एव दूरदर्शन पर उनके गीता पर रोक लगा दी गई। शुक्ल ने संगीत सम्राज्ञी लता मंगेशकर को, निजी स्तर पर आयोजित समारोह में न गान के अपने सिद्धांत को छोड़ देने के लिए बाध्य किया। उन्होंने यहां तक चाहा कि वे एक युवक नेता के घर पर गायें। लेकिन लता जा न यहां अपनी अंतिम सीमा खींच ली थी।

अपने रुचानों की तरह फिल्म उद्योग में भी शुक्ल ने अपन गुर्गे पाल रखे थे, जो विभिन्न सौदों को तय करने में शुक्ल और उद्योग के बीच मध्यस्थता करते थे।

अखिल भारतीय फिल्म निमाता परिषद के अध्यक्ष श्री जी० पी० सिप्पी शुक्ल के मित्र और अंतरंग थे। वस्तुतः बम्बई के अबिराम दीरो के बीच मन्त्री महान्य के ठहरने और मनमोहाव का प्रबन्ध सिप्पी ही देखते थे।

1975 के मध्य में सिप्पी ने फिल्म शोले की कुछ प्रतियां विदेश भेजने की अनुमति मांगी। यह कहा गया कि उन्होंने पिकेडिली की एक फंम के साथ इंग्लैंड और यूरोप में इस फिल्म के प्रदर्शन का समझौता किया है। फिल्म सेंसर के बोर्ड ने कुछ आपत्तियां उठाई थी क्योंकि फिल्म हिंसा और सेक्स से भरपूर थी। शुक्ल ने अग्रेश दिया कि सेंसर बोर्ड 24 घंटे के भीतर फिल्म को सही घोषित कर दे और इसकी प्रतियां निर्यात करने की अनुमति निर्माता का दे दा-जाए।

साधारण कायपद्धति के दौरान इस काम का निपटाने वाले अधिकारी ने लखन में भारतीय उच्चायुक्त को एक टेलीक्स भेजकर कहा कि प्रतियां आयात करने वाली लंदन की फंम के विषय में जास कर ली जाए। अगले दिन जबकि मिल गया कि पिकेडिली में अपना इन्तण्ड में कहीं भी ऐसी कोई फंम नहीं है। कायकारी अधिकारी ने मन्वधित मयुक्त सचिव को इस बारे में लिखकर भेजा।

सचिव ने अधिकारी की सनकता की तारीफ की और उसकी टिप्पणी को अपन हस्ताक्षर व साथ मंत्री महोदय के पास भेज दिया। अगला सुबह मंत्री ने मयुक्ता सचिव का आदेश दिया कि वह छट्टी पर घना जाए। फाइल को एक लम्बी टिप्पणा के साथ सम्बंधित अधिकारी के पास वापिस भेज दिया गया। मंत्री महोदय ने निश्चय किया कि उन्होंने तथ्या की जांच कर ली है और फिल्म के निर्यात के समर्थित सब से नुस्खे। उन्होंने आवश्यक रकवाट डालने के कारण उन अधिकारियों को डाटा और फिल्म को तत्काल मुक्त कर देने का आदेश दिया।

फिल्म वित्त निगम के अध्यक्ष पट से श्री बी० के० करजिया का इस्तीफा एक रहस्य ही बना रह गया है। शुक्ल ने इन घटना से सम्बंधित खबरों को भी मॉर कर दिया था। तबिन इसका एक स्पष्टीकरण है।

प्रतियोगिता से इनर फिल्मों का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह फिल्म वित्त निगम के तत्वावधान में जनवरी 1976 में बम्बई में हुआ था। श्री करजिया उस उत्सव की प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे और श्री जगतपुरारी मन्त्रालय में उत्सवों के निदेशक थे। 23 दिसम्बर 1975 को मन्त्रालय में अपने दाहिने हाथ सचिव श्री एम० एम० एच० वर्नी को शक ने भजा कि वह फिल्म उद्योग को समारोह में भाग लेने के लिए प्रेरित करे।

उत्सव समिति और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की उस दिन बम्बई में हुई बैठक में वर्नी ने अपने होकर कहा कि वह यहाँ यह कहने के लिए आया है कि फिल्म उद्योग समारोह को अपने हाथ में ले लें। एक चरिष्ठ फिल्म अभिनेता ने कहा कि सचिव शायद यह चाहते हैं कि उद्योग अपना नतिक समय और सहयोग दे और वह देने में हम खुशी ही हांगी। वर्नी ने उत्तर दिया कि नहीं नतिक समय और सहयोग का प्रश्न नहीं है। वे चाहते हैं कि उद्योग इस समारोह का अपने हाथ में ले लें क्योंकि जो लोग इस सभाल रह हैं वे अयोग्य साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि निदेशक महादय फिल्मों अथवा फिल्म उत्सवों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। उसी भ्रम पर वर्नी के साथ ही श्री बी० के० करजिया और जगत पुरारी भी बैठे थे। उन्हें इससे बहुत गहरा सदमा पड़ना। वर्नी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं।

जब बैठक भोजन के लिए विसर्जित हुई तो श्री बी० के० करजिया वर्नी के पास पहुँचे और बाल कि वे बैठक में तमाशा नहीं करना चाहते थे। तबिन सचिव वही जोर उसी समय उनका इस्तीफा स्वीकार कर लें। जगतपुरारी ने भोजन करने से इन्कार कर दिया। विरोध का उन्होंने यही तरीका अपनाया।

शुक्ल और उनके पिठठुआ ने जिन्हें परेशान अधिकारी छोटे शुक्ल के नाम से पुकारते थे, नई दिल्ली में हुए छोटे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में बड़ी हातवाही मचाई। मन्त्रालय और उत्सव निदेशालय ने यह घोषणा की थी कि

मन्त्रियों तक को फिल्म समारोह के टिकट खरीदने पड़ेंगे। कोई भेंटस्वरूप टिकट जारी नहीं किए जाएंगे। लेकिन वास्तविक व्यवहार में कम-से-कम मीमेट रूप टिकट प्रतिनिधि मंत्री शुक्ल के घर वालों और मन्त्रालय के लोगों के लिए जारी किए जाते रहे।

शुक्ल का विचार था कि उत्सव की जूरी की अध्यक्षता करने के लिए सोफिया लारेन को बुलाया जाए। इस सूची में अमेरिकी एलिजाबेथ टेलर एवं ब्रिजिटे बार्डॉट। जूरी की अध्यक्षता के लिए श्री सत्यजित रे को तभी नियुक्त किया गया जब मिस लारेन ने आन से इंकार कर दिया।

उत्सव में समाचार पत्रों को जाति बाह्य करार द दिया गया। लगभग 290 फिल्म दिखाई गई थी। इनमें केवल 40 प्रेस को दिखाई गई। इन 40 में 25 प्रति योगिता वर्ग की थी और सिर्फ 15 सूचना वर्ग की। प्रेस के शो दिसम्बर जनवरी के महीने में मुंबई सान वज के अप्राकृतिक समय पर शुरू हाते थे और दोपहर ग्यारह बजे तक लगातार चलते थे।

शुक्ल और उनके पिछू भारत द्वारा आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय उत्सव के लिए किसी सही भारतीय फिल्म को प्राप्त करने में भी विफल रहे। उन्होंने मृणाल मेन की मृगया के बारे में सोचा था। लेकिन मृणाल ने इसे यूरोप के उत्सव में भेजना अधिक पसंद किया। श्री श्याम बनेगल ने अपनी मधन को भेजना स्वीकार कर लिया था लेकिन मंत्री महोदय बनेगल द्वारा निशांत का शिकागो और लॉस एंजेलिस में भेज जाने पर उससे नाराज हो गए। शुक्ल की इच्छा के विरुद्ध बनेगल ने प्रधानमंत्री के हस्तक्षेप पर निशांत को मुक्त करा लिया। सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय का एक अधिकारी मधन देखने के लिए बम्बई गया लेकिन वह अभी फिल्म देखकर ही उठ आया और इसके बाद बनेगल ने दिल्ली में कोई सूचना प्राप्त नहीं की। शक्ल ने एक बार मोक्षा किशाल को भेज दिया जाए। लेकिन अंत में मन्त्रालय ने बहुत कुछ एक साधारण बम्बईया फिल्म 'मौम' को भारतीय प्रिजेंट के रूप में स्वीकार कर लिया। फिल्म एवं फिल्म कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण का वार्षिक समारोह सूचना एवं प्रसारण मन्त्री के लिए अपनी कृपा बांटने का अवसर हाता है। 1976 के समारोह के लिए शुक्ल ने तय किया कि उत्सव में नये के लिए हेमा मालिनी को बुलाया जाए। जब बताया गया कि उसका कार्यक्रम पहले से ही बम्बई में निश्चित है तो शुक्ल का उत्तर था, 'उसे लाओ। मैं उसे यहां चाहता हूँ। यह आदेश है।'।

मन्त्रालय के लोग जानते थे कि जब शुक्ल किसी जायज अभिनेत्री का आग्रह देता है तो इंकार करना उससे लिए सहज नहीं हाता। हेमा जाइ, लेकिन अपनी शर्तों पर ही आई।

1976 के आरम्भ में हाटनों की ओबराय गृहना में सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने प्रायना की कि विदेशों में अपने होटलों का विस्तार करके भारत में पर्यटन का विकास करने के लिए उचित धन दिया जाए।

अमेरिका की मोशन पिक्चर एक्सचेंज एगोनिगेशन का लगभग 52 करोड़ रुपये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के यहाँ अर्जना पना था। एगोनिगेशन इस बात के लिए राजी हो गई थी कि भारत सरकार को धन का इस्तमाल करने में। एक धुपना का समझौता यह था कि इस धन का उपयोग देश में मनमा के विकास के लिए किया जाए। अब ओबराय चाहते थे कि विदेशों में उनके होटलों के विकास के लिए यह धन उन्हें दे दिया जाए। सुपन ने एक अधिकारी से कहा कि वह जल्द से जल्द इससे संबंधित एक प्रस्ताव तैयार करे।

अधिकारी ने गाचा कि यह एक बड़ा धनराशि का मामला है। इसलिए उसने अधिक मामला के मंत्रालय और पर्यटन विभाग दोनों को लिखकर पूछा कि क्या ओबराय ने यह जारे में उनका भी प्रायना की है? दोनों ने नहीं म जवाब दिया। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी के सुझाव पर अधिक मामलों के मंत्रालय ने एक बैठक बुलाई जिसमें पर्यटन विभाग के और ओबराय के प्रतिनिधि भी आए। जब शकन को इस बात का पता लगा तो उन्होंने अपना मुह बहुत खोलने के लिए उस अधिकारी को डाँटा और उस आश दिया कि यह अधिक मामला के मंत्रालय को लिखे कि यह धन आबराय को देने में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का कोई एतराज नहीं है।

ऐसा पत्र विधिवत चना गया। अधिक मंत्रालय के दौरान अधिकारियों ने एक दूसरी बैठक बुलाई जिसमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी ने पूछा गया कि उस मंत्रालय ने अतानक विचार परिकल्पना क्या किया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मंत्रालय ने इस धन के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में पहलु विचार नहीं किया था। अब क्याकि एका एक प्रस्ताव आया है इसलिए फिल्म वित्त निगम इम्पन और वरुचा की फिल्म गागापरी का कुछ धन खर खकी वकी राशि को प्रा की का के दिन की बात पर मंत्रालय विचार करेगा। यह वकी हुई राशि लगभग 15 करोड़ रुपये बनी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी को घाट में पता चना कि विदेशों में अपने होटलों पर आबराय ने कुछ रुपये पहलु विशय बक खारा लिए गए ऋण का काफी अधिक खच किया था। रिजर्व बक खत्र पूछ रहा था कि उनका होटलों पर खच किया गया बक अतिरिक्त धन विदेशी मुद्रा में उचित पाम कहा में आया।

यह अतिरिक्त धन लगभग पांच करोड़ रुपये था। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी का अनुमान था कि मंत्रालय में जो धन आबराय चाह रहे है उसका इस्तमाल के रिजर्व बक का स मुद्रा करने के लिए करेगे। इस प्रकार

उसका अंदाजा था कि इस घन में किसी भी कटौती का ओबराय विरोध करेंगे। लेकिन वह गलत निकला। ओबराय दिए गए 35 करोड़ पर राजी हो गए और इससे भी आश्चर्यजनक बात यह कि आर्थिक मामला के मंत्रालय ने चुपचाप इस लानेन को मजूरी दे दी। यह घटना मार्च 1977 के आस पास घटी थी।

कलकत्ता के मेट्रो सिनेमा समूह का सरकार द्वारा लिया जाना शुक्ल के शासक होने और घोर जमान के तरीके का एक उदाहरण है। एक सुबह शुक्ल ने सूचना एक प्रसारण मंत्रालय के एक अफसर को बुलाया और आदेश दिया कि बम्बई एक कलकत्ता के मेट्रो सिनेमा समूह को सरकारी नियंत्रण में ल लिया जाए। जब हैरान अधिकारी ने पूछा कि कैसे तब शुक्ल ने कहा 'मैं न मामला का अध्ययन कर लिया है। इन समूहों में तस्कर घुसे हुए हैं और बमचारियों को नियमित वतन नहीं दिया जाता। इस प्रकार हमारे पास एक मजबूत कारण है।

अधिकारी ने यह जानना चाहा कि इस विशाल सम्पत्ति का किन नियमों के अधीन बच्चे में लिया जाए। शुक्ल ने उत्तर दिया 'नियमों के बारे में भूल जाओ। इस काम को करने के लिए सभी प्रकार की पुलिस सहायता तुम्हें मिलेगी। मंत्री ने समझाया कि प्रतिकूल प्रचार का भी डर नहीं है क्योंकि प्रेस कठोर से सरक अधीन है। कुछ दिन बाद शुक्ल ने उस अधिकारी का फिर बुलाया और कहा कि उन्होंने महाराष्ट्र एक पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्रियों से बोल दिया है और उसे कलकत्ता जाकर वहां के मेट्रो सिनेमा समूह पर अब कब्जा कर लेना चाहिए।

अधिकारी अब भी चिंता में था। सूचना एक प्रसारण मंत्रालय इन व्यापारिक सिनेमाघरों को लेकर क्या करेगा? फिल्म प्रदर्शित करना अथवा वितरित करना तो मंत्रालय का काम नहीं है। वह इन सिनेमाघरों का काम चलायेगा? मंत्री महोदय ने उससे कहा कि वह विधि मंत्रालय से सलाह ले। विधि मंत्रालय उस अधिकारी से सहमत निकला। फिल्मों का प्रदर्शन अथवा वितरण केंद्रीय सरकार के कार्यों में एक नहीं है। लेकिन यदि आपका मंत्री इन कार्यों को करने के इच्छुक है तो वे सविधान में समाधान करा सकते हैं।' विधि मंत्रालय के अधिकारी ने 'यगपूवक' कहा।

सूचना एक प्रसारण मंत्रालय के अधिकारी ने जाकर शुक्ल से बताया। मंत्री महोदय ने यह मुखाव मुना और बोल 'तब तो कोई समस्या ही नहीं है। हम सविधान में समाधान करा लेंगे।'

उस अधिकारी की चतुराई को ध्यान में रखकर कि उसने सविधान को धका लिया। उसने मुखाव दिया कि मेट्रो समूह को वित्त निगम के नाम में लिया जा सकता है। लेकिन प्रश्न था कस?

फरवरी के आरम्भ में उस अधिकारी का यह स्पष्ट परमान लेकर कलकत्ता



## सेंसर पागल हो उठा

जनता पार्टी ने आपातकाल के दौरान सेंसर के काम का जो अध्ययन और विश्लेषण किया है उससे पता लगता है कि, ससर आदेश को आरोपित न करने के निषेध से पहले के 18 महीनों के बीच सेंसर में ढील देना तो बहुत दूर की बात है समय के बीतने के साथ साथ उसे अधिकाधिक व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा। पूर्व सेंसर और कुछ मजदूरों के प्रकाशन पर पूरा प्रतिबंध का द्वितीय एवं राज्य सरकारों ने ऐसे प्रयोजनों के लिए भी लगाया था जिनका मागनिर्देश अथवा सेंसर की निर्धारित संहिता से कोई भी संबंध नहीं था।

सेंसर लगभग प्रतिदिन टेलीफोन पर पूर्व सेंसर के जबानी आदेश देता था। आदेश भंग करने पर दंड दिया जाता था। अदालती कायवाहियों एवं फसलों को दबाने अथवा उन्हें मुनायम करने के लिए ससद की कायवाहियों को पूरी तरह छुपाने के लिए और प्रमुख मुद्दों पर विरोधी पक्ष के दृष्टिकोण को जानने से जनता को रोकने के लिए पूर्व सेंसर का इस्तेमाल किया जाता था। मुख्य लक्ष्य यह था कि खबरों पर पूरा नियन्त्रण रखा जाए।

सरकार की विभिन्न उलझनों को ढकन के लिए कुछ चुने हुए व्यक्तियों के पक्ष-पोषण और अर्थों का भंडाफोड़ करने के लिए भी सेंसर का प्रयोग किया जाता था। कभी कभी टिप्पणी और कभी प्रतिकूल टिप्पणी पर प्रतिबंध लगा दिया जाता था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के तबादले पर कोई समाचार अथवा टिप्पणी नहीं दी गई। पांडिचेरी लाइसेंस घोटाने में जालसाजी के आरोपों में फस काग्रसी ससद सदस्य तुलमोहनराम के मामले की कायवाही पूर्व-सेंसर के अधीन रही। अक्सर सावजनिक रुचि की विभिन्न घटनाओं पर केवल समाचार की रपटों जिनका मतलब था सरकारी विवरणों के छापे जाने की ही अनुमति दी गई थी।

जबानी सेंसर आदेशों की सूची में निम्न पर प्रतिबंध शामिल थे

दिल्ली में भूमिगत गिराए जाने के बारे में सभी रपटों विवरणों फोटो चित्र तथा शीपको पर

अगली सूचना तक बोनस के बारे में रपटों, टिप्पणियों, लेखा अथवा सम्पादकीय लेखों पर

बोनस को लेकर की गयी सांक्रतिक हड़तालों पर,

जम्मू और काश्मीर के क्षेत्र के साथ संबंधों को लेकर अफजल बग के भाषणों पर ,

मीसा के नजरबंदा से मिलने पर रोक लगाने के दिल्ली प्रशासन के आदेशों को रद्द करत हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर।

डी० डी० ए० द्वारा जामा मस्जिद व चारा ओर के मकान गिराए जाने की रपटों अथवा चित्रों पर सिवाय उनके जित डी० डी० ए० न जारी किया हो अथवा मजूर किया हो। सम्पात्कीय लक्षों को पहले डी० डी० ए० से मजूर कराना होगा ,

कांग्रेस कार्यसमिति के प्रस्ताव व ममीने के विवरणों पर,

वय पशु बाढ़ की वृत्त में किए गए इस प्रश्न पर कि जमुक महाराजा के भाई को शिकार का नाइसेस क्या दिया गया ,

श्री जयप्रकाश नारायण की बम्बई यात्रा का पूर्व संस्मरण होगा। कोई चित्र इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे,

महत्त्वपूर्ण कि वित्तमन्त्री श्री सी० सुब्रह्मण्यम् ने अपने बजट भाषण के दौरान कुछ त्रुटि के लिए आराम किया प्रेस की रपटों में नहीं लिखा जाना था

संसद का तथा संसदशिव एवं आपत्तिजनक सामग्री के प्रकाशन पर राव सम्बंधी विधेयक को लेकर चल रहे अदालती मामलों से सम्बंधित मसदोम प्रश्नों पर पूरा प्रतिबन्ध

विश्व वित्त निगम स श्री डी० के० करजिया के त्यागपत्र एवं नये अध्यक्ष की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध।

31 मार्च के संसद के एक आदेश में कहा गया था—काका कोला नियात निगम को लेकर किए गए लाक मभा प्रश्न पर समाचार को रपट ही छापी जाणगी। यदि नहीं तो पूर्व संसद।

अप्रैल 1976 के बीच लिया गया एक अथ आदेश इस प्रकार है संसद तुकमान गेट की घटना का सरकारी ब्योरा द रहा है। इस उभार कर नहीं छापा जाना है। प्रस्तावित शोधक के साथ ही इस इन्फोर्मेशन दिया जाना है। किसी और शोधक के लिए पूर्व अनुमति नहीं हागी।

एक और आदेश इस प्रकार है मजदूर गांधी आज अपन सम्मान में लिए गए एक समारोह में स उठकर चल गए। इसकी बाइ रपट अथवा चित्र नहीं छापा जाना है।

एक अथ आदेश कहता है 'लक्ष्मण म दुकान में चोरी के अपराध में अभिनेत्री नर्तक को गिरफ्तारी को खतर नहीं छापी जानी है।'

अथ प्रतिबन्धित मुद्दे इस प्रकार थे

वांग रिश्वत की रपट (22 जून)

बेगम विलायत महल द्वारा नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटना होने की खबर (22 मई),

डालमिया जन एयरवेज के मामले में फगन की खबर

रोहतक में आज (9 जून) बसीनाल के भागण की हर रपट में ग पाकिस्तान के साथ भावी संबंधों अथवा मध्य का कोई भी विक्र निवृत्त किया जाए

14 जुलाई तक उगाडा के ए भेवे हवाई अड्डे पर इतरायनी हमने की कोई खबर टिप्पणी चित्र नहीं छापा जाएगा बिनापकर हमने (8 जुलाई) को सगत ठहराते हुए

एटवे पर हमने को नेकर मुल्गा-गल्प की बहम (10 जुलाई)

एक सेंसर निर्देश (29 जुलाई) को लकर स्टेटमन की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फगन से सम्बन्धित कोई खबर या टिप्पणी नहीं,

आचार्य विनोबा भावे की ओर से राधाकृष्ण बजाज का वक्तव्य जिस समाचार प्रसारित कर रहा है मुर्खी दकर छापा जाना चाहिए (10 अगस्त)

राज्यसभा सभ्य श्री मुन्नह्नप्यम् स्वामी द्वारा आज (10 अगस्त 1976) ससद् में उठाए गए पाइंट आफ आर्डर के बारे में कोई खबर या टिप्पणी नहीं छापी जाएगी न ही उनका बारे में ससद् से सम्बन्धित किसी अन्य रपट का इस्तमाल किया जाएगा

श्री वेवल सिंह से यूयाक टाइम्स के विनियम बोर्डर की भट वार्ता का प्रकाशित नहीं किया जाएगा।

19 दिसम्बर 1976 को जारी किए गए एक अन्य निर्देश में था कांग्रेस के भीतर के तथा युवा कांग्रेस एवं जखिल भारतीय कांग्रेस के बीच के अन्तर्लीय झगड़ों से सम्बन्धित वस्तु-तो टिप्पणियों तथा रपटों को छपने से तत्काल रोक दिया जाएगा। ऐसा बिनापकर पश्चिमी बंगाल उड़ीसा एवं केरल के बारे में किया जाएगा।

एक अन्य आदेश में कहा गया कि 14 दिसम्बर को श्री राजय गांधी का जन्मदिन मनाने के बारे में मुख्यमंत्रियों एवं कांग्रेसी नेताओं का कोई वक्तव्य प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

8 जनवरी 1977 का एक आदेश था नेताओं की बैठकों समेत कांग्रेस के अन्तर्लीय मामलों से सम्बन्धित सभी वस्तु-तो को कृपया पूर्व सेंसर के लिए भजा जाए।

खबरों के ऊपर ऐसे व्यापक पत्र के फने होने के बावजूद वस्तुतः यह चमत्कार ही है कि मुख्य ससर अधिकारी हैरी डि वेन्हा को भारतीय एवं विदेशी सभी पत्रकारों से प्रशस्ति प्राप्त हुई।

जमी कि उम्मीद थी नई दिल्ली में कायरत विदेशी गवाहताओं ने ससर

क नप बठोर नियमा के विरुद्ध विद्रोह किया। एक तो यह कि विदेशी सवादा-  
दानाआ द्वारा विदेशो के अपने कार्यालयों को टेलीफोन द्वारा सवाद भेजने को  
रोकना अथवा उसकी जाच करना बहुत ही कठिन था। फिर कुछ लोग अपने  
समाचार सैंसर \* माध्यम से भेजते थे, लेकिन बाद में टेलीफोन पर छोड़े गए  
हिस्ता का पूरा कर दते थे।

वाशिगटन पोस्ट के लेविस एम० माइमम को 13 जून को देश से निकाल  
दिया गया था। 14 जुलाई को फाइनेंशियल टाइम्स लंदन के केविन रेफर्टी को  
भारत में प्रवेश की इजाजत नहीं दी गई थी। न दन टाइम्स के पीटर हेजलहस्ट  
को और 'लॉन डेली टैरीफ्राफ' के पीटर गिल तथा 'यूजबीक' की कुमारी लोनी  
जेकस को 20 जुलाई को उस समय देश से चले जाने के आदेश दिए गए जब  
उन्होंने सैंसर \* नियमों का पालन करने के वचन-पत्र पर हस्ताक्षर करने से  
इंकार कर दिया।

भारत में विदेशी सवाददाताओं के निष्कासन की इस श्रृंखला और उनके  
विरुद्ध बठोर कायवाही को लेकर अंतर्राष्ट्रीय प्रेस ने काफी शोर मचाया। 21  
जुलाई का विदेशी सवाददाताओं की रपटा पर पूव-सैंसर सरकार न समाप्त कर  
दिया, लेकिन मागनिर्देशा का एक क्रम जारी किया, जिनका पालन न करने पर  
विदेशी सवादाताओं का निष्कासित किया जा सकता था। सी० बी० सी० ने 23  
जुलाई को भारत में अपना समाचार-मग्नह का काय बंद कर दिया और यह  
घोषणा करत हुए कि नये नियम अस्वीकार्य हैं नई दिल्ली के अपने सवाददाता को  
वापस बुला लिया।

25 जुलाई को मागनिर्देशा के स्थान पर सरकार ने एक दस्तावेज जारी  
किया जिसमें अनुसार सवाददाताओं के लिए आवश्यक हा गया कि सैंसर के  
निर्देशों के प्रकाश में अपनी रपटों की पूरी जिम्मेदारी व स्वयं लें और अधिकतर  
विदेशी सवादाताओं ने इस मशोधित दस्तावेज पर दस्तखत कर लिए। फिर भी  
एगोसियेटेड प्रेस के सवाददाता एडवड बोडी को 7 अगस्त को देश से निकाल  
दिया गया और 12 अगस्त का यू० एम० आई० ए० ने यह घोषणा की कि वे  
'वायस आफ अमेरिका' के सवादाता को वापस बुला रहे हैं, क्योंकि वे सरकार  
द्वारा लागू की गई सब शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकत।

पूर के पूरे भारतीय प्रेस तथा व्यक्तिगत सम्पाकों एवं पत्रकारों ने उनके  
प्रति सरकार के इस अत्यायपूर्ण रवये पर क्या प्रतिनिधिया व्यक्त की ?

यह मानना पड़ता है भारतीय पत्र आमतौर से इस अत्याय के विरुद्ध उठ  
छह होने में विफल रहे। एक आधुनिक राज्य में जनता के प्रतिनिधि बनने अथवा  
सूचनाओं के संचरण के माध्यम की एक साधारण भूमिका तक को निभाने में

समाचार-पत्र असफल रहे। स्पष्ट है कि भारतीय समाचार पत्रों के ढांचे में ही ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जो उनके लिए यह असम्भव बना देती है कि वे प्रेस की स्वतंत्रता के लिए मुकाबले पर खड़े हो सकें और आवश्यकता पड़ने पर कष्ट सह सकें और बलिदान ले सकें।

आपातस्थिति के उन्नीस महीने के बीच के दृश्य का देखकर एक तथ्य स्वयं प्रकट है जब किसी पत्र के मालिक का एकमात्र व्यवसाय अखबार चलाना हो तथा कोई अन्य वाणिज्यिक हित समझौता करने के लिए उस विवश न करता हो तभी अखबार का मालिक अपने पत्र की ईमानदारी और स्वतंत्रता के लिए और उसके माध्यम से प्रेस का स्वतंत्रता के लिए लड़ने का प्रेरित होता है। यह बात जितनी स्टेट्समैन के लिए सच निकली उतनी ही इण्डियन एक्सप्रेस के लिए भी।

इण्डियन एक्सप्रेस के मालिक श्री रामनाथ गोयनका प्राथमिक रूप में एक पत्र प्रकाशक हैं जो बाद में बिचलकर दूसरे उद्योगों में भी पहुँच गए लेकिन समाचारपत्र उद्योग ही उनका मुख्य आधार है। श्री ईरानी पूरे समय काम करने वाले एक पत्रकार हैं और अपने पत्रकार उद्योग में वे गहराई से डूबे हैं और इसका उद्भव भी है। दूसरी ओर जहाँ किसी अखबार का मालिक एक एकाधिकारी पूँजीपति है जो अखबार का एक अनुपस्थित स्वामी है तो कोई भी बलिदान लेकर अपने पत्र की ईमानदारी की बनाए रखने की दिखावटी चिंता भी वह नहीं करता।

उसके लिए अखबार उसके अन्य उद्योगों में से बस एक उद्योग है। इन सभी को उसकी पूँजी पर अच्छी कमाई करके उस दानी चाहिए। कुछ भी और वह नहीं चाहता। उसके लिए अखबार एक दूसरे प्रकार की फक्टरी है जो पटसन या सीमट के स्थान पर खबर बना करती है। साथ ही इससे राजनीतिक प्रभाव भी उसे प्राप्त होता है। इसलिए स्वयं उसका और उसके व्यापारिक हिता की उन्नति के लिए इस महत्त्वपूर्ण स्वरूप से लाभ उठाया जाना ही चाहिए। यदि उसका अखबार उसके अन्य प्रमुख हिता के सामने आता है तो उसे अखबार को डूबा देने या संपादन को अथवा अखबार की नीति को बर्बाद देने में कोई हिचक नहीं होती। ऐसी मानसिक स्थिति में प्रजातंत्र में प्रेस की उदार एवं सावजनिक भूमिका की किसी बौद्धिक अवधारणा की कल्पना भी असम्भव है।

अखबार के ऐसे ढांचे में संपादक एवं अन्य पत्रकार अच्छे वेतन पाते हैं अच्छा खाते पीते हैं। सम्पन्नता में मुलायम पड़ जाने के कारण अपने कंधे उचकाने और व्यवस्था के अनुकूल चलने के सिवाय काम का कोई और रास्ता वे सोच ही नहीं सकते। उनके लिए सिद्धांतों के अथवा आदर्शवाद के लिए उठ खड़े होने की धारणा एकत्र अग्रह्य होती है। हम इस व्यवहारवादी दशन को यह कहकर तकसगत ठहराते हैं कि ऐसे ढांचे में किसी पत्रकार के

लिए सिद्धांत के लिए लड़ना असम्भव है क्योंकि वह एक बड़ी मशीन के पहिये में एक पेंच से अधिक कुछ और नहीं है। जाज वर्गीज ने इस सिद्धान्त का भडा फोटा। उन्होंने सम्पादक के अपने कतव्यों को गम्भीरता से निभाया। वे उसकी कीमत चुकाने के लिए भी तैयार रहे और दरअसल उन्होंने चुकाई भी।

यह दावा किया जा सकता है कि श्री वर्गीज का मामला एक अपवाद है जो नियम को ही सिद्ध करता है और अन्यो के लिए इस उदाहरण का अनुसरण व्यवहार्य नहीं है, और यह भी कि मुद्दे को बहुत दूर तक खींच ले जाना हर तरह व्यय होगा। यह भी दावा किया जा सकता है कि 'जैसा इण्डियन एक्सप्रेस' और 'स्टेट्समैन' में हुआ जहां मालिक मुकाबला करन प्रेस की आजादी के अर्थ लड़ने और सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तयार हो वहीं संपादक और उसके पत्रकार इस घमयुद्ध में हिस्सा ले सकते हैं और वाछित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं।

आधुनिक दैनिक समाचार पत्र को चलाने में लगन वाली विशाल पूंजी भी एक महत्त्वपूर्ण कारण बनती है जो उस किसी भी साहसिक कदम को निरस्तसाहित करती है जो इतनी कीमती सम्पत्ति को ही उलट-पलट कर दे।

प्रेस की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए यह अनिवार्य है कि अखबार का मालिक सिर्फ अखबारवाला हो और जसा कि अमेरिका में है वह सिर्फ समाचार पत्र प्रकाशित करने का ही धंधा करता हो। इसके अतिरिक्त, अन्य व्यापारिक अथवा औद्योगिक हित रखन से उस कानूनन रोक जाना चाहिए। सिर्फ ऐसा कानून ही व्यक्तिगत वाणिज्यिक उन्नति के लिए सावजनिक हित की कीमत पर समाचार पत्र का दुरुपयोग करने के लोभ से उस रोक सकता है। एक समाचार पत्र भी वसी हा एक सावजनिक सस्या है जैसा कि सरकार का मन्त्री होता है। यदि कानून बनाकर अन्य वित्तीय हित न रखन के लिए मन्त्री को मजबूर किया जा सकता है तो कोई कारण नहीं कि कानून के द्वारा एक समाचार पत्र को भी स्वच्छ और लोभ से दूर न रखा जा सके।

संपादक (सामूहिक अथवा पूरा संपादकीय विभाग) जब तक उमुक्त न हो तब तक प्रेस की स्वतन्त्रता मुरझित रखी नहीं जा सकती। संपादकीय विभाग की स्वायत्तता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब उसे समाचार पत्र के मंचालन के व्यापारिक पक्ष से पृथक् कर दिया जाए। ऐसा परिस के लम्बाइ एंव 'लाफिगारो' तथा स्व डिनेविया के अन्य समाचार-पत्रों के साथ किया गया है और काम बहुत सतोपजनक रूप में चला है।

'सदन टाइम्स' और 'गार्जियन' में एक परम्परा रही है कि उनके सम्पादक सरकार से 'नाइटहुड' का खिताब तक स्वीकार नहीं करते। पश्चिम में



लड़ी जीर जीते और सरकार को मूख बनने पर विवश किया। टाइम्स आफ इण्डिया के सहायक सम्पादक था सुन्दर राजन के पीछे गुप्तचर तगाए गए उनके दफ्तर के कमरे पर छापा मारा गया वहाँ की चाँदा की छानधीन की गई और अन्त में उट्टू जता भेज दिया गया। कारण यह कि उ हाने आपातस्थिति के अधीन भारत के द्वार में बट्टू सत्या की रफट विदेशी प्रस का भेजने का साहम किया था। उनका मूल अपराध यह था कि उ होने टाइम्स आफ इण्डिया के अहान में सैंसर शिप के विरुद्ध कर्मचारियों की एक सभा संगठित की थी। इसमें टाइम्स आफ इण्डिया' समूह के दो सौ पत्रकारों ने भाग लिया था। प्रबधकों ने इस विरोध सभा के प्रति अपनी ठास अमहमति थी सुन्दर राजन का सूचित की थी।

बड़ौदा में टाइम्स आफ इण्डिया के सवान्दाता था विनय राव को बड़ौदा डायनामाइट मामले में फमाया गया। उह पत्रणा दो गई और कुछ महीना तक कद में रखा गया। टाइम्स आफ इण्डिया के प्रबधका ने इस मामले में 'यायालय का फमला आने तक अपने निजी निणय को स्थगित रखने के बदल श्री राव से छुटकारा पाने की कायरतापूर्ण आतुरता दिखाई। प्रबधका ने उन पर 'राष्ट्र विरामी गतिविधियों का आरोप तफ लगाया। आपातस्थिति के घटम होन ही और सरकार बदलन ही प्रबधको ने उनका पद उट्टू वापस द दिया है।

दूसरी श्रेणी उन बहुमत्त्यक लोगों की थी जो एक बीर पुरप के तत्त्व में तो निर्मित नहूँ ये लविन जिहोन उदास चुप्पी धारण करके दश में घटने वाली घटनाओं से अपनी असहमति जाहिर की और जहा परिस्थितिया ने उट्टू मजबूर किया वहा अपनी पत्रकारिता के औपचारिक कतव्यों का पालन करते पाने से अधिक उहोंने कुछ नहीं किया। तीसरी श्रेणी उनकी थी जिनका धनन श्री अडवानी ने यह कहकर दिया है कि उनमें जब भुक्ने की आशा की गई तो उहोंने रेंगना शुरू कर दिया।' इस तीसरी श्रेणी की यह बहुसंख्या ही थी जो न सिर्फ अत्याचारी के सामने रेंगी और गिडगिडाई बल्कि जो निलज्जता के माय सरकारी बड बाजे में शामिल हा गई और जिसने मजय की प्रशसा में एक उसके स्वागत में समूह गीत गाए। इहोंने अपने दस खूब में कि ये अपने नेवता के सामने घुटन भी टकत रहे और साथ ही मन्दिधान एक लाकतांत्रिक मापदण्डों के प्रति अपन समपण की क्मम भी छात रहे कोई अतविरोध नहीं दखा।

निस्सन्देह इनमें किसी ने भी कभी यह सपना नहीं रखा था कि श्रीमती गांधी जल्द ही प्रधानमन्त्री पद से हटने वाली है। इहूँ इसमें कोई स देह नहीं था कि उनकी सरकार युगो तफ चलेगी। कांग्रेस ने देश पर 30 वर्षों तक शासन किया और वह हमेशा ही बरती रहती।

भारतीय प्रेस के भावी स्वास्थ्य की दृष्टि से यह मामला छानधीन के योग्य



है। हो सकता है पत्रकार लाग स्वय ही इस प्रश्न पर खोजबीन व लिए एक आयोग बठाये।

महानगरा व समृद्ध समाचारपत्रों के सम्पन्न सम्पादक मडल को व्यावसायिक वतनभाग वृत्ति का यह शाप होता है कि व देश की राजनीतिक समस्याओं में सिफ सम्पादकीय (दूसरे शब्दों में अकादमीय) रुचि लने के ही अभ्यस्त होते हैं। अपनी व्यावसायिक कुशलता एवं नतिक लोकाचार इन दानों ही दृष्टियों से वे देश के अन्य पत्रकारों व लिए आत्श बन जाते हैं। महानगरीय समाचारपत्र ही देश के गणप पत्रा व लिए गति निर्धारक बनते हैं। आरम्भ से अब तक इसी तथ्य न भारतीय पत्रकारिता का विषाक्त बनाया है।

सम्भवत एसा हुआ है कि यह व्यावसायिक वतनभोग वृत्ति स्वतन्त्रता मिलने के एकदम बाद ही भारतीय पत्रकारिता में घुस गई और इसने इस व्यवसाय के उच्चतर मूल्यों का क्षय किया। कारण कि सम्पन्नता उन्हें सुरक्षा से चिपके रहने को बाध्य करती है जो बल्ले में उन्हें मुलायम बनाती है और उस आदर्शवाद को बढावा देने प्रतीत नहीं होती जिसकी मांग है बलिदान।

हा सकता है यह व्यवसाय में आन वालों को दी गई पत्रकारिता की शिक्षा का अधवा उमके अभाव का दोष हा। शायद यह स्थिति पत्रकारिता-व्यवसाय के लिए गम्भीर सम्वानिष्ठ प्रशिक्षण एवं शिक्षा की अनिवायता के पक्ष पोषक तक को ही बल देती है। इस शिक्षा में नतिक मूल्यों एवं समाज व प्रति पत्रकार के वक्तव्य पर उचित जोर उसी तरह दिया जाना चाहिए जैसे कि डाक्टर के प्रशिक्षण में चिकित्सा की नतिकता शामिल होती है। पत्रकार का भी हिप्पोक्रेट की प्रसिद्ध शपथ व आधार पर निर्मित एक शपथ अवश्य लेनी चाहिए।

सम्भवत इस देश के लिए जरूरी है कि पत्रकारिता को एक सामान्यत सभी सावजनिक संचार माध्यमों के विषय बनाकर उच्चतर शिक्षा का एक संस्थान स्थापित किया जाए जो एक आधुनिक समाज एवं लोकतान्त्रिक राज्य में पत्रकार की भूमिका की एक दौढ़िक एवं आध्यात्मिक प्रतीति प्रत्याशियों को कराए। हमारे यहां विभिन्न स्तरों की योग्यता दिलाने वाले अनेकों पत्रकारिता विभाग एवं विद्यालय हैं। लेकिन इस व्यवसाय की उच्चतर शिक्षा के लिए एक ऐसे प्रतिष्ठित पीठ की बड़ी भारी आवश्यकता है जो भारतीय पत्रकारिता व लिए ठीक परम्पराए निर्मित कर सकें और यकिनगत एवं व्यावसायिक ईमानदारी पर जोर दे सकें।

न्यायपालिका उच्च न्यायालय स्तर पर शुक्ल और उनके पिटठुआ द्वारा वस्तु प्रस की रक्षा के लिए धीरतापूर्वक सामने आईं लेकिन अपसोस यह है कि जब उच्च न्यायालय ने प्रस को संरक्षण दिया तब भी प्रस उस संरक्षण का लाभ उठाने का साहम नहीं कर सका। भय की माननिकता इतनी गहरी घुस गई थी कि उसने

पत्रा के सचालका के विवेक एव निणय-क्षमता को जड़ बना दिया था।

साथ ही यह भी माना जाना चाहिए कि राजनीतिक वादी 'वाय' के लिए उच्चतम न्यायालय में आने में हिचकत थी। इसका कारण था वर्षों से चली आ रही बचनबद्ध 'वायाधीशा' का चर्चा और जिन्हें आमतौर से सद्भातिक कारण कहा गया है उनसे प्रेरित होकर उच्चतम न्यायालय के 'वायाधीशा' में बरिष्ठ को छोड़ कर कनिष्ठ का पदोन्नत किया जाना।

सरकार ने इन तथ्यों को चूठ नहीं बताया था। उसका तर्क था कि भीसा में किए गए सशोधनों ने नज़रबन्दियों का अदालत में जाने का अधिकार क्वाकि खत्म कर दिया है इसलिए आवेदन का अस्वीकृत कर लिया जाना चाहिए।

दिल्ली उच्च न्यायालय के 'वायमूर्ति' जेप रगराजन का मत था कि जीवन एव स्वतन्त्रता के अधिकार भारतीय मविधान के साथ अस्तित्व में नहीं आए थे। वे मूलभूत नसगिक अधिकार हैं जिन्हें सविधान ने सिर्फ संरक्षण प्रदान किया है और इन अधिकारों का स्थगन उन्हें पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता।

सुनवाई समाप्त होने के दो दिन बाद श्री नायर को छोड़ दिया गया। अदालत को उनका छोड़ दिए जाने की मूचना देते हुए सरकारी वकील ने सुझाव दिया कि अब आवेदन पर किसी फैसले की ज़रूरत नहीं है। फिर भी 'वायमूर्ति' रगराजन ने इस आधार पर फसला दिया है कि इसका दूसरे मामलों पर महत्वपूर्ण असर पड़ने वाला है।

उनके फसले में कहा गया बनी प्रत्यन्तीकरण के अधिकार का स्थगन नहीं किया गया है। बस कानून द्वारा स्वतन्त्रता को नियमित करने की काशिश की गई है। किमी व्यक्ति की निजी स्वतन्त्रता को खत्म करने के चरम अधिकार कायकागिणी के पास नहीं है। निस्मन्धि रूप में स्वतन्त्रता एक सामान्य कानूनी अधिकार है। कानून का शासन कायकारी सत्ता के जारजी इस्तमाल की अनुमति नहीं देता। नज़रबंद करने वाले अधिकारों को न सिर्फ इस बात से सतुष्ट होना चाहिए कि नज़रबंदी आवश्यक थी बल्कि उनका आधारभूत कारणों का सिद्ध करने की सामर्थ्य भी उसमें हानी चाहिए।

श्री नायर के आवेदन में दिए गए तथ्यों का चुनौती नहीं दी गई थी और यह विश्वास करने का कोई कारण नहीं था कि वे सावजनिक अनुशासन का भंग करने जा रहे थे।

बस्तुतः इस निणय ने यह स्थापित कर दिया कि आपातस्थिति के दौरान भी नज़रबंदी के मामलों का पुनर्निरीक्षण करने का अधिकार अदालतों के पास है और नज़रबंदी की सही आवश्यकता के बारे में अदालतों को सतुष्ट करने में अधिकारियों का सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार एमा लगा कि भीसा में किए गए सशोधन रद्द कर दिए गए हैं।

इस फसले के शीघ्र वाप हा 'यायमूर्ति' रगराजन् की बन्सी सुदूर आसाम में गोहाटी में कर दी गई ।

साधना के मामले में उच्च 'यायालय' के श्री वी० डी० तुलजापुरकर और श्री एन० सी० गाडगिल ने पूना के साधना प्रस की उन्नी के सरकारी आदेश को रद्द कर दिया और कुछ प्रामाणिक टिप्पणियाँ बाँजा जा रहा सक्षम में दी जाने योग्य हैं और जिनपर हमारे देश की कायबारी सत्ता का अच्छी तरह चिन्तन करना चाहिए और उन्हें अपने भीतर पचाना चाहिए ।

फसल में साधना प्रस के बाद कर लिए जाने का सम्बंधित सत्ता अथवा अधिकारी को लिए गए अधिकार के घोर दुरुपयोग का ज्वलन्त उदाहरण माना गया ।

साधना पूना की एक अत्यन्त प्रतिष्ठित मासाहिक पत्रिका है । इसे अहिंसा स्वतंत्रता व्यक्तिगत उ मुक्तता एवं लोकतन्त्र के दबदूत समाजवादी ऋषि सान गुहजी ने आरम्भ किया था । यह पत्रिका अपने सम्पादकीय लेखों की गम्भीरता एवं साहसिकता के लिए जानी मानी है । सरकार ने साधना के 11 अंकों को खून घोषित कर दिया था और अतः साधना मुण्डालय को ही बंद कर लिया था । इस स्तर पर साधना ट्रस्ट जल्दी के सरकारी आदेशों के विरुद्ध आवेदन लेकर उच्च 'यायालय' में पहुँचा ।

निष्पत्ति में घोषणा की गई कि जमानत मांगने के लिए उसकी जल्दी के आदेश अवाचित अत्याय्य सर कानूनी और विधि की दृष्टि से गलत है ।

फसल में कहा गया एक नागरिक के रूप में लखक को अधिकार है कि वह आपातस्थिति के दौरान सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों एवं लागू किए गए उपायों की आलोचना करे और यह कहे कि ये फामिस्ट प्रवृत्तियाँ के सूचक हैं । यह अधिकार तब तक उस है जब तक आलोचना अनुमति सीमा को पार नहीं करती और नियम छत्तीस (6) की उपधारा (ई) अथवा (एफ) के अन्तर्गत वह हानिकार नहीं मानी जाता । तब तक उस उचित अथवा आपत्तिजनक नहीं माना जा सकता । पूरे (रह) लखक को अच्छी तरह पढ़कर हम इस स्पष्ट मत पर पहुँचे हैं कि यद्यपि लेख अलोक्य शली में की गई आलोचना से भरपूर है जो कुछ सीमा तक उन नेताओं के प्रति घाट असंतोष को उत्तजित कर सकती है जिन्होंने उन उपायों को लागू किया है फिर भी कानून और व्यवस्था को भंग करने अथवा गड़बड़ी फलान अथवा नियम 36 (6) (ई) के अन्तर्गत आसकने योग्य हिंसा को बचावा दान का कोई इरादा अथवा प्रवृत्ति इस आलोचना में निहित नहीं है ।'

फसल में टिप्पणी की गई कुछ भी हाँ यह देखकर हम उद्विग्न हैं कि इन लेखों की परीक्षा करने वाली सत्ता अथवा सम्बंधित अधिकारी न हर प्रकार की असहमति एवं आलोचना में सरकार के लिए तथा कानून एवं व्यवस्था के लिए

खतरा ही देखा है। इसे पूरी तरह दोष पूर्ण दृष्टिकोण ही माना जाएगा।'

फसल में आगे कहा गया 'इस सत्ता अथवा सम्बन्धित अधिकारी को श्री जयप्रकाश नारायण का नाम तक एक अभिशाप प्रतीत होता है। क्योंकि उनके बारे में जो भी कहा गया अथवा किया गया है वह कितना भी हानिरहित क्या रहा है। इसे अत्यंत घातक एवं अहितकर ही बताया गया है।

प्रसिद्ध पत्रकार वार्ड० डी० लोकूरकर की हठ उस समय उचित रूप में पुरस्कृत हुई जब बम्बई उच्च न्यायालय ने उनके लेखों 'पूर्व सेंसरशिप—प्रकृति एवं सीमा तथा आपातस्थिति एवं अपानर्त' के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने की सेंसर का कायवाही को रद्द कर दिया। 'यायमूर्ति आर० पी० भट्ट ने फसला दत्ते हुए घाघणा की कि सेंसर ने कानून को गलत समझा है और उसने अप्रासंगिक मुद्दों को विचार में ले लिया है। इस पर सेंसर ने अपनी समाचार एजेंसिया के माध्यम से राज्य के सभी समाचारपत्रों के सम्पादकों का निर्देश भेजा कि श्री वार्ड० डी० लोकूरकर की याचिका पर बम्बई उच्च न्यायालय का फसला पूर्व-सेंसर किया जाएगा।

लोकूरकर ने बम्बई उच्च न्यायालय में एक और याचिका दाखिल की और फसल के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाने की सेंसर की कायवाही को चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने याचिका का स्वीकार किया और लोकूरकर द्वारा दाखिल नई याचिका के विचाराधीन होने के बारे में किसी समाचार अथवा रपट के प्रकाशन को रोकने के किसी भी कदम अथवा कायवाही का लागू करने से बम्बई के सेंसर को रोकत हुए अतिरिक्त राहत प्रदान की।

अब नई दिल्ली के मुख्य सेंसर ने सभी समाचार एजेंसिया के लिए निर्देश जारी किए कि लोकूरकर द्वारा नई याचिका के बम्बई उच्च न्यायालय में स्वीकृत हो जाने के बारे में कोई खबर न छापी जाए। श्री लोकूरकर ने अदालत से एक और प्रार्थना की कि मुख्य सेंसर को उनकी याचिका में एक पक्ष बनाया जाए और उन्होंने एकतरफा आदेशात्मक निपटारा प्राप्त कर ली जिसमें बम्बई के सेंसर और नई दिल्ली के मुख्य सेंसर दोनों को यह निर्देश था कि लोकूरकर की नई याचिका से सम्बन्धित किसी खबर या रपट के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगात हुए समाचार एजेंसियों अथवा समाचारपत्रों को जारी की गईं किन्हीं भी जानाआ को वापस लिया जाए और प्रत्याग्रेष दिया जाए। अतः सेंसर अधिकारियों के वकील ने खुली अदालत में वक्तव्य किया कि उन आज्ञा को वापस ले लिया गया है।

संसार ने लोकूरकर के मूल मामले में 'यायमूर्ति भट्ट' के फसल के विरुद्ध अपील दाखिल की। इस अपील की सुनवाई दिसम्बर 1975 में लगभग एक सप्ताह तक हाती रही। अतः सेंसर ने अपील को खर्चे सहित रद्द हो जाना लिया।

खुबन के माफिया का निर्माण उस समय घूम ही गया जब कलकत्ता में राज्य

की बगाली पत्रिका बगुमति का डी० ए० बी० पी० द्वारा सरकारी विनापन देने से इन्कार कर लिया गया। डी० ए० बी० पी० केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का तीसरे नॉर्जे का वह हथियार है जो अनुसूचित जनजात में क्षिप्त समाचारपत्रों पर चलाया जाता है। इसका नाम मजबूती की चौकड़ा न राय के मुख्यमन्त्री श्री सिद्धाथशर राय के विरुद्ध प्रचार करने के लिए का प्रभावशाली स्थानीय पत्रों की सेवाएँ भी प्राप्त कीं।

जहाँ तक विद्याचरण गुप्त का प्रश्न है कहा जाता है चुनाव प्रचार के दिनांक में उन्होंने प्रस के आचरण पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी। दिल्ली में कायदत 35 मन्त्रालयों को एक साथ पार्टी में उतारने कहा जाता है कुछ पत्र तो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जहाँ कि जनता पार्टी मता में आ ही गई है। जब चुनाव की घोषणा के बाद मॅसर को टीका किया गया तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री और उनके पिठठ सपाका एवं पत्रकारों का यह चेतावना दान में न हिचकिचाए कि वे पत्रालय पर है और उनके आचरण का प्रभाव को जा रही है और वे जानते हैं कि गलत आचरण करने वाला के साथ क्या व्यवहार किया जाए।

पत्रकारों की जितनी भी अर्थ कमजोरियाँ तथा कमियाँ क्या न हो लेकिन राजनीतिज्ञों की अकर्म और डींग का गन से नीचे उतारना उनके लिए कठिन होता है। मनमाने अपमान को भी वे क्षमा नहीं कर पाते। राजनीतिज्ञ (जो प्रचार के लिए प्रस पर इतना अधिक निर्भर करते हैं) उनसे उस ढंग से बात करें तो वे सह नहीं पाते।

बताते हैं कि असमय होने पर पत्रकार भ्रष्ट हो कुछ समय के लिए दब पड़ रहे पर उनकी स्मृति बहुत तेज होती है और जब मुरारेली किसी राजनीतिज्ञ से हाँसा मन्त्रालयों का क्या ही अतिम हाता है। राष्ट्रपति निक्शन ने प्रस से अपमानपूर्वक प्रचार किया और यह पाठ सीखने के लिए उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। विद्याचरण गुप्त इस पर गीत रहे हैं। अच्छा हाँ दूसरे राजनीतिज्ञ पहले ही इस अच्छी तरह याद कर लें।

## कुछ मामले समाचार पत्र

नाच हम कुछ मामलों का अध्ययन प्रस्तुत कर रहे हैं जो श्री शुक्ल के गण गीरी व तरीका का असल रूप स्पष्ट प्रदर्शित करते हैं।

श्री शुक्ल के सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय न सचम पहन श्री रामनाथ गोयनका का दृष्टियन एवमप्रम श्रृंखला का लिया। इसका विगप कारण य जिनका इन समाचारपत्रों द्वारा किण गण किन्ती विगप पापा स कोई मम्ब-ग्र नहीं पा। वस्तुतः दूसरे समाचारपत्रों की तरह ही दृष्टियन एवसप्रेम न भी अपन को संसर व हवान कर लिया था और उन परिस्थितिया व बीच यथासम्भव ठीक तरह चल रहा था।

श्री गोयनका को दण्डन का निश्चय पकरा करन व वाण सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री के मन्त्रिमण्डल ने दृष्टियन एवमप्रेम पर प्राथमिक दापा रोप निम्न दो मुद्दों पर किण

1 आपातस्थिति की उपबन्धिया का प्रचार न करना और

2 सम्प्राप्तिय नीति म भटकाव।

यह आरोप लगाया कि उमन भरकार की नरम आलाचना करते हुए कुछ लख छाप हैं।

सत्ता की नाराजी श्री गोयनका का जुलाई 1975 म सूचित का गयी और उह बताया गया कि यन्ि व अपनी इस नकारात्मक नीति पर अडे रह ता उनके परिवार व तीना व्यक्तियों अयान श्री रामनाथ गोयनका स्वय उनक पुत्र भगवानदास और पुत्रवधू सराज सीखचा व पीछ डान न्दिये जाएग।

एक प्रकार उवसाय जान पर भी एवमप्रस सरकार व प्रति उदासीन ही रहा और उसने सज्य गांधी का भी खास प्रचार नहीं लिया। असल म समूह व कुछ भाषार्थ समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं म विगपकर दमिण म प्रकाशित होन वाले पत्रों म सरकारी नीतिया की हनकी पुलकी आनाचना भी की गई।

अगस्त म एवसप्रेम समूह के विरुद्ध वापवाही की धमकी को दुहराया गया। श्री गोयनका को सूचित किया गया कि यन्ि व अपने तरीकों का बदनेगे नहा तो उनक विरुद्ध पहल चलाए गए आयकर के मामला की फिर से शुरू कर लिया जाएगा।

अक्टूबर म प्रसिद्ध उद्योगपति एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के मासिक श्री०के०के०





5 मार्च 1975 को लोक सभ्य समिति द्वारा आमोक्ति जनता मार्चा न राजधानी दिल्ली में विशाल जभूम निरामा ।





7 नवम्बर 1975 को श्रीमती गांधी अपने निवास के सामने आयोजित एक रली में भाषण दे रही हैं।




7 नवम्बर 1975 को जब श्रीमती गांधी की अस्पताल पर सर्वोच्च न्यायालय का निषेध घोषित किया गया तबिली प्रशासन के तत्कालीन चीफ एक्जीक्यूटिव कौमिलर श्री राधाकरमण श्रीमती गांधी के निवास पर आयोजित इन्दिरा सम्मेलक रली में नाच रहे थे।



भूमिगत कार्यकर्ता व० धार मलबानी (सम्मानित मन्टरलस्टड), प्रो० पी० बोहली (मिल्मा विश्वविद्यालय अध्यापक सच के अध्यक्ष) तथा रामनाथ विज (हमराज कालज में व्याख्याता)



तिहाड़ जन में बनी यागामन कर रहे हैं।



छात्र नेता हेमंतकुमार विष्नोई,  
तिहाड़ जल में



दिल्ली के प्रिन्सिपल श्री हसराम गुप्ता




7 नवम्बर 1975 का प्रधान मंत्री निवास के सामने सजय शाधी का स्वागत ।  
उनकी बायीं ओर उनका परिचित साथी और सेफ्टिनिंग्ट मजदूर दास हैं ।



युव कांग्रेस के केन्द्रीय कार्यालय 10 जनपथ पर 17 नवम्बर 1976 को सजय  
शाधी प्रस सम्मेलन में बाल रहे हैं ।



श्रीमती गांधी की याचिका पर जस्टिस कल्याण प्रखर के निर्णय पर विचार करने के लिए 24 जून 1975 को श्री मोरारजी देसाई के इन्फो टोड स्पिन निवास पर प्रमथ बिरोधी नेताओं की भावपूर्ण बैठक। बाएँ से श्री जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई और श्री लालकृष्ण प्रधान। नीचे बायीं ओर श्री राजनारायण  
दंडे हैं।





5 मार्च 1975 का आयोजित विज्ञान जलूस बोट ब्रिज पहुँचकर मका की सड़क में बन्द हो गया। श्री जयप्रकाश नारायण भाषण में रहे हैं उनको दायाँ ओर लोक  
सर्व सचिवालय के प्रधान श्री नारायणी रामायण का चित्र दिखाई दे रहा है।

सूचना सजय को देने के साथ साथ उसकी इच्छाएँ भी श्री के० के० बिरला तक पहुँचाता था। जनवरी 1976 में बोर्ड की बैठक हुई और पत्रक में निर्धारित सम्पादकीय नीतियाँ का स्वीकार कर लिया गया। वसन्त षण्महाराज म इंडियन एक्सप्रेस सरकार के प्रति उदासीन और उसकी कुछ नीतियों का हलका आलोचक बना रहा।

फरवरी 1976 में श्री मुनगावकर (के० के० बिडना के माध्यम से) स्पष्ट माग की कि श्री मुलगावकर का इंडियन एक्सप्रेस के सम्पादक पद में बर्खास्त कर दिया जाए। उन्होंने श्री कुलदीप नायर तथा श्री अजीत भट्टाचार्य का भी सम्पादक मंडल से हटा देने के लिए कहा।

श्री गोयनका एक बार फिर अड़ गया। उन्होंने कहा कि कानून के अनुसार छ महीने का नोटिस देकर ही श्री मुनगावकर का हटाया जा सकता है। जहाँ तक नायर एवं भट्टाचार्य का सम्बन्ध है पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम में निर्धारित एक सप्ताह कायवाही का पूरा किए बिना किसी पत्रकार का पत्र मुक्त नहीं किया जा सकता।

माच में श्री रामनाथ गोयनका बीमार पड़ गए और एक महीने तक कोई काम नहीं देख सके। जब गोयनका बीमार थे उसी बीच 9 अप्रैल को वाड का बैठक हुई और उसमें श्री मुनगावकर का सम्पादक पद से हटा देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। वाड ने मुनगावकर के स्थान पर फार्मल नियुक्त एक्सप्रेस का सम्पादक श्री वी० के० नरसिंहम को नियुक्त किया। बोर्ड की नजर में श्री नरसिंहम एक नम्र हानिरहित व्यक्ति थे। सजय तक न कामनाथ के माध्यम से इस नियुक्ति को पुष्ट किया। लेकिन जल्द ही उन्हें अपने चुनाव पर अफ़मांस करना पड़ा।

अप्रैल में श्री मुलगावकर सेवा निवृत्त हो गए और श्री नरसिंहम ने काम संभाल लिया। लेकिन मंत्री महोदय अब भी संतुष्ट नहीं थे। वे अजीत भट्टाचार्य का अनुरोध करने पर उतावले थे। जून में शुभन को उतारना मिला गया। श्री अजीत भट्टाचार्य ने उच्चतम न्यायालय के हेरिडियम काफ़े में एक बैठक बुलाई। शुभन ने फौरन माग की कि भट्टाचार्य को गगनात्मक सवायता प्रदान कर भेज दिया जाए। बिग्ला ने इसके लिए दबाव डाला। श्री गोयनका ने इसपर आपत्ति की और यह तब किया कि श्री भट्टाचार्य जैसे वरिष्ठ व्यक्ति को पत्रकार अधिनियम के अंतर्गत अज्ञात प्रस परिपत्र द्वारा ख़बर से जबाब तलब किए बिना इस ढंग से पदावनत नहीं किया जा सकता।

जुलाई में मामला बहुत गरम हो उठा। मंत्री ने दावा किया कि गोयनका अनुरोध का पानन में विफल रहेगा। उन्होंने माग की कि गोयनका एक्सप्रेस समूह के सभी समाचारपत्रों के प्रशासन के सभी अधिकार बिरला का सौंप दें।



गोयनका ने इस प्रस्ताव का इस आधार पर विरोध किया कि इस तरह बिरला सभी समाचार पत्रों को सर्वोच्च सम्पादक बन जायेंगे और यह बात उल्लेखनीय पदा करेगी। गोयनका ने तर्क दिया कि बोर्ड का निर्माण का समय स्वीकृत नीतियाँ एवं व्यवस्थाओं का प्रति उभर ईमानदार रहना चाहिए।

मन्त्री महोदय ने अब गोयनका पर फट्टा कसना शुरू किया। 24 जुलाई को प्रेस सूचना ब्यूरो ने एक वक्तव्य जारी किया जिसमें गोयनका के विरुद्ध एक पुराने आर्थिक अपराध का ब्योरा दिया गया था। प्रेस सूचना ब्यूरो ने इस वक्तव्य को समाचार के टेलीप्रिन्टर द्वारा न सिर्फ सभी समाचारपत्रों का भेजा बल्कि आकाशवाणी एवं दूरदर्शन पर भी प्रसारित किया। यह सरकार की एक अभूतपूर्व कायदाही थी। जब गोयनका ने इसका जवाब जारी किया तो 'इंडियन एक्सप्रेस' का सिवाय किसी ने उस नहीं छापा। 16 अगस्त को 'इंडियन एक्सप्रेस' पर पूव मैसेज लागू किया गया और वह इसके सभी आठ सस्करणों पर किया गया। जब पष्ठ अनुमति का लिए ससर के पास भेजे जाते थे तो वे अगली सुबह आठ बजे से पहले नहीं लौटाय जाते थे। फलतः सस्करण 10 बजे के बाद निकल पाता था। बाहर के सस्करणों का भी असाधारण देर हो जाती थी। यह तीसरे दर्जे का तरीका छ सप्ताहों तक चला। 'इंडियन एक्सप्रेस' की बिन्नी 90000 से घटकर 30000 रह गई। जैसे कि इतना काफी नहीं था 19 अगस्त को अपने विज्ञापन एक्सप्रेस को लिए जान पर सरकार ने रोक लगा दी। यह रोक सावजनिक क्षेत्र के सभी उद्योगों का विज्ञापन पर भी लगाई गई। सरकार ने निजी सगठनों पर भी दबाव डाला कि वे 'एक्सप्रेस' को अपना सहयोग देना बंद कर दें। यह एक घातक चाट थी क्योंकि किसी भी अखबार का खर्च विज्ञापनों से ही चलता है।

यह पूव मैसेज बटोक चलता रहता यदि गोयनका ने इसे अदालत में चुनौती नहीं दी होती। श्री गोयनका ने दिल्ली उच्च न्यायालय से प्राथमिकी की कि 'इंडियन एक्सप्रेस' पर पूव मैसेज का आदेश एक अनुचित उत्पीड़न है। अदालत ने शुक्र को गवाही के लिए बुलाया। शुक्र अदालत में आने से चिन्तित हुए और उन्होंने पूव मैसेज आदेश वापिस न लिया।

लेकिन अखबार का वित्तीय साधनों को हानि पहुँचाई जा चुकी थी। हर सस्करण में 34 कालमा से घटकर विज्ञापन आठ से दस कालमा तक रह गए थे। सरकार ने अब बकों को आदेश दिया कि एक्सप्रेस समूह के अखबारों का कागज के हिस्स की एक्ज म दिए जाने वाले ऋण की सीमा को घटा दिया जाए। इस प्रकार अखबार पर भारी वित्तीय दबाव पड़ा इतना कि उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ गया।

अक्टूबर-नवम्बर में एक्सप्रेस समूह पर अंतिम आघात तब हुआ जब एक्सप्रेस की बिजली काट दी गई। दिल्ली विद्युत सगठन बिजली के इस अचानक

जान का कोई स्पष्टीकरण नहीं दे सका। लेकिन 'एक्सप्रेस' के कर्मचारियों ने देखा कि एक्सप्रेस भवन को बिजली देन वाली प्रमुख लाइन का स्विच बन्द कर दिया गया था और उस पर ताला लगा दिया गया था।

इसने एकदम बाद दूसरा सकट आया। 'एक्सप्रेस' की ओर बाकी कुछ बरों पर गहारा था और मामला पत्र-व्यवहार के माध्यम से तय किया जा रहा था। पर राशि कुछ लाख थी। एक इतवार को एक सम्पादक ने एक अन्य समाचार-पत्र में यह नोटिस लगा देखा कि क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस' शेष कर राशि का भुगतान नहीं कर सका है इसलिए अगल दिन एक्सप्रेस' भवन की नीलामी की जाएगी।

इस संपादक ने फौरन जाकर गोयनका को सूचित किया। अगल दिन जब एक्सप्रेस का प्रतिनिधि दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों के पास पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उससेबहुत म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री बी० आर० टमटा के दफ्तर में नीलामी की जा चुकी है और 'एक्सप्रेस' भवन को बचा जा चुका है।

इस बीच सशस्त्र पुलिस ने 'एक्सप्रेस' भवन में प्रवेश कर लिया था और 'एक्सप्रेस' के कर्मचारियों को निकाल बाहर करके भवन पर सील लगा दी थी। एक बार फिर श्री गोयनका ने अदालत का दरवाजा खटखटाया। यामूनि श्री प्रकाश नारायण न पद्धति को लाघवर भी मामले को जल्द निपटाया और स्थगन आदेश दे दिए। इस प्रकार दो दिन बाद एक्सप्रेस में फिर काम चालू कर दिया गया।

अब सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने उन बी०के० नरसिंहम् को हटा देना चाहा जिनकी श्री मुलगावकर की बर्खास्तगी के बाद नियुक्ति का उन्होंने स्वीकृति प्रदान की थी। कमलनाथ ने गोयनका को सूचित किया कि मंत्री महोदय का सुझाव है कि श्री नरसिंहम् के स्थान पर दिल्ली स्थित ग्राइम्स आफ इंडिया ने एक सवादाता मोहम्मद शमीम को ले आया जाए। श्री गोयनका का साफ उत्तर था नहीं। अगला नाम एक्सप्रेस का एक सहायक संपादक सुमन दुवे का प्रस्तावित किया गया।

अक्टूबर 1976 में श्री शुक्ल ने श्री गोयनका को श्री क० के० बिरला के साथ बुलाया। मंत्री ने एक बार फिर मांग की कि श्री गोयनका प्रशासनिक एवं संपादकीय सभी अधिकार श्री बी०के० बिरला को सौंप दें। श्री गोयनका ने विरोध में कहा कि मूलतः स्वीकृत व्यवस्था तो यह नहीं थी। महा बिरला ने शुक्ल का पक्ष लिया। गोयनका इस पर आपसे बाहर हा उठे। उन्होंने अपने खास अंदाज में अंग्रेजी हिंदी और तमिल तीनों भाषाओं में बिरला को खुलकर गालिया दीं। इस घटना के बाद बिरला और गोयनका ने अपने सम्बन्ध पूरा तरह तोड़ लिए।

अब एक्सप्रेस का उत्पीड़न सार भर में बन्नामी का विषय बन गया था

और यूनाइटेड टाइम्स तथा टाइम्स जसी विदेशी पत्रिकाओं ने इसे खुलकर प्रचार दिया था। भारतीय दूतावासों ने नई दिल्ली को लिखा कि 'एकमप्रस' के मामले ने विदेशों में भारत सरकार की भारी बदनामी कर दी है।

दिसम्बर 1976 में लगभग 200 पत्रकारों ने एक पत्र पर हस्ताक्षर करके प्रधानमंत्री को भेजा। 'इंडियन एकमप्रस' को जो बन्द और उत्पीड़न दिया जा रहा था उसका इस पत्र में विरोध किया गया था। संयोग से माहम्मद युनुस नामक उस अजीब आत्मीन जो चाहे देश में हो या विदेश में, अपने को प्रधानमंत्री का विश्वास दूत कहने की हठ करता था हस्ताक्षर करने वाले एक पत्रकार से शान लिखाने हुए कह डाला 'अगर मरे हान में ताकत होती तो मैं तुम सबको बंद करा दिया होता।'

एकमप्रस का लिया जाने वाला शारीरिक उत्पीड़न रोक दिया गया, लेकिन आर्थिक यातना जारी रही।

एकमप्रस की वित्तीय अवस्था इतनी नाजुक हो गई कि कमचारियों से कहा गया कि वे अपने धन में स्वच्छापूर्वक कटौती कराए। एक कठोर बचत अभियान चलाया गया। 1977 तक समाचार पत्र सामो के लिए सक्षम कर रहा था। इस गति से मार्च 1977 तक इंडियन एकमप्रस खत्म हो गया होता।

जब यह समाचारपत्र इस घोर संकट में त गूजर रहा था तभी एक रोचक घटना घटी। नियमानुसार सरकार द्वारा नियुक्त निदेशिका का एक अध्यक्ष को एक निश्चित अवधि के बीच हिस्सतारों का एक आम सभा के द्वारा मायता दी जानी थी। नये अध्यक्ष श्री के.के. विरला ने इस औपचारिकता की उपेक्षा कर दी थी। गायनका इस अवधि के समाप्त होने की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही यह खत्म हुई श्री गायनका ने अध्यक्ष श्री के.के. विरला समेत सरकार द्वारा नियुक्त छोटे निदेशिका को अलग कर दिया। इस प्रकार श्री गायनका ने विरला और शुक्र दोनो को मात दे डाला।

स्टेटमन एक अति महत्वपूर्ण मिश्रण था। उसके अब तक के खान पर खरेपन स्वतंत्रता और ईमानदारी का छाप था और यही बात श्रीमती गांधी की सरकार को अखरती प्रतीत होती थी। शक्र की स्टेटमन के बच में कोई तरार नहीं मिल रही थी और इसलिए समाचारपत्र पर काइ टोम आक्रमण करना कठिन पट रहा था। लेकिन उस देखाया ता जाना हा था।

बन्नुत स्टेटमन का दवान का प्रयास जापानस्थिति से पहन से ही शुरू हा गया था। 1971 के आम चुनावों के दौरान श्रीमती गांधी का काग्रस के प्रति उमक जानाचना मक रख का प्रधानमन्त्रा कभी भुता नहीं सकी थी। फिर यह एकमात्र अखवार था जिस डग धमका कर शामकन की इच्छा का अध रूप में पालन करने पर बिबश नहा किया जा सकता था। 1974 में समाचारपत्र के

साहसी मनेजिंग डायरेक्टर श्री सी० आर० ईरानी को निकाल बाहर करने की कोशिश सरकार ने की थी। यह प्रयास विफल रहा था।

अब आपातस्थिति की छाया में सरकार ने आशा की थी कि 'स्टेट्समैन' का बश में लाया जा सकेगा।

पहली भूठभट आपातस्थिति की घोषणा व एक महीने के भीतर ही हो गई। जुलाई 1975 में दिल्ली स्टेट्समैन के तत्कालीन संपादक श्री सुरिंदर निहालसिंह ने भारत सरकार के प्रमुख सूचना अधिकारी ने कहा कि कुछ विशेष फीटा चित्रा को एक विशेष ढंग से छापा जाए और कांग्रेस दल की घोषणाओं को अधिक महत्व दिया जाए। उस अधिकारी ने आगे कहा कि भविष्य में वह समाचार-सम्पादक तथा अखबार के अन्य लोगों से सम्पर्क रखेगा, जिससे ऐसे सुझाव दिए जा सकें।

सम्पादक ने किए गए अनुरोध रद्द कर दिए। 6 अगस्त को स्टेट्समैन के दिल्ली सम्स्करण पर पूर्व नॉसर नामू कर दिया गया जिससे कि सूचना मंत्री के शर्तों में दिल्ली सम्स्करण को मजबूत सिखाया जा सके। स्पष्ट संकेतों को कि दिल्ली में 'व्यक्तिगत स्तर पर मामले पर बात कर ला जाए' स्टेट्समैन ने ग्रहण नहीं किया। 26 अगस्त का पूर्व-नॉसर उठा लिया गया।

अगस्त 1975 में सरकार ने स्टेट्समैन का (तथा एक्सप्रेस समूह सहित अन्य अखिल समाचारपत्रों को) उनकी अपनी दृष्टि में घातक चाट पट्टाई। सरकार ने एक आदेश जारी करके केंद्रीय एवं राज्य सरकारों तथा सावजनिक संस्थानों के सभी विनापन स्टेट्समैन को दिए जाने बन्द कर दिए। इसका फल हुआ कि समाचारपत्र की आय 9 लाख से गिरकर 36 हजार रह गई। 'स्टेट्समैन' ने कलकत्ता उच्च न्यायालय में इस आदेश को चुनौती दी। मुनवाई चल ही रही थी कि धुनावों का घोषणा हुआ और आपातस्थिति उठा ली गई और सरकार ने स्टेट्समैन को विनापन न दान के अपने आदेश वापस ले लिए।

नितम्बर 1975 में 'स्टेट्समैन' के तत्कालीन संपादक श्री एन० जे० नानपोरिया का नौकरी-भंग्य घी करार खत्म हुआ गया और श्री सुरिंदर निहालसिंह का कलकत्ता में तथा श्री एस० सहाय को दिल्ली में संपादक नियुक्त किया गया। शकल ने श्री ईरानी पर दवाव डालने की कोशिश की कि श्री नानपोरिया को संपादक के रूप में राक दिया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आपातस्थिति के दौरान सरकार को पूरा समयत दान की कामत नानपोरिया से कमल की जा रही है। श्री मुकन ने यह भी कहा कि श्री निहालसिंह का व्यवहार उचित नहीं रहा है और कलकत्ता में संपादक के रूप में उनका नियुक्ति सरकार का म्यूठित नहीं है। स्टेट्समैन के आंतरिक मामलों में सरकार के हस्तक्षेप को श्री ईरानी ने सहन नहीं किया और श्री मुकन को माग को ठुकरा दिया।

11 नवम्बर को स्टेटसमन के निजी मस्करण पर फिर से पून-संसार मागू कर दिया गया। पत्र को सूचित किया गया कि भ्रामती माधी व चुनाव सम्बन्धी मामल म उच्चतम न्यायालय व फमल पर प्रकाशित सम्पात्कीय सं सरकार छग नहा हुई है। सम्पात्कीय म कहा गया था कि अन्तत व मामने अपीत व विचारधीन रहन की अवधि म बानून म जा परिवर्तन किए गए, व ही इस फगत के निर उतरदायी हैं।

भिवायत का एक दूसरा आधार कापम दन व भीतरी मामलों पर स्टेटसमन म प्रकाशित एक खीरा था जो स्वय कापत अध्या के निवट व एन्म सही एक सूत्र सं प्राप्त किया गया था। यह इशारा किया गया कि यनि अखबार समा मा सं तो पूव संसर को हटा दिया जाएगा। स्टेटसमन ने माफी नहा मागी। उत उसन लिघन म अपने पक्ष का फिर सं स्थापित किया। अन्त म 20 नवम्बर का सरकार म पूव-संसर हटा लिया।

शुरन की अगती कायबाहा यह था कि उहने कम्पनी बानून बाड व माप्यम से 10 दिसम्बर को स्टेटसमन को यह नोटिस भिजवाया कि क्यों न कुष्यवस्था के आधार पर स्टेटसमन व बोड म सरकारी निदेशको की एक अनिश्चित सख्या को अपचारिक रूप सं नियुक्त कर दिया जाए। आरोप यह था कि स्टेटसमन रही व रूप म बेचने व लिए अखबार की अतिरिक्त कापिया छाप रहा है।

स्टेटसमन ने फौरन कलकत्ता उच्च न्यायालय म एक अर्जी दी जिस पर न्यायालय ने कायबाही को रोकने का आदेश दिया और बदले म सरकार से कारण पूछा कि क्यों न उसके नोटिस को रद्द कर दिया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय म चार दिन की सुनवाई के बाद 20 दिसम्बर को केन्द्रीय सरकार ने नोटिस वापस ले लिया क्योंकि वह समझ गई थी कि वह मुक्तमा हार जाएगी।

सरकार का नोटिस क्यों न रद्द कर दिया जाए यह कारण बताओ आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा सरकार व लिए जारी किए जान के चार दिना के भीतर ही व्यक्तिगत रूप सं ईरानी के विरुद्ध कायबाही शुरू कर दी गई। आरोप यह लगाया गया कि 'स्टेटसमन' ने 1970 म कम्पनी बानून के अन्तगत केन्द्रीय सरकार से अनुमति लिए बिना ही नविकेता प्रकाशन लिमिटेड नामक एक छोटी प्रकाशन कम्पनी को ले लिया था। स्टेटसमन न उस समय बानूनी सलाह ली थी जिसक अनुसार तब अनुमति लेने का कोई जरूरत नहीं समझी गई थी। यह मामला अभी अदालत म विचाराधीन ही था कि आपातस्थिति हटा दी गई।

दबाव बालन का एक और उदाहरण यह है कि 24 जनवरी 1976 को श्री ईरानी का पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया गया। श्री ईरानी उस समय विदेश म थे। 26 जनवरी को वे भारत लौटे तो उन्होंने विराध व साथ और अपने अधिकारों



के हाथ बहुत लम्बे हैं और वे 'स्टेट्समैन' पर अपना अधिकार करने के लिए कृतमकल्प हैं।

सरकारी निरकुशता के विरुद्ध 'स्टेट्समैन' का सफल सघप ने यह दिखा दिया कि प्रेम याप और सुरक्षा के लिए देश के उच्च न्यायालयों पर निर्भर कर सकता है। प्रस का स्वतंत्रता के लिए इस साहसिक लम्बे युद्ध के बाद यह उचित ही होगा कि अमराना का स्वतंत्रता भवन श्री सी० आर० इरानी को स्वतंत्रता पुरस्कार दे।

जब जून 1975 में सरकार ने सेंसर की घोषणा की तो बम्बई से निकलने वाला एक मासिक पत्रिका फ्रीडम फ्रंट का सम्पादक श्री मीनू मसानी ने महसूस किया कि उस महीने मेंबर को प्रति भ्रजन और फौरन बन्द करने में अब बहुत देर हो गई है। इसीलिए उन्होंने जून के अंक को डाक में डाल दिया और जुलाई अंक की प्रति अनुमति के लिए सेंसर को भेज दी। बम्बई में सेंसर-अधिकारी श्री विनोद राव ने भजी गई सामग्री में से 1 मुद्दे को काट दिया। श्री मसानी ने मेंबर के फमले को स्वीकार नहीं किया और अदालत में उसे चुनौती देने का निश्चय किया।

स्वयं एक नया एक भूतपूर्व ससत्सदस्य एवं प्रमुख नागरिक श्री मीनू मसानी 10 दिन तक एक वकील से दूसरे वकील के पास भटकते पर किसी ने उनका मुकदमे का स्वीकार नहीं किया। सरकारी आदेश को चुनौती देने का साहस किसा में नहीं था। अंत में उनके मित्र और स्वयं एक प्रतिष्ठित वकील था सोली सोरावजी ने श्री डा० एच० नानावती का नाम सुझाया। दोनों वकील ने इस मुकदमे का न सिर्फ लड़ा और जीता बल्कि इस काम के लिए कोई पसा भी स्वीकार नहीं किया। 10 फरवरी 1976 का 'यायमूर्ति' जी० पी० मदन तथा यायमूर्ति एम० एच० केनिया ने श्री मसानी को अर्जी को स्वीकार किया। यायाधीशों ने स्थापना दी कि सेंसर द्वारा काटे गए 11 में से 9 मुद्दों पर गलत प्रतिवेद न लगाया गया था।

'यायमूर्ति' मदन ने अपना फमले में कहा 'सेंसरशिप आदेश के अधीन काम करने वाले सेंसर का यह कृत्य नहीं है कि वह सभी समाचारपत्रों एवं पत्रिकाओं को एक ही दिशा में चलने के लिए बाध्य करे अथवा उन्हें एक के पीछे एक एकदूसरे पकित में हाक अथवा उनसे एक मुर में एक कारस गवाए। उसका यह काम नहीं है कि वह अपनी कानूनी ताकत का इस्तेमाल सावजनिक मत को एक साचे में डालने के लिए अथवा प्रस का जनता के मनोमाजन (बेन वार्शिग) का पत्र बनाने के लिए करे। सेंसरशिप आदेश के अधीन सेंसर की निधुक्ति लोकतंत्र का घायल रूप में का ज्ञानी है न कि उसकी कन्न खोदने वाले के रूप में।

यह फसला सेंसर की ज्यादातियों के विरुद्ध प्रेस के युद्ध का रुख निश्चित करने वाला सिद्ध हुआ।

एक पाक्षिक पत्रिका हिम्मत व सम्पादक श्री राजमाहन गांधी (महात्मा गांधी के पौत्र) तथा एम० आर० ए० कायकर्त्ताओं के उनके दल ने यह तय किया था कि यदि व आपातस्थिति की आजाचना नही कर सकेंगे तो उसकी प्रशंसा भी नही करेंगे। लेकिन जल्द ही स्पष्ट हो गया कि सरकार का यह भी मजूर नही था।

सितम्बर 1975 में हिम्मत ने दिल्ली में राजघाट पर हुई एक सभा का, जिनमें आचार्य कृपलानी का भी बोलना था व्योरा छापा। पुनिम ने सभा का भंग कर दिया था और श्री राजमाहन गांधी समेत 19 व्यक्तियों का ग्नी बना लिया था। इस सभा का व्योरा हिम्मत पर पून-सेंसर लागू करने का सरकार व पास पर्याप्त कारण बना। सेंसर मात्र तब चला रहा। श्री मीनू मसानी व मामने में 'यायमूर्ति मदन व फर्मन व वा' हिम्मत ने आग प्रतियोगी सेंसर का न भजन का निणय ल दिया। इस समय हिम्मत ने आपातस्थिति का विरोध करने वाल नताशा, जमें कि श्री एम० सा० छागना आचार्य कृपलानी, श्री पीलूमानी तथा श्री शान्तिभूषण स भेंट-वाताशा का एक श्रम गुन लिया।

सरकार ने पत्रिका से 20000 रुपये की जमानत मागकर जमाना चाट की। हिम्मत ने इस आदेश का जमानत म चुनोती थी।

जिन प्रेस में हिम्मत पिछन नौ वर्षों से छप रहा था उन विपत्ति की आशका हुई। प्रेम ने सम्पादक से कहा कि पत्रिका के अगल तीन जक व तभी छापेंगे जय सेंसर पूरी मामला को पट्टन अनुमति दे दगा और तीन जका के बाद हिम्मत का छपाई का कोई और प्रबंध करना हागा।

एक अक में सेंसर ने एक मद्रमून का अंतिम क्षण ही काटा। पत्रिका छपने के लिए प्रेम म जा रहा थी। सम्पादक ने वह जगह खाला छोड नी। इस बात ने सेंसर को मद्रन नाराज कर लिया और पत्रिका पर एक बार फिर पूरा पून-सेंसर लगा लिया गया। बाद में एक अक में सेंसर ने श्री राजमाहन गांधी के एक लेख का काट लिया। सम्पादक ने अंतिम पज पर पाठका की सूचनाथ एक मक्षिप्त सूचना डाक दी कि प्रत्याशित तख का अपरिहाय परिस्थितिया के कारण छापा नहा जा सका है। प्रेम ने माग की कि इस सूचना का छापन का अनुमति भी सेंसर म ली जाण। जय सम्पादक उस सूचना का लेकर सेंसर के दफतर म गए ता सेंसर ने अनुमति न म इकार कर लिया। सेंसर का कहना था कि दिल्ली से इसका इजाजत न मिनग और तब उह परजानी हागा। एक अधिकारी ने एक रास्ता सुगाया। उसने मनाह दी कि इस सूचना के स्थान पर हिम्मत प्रधान



मन्त्री के बीस सूत्री कार्यक्रम में एक सूत्र को छाप सकता है।

इसके बाद हिम्मत को छापने के लिए कोई प्रेम तयार नहीं हुआ। कुछ तयार हुए भी तो एक या दो जक छापकर पीछे हट गए। निराश होकर हिम्मत ने पाठकों से अपील की कि अपना निजी प्रस म्यापित करने के लिए वे उसे च दा द। पसा आया और अब हिम्मत के पास अपना निजी प्रेस है।

छापी सी लेकिन बलाग पत्रिका आपानियन के सम्पादक श्री ए० डा० गोरवाला के साहस और दृढ़ता की तुलना श्री आर० एन० गोयनका से ही की जा सकती है। श्री गोरवाला उनमें से एक थे जिन्होंने ससर की ज्यादतियों के सामने झुकने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बाद में ओपीनियन के एक अंक में लिखा 'इस पत्रिका (पूर्व ससर की पत्रिका) के कुछ अनुभव के बाद मैंने महसूस किया कि यह अपने पाठकों एवं देश के प्रति सम्पादक के कर्तव्य से बिल्कुल मेल नहीं खाती। अतः मैंने इसके बिना ही चलना शुरू किया। लेकिन ससर के वास्तविक प्रयोजन को अपने दिमाग में रखा अर्थात् भारत की रक्षा नागरिक सुरक्षा सैनिक कार्यवाहियों के कुशल संचालन सावजनिक अनुशासन एवं आंतरिक सुरक्षा तथा सावजनिक हिंसाजत से सम्बन्धित कोई निंदाजनक बात नहीं छापी।

ससर ने कुछ समय तक ओपीनियन की इस स्थिति की उपेक्षा की। उसकी समस्याएँ मार्च 1976 के अंत के आस पास शुरू हुईं। गोरवाला को तथा जहाँ ओपीनियन छपता था उस प्रेस का जवाब के नोटिस प्राप्त हुए। श्री गोरवाला ने फौरन एक पत्र लिखकर अधिकारियों से पूछा कि किन नियमों का भंग उमने किया है जिससे जाती का यह आदेश भंगा गया है। उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। गोरवाला ने पत्र भेजकर याद दिलाया। इसका भी कोई उत्तर नहीं दिया गया। इस बीच प्रेम ने ओपीनियन को अपने छापने से इन्कार कर दिया। गोरवाला हमारे प्रेस के पास गए जिसमें काम ले लिया लेकिन दो अंक छापने के बाद छापना जारी रखने में असमर्थता प्रकट करनी। गोरवाला अब एक अन्य प्रेस के पास गए पर परिणाम वही निकला। उन्होंने पत्रिका साइक्नास्टांटल करने का फैसला किया। अब ससर ने दूसरी चाल चनी। उसने डाक अधिकारियों को निर्देश दिया कि ओपीनियन को बाटा न जाए। अतः मैं श्री गोरवाला रुककर खड़े हो गए। ओपीनियन पत्रिकाओं को टुनाओं पर नहीं बेचा जाता बल्कि पूरा का पूरा चंदा लेकर डाक से भेजा जाता था। कुछ भी हुआ पर लड़ाई उन्होंने जारी रखी।

30 अप्रैल को श्री गोरवाला से कहा गया कि वे पुलिस कमिश्नर के यहाँ 25000 रुपये की जमानत जमा करें। गोरवाला ने अदालत में इस आदेश का

चुनीती दी और स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया। अंत में राज्य सरकार ने हस्तक्षेप किया। उसने कहा ओपीनियन सावजनिक सुरक्षा तथा सावजनिक अनुशासन एवं आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है और इस आधार पर पत्रिका का प्रकाशन करने की गोरवाला का मनाही कर दी गई।

श्री गोरवाला उनमें थे जो कभी हार नहीं मानते थे। उन्होंने अपने विदाई के सम्पादकीय में लिखा 'वर्तमान इतिहास प्रशान्त जून 1975 में स्थापित हुआ। वह चूठ में सपना हुआ झट में पला और झूठ पर ही फला फूला। न तो भारत सरकार न ही महाराष्ट्र की सरकार इतनी जड़ भूख हा सकती है कि जो आशका उन्होंने प्रदर्शित की है वह सचमुच ही उह हा भी। वे जानते हैं कि 'ओपीनियन' के यकिनसंगत लेख आम आदमी को भडकाने वाले व्यक्ति अथवा पडपत्रकारी को वाइ मसाला नहीं देते। वे उस जनवग से परिचित हैं, जिसकी ओपीनियन सेवा करता है। ये लोग सडका पर टुडदग करने वाले नहीं ह। ये पढ़ते हैं साचते हैं चहस करते हैं तोलते हैं और अपने निजी निष्कर्षों तक पहुचते हैं। और ये निष्कर्ष ही हैं जिनसे आसन इतना भयभीत है उन निष्कर्षों में जिन्हें शिक्षित भारतीया क बन्त ही सूक्ष्म अग ओपीनियन' के पाठका ने उपलब्ध किया है।

जनवरी 1977 में सेंसरशिप का उठाए जाने का बाद 'ओपीनियन' ने अपना प्रकाशन फिर से आरम्भ किया।

## कुछ मामले—समाचार एजेंसिया

समाचार एजेंसिया को मिलाकर एक कर देने की सरकार की मशा की पहली चालक अगस्त 1975 में मिली थी। श्री विद्याचरण शुक्ल ने हैदराबाद भवन में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों से दोपहर के भाजन पर भट की और उनमें संचार माध्यमों का पुनर्गठन की सरकारी योजना के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा सरकार महमूस करती है कि सिर्फ एक या अधिक से अधिक दो समाचार एजेंसिया होनी चाहिए। उनके विचार में था कि एक ज़रूरी माध्यम की एजेंसी हो और दूसरी हिन्दी माध्यम की।

नवम्बर में शुक्ल बम्बई में प्रेस ट्रस्ट के निदेशकों से भाजन पर मिले और उन्होंने चार समाचार एजेंसियों का मिलाकर एक करने की सरकारी योजना के बारे में बताया। इसके बाद संचार एवं प्रसारण मन्त्रालय के विशेष अधिकारी श्री ए० एन० प्रसाद की ओर से प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पी० सी० गुप्त को एक सक्षिप्त पत्र मिला जिसमें प्रेस ट्रस्ट के अध्यक्ष से कहा गया था कि वे बोर्ड की बैठक शीघ्र ही बुलाए और प्रस्तावित विलय के प्रबंध को अंतिम रूप दें।

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के आदेश का पालन करते हुए नियमों के अनुसार सात दिन के नाटिस के बाद कुल 48 घण्टे का बीच देकर बोर्ड की बैठक 10 दिसम्बर को बुलाई गई। सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय ने विलय की कोर्ट योजना क्योंकि बोर्ड को नहीं भेजी थी इसलिए बोर्ड ने प्रस्ताव का ब्योरा मांगा। निणय लने से पहले उन्होंने एक आम बैठक बुलानी चाही क्योंकि प्रस्ताव में एक पृथक इकाई के रूप में प्रेस ट्रस्ट की समाप्ति की बात निहित थी।

अब घौम धुप्पल की प्रक्रिया चालू हुई। भारत सरकार के प्रधान सूचना अधिकारी डाक्टर ए० आर० वाजी को बोर्ड की बैठक के अवसर पर बम्बई भेजा गया जिससे वे वहां भूमिका निमित्त कर सकें। जब बैठक से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके तो सूचना अधिकारी महान्य क्रुद्ध हो उठे। प्रेस ट्रस्ट के निदेशकों द्वारा मांग गए विवरणों को देने के स्थान पर उन्होंने अखबारों में एक खबर छपवायी जिसमें कहा गया था कि समाचार एजेंसिया को बहुत बड़ी घनराशि (70 लाख रुपये) सरकार को देनी है और इस राशि को वसूल करने के लिए अधिकारी उचित क़ायदाही करना चाहते हैं।

प्रेस ट्रस्ट ने अपने नये भवन निर्माण के लिए सरकार से 50 लाख रुपये का कूज लिया था, लेकिन घदल में अपने भवन का जा कुछ करोड़ रुपये की कीमत का था, सरकार के पास गिरवी रख दिया था। प्रेस ट्रस्ट नियमित किशता म मूल और ब्याज अण कर रहा था और अब तक 16 लाख रुपया सरकार को दे चुका था।

प्रेस ट्रस्ट की मायता थी कि सरकार इस कूज पर 40 प्रतिशत म कम ब्याज नहीं ल रही है क्योंकि उगने प्रचलित बाजार भाव 3 रुपये प्रति बग फुट क स्थान पर 75 पसे प्रति बग फुट के हिसाब से भवन की दा मजिलें किराय पर ल रही हैं।

इस बीच प्रेस ट्रस्ट पर बहुमुखी ंवाव बनाए रखन के लिए न न्दिलन नगर पालिका ने कुछ गेप करो की एवज म भवन पर कब्जा करने के जादेश प्रेस ट्रस्ट पर जारी करा दिया। वस्तुत इस दय राशि पर थगडा था और मुक्त्मा चल था। प्रेस ट्रस्ट के प्रतिनिधि कुल दो दिन पहले ही मामले पर विचार करन के लिए नई दिल्ली नगर पालिका क अधिकारिया से मिल थ और प्रेस ट्रस्ट पहुँचे ही दिए जा चुके 50000 रुपये क अतिरिक्त 1 लाख रुपया और देन पर राजी हो गया था।

28 दिसम्बर को प्रेस ट्रस्ट की बिजली काट ली गई। जब पूछा गया तो नगर पालिका ने कहा कि ऐसा किसी तकनीकी दोष के कारण हा गया है। इस तक पर विश्वास नहीं किया जा सकता था क्योंकि प्रेस ट्रस्ट के पास ं सूत्रा से बिजली की आमद का प्रबन्ध था। ऐसा इसलिए किया गया था जिसस किनी एक सूत्र की बिजली बन्द हा जाने पर धाम न रुक। लेकिन अब तोना सूत्रो की बिजली कट गई थी।

30 दिसम्बर का प्रेस ट्रस्ट क प्रबन्धक अपने अध्यक्ष म न नगरपालिका के अधिकारिया म मिल। प्रेस ट्रस्ट स कहा गया कि वह 1 जनवरी तक 2 33 लाख रुपये का भुगतान करे। यह माग पूरी कर ली गई। इस पर भी नई दिल्ली नगरपालिका के सचिव श्री वी० एस० ऐनवाणी न जिन् की दि प्रेस ट्रस्ट की सम्पत्ति मजा कुसियो मशीनो जादि की सूची बनान क लिए अधिकारी भेज जाए। यह सिफ इसलिए कि प्रेस ट्रस्ट क प्रबन्धका म घबरावट पदा ली जा सके।

लगभग उसी समय चम्पीगढ की अपनी यात्रा क तारान सम्वात्ताताजा म बातचीत करते हुए सूचनामन्त्री न इशारा किया कि सरकार न धारा समाचार एजेंसियो का एक इक्वार्ड म क्लिय करेन का फमला कर दिया है। इस प्रस्तावित कायवाही को मगत सिद्ध करने क लिए शुभल न आराप लगाया कि प्रेस ट्रस्ट पर पाच प्रमुख समाचारपत्रो का आविपत्य है। जब एक मन्त्रालय ने



का भुगतान न करने के कारण लाइसेंस नहीं काटी गई है। हमारे पास ऊपर के आदेश हैं।'

प्रेस ट्रस्ट की अर्जों का उत्तर देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विशेष अधिकारी क० एन० प्रसाद न लिखा सभी सम्भव कठिनाइयों को हमने समझ लिया है। लेकिन इन मुद्दों में से अधिकतर क्योंकि पहले से ही हमारी जानकारी में हैं इसलिए व्यापक राष्ट्रीय हिता की दृष्टि से यही वाछनीय है कि समाचार एजेंसी एक ही रखा जाए। अतः हमारा सुझाव है कि इसे आप अपने बोर्ड के सामने प्रस्तुत करें।'

प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के कुछ सदस्य इस बात से बहुत उत्तजित थे कि सरकार एक ओर तो विनय की याचना का ब्योरा देने में विफल रही है और दूसरी ओर तत्काल एक स्वच्छिन्न विलय पर जोर दे रही है। जनरल मनजर ने सरकार से हुए पत्र व्यवहार की प्रतियाँ दिल्ली में बोर्ड के सदस्यों का भेजी और उनकी प्रतिक्रिया माया क्योंकि कम अवधि की चेतावनी पर बोर्ड की बैठकें बार बार करना सम्भव नहीं था।

बोर्ड के एक सदस्य ने यह मत व्यक्त किया कि न तो आम सिद्धान्तों के आधार पर और न ही राष्ट्रीय हित में विलय वाछनीय है और 'इसलिए बोर्ड अनुभव करता है कि सरकार इस विषय पर अपनी धारणा पर पुनर्विचार करे।' उस सदस्य ने लिखा, हम एक एकाधिकारी समाचार प्रणाली के सृजन में भागीदार नहीं बन सकते। वैसे सरकार सर्वशक्तिमान है। जो चाहे वह कर सकती है।

बहुमुखी दबाव ने प्रेस ट्रस्ट के बोर्ड पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। 20 जनवरी 1976 को बोर्ड की अंतिम बैठक हुई जिसमें उसने अपने मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर कर लिए। बोर्ड ने श्री क० एन० प्रसाद के 7 जनवरी के पत्र और आकाशवाणी का प्रेस ट्रस्ट की सेवाएँ बन्द कर देने की घोषणा करते हुए 2 जनवरी के पत्र पर विचार किया। जनरल मनजर ने सरकार द्वारा प्रेस ट्रस्ट पर लागू की गई तरह-तरह की सख्तियों की तथा सरकार के कठोर एवं पूरी तरह असहयोगी रुख की सूचना बोर्ड को दी और कहा कि इन हालातों में काम चलाने में बंजरमथ है।

बोर्ड ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मांग के अनुसार एक प्रस्ताव पारित कर लिया। प्रस्ताव में कहा गया प्रेस ट्रस्ट का बोर्ड चारों समाचार एजेंसियों के एक अनेकी एजेंसी में स्वच्छिन्न विलय के प्रस्ताव को स्वीकार करता है। वह पिछले सप्ताह राज्य सभा में लिए गए सूचना एवं प्रसारण मन्त्री के इस वक्तव्य की प्रशंसा करता है कि विलय स्वच्छता से ही होना चाहिए।

यह है भारत की 70 वष पुगनी अग्रगामी ममाचार एजेसिया की धारा की बाहर धीन नेन का टु घट कहानी ।

शुक्ल क मचार एक प्रगारण मन्तलय मनातन क दा न्ति बा मू० एन० आर्ई० क जारन मनोजर थी जी० पी० मीरचानी मन्त्री महात्य म मिनन आण । मगमग सिडन जान का अनुभव ररर है यह बाविस एण । शुक्ल वष की तिनी का तरण टड नीम पन । यह श्यकर सिही नीति मन्त्रधी प्रश्ना पर बात करन का उत्गाह यू० एन० आर्ई० क जारन मनोजर म नहा हुआ । मग भेंट म शरन ने सभी समाचार एजेसिया क सम्भावित बिलय का मकत किया । उाका कहना था यह सिफ एक विचार है ।

इम अवसर पर शरन का श्यापन कुछ समय पहन जब मन्त्री महोत्य मुरक्षा उत्पादन मन्त्री धतर क मीरचानी क साथ उनक व्यवहार स एवम उतठ था । मग ममय यण शुक्ल ध जा थी मीरचानी म भेंट करना चारुन थे और उहोन अपा पर चाय पर उ न्ति निमित्त किया था । शरन ने वड गद्भाव पूवन थी मीरचानी का स्वागत किया था । आरम्भित बागीत क बाद शुक्ल न यू० एन० आर्ई० क जनरन मानर म प्राणा की थी ति शुक्ल क एक मन्त्रधा रायपुर म यू० एन० आर्ई० क मन्त्रधाना का बतन यडा किया जाण । थी मीरचाना ने मन्त्रा महात्य की बा रग्नी थी और एम मन्त्रधाना के बतन म 30 मय मामिड वग णि थ । एम आरम्भिक दौर पर किया था ययि तरकरा का पात्र ता यह था ।

शुक्ला प्रसारण म पी र साथ थी मीरचानी की दूसरी भेंट एत इम मन्तलय म आन क एण म साह बा म हूई । मन्त्री महात्य न सभी एजेसिया के प्रमुखा को एक मा म बुलाया था । इम भट क दौरान शक्ल ही लगानार बोलत र । उहान एजेसिया न प्रमुखा का उताया रि उह यह कहने र निण बुलाया गया है कि वे सरकार को अपना सहयोग दें और ध्यान रखें कि णगर के नियमा का सन्ती म पावन किया जाता है । उहोन न करन बाव कामा की नम्बी सूची पन्वर सुनाई । प्रधान मन्त्र न यह सूची पहन ही मन्त्र पाग भज थी । एक उपस्थित सरकार न मन्त्री महात्य स गगरतन पूछा कि क्या बाजार भावो क उतार उताव का ध तरण म न्ति मकत है । मन्त्री महात्य का उत्तर था— नहीं । यदि उतार उताव वन्त प्रगार है ता मगम रहशन फन सक्ती है । तब पन भर रररर उ हान जाग कन रि प्रिया रिमी स्थिणी अथवा पच्छभूमि के सिफ एक णि जा मकत है ।

13 जना क थी मीरचानी न था शुक्ल क ममान म एक भाग किया जिमम यू० एन० आर्ई० क मन्त्राधय निणगर जाण । शुक्ल आम दौर स प्रथम पुष्प म बावत थ । उ हान यू० एन० आर्ई० क निणशका का बताया कि उ होन

समाचार एजेंसियों के विलय का फैसला कर लिया है। एजेंसी के अनेको पत्रकार पहले यह सोचत थे कि विलय की यह बात नये मन्त्री का 'लिल्की घोड़ा' है क्योंकि एशियन समाचार सेवा उनके पूर्ववर्ती मन्त्री श्री इन्दर गुजराल की थी।

लेकिन शुक्ल ने सभी सदेहों को समाप्त करते हुए विलय के लक्ष्य को पूरा करने की अंतिम सीमा सितम्बर निश्चित कर दी। इस सीमा को बदलकर नवम्बर करना पड़ा, क्योंकि मन्त्रालय के अधिकारी लिखा पढ़ी का काम पूरा नहीं कर पाए थे। प्रस्ताव यह था कि सरकार एक अध्यादेश जारी करके सभी चार समाचार एजेंसियों—प्रेसटस्ट यू० एन० आई० समाचार भारती तथा हिन्दुस्तान समाचार को अपने कब्जे में ले लगी और तब समाचार सेवा' नाम की एक इकाई में उनका विलय कर दिया जाएगा। अध्यादेश का मसौदा सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में तयार किया गया था। 12 दिसम्बर 1975 की विलम्बित तिथि तक इस मसौदे को अंतिम रूप दिया जा रहा था।

अध्यादेश पर विचार करने के लिए मन्त्रिमंडल की एक विशेष बैठक 13 दिसम्बर को बुलाई गई थी। बैठक 5 बजे थी। श्री मीरचदानी ने सजय से मिलने का समय मांगा, जो उसी दिन दोपहर बाद 3-30 तक हुआ। जब मीरचदानी प्रधानमन्त्री निवास पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग पहले से ही सजय से मिलने के लिए वहां इकट्ठे हैं। इस प्रकार मीरचदानी की बारी 5.15 तक आ सकी और तब तक मन्त्रिमंडल की बैठक शुरू हो चुकी थी। श्री मीरचदानी ने सजय से कहा कि आप तक पहुंचने में शायद बहुत देर हो गई है। फिर भी उन्होंने सजय को बताया कि सिर्फ एक समाचार एजेंसी से स्वयं सरकार का भी हित पूरे नहीं हो पाएगा। दूसरी ओर यदि दो या अधिक समाचार एजेंसियों में सरकार की कृपा पाने की होख रहेगी तो इससे सरकार अधिक लाभ की स्थिति में रहेगी। बैठक कुल पांच मिनट तक चली। लेकिन उसी दौरान सजय ने कहा, मैं स्वयं अध्यादेश के कुछ मुद्दों को पसंद नहीं करता।

मीरचदानी वापस अपने दफ्तर चले गए और गहरी उत्कठा के साथ मन्त्रिमंडल की बैठक के परिणाम की प्रतीक्षा करने लगे। 6-30 पर टेलीफोन की घटी बजी। मन्त्रिमंडल ने प्रस्ताव को रद्द कर दिया था। कहा जाता है, बैठक में विशेष रूप से निर्मात्रित श्री पी० एन० हवसर और मन्त्रालय में शुक्ल के पूर्ववर्ती श्री गुजराल ने प्रस्ताव की जोरदार आलोचना की थी। दोनों का कहना था कि अध्यादेश के द्वारा बलपूर्वक किया गया विलय वाछनीय नहीं है। यह भी बताया गया कि कम से कम नौ मन्त्रियों ने प्रस्ताव का विरोध किया। मन्त्रिमंडल ने एक घंटे तक शुक्ल से प्रश्नोत्तर किए और अन्त में प्रस्ताव को रद्द कर दिया। उक्त अध्यादेश में बीमे के राष्ट्रीयकरण का नमूने पर समाचार एजेंसियों का राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव रखा गया था।



श्रीमती गांधी अत मे बोली और उन्होंने कहा मैं भारत में तब नहीं चाहती। कहा जाता है कि पहले उन्होंने प्रस्ताव को अपना आशीर्वाद दे दिया था लेकिन जब उन्होंने देखा कि मन्त्रिमंडल में इस प्रस्ताव का इतना जोरदार विरोध हुआ है तो उन्होंने अपनी राय बदल दी।

इस प्रकार मात खाकर शुक्ल जब युद्ध के माग पर चल पड़े। अगले दिन अखबारों में यह खबर निकली कि एजेंसियां को 70 से 75 लाख के बीच रुपया सरकार को देना है। 15 दिसम्बर का यू० एन० आई० के मुख्यालय में अधीन कार्यालयों से यह शिकायतें आने लगी कि डाक-तार विभाग, झगड़े के कारण लटकी पड़ी बकाया राशियों समेत सभी दय राशियों का भुगतान करने के लिए दबाव डाल रहा है। ऐसा न करने पर लाइनें काट दी जाएगी। यू० एन० आई० की तरफ बकाया राशि पूरे देश में 45 लाख से अधिक नहीं थी और प्रेसट्रस्ट की ओर इससे भी कम थी। दो हिन्दी समाचार एजेंसियों की ओर बकाया इससे अधिक था। इसके मुकाबल सरकार को लगभग 13 लाख रुपये यू० एन० आई० को देने थे और 15 लाख रुपये प्रेसट्रस्ट को।

शुक्ल ने इसके समथन में एक दूसरी धमकी दी उन्होंने दावा किया कि यदि एक एजेंसी की ओर एक सराण (चनल) का बकाया है तो सरकार सभी सरणियों को काट सकती है। (यह बात प्रसारण के दिमाग की उपज कही जाती है)। मीरचन्दानी अब सचार मन्त्री श्री एस० डी० शर्मा के पास दौड़े। उन्होंने अपनी विवशता प्रकट की यद्यपि उन्होंने साफ कहा कि प्रस्तावित कायवाही हत्या के बराबर है। असल में लाइनें कभी नहीं काटी गईं लेकिन एजेंसी के सिर पर धमकी की तलवार लटकी रही।

नये वष के साथ यू० एन० आई० पर सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय का दबाव बढ गया। आकाशवाणी यू० एन० आई० की सूचना सेवा के लिए 70000 रुपये दती थी। श्री मीरचन्दानी का होटलो आदि को अपनी सूचना-सेवा बेचते घूम। व आकाशवाणी से हानि वाली आय के रक जान की आशका में 50000 रुपये का प्रबंध पहले ही कर लेना चाहत थे। तब यह पूरी तस्वार सामने रखत हुए उन्होंने अपने निदेशक को लिखा।

एक निदेशक ने जवाब दिया चिन्ता मत करो। हम आपके साथ हैं। मीरचन्दानी ने इस पत्र की प्रतिया दूसरे निदेशकों का भेजी लेकिन वे सहयोग देने में विफल रहे। जिस निदेशक ने पहले साथ देने का वचन दिया था, उसने भी बाद में टेलीफोन किया कि उसने राय बदलना है। बोर्ड की बैठक में इंडियन एक्सप्रस के सम्पादक श्री मुलगावर्कर और स्टेटमन्त के श्री निहानमिह दो ही थे जिन्होंने सरकार की माग का विरोध किया। कुछ निदेशक ने तो विलय के पक्ष में तब तक किया। (उस समय तक श्री जार्ज बर्गोज जिन्हें हिन्दुस्तान टाइम्स से हटा

दिया गया था, के स्थान पर पत्र के जनरल मनेजर श्री सतोपनाथ आ गए थे।) बहस का रुख यह था 'यदि हम ऐसा करना ही है, तो अच्छा है हम कर डालें और इससे छुट्टी पाए। अब इस बारे में क्या करना है।''

जब ही निदेशक भोजन के लिए बठे टेलीफोन की घंटी बजी और जनरल मनेजर को बताया गया कि फाइव टिकर लाइनें काट दी गई हैं। जब डाक-तार विभाग से सम्पर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें कारणों का ज्ञान नहीं है, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय से पूछो। जब सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय में श्री प्रसाद से बात की गई तो उनका कहना था, मुझे क्या पता। डाक-तार से पूछो।'

(कुछ दिन बाद जब प्रेसट्रस्ट के बोर्ड की बैठक चल रही थी तो प्रेसट्रस्ट की छ लाइनें काट दी गई थी। सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय की घोंस घुप्पल की नीति का यह एक रंग था।)

यू० एन० आई० के निदेशकों का विरोध पूरी तरह चरमरा गया। प्रमुख सूचना अधिकारी डा० बाजी अलग-अलग निदेशकों पर दबाव डालत रहे थे। अब सब चिन्तित जगह पर हस्ताक्षर करने के लिए तयार थे। इसमें अपवाद रहा, 'स्टेट्समैन', जिसका निदेशक ने कहा था कि मैं इस अपराध में भागीदार नहीं बन सकता। यदि हम फैंसले को प्रभावित नहीं कर सकते तो हम इससे अलग रहेंगे।''

जनवरी के तीसरे सप्ताह में यू० एन० आई० और प्रेसट्रस्ट दोनों के बोर्डों ने स्वच्छिक विलय का प्रस्ताव पारित कर दिया। प्रस्ताव का मसौदा शास्त्री भवन में तैयार किया गया था और स्वीकृति के लिए उनके पास भेज दिया गया था।

31 जनवरी की आधी रात को प्रेसट्रस्ट एवं यू० एन० आई० के नाम समाचारपत्रों में प्रकाशित खबरों पर से गायब हो गए और उनके स्थान पर 'समाचार' शब्द आ गया।

हिंदी की दो समाचार एजेंसियों समाचार भारती और हिंदुस्तान समाचार को हड़म करन में कोई विरोध कठिनाई नहीं हुई। दानो ही धन की कमी और अकृणलता व कारण भारी हानि में चल रही थी। उनके कमचारी साधन-सम्पन्न इस नई इकाई में अपने विलय के लिए फौरन तयार थे क्योंकि इससे उन्हें सुरक्षा और नियमित वेतन मिलने की आशा थी।

समाचार का पंजीकरण एक सोसायटी के रूप में किया जाय कि प्रेसट्रस्ट एवं यू० एन० आई० कम्पनिया थीं। इसलिए सोसायटी द्वारा कम्पनिया के ले लिए जाने में कुछ कठिनाई उत्पन्न हुई। यह गाठ इस प्रकार मुलवाई गई कि समाचार ने दोनों कम्पनियों का हिस्से खरीद लिए। लेकिन प्रेसट्रस्ट के हिस्सेदारों में 'स्टेट्समैन' तथा मलयाल मनारमा ने दृढ़ता दिखाई और अपने हिस्से समाचार को देने से इंकार कर दिया।

समाचार' ने चारों एजेंसियों की सम्पत्ति को स्वेच्छापूर्वक' ले लिया और उनके कर्मचारी समाचार को उधार क रूप में दे लिए गए (प्रत्येक को अपनी सेवाएँ समाचार को देने पर राजी होते हुए एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने पड़े थे)। वैसे प्रेसट्रस्ट की दोनो कम्पनियाँ दो पृथक इकाइयों के रूप में कानूनन अब भी अस्तित्व में हैं। इसलिए प्रेसट्रस्ट का निदेशक-मंडल किसी भी दिन अपनी सम्पत्ति पर स्वत्व की माँग समाचार' से कानूनन कर सकता है। समाचार कुछ करोड़ रुपयों की कीमत के नयी दिल्ली स्थित प्रेसट्रस्ट के विशाल भवन पर कब्जा जमाएँ है और अधिकतर अय स्थानों पर भी यान्त्रिक सामग्री की बड़ी मात्रा सहित, जिसका एक अंश यू० एन० आई० का है प्रेसट्रस्ट के भवन 'समाचार' के अधिकार में है। यह सब सम्पत्ति अब भी मूल स्वामियों की है।

समाचार के आम निकाय में 16 सदस्य हैं और श्री जी० कस्तूरी की अध्यक्षता में एक प्रबंध समिति इसकी व्यवस्था करती है। एजेंसी की गतिविधियाँ एक कार्यकारी सदस्य (सम्पादकीय) तथा एक कार्यकारी सदस्य (प्रशासन) के हाथ में हैं। चुनावों में श्रीमती गांधी के सरकार का पतन हो जाने तक समाचार की गतिविधियों के पीछे प्रेरक आत्मा के रूप में थे, मोहम्मद युनुस, 'प्रधानमंत्री के विशेष दूत क्योंकि यह कहलाने की उह जिद थी। समाचार' के निदेशन की जिम्मेदारी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के उस पुलिस अधिकारी के० एन० प्रसाद के हाथ में थी जो टेलीफोन के माध्यम से सुदूर नियन्त्रण के ढग पर एजेंसी को चलाता था। समाचार के मामलों का जिनमें खबरों की नीति-सम्बन्धी फसले भी शामिल थे अन्तिम निर्णायक लगता है सवतोमुखी प्रतिभा का वह युवक नेता, सजय गांधी था।

परिणाम हुआ, समाचार-सेवा का वह हास्यास्पन्न रूप जिसे अपने को फिर से निर्मित करने एवं विश्वसनीयता प्राप्त करने में कुछ नहीं तो बरसों लगेंगे।

## वह बिगडा हुआ लडका

सजय अनेक टुकड़ों से मिलकर बना लगता है। बदम्य, स्वेच्छाचारी, जिद्दी वह था, पर काम से और उतना ही जिद्दी से भी वह प्रेम करता था। लेकिन स्कूल से उसे लगाव नहीं था। देखने में काफी लम्बा और सुंदर था। कुछ लोग उसे दूध-से चेहरे और गुलाबी होठा वाला कहते थे। बहुत-कुछ वह अपने पिता पर था। उसके होठ उसके नाना के थे और उन होंठों में जो पेंच था वह उसे अपनी मा से मिला था।

सजय को दून स्कूल से वापस बुलाना पडा था। उसकी बुआ-नानी श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने उसके बारे में कहा था कि उसे किताबों से नफरत है। लेकिन परिवार के मित्र मोहम्मद यूनस का कहना है कि उसमें प्रयोजन की दृढ़ता और प्रेरणा है। वे कहते हैं ' मैं उसे बचपन से जानता हूँ और मैंने उसे एक छोटे सगेड में काम करत और गदे और काले हाथ और कपडे लिए घर लौटते देखा है।

परिवार के एक निकट मित्र का कथन है कि सजय मा के लिए परेशानी और चिंता का विषय लगातार बना रहा है। एक धनी परिवार का बेटा होने के कारण अपनी किशोरावस्था में सजय ने आवश्यकता से अधिक शतानिया की। उसका अपना एक दल था जो घोड़े की सवारी के लिए खूब प्रसिद्ध था।

मोहम्मद यूनस का बेटा आदिल शहरयार एक प्रसिद्ध साहित्यकार का बेटा और उच्चवर्ग के एक परिवार का एक अग्र पुत्र उसके दल में थे। वह और उसके शतान दोस्त चौबीसो घंटे प्रधानमन्त्री निवास के भीतर-बाहर घुसत निकलते रहते थे। वे सड़क पर से अथवा स्टैंड से कोई भी कार उठा लेते और भयानक गति से पूरे नगर में उसे चलाते घूमते। ठीक आधी रात के समय भी वे अपनी इन कार पार्टियों से लौटते या उनके लिए निकल पडते। यह सब गम्भीरता से नहीं लिया गया। इसे बस बच्चों की शरारत माना गया।

इंदिरा और फीरोजशाही का दूसरा पुत्र सजय एक टूटे हुए घर की एक ठेठ उत्पत्ति है। वह प्रतिशोधी है बीठ है, बदमिजाज है और कानून एवं अनुशासन के प्रति उसमें बहुत ही कम इच्छा है। इसका मुकाबले उसका बडा भाई राजीव अधिक परिपक्व और गम्भीर है। नाना श्री जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें पूरा स्नेह दिया लेकिन अपने दोहिनों की देखरख का अवसर उन्हें नहीं मिला।

बचपन से ही सजय अनुशासन के प्रति विद्रोह करता प्रतीत होता था। लेकिन आस पास के लोग कहा करते थे कि वह जानदार बच्चा है। दून स्कूल की गडबडी के बाद परिवार के एक मित्र जयन्ती शिपिंग छपाति के डा० धर्मतेजा के माध्यम से सजय को आटोमोबाइल यांत्रिकी का प्रशिक्षण लेने के लिए इंग्लैंड भेज दिया गया। श्रीवे की रा-सरायस फक्टरी में उस प्रवेश मिला लेकिन बिना प्रशिक्षण पूरा किए ही वह वापस लौट आया। जब वह इंग्लैंड में था तो एक सड़क पर बहुत तेज मोटर चलाते हुए एक दुर्घटना में वह फंस गया था। कार का नियंत्रण उसके हाथ से निकल गया था और कार ने दो बार पलटी खाई थी। भारत के उच्चायुक्त ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करके इस घटना को दबाया था।

जब बेटे ने कार बनाने का एक कारखाना स्थापित करने की बात की तो मां ने सचमुच ही चन की सास ली। अपने खाली दिना में वह दक्षिण दिल्ली की एक बस्ती में स्कूटर ठीक करने वाली एक दुकान पर जाया करता था। वह वहां बठता मिस्त्रिया को काम करते हुए देखता और उनकी भद्दी मजाको में हिस्सा लेता। इस दुकान के मालिक बस्ती के एक दादा अजुनदास से उसकी दोस्ती हो गई। बाद में अजुनदास सजय का एक घनिष्ठ मित्र और विश्वासपात्र बन गया और प्रधानमंत्री निवास में उसका पतनी पूछ होने लगी कि वह अपने को श्रीमती गांधी का तीसरा बेटा कहता घूमने लगा। सजय ने कायकारी परिपद का तथा कितनी ही अत्य महत्वपूर्ण समितियां का सदस्य बनने में उसकी सहायता की। आपत्काल के दौरान जो अनिष्टकर हनचल हुई उनमें इस अजुनदास ने खूब हिस्सा लिया।

अजुनदास को रोशनारा बाग क्षेत्र में रुचि पैदा हो गई थी जहां मोटर गाड़ियों के अनेको कारखाने हैं। अजुनदास की मदद से सजय ने उसी इलाके में अपना निजी कारखाना स्थापित कर लिया। जो लोग उन दिनों सजय को देखते थे वे कहते थे कि वह एक उत्साही युवक है जो सुबह ही अपना खाने का डिब्बा लेकर काम पर जाता है और मध्या समय दूसरे कारीगरों की तरह ही घर वापस लौटता है। जामा मस्जिद के कबाड़ियों और नगर की मोटर गराजों से इकट्ठे किए गये कार के हिस्सों को ठाक पीटकर सजय के साथी स्टील की फर्शों से एक छोटी जनता कार का प्रारूप तयार करने में जुटे रहते। इसके साथ अपनी महत्वाकांक्षी योजना में वह पूरी तरह डूबा रहा और इस तरह उसके सपने में आकार लेना शुरू किया।

1969 के आस-पास अपनी योजनाओं के बारे में उसने लोगों से बताना शुरू किया। आस-पास के लोग उमकी बातें सुनते थे। प्रधानमंत्री निवास में आन बा न उमकी आकांक्षाओं से परिचित हो गए। इनमें उद्योगपति भी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के बेटे की योजनाओं में गहरी रुचि दिखाई। उन्होंने सनाह एक

क्रोधीय सहायता तक देने का प्रस्ताव रखा। सजय को लगा कि अब उसका अपना पूरा हो जाएगा। जस ही वह आगे बढ़ा उसने देखा कि उत्सुक मित्रों ने उसका माग ५ प्रशस्त कर दिया है। इन मित्रों ने प्रधानमंत्री निवास के भीतर पहुंचने के लिए एक कुर्जी उसके रूप में खोज निकाली थी।

छोटी कार अथवा जनता की कार जो नाम इसे इन्दिरा की समाजवादी सरकार के दावे के अनुकूल ही इम दिया गया था मूलतः छोटे शक के मध्यम क्रोधीय मंत्री श्री मनुमाई शाह के दिमाग की कल्पना थी। इस सावजनिक क्षेत्र की योजना बनना था। कितनी ही कम्पनिया इम उठाने को तयार थी जिनमें पहली थी हिन्दुस्तान मशीन टूलम। रक्षामंत्री श्रीकृष्ण मनन चाहते थे कि यह रक्षा उत्पादन की एक योजना बने। बाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि के कारण निर्माता जस कि तापोता, दाल्वस-वेगन रिनाल्ट तथा मारिस् ने भी सहभाग का प्रस्ताव रखा। भारत सरकार ने आर्. सी. एस. श्री एल. के. शा के अधीन एक समिति नियुक्त की, जिस यह पता लगाने के लिए कहा गया कि क्या ऐसी कार की ज़रूरत है और क्या इसका थोक उत्पादन किया जा सकता है। समिति ने तय किया कि छोटी कार जिसकी कीमत लगभग 7000 रुपये तक होने की आशा थी सम्भाव्य भी थी और लोगो को इसकी ज़रूरत भी थी।

लेकिन यह योजना वहीं की वहीं पड़ी रह गई। इम 1969 में उस समय पुनर्जीवित किया गया जब सजय गांधी राम रायस में तीन साल प्रशिक्षण पाकर घर लौटा। नवम्बर 1970 में उद्योग मंत्रालय ने जिसके तत्कालीन मंत्री श्री दिनेशसिंह थे एक अनुमति पत्र उसे प्रदान कर दिया। इसे पूरी तरह एक घरेलू उत्पादन होना था। 4 जून 1971 को सजय गांधी ने भारत की पहली छोटी कार के निर्माण के लिए माहूति लिमिटेड प्रारम्भ कर दी।

कार को सड़क के किनारे के छोटे साकारखाने में तो बनाया नहीं जा सकता। इसके लिए एक बड़े भूखण्ड पर बनी एक फैक्टरी और उसमें भी बड़े वित्तीय साधन चाहिए। इस सदन में हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री वसिलाल ने मंच पर प्रवेश किया और उनके प्रवेश के साथ ही शुरू हो गया एक व्यक्ति के लाभ के लिए भ्रष्टाचार और सावजनिक सम्पत्ति एवं अधिकारों के दुरुपयोग का एक अविश्वसनीय सिलसिला। बहूना का विश्वास है कि माहूति उस आपातस्थिति का अग्रदूत थी जिसने सभी लाकतंत्राय परम्पराओं का गला घोट दिया और एक आस्थावान राष्ट्र का गुनाम तक बना डालने तथा व्यापार के क्षेत्र में सजय की निरंकुश साहसिकताओं एवं उनके भयानक परिणामों पर पर्दा डालने की कोशिश की।

मारति का जीवन गूँठ और गरवानूनी कापवाहिया में शुरू हुआ। फर्म के सम्था पापन-पत्र की एक धारा ने अनुसार निदेशक वही व्यक्ति हो सकता था जो

दस रुपये मूल्य के कम से कम सौ हिस्से खरीदे। सजय ने सिर्फ दस हिस्से ही खरीदे थे। कम्पनी बनने के कुछ सप्ताह के भीतर ही 17 जुलाई 1971 को निदेशकोम तय किया कि निदेशक बनने के लिए किसी भी हिस्से का मानक होना जरूरी नहीं है। सजय गांधी जिसने 1969-70 में अपनी आय 748 रुपये घोषित की थी, 100 रुपये लगाकर मारुति का प्रबंध निदेशक बन गया। कुछ महीने पहले 11 नवम्बर 1970 को सजय ने एक पारिवारिक फर्म, मारुति टेक्निकल सर्विसेज (प्राइवेट) लिमिटेड के नाम स शुरू की थी। इसकी 215 लाख की प्रथम पूंजी का आधे से अधिक भाग सजय का था और गैप उसके भाई राजीव और उसके परिवार का।

बसीलाल ने फैंटरी के लिए जमीन दिलाने का बचन लिया था। उसने डिप्टी कमिश्नर गुडगावा के माध्यम से जिले के कुछ गांवों को एक नोटिस जारी कराया। हरियाणा राज्य के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक इस क्षेत्र को इसलिए चुना गया था क्योंकि यही दिल्ली के निकट था और बर्निया सड़क से नगर से जुड़ा था। जो गांव इस लपेट में आए वे थे—महालदा धुंढेरा खेतपुर। गांव वालों ने अपने निवाल बाहर किए जाने के विरुद्ध कानून से सुरक्षा चाही, लेकिन कोई भी राहत पाने में विफल रहे। लगभग 445 एकड़ जमीन ले ली गई और 10000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मारुति को दे दी गई जबकि बराबर की जमीन बाद में 35000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से बेची गई।

मारुति ने हरियाणा सरकार को 1975 तक उतनी भी राशि का भुगतान नहीं किया था। कम्पनी के वार्षिक विवरण के अनुसार भूमि के मद में 33 लाख रुपये अभी बकाया थे। बसीलाल ने सजय की मारुति के लिए सावजनिक धन की इतनी बड़ी राशि सुटा दी थी। एक दूसरी गलत बात यह भी थी कि जमीन सुरक्षा प्रतिष्ठानों तथा शस्त्रों के एक भण्डार के समीप दी गई थी जबकि सैनिक कानूनों के अनुसार किसी सुरक्षा प्रतिष्ठान के 1000 मीटर के भीतर कोई नागरिक निर्माण खड़ा नहीं किया जा सकता। जब इस मुद्दे को लेकर विराधी दलों ने ससद् में शोर मचाया तो सुरक्षा मंत्रालय ने शस्त्रास्त्र भण्डार के एक हिस्से को बहा से दूर हटा दिया। इस प्रकार मारुति के विस्तृत भवनों का निर्माण कार्य शुरू हुआ।

भवन के लिए मारुति को इस्पात और सीमेन्ट के कोटे स्वीकृत किए गए। उन दिनों इन चीजों की बहुत कमी थी और इनका वितरण नियंत्रित था। आम आदमियों को अपने घर बनाने के लिए कुछ टन सीमेन्ट और इस्पात प्राप्त करने के लिए हफ्तों और महीनों इंतजार करनी पड़ती थी। लेकिन सजय की मारुति को यह सब बहुत बड़ी मात्रा में मिल गया इतना कि भवन का निर्माण पूरा होने के बाद भी काफी कुछ बच गया। प्रधानमंत्री के बेटे को यह नहीं सूझा कि औचित्य की भांग है कि बाकी बचा सामान वह सम्बंधित अधिकारियों को लौटा दे।

अधिकारियों ने भी यह जांच करने की कोशिश नहीं की कि कितने की जरूरत थी और दिए गए कोटे में से कितना इस्तेमाल हुआ है। बचा हुआ इस्पात और सीमेंट दिल्ली के बाजारों में पहुँच गया, जहाँ वह ऊँची कीमत पर बिका और इस प्रकार माहति और उसके निदेशकों को 25 लाख रुपये का लाभ हुआ।

इस इमारत के निर्माण में भवन निर्माण एवं नागरिक एवं देहाती योजना से सम्बंधित कितने ही नियमों को तोड़ा गया। इस निर्माण ने भारतीय वायुसेना की एक निकटस्थ हवाई पट्टी का सुरक्षा का भी खतरा पैदा कर दिया। लेकिन किसी ने इन उल्लंघनों को चुनौती नहीं दी।

सजय को उसकी फक्टरी के लिए दी गई 445 एकड़ जमीन उसकी महत्वा काशी योजनाओं की आवश्यकता से भी बहुत ज्यादा थी। लगभग 200 एकड़ भूमि फालतू मानी गई। भूमि से उन किसानों का उखाड़ा गया था जो पीढ़ियों से इसे जोतते रहे थे। यही भूमि माहति के प्रबंधकों के द्वारा अब फिर हल के नीचे लाई गई और हर वर्ष पाँच लाख रुपये की फसल इस जमीन ने दी। लेकिन सजय या माहति ने इस लाभ को अपनी कितानों में नहीं दिखाया।

1972 में सजय ने घोषणा की थी कि माहति फँक्टरी 1973 में 10000 कारों बनाकर दे देगी। उसने कारों के विक्रय के लिए विक्रेताओं में प्राथम्यता पत्र माँगा लिए। हर प्राथम्यता को फर्म में तीन लाख रुपये जमा करने थे। इस प्रकार सजय ने 24 करोड़ रुपये इकट्ठे किए। उसने वचन दिया था कि कारों के लिए जान तक भावी विक्रेताओं को जमा किए उनके धन पर 10.5 प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जाएगा। लेकिन उन्हें न कार मिली न ब्याज और न ही मूलधन। उड़ीसा के एक व्यापारी ने अपने धन पर ब्याज मांगा तो उस मोसा के अधीन गिरफ्तार कर लिया गया।

संसद में विरोधी दला के सदस्य चक्कर में थे कि कैसे बिना व्यापारिक अनुभव के सिर्फ 100 रुपये की लागत से सजय एक फर्म का प्रबंध निदेशक बना ही गया था, उसने करोड़ों की कीमत का एक औद्योगिक साम्राज्य भी निर्मित कर लिया था। वे उल्टे-पेटे सवाल पूछ रहे थे। प्रश्नों के उत्तर में वानून मंत्री श्री एच० आर० गोखले ने यह स्वीकार किया कि कम्पनी के 1973-74 के चिट्ठे में व्यापारियों द्वारा 21891042 रुपये की जमा दिखाई गई है। 28 सितम्बर 1974 को माहति की प्रदत्त पूँजी 18460700 रुपये थी। 31 मार्च 1974 को कम्पनी की कुल स्थिर सम्पत्ति का मूल्य 44800553 रुपये आका गया था। माहति के प्रमुख हिस्सेदारों में थी, दरभंगा मार्केटिंग कम्पनी उत्तरप्रदेश ट्रेडिंग कम्पनी सरन ट्रेडिंग कम्पनी तथा चम्पारन ट्रेडिंग कम्पनी जो सभी कराहपति व्यापारिक घरानों से सम्बंधित थी। यह भी रोचक है कि अनधिक बड़े हिस्सेदारों में कितने ही मिश्र और झाँसी जो स्वर्गीय श्री सलितनारायण मिश्र और उनकी पत्नी के



रिश्तारथ । बापू म बताया गया कि उनम म अनका को पता भी नहा था कि उनको नाम पर हिस्म हैं । शायद थी चरितारायण मिश्र न उनका नाम से हिस्म खरीने लिए थे और प्रमाणपत्र अपने पास रख लिए थे ।

विरोधी पक्ष न कब्र की गहरा खोला । उन्होंने पूछा कि मामूनि क हिस्मदारो म कितना क विगड आधिक अपराधो क मामल बन रहे हैं । सूचना म बताया गया कि ऐम आठ हिस्मदार हैं । इनम चार क विगड गी० बी० आर्० की सहवी बात बन रहा है और गण गार क विगड प्रचलन निष्णामय ( लायरव्कारेट आर एनफोमेट ) के मामल सक्रिय हैं । एक तस्वर द्वारा नियंत्रित कहा जान वाली दो कम्पनिया न मारति म बहुत ब्यापार हिस्म थः ।

फरवरा 1974 म सजय न एक और फम मामूनि हैवी व्हिक्ल्म ( प्राइवेट ) लिमिटेड स्थापित का । इसकी अपनी बित्तार्थ क अनुसार मारति हैवी व्हिक्ल्म का मशीनी सामान 12 231 रुपय की कीमत का था । यह सडक कूटन क इजन जमी भारी मशान बनाता था । कम्पनी क सवम ताब चिटटे म 9।3९62 रुपय का तयार मान और 6०025। रुपय का आधा तयार माल स्थिषाया गया है । अर्धन सजय लगभग 12 हजार की कीमत क मशीनी औजारो से 16 लाख क मूल्य का उत्पादन प्रस्तुत करने म सफल हुआ था ।

मच्चाई यह थी कि मडक क इजन और उनका हिस्मे दूगरी फर्मो म खरीने जाते थे और मारति हैवी व्हिक्ल्म उ ह भारी मुनाफे पर बेचना था । बताया जाता है कि इस फम ने परमिस और फोड के 350 इजन का हजार रुपय प्रति इजन की दर मे अमरीका से टूट फट म खरीने । मारति न उनम भारत न बन गज तथा स्थानीय पहिण लगाए उन पर ताजी पानिश की और सडक क का इजना का 140000 प्रति इजन क हिमाब स बच लिया । आमतोर स सरकारी मस्थाना एव सगठनो जसे कि सीमा सडक सगठन तथा हरियाणा पजाब और उत्तरप्रदेश की सरकारो न इने खरीना । भीमा सभ्य सगठन सीमा क ऊपड छाबड क्षत्र म इनका स्तेमान नहा कर सवा और इनम से अग्रिफतर बेवार पडे रह ।

मामूनि हैवी व्हिक्ल्म ने अमेरिका के एक निर्मातासथ इंटरनशनल हार वेस्टस के साथ भारत म फमल की बटाई की मशीनें बेचने से सम्बन्धित एक समझौता किया । इससे पहल केंद्राय सरकार न फमल बटाई की मशीनें पोलैड के सहभाग स सावजनिक क्षेत्र म बनाने की एक योजना तयार की थी लकिन मारति के लिन क लिए इस योजना के खरम कर लिया गया ।

इंटरनशनल हारवेस्टम भारी टूथ भा बेचते थे । सजय न बसोलाल को इन टूको का प्रस्तुत खरीदार पाया । बसोलाल न सुरक्षा मंत्रालय को निर्देश दिया कि टक मारति स खरीने जाए । 1975 म मारति न तल और प्राकृतिक रण विगम से टूक पर चर्चा आठ मचन कनो का आदेश प्राप्त कर लिया । मारति ने अपने

प्रतिद्विंद्वियों की अपेक्षा ज्यादा कीमत लिखी थी। त्रिनी की एक फर्म ने 1.58 करोड़ मूल्य दिया था और अमरीकी क्रेनें देने का प्रस्ताव किया था। मारुति ने पश्चिम जर्मनी की क्रेनों के लिए 1.76 करोड़ रुपये लिखे थे। लेकिन तेलम त्री श्री केशवदव मालवीय के कारण मारुति को ही यह ठेका निया गया।

जनता पार्टी के ससस्त्रदस्य श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने सजय द्वारा 1976 में तेल और प्राकृतिक गैस निगम के साथ किए गए ट्रकों के एक और सौदे का हवाला दिया है। टेंडर मागे गए थे और सबसे कम टेंडर 24 ट्रकों के लिए 25 लाख रुपये था। सजय ने 12 ट्रक इंटरनेशनल हार्वेस्टस से और 12 पश्चिमी जर्मनी से आयात किए और सबके सब 50 लाख रुपये में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम का बच लिए।

मारुति ने एक दूसरा लाभप्रद काम बसों की बाड़ी निर्मित कराने का किया। इस बार भी राज्या की सरकारें और उनके सड़क परिवहन विभाग उमने खरीदार बने। मध्यप्रदेश सरकार के पास अपना एक बडिया कारखाना है जो बसा की बाडिया बना सकता है। लेकिन यह तक देकर कि वह राज्य की तात्कालिक आवश्यकताएं पूरी नहीं कर सकता मारुति का 100 जमों की बाडिया बनाने का ठेका दे दिया गया। सरकारी कारखाने में प्रति बस 276।13 रुपये की लागत जाती, लेकिन मारुति को प्रति बस 39000 रुपये दिए गए।

ट्राम्बे तथा फूलपुर के खाद कारखाने के विकास का ठेका सजय के निर्देश पर एक इतालवी फर्म स्नाम प्रागेती को निया गया था। यह निर्देश प्रधानमंत्री के सचिवालय के माध्यम से खाद्य निगम तक पहुंचाया गया था।

सजय के पास पाइपरकलव एयर क्राफ्ट की एजेसी भी थी और उसने कुछ राज्य सरकारों तथा साबजनिक संस्थानों को बाडे-से जहाज लगभग बच भी दिए थे। लेकिन, जब तक भारत सरकार इनके आयात की अनुमति दे पाए चुनाव आ गए और सरकार बदल गई और आयात को लाइसेंस रोक लिए गए।

11 जनवरी, 1977 को न्यूयार्क टाइम्स का भी एक भेंट में सजय ने स्वयं प्रकट किया था कि उसने अमरीका की पाइपर एयर क्राफ्ट फर्म के साथ भारत में उनके एजेट का काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। उसने कहा था कि विमान खरीदने के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों तथा निजी संगठनों से बातचीत बह कर चुका है। जब इन्होंने धन की कमी की बात की तो सजय ने उनसे लिए बैंक से ऋण मिलाने का प्रस्ताव रखा। एक एजेट को आम तौर से एक विमान का बिजो पर 0.5 से 1 प्रतिशत के बीच कमीशन मिलता है। लेकिन पाइपर वालों ने सजय को 25 प्रतिशत देने की पेशकश की थी।

इस बीच, क्योंकि प्रत्याशित कार नहीं नजर नहीं आ रही थी इसलिए भारी हानि मचल रही थी। फिर भी अजीब बात यह कि न तो उसके शेयर की कीमत गिरी थी न ही मारुति के शेयरों के खरीदारों में कोई बमी आई थी। इसकी स्थापना के पहले साल के भीतर लोगो ने 25 लाख की कीमत के मारुति शेयर खरीदे दूसरे वष 68 लाख के शेयर बिके और तीसरे वष 85 लाख के। खरीदार प्रमुखत औद्योगिक घराने थे जिन्हें मालिक चतुर व्यापारी थे। उन्होंने मारुति में अपना पसा डुबाया क्योंकि उन्हें विश्वास था कि इस तरह वे सजय के निकट आ सकेंगे और सरकार की कृपा के माध्यम से दूसरे क्षेत्रों में कई गुना कमा सकेंगे। इसके सिवाय इस प्रकार के प्रधानमन्त्री निवास की कुजी भी पा जाते थे।

सजय ने भी अपने साथियों को निराश नहीं किया। आयात लाइसेन्सों के रूप में निर्यातकों को जो प्रोत्साहन दिए जाते हैं, वे कानून के अनुसार हस्तांतरणीय नहीं होते। मारुति के कुछ हिस्सेदारों की मदद करने के लिए हम नियम को अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया। कुछ जोहरियों और हीरा-व्यापारियों ने अपने लाइसेंस दूसरों को हस्तांतरित करके साना बटोर लिया। सौदे पूरे हो चुकने के तीन दिन बाद ही कानून को सशोधित करके उस मूल रूप में ल आया गया।

न सिर्फ व्यक्तिगत उद्योगपति एवं व्यापारी बल्कि कुछ बक संस्थान भी सजय को ऋण देने और उसे खुश करने के लिए आगे आए। पंजाब नेशनल बक ने प्रचलित से कम दर पर मारुति को ऋण दिए। सेट्रल बक ने भी मारुति के लिए धन जुटाया। इन दो बकों से कुल लगभग दो करोड़ रुपया कर्ज के रूप में दिया गया।

यह बात सजय के सामान अधिकाधिक स्पष्ट होती जा रही थी कि वह और उसका मिस्त्री सिर्फ अपने बल पर कार नहीं बना सकते। उसने एक जमन इंजीनियर को नौकर रखा। लेकिन वह भी मामले में कोई सुधार नहीं ला सका। उसने अंग्रेजी भी और जमन भी विभिन्न विदेशी नौनों के आधार पर काम चलाने की कोशिश की। जब कार को परीक्षण के लिए भेजा गया तो उसका डजन बहुत जल्द गम हो उठा। एक दूसरे परीक्षण में उसकी टिन की बाड़ी पलट गई। अहमद नगर के परीक्षण कारखाने में कार में कितने ही छोटे और बड़े दोष पाए गए। इन विफलताओं का कारण साफ था। सजय को औपचारिक योग्यताओं और योग्य व्यक्तियों से विरक्ति थी। वह अयोग्य मिस्त्रियों को नौकरी देना ही पसंद करता था और वे लोग ऐसे काम के बीच पदा होने वाली समस्याओं को हल कर नहीं सकते थे।

इस अवधि के दौरान सरकार के एक उपसचिव को अचानक एक फाइल मिल

गई, जिससे इस रहस्य का पता चला कि सजय की मारुति को दिए गए कुछ लाइसेंस अन्य लोगों को बेच दिए गये थे और हस्तांतरित कर दिए गए थे। वह इस तथ्य को उचित अधिकारियों की नज़रों में ले आया। उसने देखा कि मारुति के खिलाफ तो कोई कायवाही नहीं हुई। उल्टे उसीके पीछे सी० बी० आई० की जांच आरम्भ कर दी गई। फलतः उसने सबकुछ सीख लिया और अपना मुह बंद कर लिया।

1975 तक सजय अपने व्यापारिक प्रयास के लिए लगभग छ करोड़ रुपये इकट्ठे कर चुका था। लेकिन कार बनाने की एक पूरी फ़ैक्टरी को 70 से 80 करोड़ ₹ की लागत चाहिए। मारुति न जा बीज बोए थे वे अब फलने लग रहे थे। स्थिति हाथ से निकलती जा रही थी। ठीक इसी क्षण इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने लोकसभा से श्रीमती इंदिरा गांधी को स्थानान्तरित करते हुए अपना फसला द दिया। सजय एक पल के लिए मारुति को भूल गया और पूरी तरह राजनीति में डूब गया। एक वफादार और स्नेहशील बेटे की तरह वह अपनी माँ की बराबर में खड़ा हो गया। प्रधानमंत्री पद से चिन्के रहने और देश में आपातस्थिति की घोषणा कर देन के फमले का उसने समर्थन किया। उसने अपनी बाहों को घटा लिया और पक्का हो गया कि हर कीमत पर माँ को अपने स्थान पर डटे रहना होगा। उसने साफ देखा कि आपातस्थिति मारुति के द्वारा प्रस्तुत समस्याओं का हल में उसकी सहायक सिद्ध होगी।

## संजय का करिश्मा

श्रीमती इतिहास गांधी के पतन और कांग्रेस दल के बिखर जाने में किसी एक कारण ने इतना योगदान नहीं दिया जितना संजय ने। और इसी तथ्य में बेटे के प्रति मा के अधे प्रेम की वह दुःखद कहानी लटकी है—उस बेटे के प्रेम की जो मा की आँखों का तारा था और कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता था, लेकिन दूसरी ओर जिसने हर गलत काम किया और प्रेम से अधी मा कुछ भी नहीं देख सकी।

हाल के इतिहास में केवल एक उदाहरण है जिसमें एक होनहार जीवन ने मौज में आकर प्रेम की बंदी पर आत्म बलिदान कर दिया था। राजा एडवर्ड अष्टम ने एक शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की गद्दी का एक स्त्री के प्रेम के लिए त्याग दिया था। लेकिन वसा उसने जानबूझ कर आँखें खोल हुए और अपने बाप के परिणामों को पूरी तरह तोल लेने के बाद किया था। इस पर उसने कभी दुःख प्रकट नहीं किया।

श्रीमती गांधी ने एक विजयपूर्ण राजनीतिक जीवन को जिसे विश्व की प्रशंसा प्राप्त हुई थी लाइलाज रूप में क्षति पहुँचा दी और उसे खत्म कर डाला। ऐसा उन्होंने उस बेटे के लिए किया जिससे वे बहुत अधिक प्रेम करती थीं यद्यपि समझौतारों के साथ नहीं। तुलना यही समाप्त हो जाती है क्योंकि यह कहना गलत होगा कि उन्होंने जानबूझ कर और परिणाम को पूरी तरह तोल कर ऐसा किया था। एक करोड़ की कीमत का प्रश्न है श्रीमती गांधी जैसी विचक्षण तथा सांसारिक बुद्धि से सम्पन्न स्त्री अपने प्यार बेटे की भयानक रूप से तेज प्रगति को क्यों साफ-साफ नहीं देख सकी। वह दो घोड़ों पर सवार था। एक ओर तो सविग्रह तरीकों से अपने को परक ज्ञापक एक उद्योगपति बना लिया था और दूसरी ओर वह इस विशाल देश का एक उग्र राजनीतिज्ञ एवं सविधानेतर शासक बन बैठा था। देश के विशाल जनसम्पक माध्यमों पर सरकार के नियन्त्रण को ध्वंसवाद कि अपनी इस दुहरी भूमिका में उसने क्वालिटी पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था।

ऐसा कैसे हुआ कि श्रीमती गांधी यह नहीं समझ सकी कि संजय जितना हज़म कर सकता है उससे ज्यादा तंगल गया है? कि अपने फूहड़ अकुशल, निरवुश तरीकों से वह अपने को खतरनाक रूप में अलोकप्रिय बना लगा और मा

को अकथनीय क्षति पहुँचा देगा ? एक अतिरिक्त प्रेम करने वाली मा भी क्या अपनी या स्वयं बटे की खातिर अपने बिगड़े हुए बट को चप्पड़ नहीं लगा सकती थी और उसे स्वयं उससे नहीं बचा सकती थी ? क्या मा का अतिरिक्त प्रेम ही इस उलझे हुए प्रश्न का एकमात्र उत्तर है ? शायद सिर्फ फायद ही इसका सन्तोषजनक जवाब दे सकता है। इसका बहुत सारे प्रमाण हैं कि श्रीमती गांधी अपन बटे के गलत व्यापारिक तरीकों और राजनीतिक लटकों से पूरी तरह परिचित थी। उनके मित्रों और शुभचिंतक न उन्हें बार बार इस बारे में चेतावनी दी थी।

वस्तुतः, उनका शुभचिंतक जब राजनीति एवं व्यापार में उनका बटे की अघोरगन्या का बार में उन्हें होशियार करते थे तो वह नाराज हो उठती थी। लम्बे समय से श्रीमती गांधी का विश्वासपात्र और निजी सचिव श्री पी० एन० हक्कर ने जब सजय के माहति घोटाले के बारे में उन्हें चेतावनी दी तो वह उनसे बिगड़ गई। उनका शुभचिंतक श्री पी० एन० कौल ने जो अमरीका में राजदूत थे और आपातस्थिति के दौरान विदेशों में उनका बचाव करते रहे थे आम चुनाव के अवसर पर उन्हें सलाह दी कि सजय को चुनाव संपन्न से दूर रखा जाए क्योंकि वह अब भ्रष्ट बन गया है। श्री कौल को एक शोधपूर्ण विचार चुप्पी ही जवाब में मिली थी। लम्बे समय की जाची हुई मित्र श्रीमती सुभद्रा जोशी ने जिस क्षण प्रधान मंत्री को चेतावनी दी कि गंदी बस्तियों को उठाने में और परिवार नियोजन से सम्बंधित सजय के अघाघुघ तरीके कांग्रेस को भारी हानि पहुँचा रहे हैं उसी क्षण से वह श्रीमती गांधी की दुश्मन बन गई। श्रीमती गांधी चिल्ला पड़ी, लीग करने कुछ नहीं और जब हम कुछ करते हैं तो विरोध करते हैं और नेक सलाह देते हैं।' इसका ठीक बान् श्रीमती सुभद्रा जोशी का विरुद्ध द्वेषपूर्ण प्रचार प्रारम्भ कर लिया गया। उन पर आरोप लगाया गया कि वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंच के नायकताओं को बचाने की एजेंडा में रूपाय ल रही हैं। यह एक वेतुका आरोप था क्योंकि श्रीमती जोशी घमनिरपक्षता की उग्र प्रचारक और राष्ट्रीय स्वयंसेवक मंच की घोर शत्रु के रूप में सुप्रसिद्ध रही हैं। श्रीमती गांधी ने उनसे यह भी कहा कि उनका विरुद्ध घट्ट इकट्ठा करने का शिकार्यतें भी हैं।

एक और दृष्टांत है। एक स्वतन्त्रता सनानी श्रीमती गांधी से मिला और उसने सजय के बारे में बात की। सुनकर श्रीमती गांधी उबल पड़ी कि उनका बटे की आलोचना करने की लागा की आन्त-सी हो गई है। उन्होंने दृढतापूर्वक सजय का बचाव किया और घोषणा की जो सजय पर आक्रमण करते हैं मुझ पर आक्रमण करते हैं।'

चुनाव अभियान के दौरान जहाँ भी सजय गया, उसकी अलोकप्रियता इतनी प्रकट थी कि यह आश्चर्यजनक ही है कि श्रीमती गांधी उस देख पाने में विफल रही और उन्होंने चुनावों से अपन बटे को दूर रखने की, अपन मित्रों की, ठोस

सलाह को ठुकरा दिया। मध्यप्रदेश में विदिशा में सजय ने एक चुनाव सभा के सामने भाषण दिया। अपने भाषण के बीच सजय ने घोषणा की कि जो जनता पार्टी को समर्थन दे रहे हैं वे दशद्रोही हैं। तब नाटकीय ढंग से उसने श्रोताओं से पूछा आपमें से कितने दशद्रोही हैं? लगभग पूरी सभा ने अपना हाथ उठा दिया। हाथ तब तक नीचे नहीं आए जब तक क्रुद्ध सजय पर पटकता हुआ सभा से चला नहीं गया।

सजय बड़ा ही बमजोर वक्ता है और उसकी सभाओं के सगठनकर्त्ताओं पर यह जिम्मेदारी रहती थी कि वे श्रोताओं को इकट्ठा कर और उन्हें अनुशासित एवं चुप रखें। समाचार को सवाददाताओं के लिए भी उन सावजनिक सभाओं के काल्पनिक वचन करना तथा सजय की वक्तव्यता के एवं उसके प्रति श्रोताओं के उत्साह के व्योरे तैयार करना एक उतना ही कठिन काम था। उसकी अयोग्यता इस एक घटना से साफ उभरती है कि मध्यप्रदेश के जंगलों में आदिवासियों के सामने बोलते हुए उसने उन्हें पेड़ लगाने की प्रेरणा दी थी।

कांग्रेस और विरोधी पक्ष के सदसदसदस्य तथा आम जनता के लोग ससद में और बाहर निरंतर प्रश्नों की बौछार श्रीमती गांधी पर करते रहते थे। सजय के मनमाने तरीकों और मारुति के घोटालों के बारे में शिकायतें करते हुए और उनकी ओर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए आवेदनपत्र एवं पत्र लगातार आते रहते थे। इसलिए यह तक कि श्रीमती गांधी अपने बेटे के कारनामों को नहीं जानती थी एकदम निस्सार है।

जून 1975 में आपातस्थिति की घोषणा के कुछ वष पहले से ही सजय ने दिल्ली प्रशासन पर अपनी काली छाया डालनी शुरू कर दी थी। वह अफसरों को आश देता था और अपने लोगों के हितों का रक्षा के लिए नागरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करता था। जो भी उसके रास्ते में आ जाता अथवा उसे नाराज कर देता उसे कठोरतापूर्वक कुचल दिया जाता था। वह प्रतिशोधी निष्ठुर और याय एवं ईमानदार आचरण की बुद्धि से एकदम रहित था। मनमाने आयाय और बदले का खास उदाहरण है उत्कृष्ट प्रशासक श्री श्रीचरण छाबड़ा का मामला। नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष पद से उन्हें चुटकी बजाते नोच फेंका गया था।

इस पत्र पर रहते हुए श्री छाबड़ा ने पद्मश्री पाया था और नत्कालान प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी तथा महामंत्री श्री यशवंतराव चव्हाण समेत सभी लोगों की पूरी प्रशंसा प्राप्त की थी। यह सब उन्हें इसलिए मिला था क्योंकि उन्होंने नागरिक प्रशासन को अतिरिक्त कुशलता से चलाया था। नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाया था तथा नई दिल्ली नगरपालिका का राजस्व बढ़ाने के लिए नये तरीके सोच निकालने का प्रयास किए थे।

झुग्गी झोपड़ी बस्तियाएँ एक लम्बे समय से एक पेचीदा समस्या बनी हुई थी

और सघीय प्रदश के चहरे पर धब्बा बनी हुई थी। अतत दिल्ली प्रशासन ने फसला लिया कि 1969 के बाद निर्मित कोई अगिया जथवा गरकानूनी निर्माण रहने नही दिए जाएगे। यह तय किया गया कि एमे सभी गरकानूनी निर्माणो को आवश्यकता पडे तो पुलिस की सहायता से भी गिरा दिया जाएगा। उपराज्यपाल श्री ए० एन० याने इस बार म आदेश जारी कर लिए और यह फैसला अपने क्षेत्र मे लागू करने के निर्देश नई दिल्ली नगर पालिका का दे दिए।

दक्षिण दिल्ली म एक नगर पालिका बाजार का निरीक्षण करते हुए नई दिल्ली नगर पालिका के अध्यक्ष श्री छाबडा ने देखा कि स्कूटर ठीक करने की एक दुकान ने अपने बरामदे को सडक की पटरी तक फलाकर सावजनिक भूमि को हथिया लिया है। उन्होंने इस गरकानूनी निर्माण को गिरा देने के आदेश दिए। कुछ दिनों बाद जिस अधिकारी को यह काम सौपा गया था उसने आकर बताया कि वह आदेश का पालन नही कर सकता क्यकि अजुनदास नाम के उस स्कूटर ठीक करने वाले की प्रधानमंत्री निवास म पहुच है और उस अनधिकृत निर्माण के विरुद्ध प्रस्तावित कायवाही से प्रधानमंत्री सचिवालय नाराज हो उठा है।

श्री छाबडा अपने काना पर विश्वास नही कर सके। निश्चय ही प्रधानमंत्री सचिवालय के पास इस मामूली मामले से कही अधिक महत्वपूर्ण काय होने चाहिए। आखिर यह अजुनदास है कौन? लकिन प्रधानमंत्री क घरेलू मामले से उह क्या लेना है! यदि नगर पालिका एक दुकान को पटरी तक फलन की इजाजत देगी तो दूसरे भी वसा ही करेंगे। इसलिए श्री छाबडा ने अपने कमचारियों को खीचा और हुकम लिया कि सीधे जाकर आदेश का पालन करो।

उस संध्या को श्री छाबडा के पास प्रधानमंत्री के निजी सचिव धवन का टेलीफोन आया। उसने नगरपालिका अध्यक्ष मे पूछा कि क्या अजुनदास को न छूने सम्बन्धी उसका पहला सन्देश उह मिला था। लकिन मैं तो उस अपनी दुकान मडक की पटरी तक न फलाने के मिबाय और कुछ कह नही रहा हू। श्री छाबडा ने उत्तर लिया। धवन ने तीखे ढंग से छाबडा को बताया 'अजुनदास सजय साहब का एक दोस्त है। और चत्तावनी दी कि प्रधानमंत्री का बटा नई दिल्ली नगरपालिका अध्यक्ष के रख से नाराज है।

श्री छाबडा एक बार फिर सजय के रास्ते म आ अटें। दक्षिण दिल्ली के तालकटोरा उद्यान को मजदूरों का कुछ चुगिया ने बदनुमा कर डाला था। चुगियों के दो-तीन झुरमुट बहा बल उठे थे जिनमे 250 परिवार रहत थे। उन्होंने बाग के जगल को और बाड को गिराकर उद्यान क आर-पार रास्ते और पगडडिया बना ली थी। बाग के कुछ हिस्सो म सावजनिक टट्टिया खनी कर ली गई थी। उपराज्यपाल क आदेशानुसार श्री छाबडा ने हुकम लिया कि जगला और बाडा नो अपने स्थान पर फिर से खडा कर दिया जाए और बाग को एक



सावजनिक सडक अथवा शौचालय क रूप म इस्तेमाल करने से लागो को रोका जाए ।

छाबडा को आश्चय हुआ जब अजुनदास के नेतत्व मे कुछ राजनीतिज्ञ उनके पास आए और उन्होने माग की कि तालकटोरा उद्यान की झुग्गी झोपडी बस्ती को छडा न जाए । अजुनदास ने श्री छाबडा को सलाह दी धीमे चलिए । चुनाव बहुत पास हैं । छाबडा थोडा सा झुक और उन्होने अपने आदमिया को आदेश दिया कि उद्यान की सीमाओ को तो बंद कर दो लेकिन प्रमुख सडक से झुग्गिया तक के लिए एक दूसरा रास्ता बना दो ।

लकिन जब नगरपालिका के कमचारी बाग व चारो आर के जगन को ठीक करने के लिए पहुंचे तो उनसे दूर ही रहने के लिए कहा गया । श्री छाबडा को सूचित किया गया कि प्रधानमन्त्री के घर के लोग छाबडा की इस अधरगर्दी पर बहुत क्रुद्ध हैं । श्री छाबडा के अधिकारी ने तालकटोरा उद्यान से खबर दी कि अजुनदास और सजय गांधी वहा आए थ और उंहोने माग की है कि बतमान रास्तो को ज्यो का त्या खुला रहने दिया जाए । लेकिन हमने झोपडियों तक पहुंचने के लिए नया रास्ता बना दिया है । श्री छाबडा बोले । नही अधिकारी ने स्पष्ट किया व किसी भी रास्ते को बंद होन देना नही चाहत । पराजित श्री छाबडा कह उठे यदि यही उनकी इच्छा है तो ठीक है । भल ही वे उद्यान म आग लगा दें । मैं कुछ कहने वाला कौन हूँ । और श्री छाबडा न टेलीफोन रख टिया ।

नई दिल्ली नगरपालिका अध्मन के लिए यह एक बुरा आरम्भ था । चुनावों का लाभ उठाकर हर कट्टी अनधिकृत मकान बनाए जा रह थ और अधिकारी विवश भाव से खडे देख रहे थ । चाणक्यपुरी की शानदार कूटनीतिक बस्ती म एक झुग्गी झोपडी समूह उभर रहा था । नगरपालिका इस प्रयास को आरम्भ म ही खत्म कर देन का उत्सुक थी । उपराज्यपाल का लिखित आदेश मिनने पर कूटनीतिक बस्ती म उभरत इस नये झुग्गी झोपडी समूह को गिरान के लिए श्री छाबडा ने अपने जाट्मी भेजे । लकिन वे लोग प्रधानमन्त्री निवास स आया झापडियों को न छूने का आदेश लकर वापिस लौट आए । क्रोधित छाबडा ने अपने लोगो को हुकम दिया मने ही भगवान के घर स भी आदेश क्या न आए जाओ और सोंपे गए काम का पूरा करो । उस रात जब श्री छाबडा वही बाहर भाजन लेकर देर से घर लौटे ता उंह प्रधानमन्त्री निवास का एक सदेश पहले स आया मिला । उतनी देर हो जाने पर भी उंहोने प्रधानमन्त्री निवास को टेलीफोन मिलाया । धवन ने टेलीफोन उठाया और कहा कि प्रधानमन्त्री फौरन आपसे मिलना चाहती है ।

जब श्री छाबडा श्रीमती गांधी के सामने लाए गए ता पूरे 25 मिनट तक उन

पर अच्छी झाड़ पडी। श्रीमती गांधी के सामने उनके कारनामों की एक पूरी सूची कागज पर लिखी रखी थी। श्री छाबड़ा को धरारा लगा पर वे चुपचाप सुनते रहे और तब स्पष्टीकरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जो कुछ उन्होंने किया है वह अपना कर्तव्य पूरा करते हुए किया है और इसमें उनसे नाराज होने का उन्हें कोई कारण नहीं है।

प्रधानमंत्री ने चिन्नाकर कहा, क्या आप जानते हैं कि आप भारत की प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं ?” श्री छाबड़ा अटकते हुए बोले यदि मैं अकुशल रहा हू तो मुझे दुःख है।

प्रधानमंत्री ने उह वाक्य पूरा नहीं करन दिया। उन्होंने तुनकर कहा, मैं जानती हू तुम बहुत ज्यादा कुशल हो। श्रीमती गांधी ने श्री छाबड़ा के कारनामों की वह सूची उह पकड़ा दी और कहा कि इन आरोपों के जवाब उनके पास भेज दिए जाए। इन आरोपों में समयवश एक यह था कि श्री छाबड़ा ने खोमचवालो और टक्सीवाना द्वारा कांग्रेस दल का घडा लहराए जान पर कथित एतराज किया। श्री छाबड़ा ने प्रधानमंत्री के सामने स्पष्ट किया कि टक्सी चालकों को कुछ भी करन का आदेश वे नहीं दे सकते थे क्योंकि वे उनकी काय-सीमा के भीतर नहीं आते। हा दुकानदारों से उन्होंने कहा था कि वे अपनी छतों पर कूड़ा-करकट जमा न करें। श्रीमती गांधी कुछ भी सुनन के लिए तयार नहीं थी।

अगले दिन घवन ने टलीफोन पर श्री छाबड़ा से पूछा कि पिछली रात प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आरोपों के उत्तर उहाने अभी तक क्या नहीं भेजे हैं। श्री छाबड़ा ने उत्तर दिया कि वे अपने जवाब उपराज्यपाल को भेज चुके हैं और एक प्रति प्रधानमंत्री सचिवालय को भेज दी गई है।

इसके एक दिन बाद श्री छाबड़ा को निलम्बन आदेश मिल गए। कोई भी, यहा तक कि उनके तात्कालिक अधिकारी उपराज्यपाल श्री ए० एन० झा भी उनके पक्ष में कुछ नहीं कर सक। उनके सेवाकाल के दौरान उनके किसी भी गलत कारनामों को खोज निकालने के लिए जो एक विशेष जांच आयोग बठाया गया था वह तीन वर्षों तक सिर पटकता रहा पर उनका विरुद्ध कुछ भी नहीं मिल सका।

यह घटना बहुत पहले 1971 में घटी थी। जस ही 25 जून 1975 को आपातस्थिति घोषित हुई सब पदों और हिचक समाप्त कर दी गई। कुछ दिनों के भीतर ही सजय एक अतिरिक्त सवधानिक सत्ता बन बठा और अपनी निजी चौकडी की सहायता से नम्बर। सफ्टरजग माग से देश पर शासन करने लगा। मन्त्रिमण्डल अब गांधी का पाचवा पहिया बन गया। जब मन्त्रिमण्डल की बठक होती थी तो सजय कमरे के बाहर घटल-बदमी करता रहता था और बठक पर कडी नजर रखता था।

लोकतन्त्रीय प्रणाली के सामान्य नियमों और प्रतिबंधों के स्पष्ट हान ही काम करा लेने की सजय की प्रतिभा का पूरा अवसर मिल गया। सजय ने चरम राजनीतिक अधिकार का म्याच चखा और वह उस अच्छा लगा। मानव भक्षी बन गए और की तरह उमन राजधानी को और जितना दूर तक उसका बग चला हम विशाल देश को आतंकित किया। वस्तुतः चापलूसों और अवसरवातियों से प्रेरित और प्रशमित यह सिंह शिशु जमे उमत्त हो उठा और अपनी मा के राजनीतिक जीवन के तावूत में इमने पहनी कील ठाकी और अतत उनके सुनिश्चित सही माग को एक सम्पूर्ण तानाशाही की ओर मोड़ दिया।

सजय भी इस सब पर यकीन नहीं कर पाता था। राजनाति एक अधशास्त्र पर उसकी कच्ची-पक्की चहक को उसके चारों ओर जमे पुशामती धाम लत थे। और एक जोरदार नया राजनातिक दशन बनाकर उस हवा दते थे। नई दिल्ली की एक पत्रिका सज से एक भेंट में उसने साम्यवाद की निंदा की थी राष्ट्रीय करण को गलत बताया था और निजी उद्योग का पालिया था। उद्योगपतियों और दक्षिणपतियों ने इस भेंट को आशा का मन्त्र माना था और इसकी प्रशंसा की थी। यह वह क्षण था जब वे लोग आपातस्थिति के एकत्र बाद आई श्रीमती गांधी की वामपंथी घोषणाओं के वास्तविक हो जाने की आशंका से एकत्र डर उठे थे। सजय के चारों ओर वे जमा हुआ गए। उन्होंने देखा कि सजय अपनी मा के समाजवाद पर एक रोक है और उस मनुलित कर सकता है। भविष्य उसका हाथों में है। वह भाषी नेता और अगना प्रधानमन्त्री है। उन्होंने उसे अपना मसीहा बनाने और जिस माग्य भी वे थे उसमें उसका समयन करने का निश्चय किया।

सजय चतुर नहीं था। लोगो ने जा कहा उसपर उसने विश्वास किया और उस भूमिका को निभाने का निश्चय किया। मा की शक्तिशाली स्तहपूण सुरक्षा ने और उसके अपने अकखड स्वभाव ने यह सुरगित कर लिया कि व्यक्तियों और विषयों के बारे में उसके अधिकतर विचारों की गच्चाई कोई उस ने बनाए।

प्रधानमन्त्री सचिवालय के एक व्यक्ति ने पुत्र के माध्यम से प्रधानमन्त्री निवास में प्रवेश के इच्छुक चापलूसों लाइसेंस चाहने वाले उद्योगपतियों अवसरवातियों राजनीतिज्ञों और महत्वाकांक्षी सरकारी अफसरों पर यह दोष लगाया है कि उन्होंने उस युवक के निमाग खराब कर डाला था। वे उसके चारों ओर उमडे रहते थे उसकी महत्वाकांक्षाओं को हवा दते थे और अपन साधन उसके चरणों में समर्पित करते थे। वे कहते प्रतीत होते थे तुम कोई भी चीज मागो। वह तुम्हें दी जाएगी। तुम प्रधानमन्त्री के बेटे हो। पूरा देश तुम्हारे इशारे पर चलता है। श्री व० व० विडला नियमित रूप से हर सुबह सजय के दरबार में हाजिर होते थे और उसकी योजनाओं में मन्दता प्रस्ताव रखते थे। सबकी

रीनक सिंह सागर मूरी कुलशीप नारग और अय उद्योगपति एव व्यापारी भी यहा करत र। मुख्यमत्री उसके अनुग्रह की और उसके माध्यम से उसकी मा की कृपा पाने की काशिश म रहत थे।

भौचक युवक न प्रधानमन्त्री के बेटे के रूप म जो काम वह कर सकता था और जो अधिकार और प्रभाव उसे प्राप्त थ उनकी आश्चयजनक खाज कर ली थी। इसने बाट उसने पीछे मुडरर नही दखा और एक् धावक की तरह वह अपनी महत्वाकाक्षा की ओर लपका चला गया।

श्रीमती गांधी के बेटे क सीधे असीमित सत्ता तक ऊपर उठ जान न अतका को चकित और स्तब्ध कर डाला। अधिवार के साथ अक्खडपन, मुगली अदाज और मनमौजी सनक आई, जिह देखकर लोग हैरान हा उठे। उमके अपनी नतिकता और आरजी तरीकी ने कितने ही आत्मावान अधिवारियो को चौकन्ना कर दिया। लेकिन ऐस अधिवारी चुटकी बजाते हटा दिए गए। जिन लाग़ा से उसन पहल काम लिया था और जि हू सरगण णिया था उहीको नूटी चप्पलो की तरह वह फेंक दता था। ढक-दब विरोध और शोभ ने जम लिया। लेकिन स्नेहपूर्ण मा प्रधानमन्त्री ने किसी की नहा सुनी। नई दिल्ली में सम्वाददाताओ से बोलते हुए उसन कहा था 'बुछ लोग कहते है कि वे इंदिरा का समथन करते है लेकिन किसी अय (सजय) का नहा। लेकिन यह बात इंदिरा को स्वीकार नही है।

सजय अपनी शक्ति की व्यचस्थित ढग से सगठित करने म जुट गया। उसने मन्त्रालयो म और नौकरशाही क स्तर पर मुख्य पदो पर अपन आदमी लगाए जो उसके आदेशा का ईमानदारी से पालन करें। थोडे से लोग जा नियमो के पाबद थे और उसक या उसक दास्ता के पश म जरा भी इधर या उधर हान को तयार नहा थ उनकी बदली कर दी गई। उनकी उपक्षा की गई, उह परेशान किया गया अथवा मासा क अतगत जल तक म डाल दिया गया।

सजय न जिद् की और उसका मा न फौरन उसकी बात मानी और सजय हर महत्त्वपूर्ण फाइल को पन्ने लगा और निणय लन म हिम्सा लेने लगा। अक्सर सरकारा फमल उसक द्वारा किए जाने लये। उपसचिव स ऊपर की कोई नियुक्ति उसकी सहमति के बिना नही की जाती थी।

सुरक्षा मन्त्रालय म सजय न दखा कि श्री स्वर्णसिंह पर्याप्त अनुकूल नही है। इसलिए वह उनकी ऊपरह उस समय तक हरिषाणा के मुख्यमन्त्री और तानाशाह अपने अत्यंत प्रिय अनुचर भिन्न बसीलाल को ल आया। श्री बसीलाल सुरक्षा मन्त्री बनकर लाभप्रद सनिक ठेका क क्षेत्र म सजय क विविध 'यापारिक' हितों को दखभाल करन लग।

श्री विद्याचरण शुक्ल महत्त्वपूर्ण सूचना एव प्रसारण मन्त्रालय म रहकर

सावजनिक सम्पत्क माध्यम। स उस उठनी हुई राजनीतिक प्रतिभा एव औद्योगिक धुर-धुर का पूरा जारदार प्रचार दन लग। युवा वाघेस का नेता सजय गाधी अब दूरदर्शन क पर् रडियो और नियमित प्रस म मवध्याप्य हा गया और उमका नाम राज्यों क मुख्यमन्त्रियों की जवान पर रहन लगा। गृह मन्त्रालय म राज्यमन्त्री ओम महता थ जो उमक हाया का छिनीना बनन क लिए हर समय तयार थ। ओम महता और थी० मा० शुक्ल दो प्रतिद्वन्दी रगेना की तरह सजय की कृपा के लिए एक दूसरे स होड करन लग और एका कोई काम नही था जा क उमक लिए न कर सकन हो।

सजय न देखा कि गृह सचिव की महत्त्वपूर्ण जगह पर अनुभवा प्रभावक थी एन० के० मुगर्जी कि अपन विवक स मन्थानित हाने वाला आत्मी है। इसलिये वह उस समय तक राजस्थान क मुख्य सचिव और अधिक नमनशील थी एम० एन० घुराना को उनही जगह स आया। जब भारतीय रिजर्व बैंक क सहायक गवर्नर थी आर० क० हजारी ने राष्ट्रीयकृत बरु द्वारा सरकार क ऋण सवधी नियमों एक नीतियों का उल्लंघन करक माग्नि को मोटे माट ऋण लिए जाने पर एतराज किया तो उन्ट बरुल लिया गया और उनका जगह एक आयकर अधिकारी थी ज० सी० सुपर का स आया गया। इसी प्रकार भारतीय रिजर्व बैंक क गवर्नर थी एस० जगन्नाथन की जगह भारतीय जीवन बीमा निगम क अध्यक्ष थी आर० के० पुरी को नियुक्त किया गया जिह बरु के काम का कोई अनुभव नही था।

भारत के स्टेट बैंक क अध्यक्ष थी आर० क० तलवार न सजय और उमक मित्रों को पाघ करोड रुपये का कज मजूर करन स हवार कर लिया था और उस घटाकर एक करोड रुपया कर लिया था। उन्ट इस पद पर स हटाकर थी टी० आर० वरनाचारी को न आया गया। असल म राष्ट्रीयकृत बरु के अध्यक्ष की सेवा स संबंधित शर्तों को विनाय रूप से मनाधित किया गया। तब सजय थी तलवार को पञ्च्युत करा सका।

वित्त मन्त्री थी सी० मुब्रह्मण्यम बेवसी के साथ देखत रहे और प्रधानमन्त्री ने बकिंग, आयकर चुगी औद्योगिक विकास तथा बरु ऋण जमे महत्त्वपूर्ण विभाग उनके कायभेत स सकर थी प्रणवकुमार मुगर्जी का दे लिए जिहने सजय के प्रति अपनी स्वाभिमान और दामता की शपथ ली थी। उन्ह राजस्व और बकिंग का मन्त्री बनाया गया। जब उद्योग सचिव थी मत्तोप साधी न मारति के सबध में कुछ योग्यमगत मुद् उठाए तो सजय ने मन्त्री थी टी० ए० पाई स माग की कि सोधी को हटा लिया जाए। जब थी पाई ने बमा नही किया तो थी पाई के पारिवारिक भवनो पर आयकर अधिकारिया न छाप मारे।

सजय प्रत्यक्ष कर बाड क अध्यक्ष के एक पद पर थी एस० आर० मेहता को ले आया। थी महता उन लोगों के धरो और व्यापारिक ठिकानो पर

अकारण छापे डलवाने के लिए चिर प्रस्तुत थे जिन्होंने सजय को नाराज कर रखा था।

इस सब में एक सुविचारित और पूर्वनिर्धारित पटयत्न निहित था जिसे एक भीषण लक्ष्य की पूर्ति के लिए निमित्त किया गया था।

जहाँ तक दिल्ली के सघीय प्रदेश का सम्बन्ध है यद्यपि उपराज्यपाल श्री किशनचन्द सहज ही झुक जाने वाले थे, फिर भी एकदम निश्चित हाने के लिए सजय ने अपने पिछलग्गू नवीन चावला को विशेष सचिव के रूप में उनके दफ्तर में रखवा दिया और इस प्रकार दिल्ली के पूरे प्रशासन को अपनी पकड़ी और पूरी पकड़ में रखने में सजय समय हा गया।

नई दिल्ली नगर पालिका तथा सजय के हाथ चाट ही रही थी। दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर श्री बी० आर० टमटा और दिल्ली विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन सजय के हर आदेश का पालन करने के लिए हर समय तयार थे।

नम्बर 1 सफरजग रोड में आर० के० धवन जो रेलवे में एक मुख्य लिफ्ट के पद से उठकर प्रधानमन्त्री का विश्वासपात्र और निजी सचिव बन गया था उसकी अमूल्य दान था और उद्योगपतियां, सरकारी अधिकारियों तथा राजनीतिज्ञों के साथ चलने वाले सौदा में मध्यस्थ का काम करता था। इस स्थिति में धवन सम्भवतः चौकड़ी का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था क्योंकि सजय और प्रधानमन्त्री दोनों के पास उनकी सीधी पहुँच थी और वह सपक का एकमात्र माध्यम तथा प्रधानमन्त्री और सजय से कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा इसका निर्णायक था।

जब मिलने वाले चाह व्यापारी हा या मंत्री या चाटी के अधिकारी प्रधानमन्त्री से मिलने आते थे तो वे उन्हें सुझाव देती थी कि सजय से मिलकर अपनी समस्याओं के बारे में उससे बातचीत कर लें। इस प्रकार मुख्यमन्त्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जो सबके सब प्रधानमन्त्री की लय पर नाचने वाले पुतले थे, सजय से मिलने के लिए और अपनी सरकारी और दलीय समस्याओं पर उससे बातचीत करने तथा अपनी कामवाहियाँ और नीतियाँ पर उसका आशीर्वाद पाने के लिए चिर प्रस्तुत रहते थे।

सजय बड़े सहज भाव से मुख्यमन्त्रियों को पदच्युत कर देता और राज्य सरकारों को उलट देता था। उत्तर प्रदेश में सजय की चौकड़ी ने श्री बहुगुणा को मुख्यमन्त्री पद से हटा दिया था यद्यपि विधान सभा में उनकी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त था। उड़ीसा में एक समय की श्रीमती गांधी की कृपापात्र श्रीमती नन्दिनी सत्यजी को अपना मुख्यमन्त्री पद घोना पड़ा था क्योंकि उन्होंने युवराज के सामने सिजदा करने से इन्कार कर दिया था। बम्बई में अब

तक प्रदेश कांग्रेस समिति की अपनी सुरक्षित गद्दी से श्री रजनी पटेल को भी इसी अपराध के कारण उतार लिया गया था। पश्चिमी बंगाल में श्री सिद्धाथ शंकर राय मुख्य मन्त्रा पद से लगभग छद्देड दिए जा चुके थे क्योंकि वे सजय का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर नहीं गए थे और उहाने उमके सामने घुटन नहा टके थे। उह तो इस नियति से श्री जगजीवनराम द्वारा नाटकीय ढंग से दल छोड जान की घटना ने बचा लिया। क्योंकि इस घटना ने कांग्रेसी नेताओं द्वारा मिनकर चलने की जरूरत पदा कर दी।

उद्योगपति अपना थलिया नकर उसके पास आत थे और कांग्रेस दल के तथा उसके औद्योगिक एवं व्यापारिक प्रयासों के लिए खुलकर पसा देते थे। उनके हूठो पर स्पष्ट प्रश्न रहता था मेर लिए कोई सवा ? सरकारी अधिकारी और समाचार एजेन्सी के मुख्य कमचागी तक अपनी गुत्थिया लेकर उसके पास आत थे। वह उह पलभर में सुलभा दता था और वे चन और निश्चितता की सास लेते चन जात थे। उमकी रचियो और गतिविधियो के आयाम सचमुच ही भौचक कर दन वाल थे।

श्रीमती गाधी घमड और प्रशसा के साथ अपने दट के ज्वलत उत्थान को देखती था। एक ही रात में वह बिलीय जादूगर राजनातिक घमस्कार और अदभुत प्रशासक बन गया था।

सपीय गह मन्त्रानय की जार में राज्य सरकारों को निर्देश भज गए थे कि जब मजय उनके राज्या में पहुचे तो उस महत्त्वपूर्ण व्यक्ति का स्वागत मिलना चाहिए और मुख्यमन्त्री इन निर्देशों का पालन करने में एक दूसरे से हूड करत थे। हवाई अड्डे से नगर तक के मजय के माग के दानों और फिराये की भीड लाकर खडी करने पर स्वागत के लिए मुसज्जित तोरणों पर और भीड़ के सामने भाषण के लिए बिराट आकार के मचों पर कल्पनातीत सावजनिक घनराशि लुटाई गई थी। नियन्त्रित अखबारों में मजय के यात्रा कार्यक्रमों की तथा पहुध और कूच का घोषणा की जाती था।

बम्बई उत्तर प्रदेश राजस्थान और कई जगह मुख्यमन्त्रियों के नतत्व में राज्य के पूर मन्त्रिमंडल युवराज का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर पवित्रबद्ध खडे हो गए थे। न्तीय नेता जब नय इष्ट दवता के सामने सिद्धा करते थे ता आतक से फुमफुमात थे और मुक्त रूप से कहा जाता था कि श्रीमती गाधी की गद्दी का वही उत्तराधिकारी है। साठ में ऊपर के मुख्यमन्त्री और जय कांग्रेसी सजय के पर छून थे और उसकी चप्पनें शशा उठाकर उसक परा में पहनात थे। यह सब इतना करुणाजनक न भी हाता तब भी अत्यंत पतनशाल तो यह था हा।

कांग्रेस अध्यक्ष श्री त्रिपाठी बरआ सजय का विवकानंद दूमरा शंकराचार्य

और अक्बर और इन तीनों के मिथण ने बना एक महामानव बताते थे। यह वही बन्धा थे जो अपन तिल ही तिल में इम लडके की साहसिकता से नफरत करत थे और सजय द्वारा किए गए अपमानों से तिलमिलाते रहत थे।

दल के मुख्य सचेतक और ससनीय मामला के मंत्री श्री रघुरमैया ने अपन नगर गुटूर में हुई एक सावजनिक सभा में नहरू की तीन पीढ़ियों की सेवा करने की शपथ ली थी अर्थात् जैसे उन्होंने मा और नाना की सेवा की है वैसे ही सजय की भी सेवा की वसम खाई थी।

सजय की इच्छा नौकरशाही के लिए चरम आदेश थी। यह युवराज सभा नियमों और कानूनों से ऊपर और परे था। जब सजय ने अपनी फक्टरी के क्षेत्र को सुरक्षित क्षेत्र में भीतर तक फैलाने का निश्चय किया तब मैनिक निमाणों की सुरक्षात्मक आवश्यकताओं की भी कोई परवाह नहीं की गई थी।

1977 के लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेसी उम्मीदवारों के चयन का काम कांग्रेस ससनीय बोर्ड को नहा सजय चौकड़ी की एक समिति को सौंपा गया था। इस समिति में थे सजय बमोलाल और धवन। समिति को यह देखना था कि श्री जगजीवनराम के किसी समर्थक को कांग्रेस की उम्मीदवारी न मिले। सजय श्री जगजीवनराम से घणा करता था और श्रीमती गांधी ने अभी उा पर विश्वास नहीं किया। इस बात के स्पष्ट संकेत थे कि वे उन्हें छोड़ देना चाहती हैं। वस्तुतः चुनावों की घोषणा के बाद श्री जगजीवनराम द्वारा दल से त्यागपत्र देने का यह एक प्रमुख कारण था।

तब वसम कोई आश्चर्य नहीं कि नाड-प्याय में विगडे हुए उस युवक का सिर ही फिर गया। पहले में ही वसमिजात्र अब वह असह्य हागा। उसके अकखडपन ने उसका चांगो जोर में लागा वो यहा तक कि उसकी और उमकी मा की दख भाल करन वान सुरक्षा अधिकारिया तक को उससे काट दिया। इसी कारण यह हुआ कि नम्बर 1 सफदरजग माग से सम्बन्धित जो टेनी भेडी कहानिया राजधानी में फली उनमें अधिकतर प्रधानमंत्री निवाम की सुरक्षा के लिए नियुक्त पुलिस के मुख स हो निकली थी।

युवा कांग्रेस के नेता सजय ने दिसम्बर 1975 में चण्डीगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में अपना शानदार सावजनिक जीवन आरम्भ किया था। पूरी तरह प्रशिक्षित बहुमाध्यमीय प्रचार अभियान को धारणा कि एक वप बाद कांग्रेस के मोहाटी जिवेशन में सजय और उसकी युवा कांग्रेस ने अपन बडा की कांग्रेस का पूरी तरह आच्छादित कर लिया था। प्रेस रेडियो और दूरदर्शन ने तो राष्ट्र का काम से काम यही बताया था। सजय और अन्य वक्ताओं ने अपने बडों के बारे में निराजनक बातें कही थी और दावा किया था कि भविष्य युवा कांग्रेस के हाथों में है। उन्होंने माग की था कि अगले आम चुनावों में 50 प्रतिशत कांग्रेसी उम्मीद



वार उनके होंगे, और इसका उह वचन भी दिया गया था ।

श्रीमती गाधी ने स्वयं युवा कांग्रेस अधिवेशन में भाषण दिया था उह आशीर्वात् लिया था और उनक इस दावे का समर्थन किया था कि भविष्य उनके हाथों में है । कांग्रेस अध्यक्ष श्री दत्तात्रय बरुआ भी अधिवेशन के सामने बाले थे और उन्होंने प्रधानमंत्री के हर शब्द पर सहा का निशान लगाया था । पर अधिवेशन में वे एक फालतू आदमी दीख पड़ रहे थे और गजय तथा अर्यों ने ऐसा ही व्यवहार उनके साथ किया भी था । असल में बरुआ के प्रति अपनी घणा को सजय ने कभी नहीं छुपाया था और उनकी वह कोई इज्जत नहीं करता था । उसकी माँ भी उनसे कोई अधिक अच्छा व्यवहार नहीं करती थी । श्री बरुआ उनकी जो घिनौनी और चापलूसी से भरी तारीफ करते थे लगता है उसका उन पर कोई असर नहीं होता था ।

बोट बनब पर 22 जून की विराट मभा में श्रीमती गाधी का पूरा परिवार मच पर मौजूद था । कांग्रेस अध्यक्ष श्री बरुआ भी बीच में घुसकर जा बठे । उह मच पर बठा देखकर सजय ने नाराजी प्रकट की और होठ सिकोडकर यह कहते हुए वह सुना गया यह भाड यहा क्या कर रहा है ?

सजय अपनी नासमझियों दुःखहारों और अकम्बड स्वभाव के कारण लोगों को तत्काल दुश्मन बना लेता था । उसके बारे में यह सचमुच ही कहा जा सकता है कि देवता भी जहा जाते हुए डरते हैं वही वह लपकता हुआ जाता है ।

1977 के चुनावों में कांग्रेस दल की पराजय की शक परीक्षा करते हुए श्री चंद्रजीत पानव के नेतृत्व में 125 कांग्रेसजनों ने इसका श्रेय जनता के क्रोध को तथा प्रधानमंत्री के चारों ओर एकत्र कुछ लोगों के समूह द्वारा कानूनी राजनीतिक और सबधानिक मापदंडों की उदघात उपक्षा का लिया था । ये वही लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री के बेटे सजय गाधी का अपनी लोलुपता और अधिकार लालसा का साधन और भागीदार बना लिया था ।

## चोटी की मूर्खता

सजय की सर्वोच्च मूर्खता यह हुई कि राजधानी को सजान और लोगो पर परिवार नियोजन थोपने के लिए उसने शूर और वेग तरीकों को अपनाया जिसे पूरा मुस्लिम सम्प्रदाय और समाज के सभी गरीब वगैरे तत्काल अलग बंट गए।

राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस दल की यह धातक गलती थी क्योंकि हर चुनाव में मत और समयन के लिए कांग्रेस मुसलमानों के और मजदूरों के मत और समर्थन पर ही अत्यधिक निर्भर करती रही थी। सजय का सफाई करो अभियान जिसके अधीन उसने समाज के निम्नतम वर्गों के सात लाख लोगों का निममता से उखाड़ कर उन्हें 20 मील दूर बसाया उतना ही विवेकशून्य था जितना कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी और उसके निवासियों को दीलतावाद ल जान का पागल प्रयास।

इस सफाई करो कायवाही के लिए जो इलाका चुना गया वह अत्यन्त घना बसा लगभग पूरी तरह मुस्लिम आबादी वाला अजमेरीगेट-नुकमानगेट जामा मस्जिद क्षेत्र था। उस कायवाही में अधिकारियों ने घोर निष्ठुरता और पुलिस ने क्रूरता दिखाई और लोगो को भारी कष्ट सहन पड़े। यहाँ तक कि जामामस्जिद के इमाम मयद अदुल्ला बुखारी को उत्तेजित होकर राजनीति में बूदना पड़ा और आने वाले चुनावों में कांग्रेस के विरुद्ध प्रचार करना पड़ा। उन्होंने घोषणा की कि जनमध और राष्ट्रीय स्वयंसेवक मध कांग्रेस की अपना मुसलमानों के अधिक अच्छे मित्र हैं। उन्होंने उत्तरी राज्यों की बार बार यात्रा की और कांग्रेस के विरुद्ध मत देने के लिए मुसलमानों को उत्साहित किया।

सजय बसा ही आचरण करने लगा था जसा 400 वर्ष पहले की शाही दिल्ली में मुगल युवराज किया करते थे। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे कि दिल्ली उसकी निजी जायदाद ही और अपनी जायदाद का वह कुछ भी कर सकता हो। जब उसका मतलब सरकारी अधिकारियों से होता था तब वह शाही हम का इम्तमाल करता था। बिना तैयारी के अनायास दरबार लगाता था और विभिन्न नागरिक मामलों पर फसल देता था। वह पीड़ित जनता के प्रतिनिधिमंडलों से बात करता था और यदि उनकी बात उसकी योजनाओं के रास्ते में आती थी तो कितनी भी युक्तिमगत वह क्या न हो उस वह तुरंत रद्द कर देता था। हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते ! ' वह कहा करता था।

सजय अपन प्रचंड सपाई अभियान के बारे में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से बात करन के लिए राष्ट्रपति भवन पन्चा। जब उन्होंने उरा धीम वड़ने की सलाह दी तो कहा जाता है सजय ने मुहफ्त नरीक से उस सलह को टुकरा लिया और अपनी यात्रनामा को आगे बढाने में दृढ़ निश्चय को ही व्यक्त किया।

तुकमान गेट धर में 13 अप्रैल 1976 को गडबडी तब शुरू हुई जब डी० डी० ए० न दोजाना हाउस अस्थाई शिविर के बगैरों को तुकमान गेट के क्षेत्र से हटा देने का नियम विच्छेद काम किया। यह अस्थाई शिविर मूलतः घटूत पन्च 1965 में जामा मस्जिद के निकट स्थित दोजाना हाउस के निवासियों को बसाने के लिए स्थापित किया गया था। इस तब तक रहना था जब तक दोजाना हाउस में उतक लिए नये घर न बन जायें और वे उन्हें देन लिए जायें। वह वायदा कभी पूरा नहीं हुआ और पिछन 11 बरों में व लोग इस अस्थाई शिविर में उस तब तक रहत रह जिम तब यह शिविर बुलगाजर से छतम नहीं कर दिया गया और तबक निगामी जमनापार के आवास धराम नही भज लिए गए।

अपवाह गम हो उठी कि तुकमान गेट का भी यही हाल होगा। लोगो ने इन अपवाहा पर पढ़न विश्वास नहीं किया था क्योंकि न तो वया ही जबरनस्ती आकर बस गए लोग थे और न ही अनधिकृत मकानो में रहन वाल थे। व तो पीड़ियो पीड़ियों से यहा रहत बन आ रहे थे। डी० डी० ए० कस उनके घरों को गिरा सकती थी और उह बाहर निकाल सकती थी? लेकिन जब अपवाह लगातार गम रही तो तुकमान गेट के निवासियो ने स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओ और कांग्रेसिया के माध्यम में अधिकारियों के पास आवदन भिजवाए। डी० डी० ए० उह कोई निश्चित आश्वासन देन को तयार नहीं थी। एक प्रतिनिधिमंडल तबकालान आवास मंत्री श्री हरविशानलाल भगत से भी जाकर मिला और उनसे तिवदन किया कि यत्न उनके घरों को गिराया ही जाना है तो इसके लिए उह उचित समय लिया जाना चाहिए। श्री भगत उह कोई आश्वासन नहीं दे सक और उन्होंने सन्नेह ही प्रकट किया।

18 अप्रैल को लोगो ने सुना कि डी० डी० ए० के उपाध्यक्ष श्री जगमोहन और सजय गात्री पाम ही स्थित रणजीत होटल में आए हुए हैं। निवासियो ने एक प्रतिनिधिमंडल निमित किया और सजय के पास पहुच गए। पहल तो सजय ने मित्रने से इकार कर दिया लेकिन बाद में कृपा करके मिलना स्वीकार कर लिया। जब प्रतिनिधिमंडल का सजय की उपस्थिति में लाया गया तो उन लोगो ने दखा कि कमरे में सजय और जगमोहन के अतिरिक्त एक पुरुष और दो युवतिया और था।

प्रतिनिधिमंडल ने प्रार्थना का कि उनके घरों का बखश दिया जाए। प्रार्थना नामजूर कर दी गई और उह हवा जवाब दिया गया कि उह घाली करना ही

पड़ेगा। प्रतिनिधिमंडल ने तब प्रायना की कि यदि उह जाना ही है तो कम से कम उहे एक ही क्षेत्र म बसाया जाए, जहा व इक्टठे अपना जीवन फिर स शुरू कर सकें। इनमे अधिकतर नाग सदिया से पढामियो क रूप म रहते आ रहथ और कितने ही आपस म रिश्तेदार भी थे। कहा जाता है जगमोहन न इसका यह सख्त जवाब निया 'तुम यहा छोटा पाकिस्तान बनाना चाहत हो ?'

आहत और निराश उन लोगो ने अगले दिन बुलडोजरा का मुकाबला करने का निश्चय किया। स्त्री और पुरुष एक बडी सभ्या म क्षेत्र के एक कोने म स्थित मस्जिद दरगाह फज इलाही मे इक्टठे हो गए। सबडो लोग बुलडोजरा को क्षेत्र म घुसने से रोकने के प्रयोजन से बठकर प्रदशन करने के लिए बाहर इक्टठे हो गए और महा बहा बठ गए। विरोधक इस डग का सुझाव उस क्षेत्र की ससत्सभ्या श्रीमती सुभद्रा जोशी न दिया था।

जब लोग बठ थे और इतजार कर रहथ तो तनाव बढता जा रहा था। इसी तरह के दो और समूह एक डिलाइट सिनेमा के पास और दूसरा हमन्द दवाखान के पास एकत्र हो गया। य सभी घरा के मालिक नही थ बल्कि अधिकतर वे लोग थे जो उस क्षेत्र म काम करते थे और किरायेदारो क रूप म गहस्वामियों के साथ रहत थे। इसी बीच आमा मस्जिद से चला नसबदी विराधी एक जुलूस तुकमानगेट क्षेत्र म आकर समाप्त हुआ और इस तरह प्रदशनकारियों की सख्या बहुत अधिक बन गया।

प्रदशनकारी लगभग 1 बजे तक बहा बठे रहे। दिन बहुत गम था। तभी सीमा सुरक्षा दल और क द्रीय रिजर्व पुलिस के सिपाही राइफलो और लाठियो से सज्जित गानिया भर भरकर बहा पहुचे। कुछ पुलिस वालो क पास उपद्रव स बचाव के लिए बास की टाले भी थी। लोग अस्थिर हो उठे। कुछ न बस बहा स चल जाना चाहा। अब कुछ ज्याम थे। कुछ का अपनी दोपहर की नमाज का ध्यान आया और कुछ पेशाब आदि क लिए जाना चाह उठे। बठ हुए प्रदशनकारियो म स कुछ जान क लिए उठे। लेकिन पुलिस ने उह हिलने नही निया। उह पीछे ढकल निया गया और वही बठे रहने का आदेश दिया गया। अब और अधिक लाग उठकर खडे हो गए। उहान रास्ता बनान की कोशिश की। पुलिस ने फिर उह ढकलकर पीछे हटा निया। यह कुछ मिनटो तक चलता रहा।

तभी जसा कि उपद्रव भडवान के ठेठ तरीके के रूप म अनेको बार पहले भी हुआ होगा एक पत्थर सनसनाता हुआ आया और प्रदशनकारी भी क बीच मे आकर गिरा। कुछ लाग जो प्रदशनकारियों म थ वान कि यह पुलिसवालो क पीछे स आया है। अया ने जोर देकर कहा कि यह स्वय पुलिसवाला न ही फका है। एक पुलिस वाले का कहना था कि इसे पुलिस क पीछे दशका के रूप म खडे वही क रहन वाला न फेंका है।

कुछ देर के लिए भयानक चुप्पी रही और तब प्रदर्शनकारियों ने वदने में जवान दिया। पुलिसवालों पर पत्थरों की एक बौछार आकर गिरी। इस समय उपमण्डलीय मजिस्ट्रेट श्री ए० के० पाट्टे ने बेंत चलाने का आदेश दिया। लेकिन बेंत चलायी नहीं गयी। हो सकता है कि द्रीय रिजर्व पुलिस और सीमा सुरक्षा दल के सिपाही इतनी बड़ी भीड़ से इस तरह निपटने के आगे नहीं थे। शायद भीड़ पुलिस का अपने निकट आने नहीं दे रही थी।

तब तक लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे थे। कुछ बचकर सकरी गलियों में घुस गए थे। पुलिस ने भीड़ को पकड़ना शुरू कर दिया। 2 बजे तक प्रदर्शनकारी एक बड़ी मछिया में गिरफ्तार कर लिए गए। इस क्षण घरों के भीतर की स्त्रिया बाहर आकर इस हंगामे में शामिल हो गयीं। वे लाठिया बेलन या जो कुछ भी उनके हाथ लगा लेकर निकल पड़ीं। पुलिस जब कुछ देर के लिए हकबी-बकबी रह गयी। इस बीच जो लोग गलियों में घुस गए थे उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए।

जो लोग उस दिन की घटनाओं में शामिल थे वे भी नहीं कह सकते कि किसने और ठीक किस क्षण गोली चलाने का आदेश दिया। बाद के व्यौरों के अनुसार वहाँ उपस्थित मजिस्ट्रेट गोली चलाने के विरुद्ध थे। उनका मुयाव था कि पुलिस उस क्षण को घेर ले और पत्थर फेंकने वालों को गिरफ्तार कर ले। पुलिस प्रदर्शनकारियों के पीछे भागती सकरी गलियाँ में घुसी थीं लेकिन उन्हें पकड़ने में विफल रही थीं।

गोली चलाने का पहला आदेश लगभग 3 बजे दिया गया था। कहते हैं इस इन्स्पेक्टर जनरल (रेंज) ने दिया था। एक घबराहट और चीख पुकार फल गयी। चिल्लाहटें पास के इलाकों तक में सुनी जा सकती थीं। लोग जमीन पर गिरने लगे। एक युवक ने अपनी छाती खोल दी और कहा कि वह अपने घर की रक्षा करते हुए शहीद होना चाहेगा। वह गोली खाकर गिर गया। और अधिक गोलियाँ चलाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही बुन्दोजरा ने सड़क पर आगे बढ़ना और घरों को गिराना शुरू कर दिया।

घरों में मौजूद अधिकतर स्त्रियों और बच्चों का मिनटों के भीतर बाहर निकल जाने का आदेश दिया गया। एक प्रत्यक्ष गवाह और शिकार बड़ी बी के अनुसार उसके बच्चे को कुछ लाठियाँ लगीं और वह भाग लिया। छोटे ने उसकी दुकान में घुस आ रहे पुलिसवानों को रोकने की कोशिश की। उसपर रायफल के कुदों की मार पड़ी और वह भी वहाँ से हट गया। स्त्रियों को खींच कर बाहर निकाल दिया गया और रातें हुए बच्चे डरकर इधर उधर भाग लिये।

हमारे घरों के पीछे बसे कुछ हिन्दुओं ने कितनी ही स्त्रियों को बचाया।

उन्होंने पुलिस से प्रायना की कि वे पर्लानशीन है, उहे मत छुओ और अनको स्त्रियो और बच्चो को आश्रय दिया।' कुछ मुसलमान औरता न वताया— मस्जिद म इकटठी स्त्रियो को एक मजिस्टेट न आदेश दिया कि वे यहा से निकल जाए। 'जहा भी जा सकती हो चली जाओ।' उसने उनसे कहा। इन स्त्रियो के पुरुष इस समय गिरफ्तार किए जा रहे थे।

जिस अवधि मे घरा को गिराया जा रहा था गोलिया एक एककर लगभग डेढ घटे तक चलती रही। जब पुलिसवाले स्त्रिया और बच्चो को घरा से बाहर धकेल रहे थे और गलियो मे पुरुषो का पीछा कर रहे थे उसी बीच अत्याचार किए गए और सम्पत्ति लूटी गई। जैसे जस बुलडोजर आगे बढे लोग निकलकर बाहर भागे। तभी पुलिस वाले झपटकर भीतर घुसे और घरा से टेलीविजन और रडियो तथा जो भी कीमती चीजें उनसे हाथ लगी उह उठा ले गए। इससे भी अधिक निन्दनीय घटनायें गलिया म और सडका पर घटी, जहा पुलिसवाले प्रशानकारियो को दूढ रहे थ और उनका पीछा कर रहे थे। वहा वे घरो म घुस गए। उहाने सम्पत्ति लूटी और स्त्रियो स दुव्यवहार किया।

अल्लारखी की आखो म अभी भी आतक है और पुलिस के घर म घुसने के एक वष बाद आज भी वह हक्की-बक्की प्रतीत हाती है। उसन इस दश्य का वणन इस प्रकार किया। उसन बताया कि मोहल्ले की लगभग आधा दजन लडकिया पिछवाडे के एक कमरे म जो आमतौर से कोठार के रूप म इस्तमाल किया जाता था, जाकर छुप गई थी। उहोंन अदर से कुडी खदा ली थी। सात या आठ पुलिस वाले (अल्लारखी न बताया कि वे पुलिस क आग्नी नही थे, जिन सिपाहिया को हम देखने हैं उनसे भिन वे बटुन लम्ध चौडे थ) उसके घर म घुस आय। उनके हाथा म डडे और रायफलें थी और वे घर के छाटे से आगन म भरकर खड हो गये। उहोन हुषम निया कि भीतर के कमरे को खोला जाए। जब लडकियो ने नही खोला तो वे दरवाजा तोडने क लिए आगे बडे। अनायास अल्लारखी दौडकर त्रवाजे क सामन खडी हो गई। रायफल क कुदे की चोट उसके माथे पर पडी और खून बहन लगा।

पुलिस वाला न जबरन्स्ती दरवाजा खोल डाला और रोती चीखती लडकियो को एक एक करके बाहर खाच लिया। इहाने उहे नावा उनके बाल खीचे और उनक दुपट्टे छीन लिए। कुछ लडकिया भागकर बराबर क घरो म घुस गड। अल्लारखी सोने की बालिया पहन थी। एक पुलिस वाने ने उ ह उसक काना स तोड लिया। जब उसने अपन काना का हाथा से ढकना चाहा तो उहान उस पर लाठिया वरसाइ। एक दूसरे पुलिस वाले न कमरे से घडी उठा ली और तीसरे ने टाजिस्टर ले लिया। यहा तक कि उसकी बूनी सास भी पुलिस की लाठिया

से बच नहीं सक्ती। उसन बताया कि बापू म इबिन अम्पतान की गाड़ी आई और उह ल गई।

तुकमान बाजार म दीडत हुए पुनिम बाने छुप हुए प्रगनवारियों को दून हुए मोहम्मदअली क घर म भी घम गए। व मीदिया म ऊपर चने गए जहा स्वण नियंत्रण आदेश स पढ़ने मोहम्मदअली स्थानीय स्त्रिया क लिए गहने गडा करता था। पर इम समय यह रहने का घर था और अली यहा अपनी पत्नी और बटे के साथ रहता था। सिपाहियों ने उसे दो लाठिया मारी और बाहर निकल जाने का हुकम दिया। अब उसकी पत्नी न अपने पति का बचाने की कोशिश की तो एक लाठी उसक हाथ पर पड़ी और उसकी एक उमली की हटा टूट गई। पुलिस वाल उसक बटे की घड़ी छीन ले गए। उमन घड़ी को अपने हाथ म छुपाना चाहा तो उहाने उस पीटा।

कुछ पुलिस वाले तीमरी मजिल पर अली क नवविवाहित बटे और बहू के कमरे म पहुच गए। उहोन कमरे को उलट पलट डाला और अन्मारी को तोड कर गहने निकाल ले गए। अन्मारी म रम डिब्बे फश पर खाली बिछरे छोड गए। एक दूसरी अन्मारी म बहू ने चीनी क बतन जो वह दहज म लाई थी सजाकर रम थे। पुलिस वालो न सब बतन चूर चूर कर लिए। कमरे स जात हुए पुलिस वाले गलती स बास की बनी एक ढाल कमरे म ही छोड गए। अली की पुत्रवधू सडक क पार अपनी मा क यहा गई हुई थी। जब पुलिस चली गई तब वह भागती हुई समुराल आई। वह ऊपर अपन कमरे म गई तो उसने दखा कि दहज म जो भी गहने और अन्य मूल्यवान चीजें वह लाई थी सब जा चुकी थी।

इस तरह क उन्महरण अनगिनत बताए जाते है। नबिन जिन स्त्रिया स हम मिले उनम बिमी ने भी बलात्कार का एक भी मामला नहा बताया। व बोली नहीं ऐसा नहीं हुआ। उहाने कुछ स्त्रियों स दुव्यवहार किया अपमान किया नोचा खसोटा भी। पर वह नहीं। एक बुनिया न कहा हम झूठ नहीं बोलेंगे। खुदा ही जानता है किन पुराने पापा की यह सजा हम मित्री है। हम झूठ नहीं बोलेंगे।

अल्तारकधी ने बताया कि जब पूर क्षेत्र म कफयू नगा हुआ था तब भी पुलिस वाले उनक प्लाक म और घरो म आते रहथे। अगले दिन उहाने पास क घर की एक बहू स कहा था कि अम्पतान म घायल पडा उसका पति उसे बुला रहा है। लेकिन बुदिया साम न बहू को पुलिस वाल के साथ नहीं जाने दिया था।

अजमेरीगट की दुखद घटना पिछल दो वर्षों स दिल्ली म चल रही काय बाहियों की श्रृंखला की चरम परिणति थी। फसील स घिरे नगर म जामा मस्जिद हमरा क्षत्र था जहा दुकाना के गिराए जान ने बहुत वाद विवाद और फिसान तक

पदा किया था। जामामस्जिद की बाहरी दीवारों के साथ बनी ये दुकानें सड़कों वर्षों से बहा थीं। भाग्य में परिवर्तन के साथ-साथ इन्होंने अपने रूप भी बदले थे। लेकिन जामामस्जिद का कवाडी बाजार जितनी दूर पीछे तक इस क्षेत्र के निवासियों की यात्रा जाती है बराबर यही रहा था।

इस क्षेत्र को साफ करने की याचना पहल भी बनी थी। बताया जाता है कि पाचवें दशक के अंत में नेहरू और आजाद इस क्षेत्र में आए थे और उन्होंने कुछ सुधारों के सुझाव दिए थे। बाद में पाईवालान योजना नाम से एक योजना बनाई गई थी जिसके अंतर्गत मस्जिद के चारों ओर के दुकानदारों को उसी क्षेत्र में डी०डी०ए० द्वारा बनाई गई दुकानें बदले में दी जानी थीं।

इस योजना को स्वीकृति उस समय दी गई थी जब श्री भगवान सहाय दिल्ली के चीफ कमिश्नर थे। इस फैसले को 4 अक्टूबर, 1974 की विलम्बित तिथि में डी०डी०ए० द्वारा आयोजित नगर आयोगों की एक बैठक में दुबारा स्वीकृत किया गया था। एक प्रस्ताव स्वीकार करके सिफारिश की गई थी कि पाईवालान योजना को जल्द कार्यान्वित किया जाए। जनवरी 1975 में इस प्रश्न को दुबारा उठाया गया था और शीघ्र कार्रवाई का वचन दिया गया था।

लेकिन 26 जून 1975 के बाद अचानक सब कुछ भिन्न रूप में नजर आने लगा। डी०डी०ए० एक दिन बुलडोजर ल आया और जामामस्जिद की दुकानों को गिरा लिया गया। दुकानदारों से कहा गया कि वे उदू पाक के पास अपनी दुकानें अपनी लागत पर खड़ी कर लें। बाद में उह वहा से भी हटा लिया गया और सीलिया उतरकर एक निचले क्षेत्र में उहे भेज दिया गया, जहा अधेरा और गदगी है, हवा का ठीक इन्तजाम नहीं है और बरसात में पानी भर जाता है।

इस क्षेत्र का एक सामाजिक कार्यकर्ता इद्रमोहन जामामस्जिद के दुकानदारों की तकलीफें सामन रखने के लिए सजय गांधी से मिला। बताया गया है कि सजय गांधी ने उससे कहा कि पाईवालान योजना पर लगभग दो करोड़ खर्च का अनुमान है। यदि इद्रमोहन या विस्थापित दुकानदारों का कोई भी हितचिन्तक इतना रुपया देने को तयार होता यात्रना का कार्यान्वित करन में हम कोई आपत्ति नहीं होगी। सजय ने यह भी कहा मेरी मूखता है कि ये लोग जहा भी इहें भेजा जाए चने जाएंग। लेकिन तुम्हारे जस नता ही परेशानी पदा करते हैं।'

अगले दिन इद्रमोहन अपने क्षेत्र में वापस लौटा और उसका और सजय के बीच जो बातें हुई थी वे उसने लोगों को बताया। अगले दिन उसने फिर लोगों से बात की और सबन विचार विनिमय किया कि पाईवालान योजना को लागू कराने के लिए आये क्या कर्म उठाए जाएं।

इद्रमोहन सजय से 17 सितम्बर को मिला था। 19 सितम्बर की आधी



रात को कज्जल रोड होस्टल में इन्द्रमोहन के कमरे पर छटछट हुई। जस ही उसने दरवाजा खोला सफ़द कपड़ा में सात आत्मी भीतर घुस आए। उनमें से एक ने इन्द्रमोहन को गले से पकड़ लिया। आधा जगा इन्द्रमोहन भौंचक रह गया। जब उसने पूछा कि वे क्या चाहते हैं तो उस बताया गया कि वे पुलिस वाल हैं और उसे गिरफ्तार करने आए हैं। तब तक एक बर्दाघारी अधिकारी भी वहाँ आ पहुँचा था।

उनके साथ चलने से पहले इन्द्रमोहन ने कुछ कपड़े ल लेने चाहे। लेकिन इसकी इजाजत उन्हें नहीं दी। उसने अपने कमरे में ताला लगाना चाहा क्योंकि वहाँ वह अकेला रहता था। पुलिस ने इसका भी अवसर उसे नहीं दिया। जब उसने पुलिस की पकड़ से अपने को मुक्त करना चाहा तो उन्होंने उसे सशरीर उठाकर सड़क पर इन्तज़ार करती जीप में पटक दिया और दरियागज याने की ओर ले चल।

दरियागज याने में इन्द्रमोहन को हवालात में डाल दिया गया। हवालात की खुली नाली में बदबूदार कूड़ा भर दिया गया था। जैसे ही वह कोठरी में घुसा उसे उलटी आने का हुई लेकिन पुलिस ने उसे साफ नहीं कराया। इन्द्रमोहन ने अन्न-जल लेने से इकार कर लिया। पुलिस ने कोई चिन्ता नहीं की। उसे भारत सुरक्षा नियम के अधीन गिरफ्तार किया गया था। इसलिए तीसरे दिन उसे तीस हज़ारी अदालत ले जाया गया। दो दिन के भूखे उसको हथकड़ी लगाकर चार मील का मास पदल चलाया गया। वह अभी अपने रात के कपड़े लुगी और कुर्ते में ही था।

जब वह सड़क पर जा रहा था तो लोग ने उस पहचान लिया और दूसरों को खबर कर दी। जामामस्जिद के नियामियों ने उसकी जमानत भरने की ज़िद की। उन्होंने कहा यह हमारा हक है। इन्द्रमोहन का वात में निहाड जल भेज दिया गया। उसे अय राजनीतिक नज़रबंदियों के साथ जनवरी 1917 में ही छोड़ा गया। वह बाहर आया तो ज्वर और बीमार था। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर उसने कुछ कपड़े अपने थले में डाल और सजय के विरुद्ध प्रचार करने के लिए अमेठी की ओर चल दिया।

एक प्रश्न जो अब भी अनकों को परेशान करता है यह है कि आखिर तुकमान गेट के घरों को क्या गिरवाया गया। वहाँ के निवासी न तो जबरदस्ती आकर बसे हुए लोग थे न ही उनका घर अनिष्टित थे। इसमें दो राय नहीं हैं कि वह एक घना बसा और गढ़ा क्षत्र है और वहाँ सफाई की ओर मुधार की ज़रूरत है। यह तथ्य 1938 जितने पुराने समय में भी स्वीकार किया गया था और उस समय ब्रिटिश सरकार ने एक दिल्ली अजमरी गेट याजना तयार की थी। इस योजना

के अतगत तुकमान गेट अजमेरी गेट व निवासियों को जहा आज रणजीत होटल है वहा एक जस्थायी शिविर मे रखा जाना था और फमील के भीतर व इस क्षेत्र को अधिक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओ सडका और गलियो आनि समेत फिर से निमित्त किया जाना था। कुछ घरों को उनकी मून रचना और उनके रूप को बिना बन्ने एम थोडा सा परिवर्तित किया जाना था जिससे सडका और अन्य सुविधाओ क लिए जगह निकल सके ।

बान म मातामुदरी सडक से लेकर अजमेरी गेट, तुकमान गेट तक की पूरी जमीन का विकास फमील के भीतर के शहर के ढग पर ही किया जाना था और वहा की फालतू आवादी को यहा बसाया जाना था। लेकिन जब इस जमीन का व्यापारिक मूल्य ध्यान मे आया तो अधिकारियों ने अपना इरादा बन्ल दिया। दिल्ली-अजमेरी गेट याजना जिस बाद म स्वतंत्र भारत की नई सरकार न भी स्वीकार किया था खत्त म डाल दी गई। इसने और बान म आसफअली राड की व्यापारिक भवन गृहला निमित्त हुई। तत्र डी०डी०ए० न जहा पुरानी दिल्ली व घर हैं उस स्थान पर 50 मजिल कार्यालय बनाने की योजना तैयार की। योजना यह थी कि चावनी बाजार और नई सन्क तक पूरे क्षेत्र को गिराकर साफ कर दिया जाए और वहा विभिन्न आकारों और ऊचाइयो क गगनचुम्बी भवन बनाए जाए। लगता है सजय बहुत दूरगामी योजनाए अपन मन म पोस रहा था।

व्यापारिक भवनों के निर्माण क लिए बड़ी धन राशि का जरूरत थी। वस्तुतः डी० डी० ए० भूस्वामियों की कीमत पर पसा बना रही थी। इसम कोई शक नहीं है कि डी० डी० ए० न दिल्ली का विकास किया है। कितनी ही नई बन्तिया बसाई है और सडको का चौडा किया है। लेकिन इस प्रक्रिया म उसने मूल भूस्वामियों को जिनकी जमीनें उसन ली और बची खूब ठगा है। उगाहरण के लिए उसन मुनीरका क किसानों स जमीन ला। उन्हें एक रूपया या डड रूपया प्रतिवग गज क हिसाब स मुआवजा दिया गया। लेकिन जिन लोगो ने उस क्षेत्र म मकान बनाने के लिए डी० डी० ए० से जमीन खरीदी, उनस उसी जमीन क लिए सौ और डेड सौ के बीच कीमत ली गई।

झुग्गी झोपडी बस्तिया लाल दानों की तरह दिल्ली के साफ चेहर पर फलती जा रही थी। डी० डी० ए० ने योजना बनाई कि इन जनधितृत बने लोगो को बन्ने म जगह देकर यहा को सफाई कर दी जाए। इसलिए अधिकतर लोगों ने अधिकारियों का समथन किया। लेकिन अपन उत्साह म डी० डी० ए० ने पक्के मकान भी, जिनके नवशे स्वीकृत थ और जिह पानी और बिजली देकर सरकारी मायता दी जा चुकी थी, गिरा लिए।

झुग्गी बान और जिनक घर गिरा लिए गए थे व लोग पुनर्वास बस्तियों के लिए निश्चित खाली जमीनो पर पटक दिए गए। यह कायवाही वर्षों क दिनों म

घुरू की गई और गरीब लोग सर पर छत के बिना वर्षा और धूप के गिकार हुए। सड़को बीमार पड गए और कितन ही मर गए। लगभग सभी ने जीविका के अपने साधन छो दिए क्योंकि ये बस्तिया उनके पहल के घरों और काम की जगहों से 15 से 20 मील की दूरी पर स्थित थी। स्थानांतरण का यह सबसे बडा अभियान था, जसा दिल्ली म पहले कभी नहीं हुआ था। पूरे आगरे की आबादी के बराबर लगभग सात लाख व्यक्तियों पर इसका असर पडा और इम सफाई अभियान म वे इधर-से उधर भेज दिए गए।

तुकमान गेट-जामामस्जिद की घटनाओं के बडे ही दूरगामी प्रभाव पडे। तुकमान गेट के उनके परिवारों ने विषयकर स्त्रियों और बच्चों ने उत्तरप्रदेश बिहार और मध्यप्रदेश म अपने रिश्तेदारों के यहा शरण ली और उनके साथ कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए अत्याचारों और जुल्मों की कहानिया भी वहा पहुंची।

जामामस्जिद क्षेत्र के एक युवक की कहानी इसका उदाहरण है। उमने अधिकारियों को यह बताने की घष्टता की थी कि शिल्पकारा और कारीगरो के अपन ही क्षेत्र म आवश्यक सुधार करके उन्हें वही बसा देने की एक योजना पहले बनी थी। उसे पकडकर जेल मे डाल दिया गया। जब वह जनवरी म जेल से छूटा तो घर नहीं लौटा। विरोधी दलो का प्रचार करने के लिए वह सीधा उत्तर प्रदेश चला गया।

दिल्ली और अन्य पडोसी राज्यों के लोगो पर नसबंदी घोपने के लिए जो अघाघु घ और निष्ठुर तरीके अपनाए गए उन्होंने ग्रामीण क्षत्रो की जनता को भी अलग काट देने की प्रक्रिया पूरी कर डाली।

अगस्त सितम्बर 1975 के आसपास दिल्ली से फुटकर काम करने वाल पुरुष मजूर अचानक गायब हो गए। ठेकदारों ने सफदी कराने और ऐसे ही दूसरे कामो के ठेके लेने बंद कर दिए। दीवाली अभी दूर थी लेकिन उनका कहना था कि मजूर राजस्थान मे अपने गावो को लौट गए हैं। निर्माण मजूरों के बच्चो की देखभाल के लिए स्वयंसेवक कल्याण सस्थाओं द्वारा चलाए जान वाली बाल वाडियों म अध्यापिकाओं के पास बच्चे नहीं रहे थे। या तो मा बाप गाव चले गए थे या अभी भी अपने कामो पर जमे मजूरों न अपने बच्चो को कल्याण केंद्रा म भेजना बंद कर दिया था। किराने और सजी क थोक बाजारों की भी यही हालत थी। खारी बावली के दुकानदारों को दुकाना से उठाकर इन्तजार करती गाडियों तक सामान ले जाने क लिए कुली नहीं मिल रहे थे।

म मजूर जबरन नसबन्दी से बचन के लिए गायब हो गए थ। ठेकदारो, अध्यापको बाजारो पर तनात नगरपालिका अधिकारियों के लिए नसबंदी के वेसों की सख्याए नियत कर दी गई थीं और अपनी अपनी मख्या उन्हें पूरी करनी थी। अध्यापका के वेतन रोक दिए गए थ। नगरपालिका कर्मचारिया की विभिन्न

सुविधाएँ बढ़ कर दी गई थी। नागरिक अधिकारियों ने नसबंदी के लिए तैयार व्यक्तियों की वांछित सख्या पूरी करने में विफल रहने पर ठेकेदारों और कारखाना मालिकों से सहयोग करने से इन्कार कर दिया था।

एक ग्रामीण कल्याण सस्था बरसों में बच्चों की शिक्षा और पोषक आहार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ कदम चला रही थी और नेहरू व जमदीन 14 नवम्बर को वह बच्चों की पिकनिकें सगठित करती आई थी। लेकिन 1975 में उसे अपना यह कार्यक्रम छोड़ देना पड़ा। माताओं ने अपने बच्चों को पिकनिक पर भेजने से इन्कार कर दिया। कार्यक्रम चलाने वाली अध्यापिका को बड़ी परेशानी हुई क्योंकि भोजन और आन जाने का प्रबंध वह कर चुकी थी। इसलिए अपने बच्चा को पिछले वर्षों की तरह ही पिकनिक पर भेजने के लिए माताओं को मनाती हुई वह घर घर घूमती, लेकिन माताओं ने इन्कार कर दिया। उन्हें डर था कि उनके बच्चा को रोक रखा जाएगा और तब तक घर लौटने नहीं दिया जाएगा जब तक उनके पिता नसबंदी नहीं करा लेंगे। कोई भी अपराधन उनके भय और सशय को दूर नहीं कर सका।

गरीबों ने अपने बच्चों का नाम अपने राशनकार्डों से कटवा लिए। उन्हें डर था कि जिनके राशनकार्ड पर दो से अधिक बच्चा के नाम होंगे उन्हें जबरन नसबंदी करवानी पड़ेगी। नसबंदी एक भयावह शब्द बन गया था।

आश्चर्य की बात यह है कि नसबंदी का अभियान स्वास्थ्य मन्त्रालय अथवा परिवार नियोजन विभाग द्वारा उतना नहीं चलाया गया था जितना नागरिक अधिकारियों स्थानीय प्रशासना अथवा गावों में राजस्व अधिकारियों एवं पुलिस के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्री न सरकार की जिस जनसख्या नीति का निर्धारण किया था उसमें प्रोत्साहना एवं वचनानों की बात कही गई थी लेकिन मंत्री महोदय ने शायद समझ लिया था कि उनके विभाग के पास हल्की कायबाही तक के लिए भी न तो साधन हैं और न ही प्रभाव है।

सजय गांधी ने क्याकि परिवार नियोजन को अपने पांच सूत्रों में शामिल कर लिया था और उसका वह सावजनिक रूप से प्रचार करता था इसलिए परिवार नियोजन राज्य का और स्थानीय अधिकारियों का मुख्य घाघा बन गया। राज्य सरकार अक्ष तक सवशक्तिमान बन चुके सजय को खुश करने की इच्छा से प्रेरित होकर अचानक ही परिवार नियोजन के लिए एक नये जोश से भर उठी थी। विभिन्न क्षत्रों के लिए लक्ष्य निश्चित कर दिए गए। राज्य और नागरिक अधिकारी इन लक्ष्यों से आगे दुगुनी तिगुनी सख्याएँ देने के लिए एक दूसरे से होड़ करने लगे।

जब अधिकारियों ने देखा कि इस काम से सम्बन्धित विभागों और अधिकारियों के माध्यम से लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सकते तो उन्होंने उन लोगों की

मवाए प्राप्त की जो मद्यपि दम कायत्रम व तागू किल जा म मीघ मय्यप्रिण नही थ पर जिनका समाज पर अजिबार धोर प्रभाव था। धर्यागकों गामा अधिकागियां रात्रम्य एव नागरिक कमधारिदा ग बहा गया कि थ नगद । व लिए आमी ताल ।

एक समय आया जब अध्यापक नगद नी करान व तिल तयार किमी भी व्यक्ति को 300 रुपय तक कर मरी था व तिल घुमन फिरन मग। गाव व रात्रम्य अजिबारिदा जग कि पदादिदा व भूमि व धान पूरे करन कृण अधवा कृपि मवाए प्रदान करन ग तद तर कर कर दिया जब तक लाभदायी नगद ी न करान। पति किनी का भूमि मा पर या वाम या दया। व तिल स्कूत या कापित्र म प्रवत पाना था ता उम या तो प्रवता नगदनी प्रमाणपत्र पत्र करना पडता था या पर व्यक्ति का तमय ता व तिल साना पन्ना था।

सरकार ने जब यह थावा किना था कि आपालस्थिति का प्रामा पर काई अमर नहा पडा है और तहा व माग विभिन्न स्वतन्त्रताप्रा व तियेव का मकर बुद्धिजावियों व माग गुन म काई रषि नहीं रगता वर थाय गही ही थी। नकिन यह वात आरम्भ की ही है। जस्त ही आपालस्थिति व वान मुठ बन व का भाधना स भरकर गता पर घाट की। यह नगददी व कपडों व वहां पन्ची। गाव व मुद्रिया जब नगद ता व तिल आमी न पान ता उनका अपमान किया जाता और उर जनीन किया जाता। लोग का भूतभूत अधिचारो म यपित कर दिया गया और व वरम मयन र। लोग का घरा म घोव मात्र आपरता की मेज पर डाल दिया गया। अनिपुत्र अधिकागियों का जिनका परिवार तियोजन के काम म काई मन नी था मजदूर किया गया कि वे आम आमी पर दयाव डारें और उम तग करें। परिवार नियात्रत और नगदनी व कायत्रमान अधिचारवा ी एव तिरकूश शागत की शलष प्रामवागिया की दी।

आरम्भ म लोग हचन वकर रह गए। एगे अमानुषिक व्यवहार व तिल व तयार नही थ। नकिन जस्त हा जत्र एक व वान एक गाव पर घरा डाला गया और साठिया स मजित्त पुनिगधान साधा की जवरमना नगदनी शिविरो म ल जान लग ता जनता म विश्रोह भडक उठा।

प्रम पर मंतर होने व कारण तेम विश्रोहा की छपरें था दी गड। धीमे धीमे एक महम दूमने मुह तर छपर फला। बाजारो और जिना व द्रो म जान वान प्रामवागिया म ताल तता एव पुनिग व बीर हूँ हिमक मुठभडा व धार म सुनन नग। जत्र 27 मिनम्बर को फरीशाग म मजदूरों और पुलिग व बीच झडप हुई (विशवास किया जाता है कि इसम एक पुलिग अधिचारी मारा गया) ता 15 मील दूर दिल्ली व नागरिक मग घटना स एरम वग्यर थ। एमी प्रकार लगभग इसी समय गुडगावा जिल के नगीना गाव म घटी घटना म जवरन

नसबन्ती का विरोध करते हुए दो व्यक्ति मारे गए थे और कई दिनों तक जिला केन्द्र को भी इसकी कोई खबर नहीं थी।

उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर और मुलतानपुर जिला में गावों की घेराबन्दी करके लोगों को नसबन्ती शिविर में लाने के लिए पुलिस के आतंकवादी तरीकों के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ था वह अब इतिहास का हिस्सा है। मुजफ्फरनगर में 18 अक्टूबर को पुलिस की गोलियों से 40 आदमी मारे बताए जाते हैं। मुलतानपुर जिले के रनकिधी स्थान पर, जहाँ पुलिस की गोली से लगभग एक दर्जन व्यक्ति मारे थे क्रुद्ध भोड़ ने हमला करके जिला मजिस्ट्रेट को घायल कर दिया था। पुलिस गावों को घेर लेती थी और प्रजनन की आयु के हर पुरुष को पकड़कर और उन्हें पशुआ की तरह घेर कर नसबन्ती शिविर में ले जाती थी। इससे लोग अपमानित महसूस करते थे। उनके सम्मान उनके पौरुष और जमे थे चाह सोचने और रहने के उनके मूलभूत अधिकार का इससे चुनौती मिलती थी। वे समझ गए कि एक निरंकुश शासन में क्या-कुछ हो सकता है। उत्तर प्रदेश में नसबन्ती का माच 1977 तक का मूल लक्ष्य 4 लाख था। राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे बढ़ाकर 15 लाख कर दिया था।

राज्य सरकारें अपने इस रुख को गुप्त नहीं रखती थी। बिहार सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था कि तीन से अधिक बच्चा वाल व्यक्ति सरकारी नोकरी अथवा प्रतिभागिता परीक्षाओं के हकदार तब तक नहीं होंगे जब तक वे नसबन्दी नहीं करा लेंगे। तीन से अधिक बच्चा वाले सरकारी कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा सरकारी आवास सहयोगी दुकानों की सुविधाओं, अगली प्योनरी आदि से वंचित कर दिया गया था।

श्रीमती गांधी बराबर इस बात से इंकार करती रही कि परिवार नियोजन एवं नसबन्ती अभियानों में कोई जोर जबरदस्ती की जा रही है। क्या यह हो सकता है कि प्रधानमंत्री को उन गालीकाड़ों का कुछ चान न था जिनमें उनके निहत्थे नागरिक पुलिस द्वारा मार डाले गए थे? विदशा से अपनी भेंटवार्ताओं में उन्होंने घोषणा की कि लोग को परशान नहीं किया जा रहा है और कोशिश यह की जा रही है कि सम्बन्धित लोगों में रुचि पैदा की जाए, जिससे वे अपनी इच्छा से कार्यक्रम को ग्रहण करें। उन्होंने जबल इतना ही स्वीकार किया कि जब कार्यक्रम को कार्यान्वित करने का काम नोकरशाही और अफसरों पर छाड़ दिया जाता है तो वे बहुत कुछ कल्पनाशूय तरीके से उसे करते हैं।

बाद में नसबन्दी के जापरेशन करने वाले डाक्टर और आदमिया को नाने बात प्रामाणिक-अधिकारी भा इस अरुचिकर काम से उकता उठ। असल में इस अत्याचार से असहमत, पीड़ितों से डाक्टरों को सहानुभूति थी, क्योंकि निर्धारित

सदियों की पूर्ति के लिए बिम्बेश्वर साग स्वयं उठ नग करने और अनमानित करते थे।

परिवार नियोजन के नाम पर किए जाने वाले अत्याचारों के विरुद्ध और सेंसर में दास पद पर जब अश्वत्थारा में छानता थीमनी गांधी मंत्रय और अन्य नेताओं ने इन प्रथाओं के लिए नौकरगाहों का बन्दनाम करना शुरू किया। इस प्रकार जिन अधिकारियों का उन्होंने प्रति का बन्ना बनाना चाहा उन्हें भी उन्होंने अपने विरुद्ध कर लिया। लेकिन सन्त जगता का छोटा नहीं किया जा सकता था। सामवागी बराबर यह गाग रहे नगबन्नी के तीव्र प्रभाव द्वारा मंत्रय बसीगाउ।

## बसीलाल के कारनामे

बहुत स लोगो का विश्वास है कि सजय क पीछे जो दुष्ट प्रेरणा थी वह बसीलाल की थी और वही सजय की निरकुश मनमानिया के लिए बड़ी दूर तक जिम्मेदार है। काम करान के जो अनगण और कठार तराक बसीलाल न अपने राज्य हरियाणा म इस्तमान किए उनकी झलक युवक सजय की कामपद्धति म और लक्ष्य प्राप्ति के साधना क प्रति 'यूनतम आदर म साफ दीख पडती है।

हरियाणा क मुख्यमंत्री क रूप म भी और बाद म भी बसीलाल एक सामन्ती फौजदार की तरह काम करता था और राज्य को अपनी रियासत और लोगो को अपनी रयत मानता था। कानून के शासन का उसके लिए कोई उपयोग नहीं था, और उसने एक प्रखर व्यक्तिगत निरकुशता की स्थापना की थी। इसके लिए उसने पुलिस को एक दमनकारी यंत्र क रूप म रूपांतरित कर लिया था जिससे ज़िद्दी सागा स चाबुक के बल पर आनाओ का पालन कराया जा सक। बसीलाल के कामो की तरह ही उसकी जुवान भी अनगढ़ थी। उसन अपन राज्य म ईदी अमीन का 'उत्तम' शासन स्थापित किया था जहा उमक रास्त म आए हर व्यक्ति स पर पीडनवाद तक पहुँची अकथनीय क्रूरता का व्यवहार किया जाता था।

इस प्रकार जहा वह पूरे राज्य का अपना निजी जायदाद समझता था वहा गरीब किसानो की लगभग 400 एकड उपजाऊ जमीन का मारुति फकटरी के लिए राज्य गांधी को द देने म उसे कोई हिचक नहीं हुई थी और अपने युवक मिल क लिए नियमो और कानूना का ताडन म उसन कोई दुविधा महसूस नहीं की थी। राज्य की सम्पत्ति को कीमत पर सजय को छुश करन म बसीलाल का क्या उद्देश्य था, यह नीचे की घटना स अच्छी तरह समझ म आ जाता है और यह घटना उसकी अनगढ़ जुवान का नमूना भी पश करती है।

एक दिन, यह दपतर स लौटकर अपा जीहूजूर और तलवे चाटन वाले अनु यापिया म थिरा आराम कर रहा था। उनम स एक ने अपन स्वामी स पूछा कि उसकी सफ़लता का रहस्य क्या है। बसीलाल न डोग मारी तुम जानत हो, काग्रेस का बिल गाय और बछड़ा है। मैं बछड़े का बच्चे म ल लिया है और गाय बछड़े म प्रम करने के लिए म्यन ही मेरी ओर दौडा आती है। दूमेरे शब्दो म गाय हर समय मेरे इशारे की गुलाम है। मरा मतलब तुम समझ रह हो न। यही मेरी सफ़ लता का डाक है।



और राज्य के बिजली बोर्ड को अपने पिन्टूआ स भर दिया। बोर्ड भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो गया।

वह प्रेस से घणा करता था और मवाज्जाताओं स बहुत ही कम मिलता था। चण्डीगढ़ स निकलने वाले एक अत्यन्त प्रतिष्ठित और स्वतन्त्र वृत्ति के अंग्रेजी समाचारपत्र ट्रिब्यून क विरुद्ध उसने बन्ने का अभियान छेड़ लिया था क्योंकि पत्र ने उसका तानाशाही भ्रष्ट शासन की आलोचना की थी। उसने पत्र को सरकारी विनापन दिए जाने बंद कर लिए और ट्रिब्यून की प्रतिपाल जानेवाली गाड़िया के आवागमन में बाधा पहुंचाई। सभी सरकारी मस्याओं में इस पत्र का लिया जाना भी उसने बंद कर दिया।

बसीलाल का परिवार वकीलो का परिवार है। दो बेटे एक जमाई एक भाई, एक भतीजा और सभी वकील। कहा जाता है कि हरियाणा में कोई भी तब तक कोई मुकद्दमा नहीं जीत सकता था जब तक वह चौधरी बसीलाल के परिवार का वकील न करे। उसका युवक बेटा बड़ा कम्पनियो का कानूनी सलाहकार बन गया था। उसकी दो लड़कियों ने राज्य की प्रशासन सेवा में प्रवेश पा लिया था। जमाई को राज्य के बिजली बोर्ड में सतकता निदेशक नियुक्त किया गया था।

परपीठन में भी बसीलाल की एक पद्धति थी। विभिन्न वर्गों के लोगो के लिए वह नमन के अलग अलग तरीके निर्धारित करता था। उदाहरण के लिए एक हरिजन किसान से दंड क रूप में उसका हिस्से की जमीन छीन ली जाती थी। फक्करी क मजदूर को नौकरी स निकाल लिया जाता था। उसे उसने स्त्री-बच्चो को पीटा जाता और भुखमरी के स्तर तक ले आया जाता था और उसकी झोपड़ी गिरा दी जाती थी। भूखा और आश्रयहीन वह तब घुटनों के बल चलकर उसके पास आता था और उससे दया की भीख मागता था। यदि उसका शिकार मध्य वर्ग का होता, तो बसीलाल उस पीजदारी के मामलो में फसा देता था। प्रतिष्ठित परिवारो क लड़को को हवालात में डालकर पीटा जाता और सताया जाता था। स्त्रियो को थाने में बुलाया जाता और उनकी बेइशरती की जाती थी। बूढो का अपमान किया जाता था। कानूनी साथ और सामाजिक एक शारीरिक आघातो स तग आकर कितने ही परिवार झुक जाते थे। तनाव आर्थिक हानि और अदालता क चक्कर अन्तत अधिकतर लोगो क विरोध को तोड़ डालते थे।

बाद में जब आपातस्थिति आई तब सुरक्षा मन्त्री के आदेश पर एक साथ परिवार की तीन पीढ़ियो तक को जेल में ठूस दिए जाने के उदाहरण मिलत हैं। आत्म सम्मानी जाट अपनी स्त्रियो की इशरत क बारे में बहुत ही संवेदनशील होते हैं। बसीलाल महिला अध्यापको की बदली बहुत दूर के गावों में और गुडगापीरी के लिए प्रसिद्ध शोधो में करा देता था और इस प्रकार उनके परिवारो और रिश्तेदारो को अपन अगूठे के नीचे दबाकर बसता था।

एक सावजनिक जलसे म एक बढ बसीलाल का हार पहनान के लिए मत्र पर आया । एना करत समय वह ठोकर खा गया और मेज पर रखा पानी का गिलास बिखर गया । बसीलाल आपे से बाहर हो गया और उसन उस गरीब बूढ़े को ठोकर मारी और गालिया दी ।

उमके एक राजनीतिक विरोधी न एक सभा म उसकी आलोचना कर दी । जब बसीलाल को इसका पता लगा तो उसन कहा कि वह इस योग्य है कि उसके मुह म बिष्ठा डाली जाए । जब आपातस्थिति आ गई और नागरिकों को कानून के शासन स वचित कर दिया गया ता बसीलाल ने जा अपमान अपने आलोचक क लिए तय किया था वह उसके माय करक दिखाया ।

यह एक आम प्रथा थी कि बसीलाल क राजनीतिक विरोधियों का मुह काला करके उह गधे पर बैठाकर सडकी पर उनका जसूस निकाला जाता था । बसीलाल के विरोधिया को एक और सजा यह दी जाती थी कि उनकी गदन स एक पट्टी लटका दी जाती थी जिस पर लिखा होता था ' मैं देगाद्राही हूँ', और तब उह नगर मे घुमाया जाता था ।

संदेह होता है कि युगाडा का फील्ड मार्शल भी क्या इन तरीका म कोई और सुधार कर सकता था ।

प्रधानमंत्री के घर म प्रशासक बसीलाल एक बरा ही प्रशंसित व्यक्ति था । हरियाणा दिरली के बहुत ही निकट है । बसीलाल अक्सर राजधानी आता और प्रधानमंत्री स मिलता था । अयो की तरह बसीलाल न भी सजय की मोटर बनान की फक्टरी क धारे म सुना । वह भी उनम से एक था जिहनि सजय से कहा तुम प्रधानमंत्री के बट हा । तुम जिस चीज क लिए भी कहो वह तुम्ह मिल सकती है । सजय ने अपना फक्टरी क लिए जमोन चाही । बसीलाल न अपने राज्य क छाट किसानों का 445 एकड़ जमोन एकत्रम उसक हवाले कर दी । मारुति की कहानी (अध्याय 14) बसीलाल की प्रशासनिक साहसिकता की कहानी भी है ।

1975 मे अत्र नक सजय क दोस्त पथप्रदर्शक और तत्त्वर्शी बसीलाल क इशारे पर सजय न केंद्रीय मंत्रिमंडल के फोर-बल का प्रेरित किया । फलत श्री स्वर्णसिंह का निकाल बाहर किया गया और उनक स्थान पर हरियाणा के फौजदार का सुरक्षा मंत्री क रूप म राष्ट्रीय परिधि म न आया गया ।

कहा यह जाता है कि मजय अब सुरक्षा सामग्री क ठेका म रुचि लेने लगा था और स्वर्णसिंह स व्यवहार करना कठिन मालूम पड रहा था । सजय न यह समस्या अपन अंतरंग बसालाल को बताइ । विश्वास किया जाता है उसन सजय का सलाह थी इसका समाधान सरन है । तुम प्रधानमंत्री के बट हा । तुम कुछ भी कर सकत हा । स्नेहशील मा ने बट का मनचाहा कर लिया । अगली बात जो हमन

जानी वह यह है कि बसीलाल को मुरक्षामंत्री बना लिया गया।

एक भलाई के बन्धू दूसरी भलाई का जाती है। जिगरी तोस्ता व चीच ऐमा विशेष रूप से होता है। बसीलाल न अनको हूँयम्पर्शी रूपो म अपन महान मित्र के प्रति वृत्तपता लिखाई। उसी एकम आदेश लिया कि मन्त्रिक शिष्टाचार प्रम म सजय को सबसे ऊचा स्थान दिया जाए। सशस्त्र सनाथा व प्रमुखा न आपत्ति की। नौसेना के एक समारोह म मुरक्षामंत्री ने नौसेना प्रमुख को डाटा कि साथ का भारत व राष्ट्रपति स जगली बुर्मी बयो नही दी गई। नौमना प्रमुख ने यह बात मानन स इकार कर लिया। लेकिन इतनी रियायत कर दी कि मजय को बन्धू म सबसे अगली पक्ति म जगह द नी। मुरक्षा विभाग की वरिष्ठ नियुक्तिया व वार म भी मजय मे सलाह ली जाती थी। बन्धुमिजात्र बसीलाल अपन हर वाक्य म गाली या शपथ का शब्द इस्तेमाल करता था और सशस्त्र सनाथा व अफसरों को वी कठिनाई का सामना करना पड़ता था।

आपातस्थिति व दौरान जो थोड़े ब्रहूत अटकाव बगीलाल के भीतर बच थे उह भी उमन हवाम उडा लिया। अपन राज्य म उमन आनक का नगा नाच करवाया। लिखी आज्ञान व बाण भी अपन मनोनीत बनारसीनास गुप्त के माध्यम म वहा का शासन वही कर रहा था। जब मजय ने दिल्ली म और उत्तर के अन्ध प्रश्नों म अपना नमबन्दी जन्मियान चलाया तो बसीलाल कस चाह सकता था कि उसका राज्य पीछे रहे। हरियाणा म हर नियुक्ति हर ठका हर योजना अब भी बसीलाल व द्वारा स्वीकृत और माय होकर ही लागू होती थी। उसका बेटा एक समानांतर सरकार चला रहा था और मुख्यमंत्री थी बनारसीनास गुप्त की जानकारी व बिना भी बदलियो पन्नेनतियो ठेरो नियुक्तिया तथा लागो की गिरफ्तारी और मुक्ति के आदेश जारी कर रहा था।

सुर द्रसिह हरियाणा म युवा काग्रस का नेता था। बाप और बटेन तय किया कि सजय व परिवार नियोजन वायन्म को अपन राज्य म आश्चयजनक रूप से सपन बनाया जाए। व अधकचर तरीका म विश्वास नही रखत थ। लोगों को सावजनिक बसा स खीचकर बाहर निकाना गया कारखानों म से घेरकर लाया गया और नसब नी शिविरा म भेज लिया गया। पूरे के पूर गावों को ठीक आधी रात म घर लिया गया और वाग्य पुरपा को बाहर लाकर आपरेशन की मेज पर डाल दिया गया।

पीपली गाव का एक सतानहीन विधर युवक 25 वर्षीय हवासिह किसी काम म मन्ध के दफनर गया था। रास्त म अय योग्य यात्रियों व साथ उस भी बस मे उतार लिया गया और उसकी नसब नी कर दी गई। बाद म उसका घाव मक गया और वह युवक मर गया।

दसक कुछ ही दिन बाद मडल विकास अधिकारी पीपली गाव जाया और

उसने नसबन्दी के लिए व्यक्ति मागे। हवासिंह की मौत के बाद गाववाले बहुत खिन्न थे। फिर भी गाव के बडा न योग्य पुरुषों को नसबन्दी के लिए तैयार करने का वचन दिया। सकिन मडल अधिकारी खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था। इसलिए रास्ते में पड़ी हरिजन बस्ती से उसने एक मोची को पकड़ लिया।

अगले दिन मडल अधिकारी फिर आया। लेकिन नसबन्दी के लिए जाने में लोगों का अनिच्छुक ही उसने पाया। इसपर मडल अधिकारी जीर उसके सहायकों को हरिजन बस्ती के कुछ लोगों पर ताकत का इस्तमाल किया। अब स्त्रियां बाहर निकल आईं और उन्होंने इस जुल्म का विरोध किया। इससे मारपीट हुई जिसमें मडल अधिकारी घायल हुआ गया। गाववालों ने इस दल को बाहर धकेल दिया।

इस घटना के बाद पीपली के लोग अस्तिर हो उठे। पुलिस के अत्याचार की खबर चारा ओर फैल गई और अगली सुबह ही आस पाम के गावा से हजारों आदमी आकर पीपली में इकट्ठे हुए (कुछ सिर्फ दशका के रूप में आए लेकिन जो स्वयं पुलिस द्वारा सताए जा चुके थे वे सहानुभूति में आए। अधिकारियों ने अब पीपली से निवृत्त होने की तैयारी की।

पीपली के निवासियों के अनुसार पुलिस कुछ मी की मर्त्या में गाव में आ घूमकी। इस दल के अधिकारी ने पीपली के पुरुषों का बाहर निकल आने का आदेश दिया। जब वे बाहर निकल आए तो पुलिस ने गाव को घेर लिया। लगता है लोगों को डराने के लिए ही पुलिस ने कुछ गोलीया छाड़ी थीं। लेकिन एक गाली आग में काम करती एक स्त्री को लगी और वह वहीं मर गई। दूसरी गोली पड़ोसी गाव से आई एक व्यक्ति को लगी और वह भी मारा गया। एक तासरा आत्मो घायल हुआ गया।

अब आतंक और गड़गड़ी फैल गई। अब तक पाम के गावा से और भी अधिक लोग आ पहुंचे थे और भीड़ बढ़कर लगभग एक लाख हो गई थी। पुलिस सशस्त्र थी, पर इतनी बड़ा भीड़ का मुकाबला नहीं कर सकता थी। इसलिए पुलिसवाले वापस लौट गए। भीड़ में से बचने काफी लगे अगले कुछ दिनों तक गाव में ही ठहरे रहे और पुलिस के जुल्म ने पीपली की ओर उसकी निवासियों की रक्षा करने के लिए तैयार रहे। पीपली का आर से मगठन का यह एक अनोखा उदाहरण था।

कुछ दिनों बाद पुलिस वापस फिर गाव में आई। गाव अब भी तनावपूर्ण और क्रोध था। सरकारी अधिकारियों ने अब बात का समझना चाहा। उन्होंने गाववालों से कहा कि इस पूरी दुर्भाग्यपूर्ण घटना का भुला दिया जाएगा यदि वे अपने यहां के योग्य पुरुषों को नसबन्दी के दल में भेज दें। अधिकारियों ने चलावने दी कि ऐसा न होने पर पूरे गाव का मिट्टा में मिला दिया जाएगा। गाववालों ने साधा

कि नसबन्गी के लिए आदमी देने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।

एक दूसरा गाव जहा लगभग हर याग्य व्यक्ति की जबरन नसबन्गी कर दी गई थी राजस्थान सीमा का उटावर गाव था। उसम लगभग पूरी आबादी भवों की है। यहा भी पुलिस न आधी रात म गाव पर घेरा डाला और ग्नि निकलन तक एक एक पुरुष को घरो स बाहर निकान लिया। जब सडक पर पुरुषो को दकट्टा किया और गिना जा रहा था तो पुलिस छप हुए पुरुषो की तालाश म घरो म घुस गई। पता नही कुछ छपे हुए पुरुष उन् मिल या नही लकिन निश्चय ही सोन चादी क गहनो समेत छुपाकर रखी हुई कीमती चीजें उनके हाथ आइ। तब पुलिस वाला न अनाज के बनस्तरो अनमारियो और कोठारों म स्त्रियो द्वारा छुपाई गई नकदी पर हाथ साफ किया। जब स्त्रियो न विरोध किया तो उंहाने उनस दुब्यवहार किया और उनक वतना जोर कूडा आदि को तोड डाला।

पुरुषो को सीध नसबन्गी के द्रो म नही ल जाया गया। उंह पहले पुलिस थाने मे ले जाया गया जहा सनक विरुद्ध मारपाट क शस्त्र रखन क और कानून एव व्यवस्था क लिए छतरा होने क मामल दज किए गए जिसमे वे पुलिस निगरानी से भाग न सकें। तब जाकर उंह नसबन्गी क द्र म लाया गया। उस एक अकल गाव स एक महीने म 1200 स ऊपर ब्यक्तिया की नसबन्गी की गई।

कठोर मॅसर को धपवान् अधिकारिया द्वारा की गई इन नृशसताओ की कोई खबर उस समय प्रकाश म नही आइ। व्योरे त्रमश रिस रिसकर फन और इस सबके लिए जिम्मदार सरकार म बदल की शपथ सन के लिए इन व्योरो ने लोगों को उत्तेजित किया।

लकिन गरीबो की नसबन्दी क निग उा पर ताकत क इस्तेमाल का जहा तक सम्बन्ध है हरियाणा क गाव अपवान् नही थं। इसी प्रकार के भयावह अनुभवो की कहानिया िल्ली उत्तर प्रन्श और पजाब स भी आ रहा थी। हरियाणा के बारे म खास बात यह थी कि राज्य क प्रशासन म भ्रष्टाचार का सडा हुआ मवान् भरे होन के साथ साथ इस अभियान म ठठ बसीलाल के ढग का जुल्म भी शामिल कर दिया गया था।

हरियाणा रा्य विधानसभा क एक भूतपूर्व अध्यक्ष ने एक बार कहा था कि अरब देशो म यदि कोई एक पावडा चनाए तो तेस निकलकर बाहर आता है। उसी तरह हरियाणा की धरती म स जरा सा खादन पर भ्रष्टाचार बाहर फटता है। यद्यपि सख्त जाट दब गए लगत थे लकिन व चतुर लोग थ और वल क लिए समय का इतजार कर रहे थं।

मधुर प्रतिशोध का अवसर अचानक और अप्रत्याशित रूप म उस समय

आया जब जनवरी 1977 में श्रीमती गांधी ने देश में चुनावों का घोषणा कर दी। बसीलाल ने लोगों को उदासीनता को अधीनता का चिह्न समझ लिया। अपने असौमित्र अहंकार में पहले तो उसने सोचा कि अपने चुनाव-क्षेत्र भिवानी में एक बार जाने की भी जरूरत नहीं है। अपनी विजय को उसने निश्चित मान लिया था।

तब उसने दूर से आती जनता नहर की गडगडाहट सुनी। आपातस्थिति में डील आत ही उसने सुना कि गांधीवादी उमर विरुद्ध फुमफुमा रण और व्यापारी विद्रोह कर उठे हैं। वह अपने कानों पर विश्वास नहीं कर सका। उनकी इतनी हिम्मत! और तभी मॉसरो के उठने में वह धन मुक्त समाचारपत्रों में हरियाणा के देहाता में घटी घटनाओं की भयानक सच्चाई प्रकाशित होकर उसके सामने आ गई। उसने राज्य सरकार और विशेषकर बसीलाल के विरुद्ध लोगों को क्रोध का भड़का दिया।

बसीलाल थाड़ा हिला। अब वह किसानों में मिलन और उनसे बात करने के स्तर तक नीचे उतर आया। उसने सीधे किसानों पर प्रभाव डालने की कोशिश की। उसने उनसे कहा 'देखा इंदिरा गांधी ने मुझे कितनी बड़ी कार्रवाई की है। इन वर्गधारी नौकरों की ओर देखा। पूरी सत्ता भरे चरणों में है। मैं धरती पर नहीं चलता। मैं एक मील ऊपर जायाश में उड़ता हूँ। तुम लोग साचन हो मैं इतनी उंची कुर्सी को छोड़ दूंगा? मैं जिस चिपका रणगा और चुनावों के बाद इंदिरा गांधी मुझे पहले में भी वहीं जयान्त अधिकार दी।'

श्रीमती हीन गांधीवादी चुपचाप उसका बात सुनते रहे।

बसीलाल ने राज्य सरकार का आदेश दिया कि उसका लिए जनसभाओं का आयोजन किया जाए। वह अपनी बड़ी कार्रवाई में बैठकर उन सभाओं में पहुंचा। उसका साथ उसका अनुचर समूह रहता था, जिसमें टिप्पणी अभिनेता बड़े पुनिस अधिकारी अगरलक बलक और नौकर चाकर थे। लोगों पर इसकी कोशिश छाप नहीं पड़ी। वे जातुरता से चुनाव के दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बसीलाल ने जब उनसे कहा कि वे बकबूफ हैं और जनता सरकार भी परिवार नियाजन के लिए बचनबद्ध है।

राज्य में उसने कार्रवाई के मुद्दों को बनीरसीलाल ने लोगों का ध्यान उन सुविधाओं की ओर अर्थात् मिचोइ या नहरों, सड़कों व मिजली जालों की ओर खींचा जो कांग्रेस से उल्टे मित्रों के हैं। उसने कहा 'जब बनीलाल का अहसासमान होना चाहिए और उसे मत देने चाहिए।

गांधीवादी ने बताया जवाब दिया 'तुम सबको जो ताने दो मिचोई की नहरों का भरना और मिजली के खम्भों का उखाड़ ले जाना। हम उनसे कुछ

नहीं चाहिए। हम सिर्फ शांतिपूर्वक सम्मानपूर्वक जीना चाहते हैं।" उन्होंने जेलों में नजरबंद लोगों की ओर इशारा किया।

इसपर बसोलाल ने सीधा बनकर उत्तर दिया कि आप लोगों की गलत सूचनाएं दी गई हैं। जला में कोई नजरबंद नहीं है। जिन घोंघे से लोगों को पहने नजरबंद किया गया था जला में रहकर वे मोटे हो गए हैं। कौन कहता है उनके साथ दुर्व्यहार किया गया है?

लेकिन बसोलाल के किसी झूठ और किसी चालाकी ने काम नहीं किया। अब पूरे बसोलाल नाम और निराश बन उठा। समय आया जब बसोलाल ने लोग से सावजनिक रूप में माफी मांगी। भिवानी में वह मन्ताताआ के सामने हाथ बांध कर खड़ा हो गया। उसने प्रार्थना की जब मैंने मुख्यमन्त्री के रूप में आप लोगों की सेवा की थी उन पिछले सवा आठ वर्षों में गलतियां मुझसे हुई होंगी। यदि मैंने गलतियां की हैं तो मैं क्षमा जाहकर उनका लिए क्षमा चाहता हूँ। मैं अच्छा हूँ या बुरा मैं आपका हूँ। आप मुझे हरा भा सकते हैं और जिता भी सकते हैं। लेकिन याद रखिए जब मैं केंद्रीय सरकार से बाहर आ जाऊंगा तो अगले पाँच-दस वर्षों में भी भिवानी का बड़ा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। मैं आप पर विश्वास करता हूँ। और मुझ विश्वास है भिवानी मुझे कभी छोड़ा नहीं दगी।

अपने ठठ तरीके से ही लगभग उसी समय एक दूसरी चुनाव सभा में उसे चुनौती देने का साहस करने और उससे विरुद्ध मत देने की साधने तक की हिम्मत करने के लिए बसोलाल ने मन्ताताआ को गालियाँ दीं। उसने बौखलाकर कहा 20 मास निबल जाए। तुममें से हर एक को मैं सबक सिखाऊंगा। निराश स्थिति में पड़े एक महत्त्वमानी की तरह वह बोल रहा था।

चितित मतताता तमल्लनी के लिए चुनाव-क्षेत्र में उसकी विराधी श्रीमती चन्द्रावती के पास गए। उनका जवाब मीठा था 'उस मौका ही न दो कि वह तुम्हें सबक सिखाए। चुनाव में हराकर उसे बाहर कर दो। इस समय ताकत तुम्हारे हाथों में है। यदि यह मौका तुममें से दिया तो तुम हमेशा के लिए पिस जाओगे। मतताता उससे सहमत थे। श्रीमती चन्द्रावती 161000 मते से जीत गई।

यह कहना ठान नहीं हागा कि बसोलाल को कोई समर्थन नहीं मिला। जनता पार्टी के उसने विरोधी का दुःख रहा कि उनकी जमानत उबल नहीं हुई। लेकिन पूरा सरकारी तंत्र और अमीमित वित्तीय साधन उनके पक्ष में थे। श्रीमती चन्द्रावती याद करती हैं कि आरम्भ में चुनाव प्रचार के लिए एक जोष भी उनके पास नहीं था। असल में अपना उम्मीदवारी का पर्चा दाखिल करके उन्होंने अपने गाँव दादरी से सावजनिक रूप में बंठकर वे भिवानी गई थीं। लेकिन लोग जानते थे मैं सच्चाई के लिए लड़ रही हूँ। उन्होंने मुझे बोट भी दिए और नोट भी दिए। उन्होंने कहा।

नई दिल्ली में 12 अप्रैल 1977 को कांग्रेस कायसमिति के चुनाव-बाद के आरम्भोकार अधिवेशन में बसोलाल की बटपुतली, हरियाणा का मुख्यमंत्री बनारमोतास गुप्त ने आखिर अपने आवा के विरुद्ध जमी बडवाहट को मन से बाहर निकाल ही डाला। गुप्त न उदगार रम कांग्रेस इमलिए हारी कयोकि चुनाव प्रचार के लिए एक केन्द्रीय मन्त्री (उहोन नाम नहीं दिया) बकिन स्पष्ट मकेत बसोलाल का ओर था) की हर यात्रा के दौरान 5 से 10 प्रतिशत के बीच मत छिन जाते थ। गुप्त न आग बताया कि इम केन्द्रीय मन्त्री की जिण थी कि उसकी हर सभा में कम से कम एक लाख लोग होन चाहिए। श्रोताओ को इकट्ठा करन में जनता के विशाल वर्गों जिनमें आम जाणमी, अधिकारी और दल जिनकी गाडिया इस्तेमाल करता था उन ठेकणारी की नाराजी मोन लनी पन्ती थी।

श्री गुप्त और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष श्री निहालसिंह दोनों ने कहा यह पहली बात है कि वे आपातस्थिति के दौरान हरियाणा के राजकीय मामलो के बारे में खुला बोल रहे हैं। गुप्त न कहा कि वे कुछ भी करने में असमय थ कयोकि केन्द्रीय मन्त्री न अन्त तक उन्हें डराकर और दबाकर रखा। वस्तुतः, गुप्त को निश्चय नहीं था कि अगल दिन वे पद पर रहेंगे या नहीं।

बसोलाल और उसका बेटा सुरेन्द्र सिंह अपने ही नगर भिवानी में इतने अलाकप्रिय हैं कि वे वापिस घर जान का साहस नहीं कर सकत और उ हाने दिल्ली में ही घर बना लिया है।

भिवानी लौटन में बसोलाल के भय पर टीका करन नए चद्रावती आश्वासन देती हैं। लेकिन काइ उस मारने का चिन्ता नहीं करेगा। लोग चाहते हैं कि वह जिय और अपने दुष्कर्मों के परिणाम भुगत।

श्रीमती चद्रावती नम्रतापूर्वक कहती हैं कि उहोन नहीं बल्कि बसोलाल के अपने कारनामा ने ही उसे हराया है। लोग 19 महीनो की आपातस्थिति की बातें करते हैं। लेकिन हरियाणा वालो का कहना है कि जब स बसोलाल राज्य का मुख्यमंत्री बना था तभी से पिछन नौ सालो से, वे आपातस्थितियों में रह रहे थे।



## न्याय के मोर्चे पर

आने वाली तानाशाही की गडगडाहट 1971 से ही सुनी जाने लगी थी। स्थिरतापूर्वक त्रम क्रम से हम इस दुभाग्यपूर्ण लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे। जिनकी चेतना अधिक संवेदनशील थी जसविं जनेको वकीला और कुछ पत्रकारा न हवा म मिली इस अशुभ गद्य को सूघ लिया था। कानूनी विरादरी म अनका लोग कम पर उत्तजित थे। पत्रकारो ने इस पर सम्पात्कीय लिखे थे और कुछ इस कारण परेशानी म भी पड गए थ।

नए सविधान क लागू होने के बाद 1971 से पहले तक 21 वर्षों म कुल मिलाकर 22 सशोधन सविधान म किए गए। यह हर 1 1/2 महीनो म लगभग एक सशोधन बठता है। लेकिन 1971 के बाद 1974 तक इट्टिरा सरकार ने 15 सशोधन अर्थात् मोटे रूप म हर 80 दिन के बाद एक सशोधन लागू किया। इससे भी अधिक यह कि लगभग इन सभी सशाधना का जनता के बल्याण स बहुत थोडा सम्बन्ध था। इन सबका लक्ष्य किसी सभावित कानूनी अथवा मवधा निक चुनौती क समर्थ सरकार की और विशेषरूप से प्रधानमन्त्री की स्थिति को मजबूत करना था।

जसाकि कानूनी विरादरी न चिन्तापूर्वक नेखा य सशोधन वस्तुतः देश क सविधान के मूलभूत ढांचे को ही बन्द कर रहे थ। 24 वें और 25 वें सशोधन जो सम्पत्ति स सम्बन्ध रखत है नागरिक के मूलभूत अधिकारो का ही खोखला बना रहे थे। विधि निर्माताओ न विवकपूर्वक बहुत-कुछ थायपालिका की व्याख्या और उसकी समर्थ वृत्त पर छोट दिया था। लेकिन अब उपवधा को अधिक रूप बनाया जा रहा था।

आलोचना के प्रति सरकार की अति मवन्शीलता को लेकर प्रेस पहले स ही व्यग्र हा रहा था। अब उसने किसी भी असहमति के प्रति असहिष्णुता का रूप ग्रहण कर लिया था। आपातस्थिति आन क साथ इस असहिष्णुता की जगह इस धारणा न ल ना कि जा मेरे साथ नहा है यह मेरे विरुद्ध है और इस धारणा के आत ही विरोधी पक्ष का इस नई परिस्थिति म उसका स्थान (भीखचा क पीछे का छाडकर) स बचित कर लिया गया। अब एकदलीय राज्य की ओर दृष्टतापूर्वक बन्द जान गगा था।

मिक्किम को एक सहयोगी राज्य का दर्जा लिए जाने की पेशकश ने भी

संविधान के पड़ितों को उद्धनित किया था। वस्तुतः इस पशकश को श्री पी० एन० लेखी न एक याचिका म चुनौती दी। उनकी मायता थी कि संविधान किसी भी राज्य का ऐसा दर्जा देने की इजाजत नहीं देता और ऐसा करने से सिक्किमवासियों को दुहरी राष्ट्रीयता (भारतीय एव सिक्किमी) प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार नया राज्य राष्ट्रपति की सत्ता क घेरे से इतनी दूर तक बाहर चला जाता है कि इस सहयोगी स्तर के कारण सिक्किम म राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता। बाद म सहयोगी धारा को नए कानून से खारिज कर लिया गया था।

कानून की व्याख्या से संबंधित एक बड़ी घटना जिसके दूरगामी परिणाम निकले थे, श्री अमरनाथ चावला क विरुद्ध श्री कवरलाल गुप्त की चुनाव-याचिका पर उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति पी० एन० भगवती द्वारा दिया गया फसला था। इसका सम्बंध चुनाव व्यय की मात्रा से और यदि ऐसा व्यय अनुमति सीमा से अधिक हो जाए तो उसके क्या परिणाम हाने इससे था।

न्यायमूर्ति भगवती का निणय था कि यदि कोई राजनीतिक दल चुनाव म किसी उम्मीदवार की सम्भावनाओं का बतान के लिए व्यय करता है तो वह व्यय उम्मीदवार द्वारा न्यक्तिगत स्तर पर खच की गई राशि म जोड़ा जाना चाहिए और यदि उसके बाद न्यय अनुमति सीमा से अधिक ठहरे तो सम्बंधित उम्मीदवार को चुनाव नियमों का अतिक्रमण करने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए।

इस फसले से इलाहाबाद के मुकद्दम मे श्रीमती गाधी को सीधी चोट पहुंचती थी क्योंकि यह स्वीकार कर लिया गया था कि उनके चुनाव म कांग्रेस दल न 35 लाख रुपये खच किए थे जबकि उहान स्वयं कुल 18000 रुपये खच किए थे। इलाहाबाद के मुकद्दम म प्रार्थी और 1971 के चुनाव म रायबरेली क्षेत्र मे श्रीमती गाधी क प्रतिद्वन्दी श्री राजनारायण को अपनी अपील म जीतने के लिए किसी अन्य साक्षी की जरूरत नहीं थी।

इस फसले के बाद जब सरकार ने चुनाव नियमों म परिवर्तन करते हुए और इन नियमों को पिछली तिथियों से लागू मानते हुए संविधान के 9वें संशोधन को पेश किया तो सरकार स्पष्ट ही अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रही थी। स्पष्ट था कि संविधान म यह संशोधन पूरी तरह एक न्यक्ति अर्थात् श्रीमती गाधी के निजी लाभ के लिए ही लाया जा रहा था।

आग श्रीमती गाधी के परिवार के फैलते हुए ऐश्वय को लेकर भी कानूनी बिराट्टी काफी चिन्ता अनुभव कर रही थी। मारुति का मामला लोका के निभाग को उद्धिन कर रहा था और यह महसूस किया जा रहा था कि मारुति को जारी किया गया अनुमति पत्र उद्योग नियमन कानून का दुरुपयोग था। यह भावना बट रही थी कि व्यक्तियों की सहायता करने के लिए कानून की प्रक्रिया को

तोड़ा मोड़ा जा रहा है और कायकारिणी के व्यापार का दुस्प्रयोग किया जा रहा है और उसे कमजोर बनाया जा रहा है। वस्तुतः जब श्री जयप्रकाश नारायण ने भ्रष्टाचार संहिता का आह्वान किया था तब उनके निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों के रूप में महत्त्व ही था।

वकील लोग कानून के इन तीन मूलभूत नियमों के अधिकाधिक क्षरण को लेकर बहुत चिन्तित थे (क) 'याय' के सामने समानता (ख) पूर्व सूचनायता तथा (ग) अनियमितता की अनुपस्थिति। नए संशोधन न. प्रधानमंत्री के पत्र को कानून की पकड़ में ऊपर कर दिया। वस्तुतः कानून की दृष्टि में जो पहले ठीक था वही अब नये कानूनों के हिमायत से गलत हो गया और कानूनसम्मत कदम उठाने वाले नागरिक पर भी बाध में सरकारानी कायवाही का आरोप लगाया जा सकता था क्योंकि नये कानून अतीत से लागू माने गए थे। यह सब एक आरंभिक चरण से किया और लागू किया जा रहा था क्योंकि अन्ततः अनेकों परिवर्तनों और नए कानूनों की युक्तिमगता पर प्रशासित नहीं लगा सकती थी।

25 अप्रैल 1973 को तीन बरिष्ठतर 'यायाधीशों का हक' मारकर श्री ए० एन० राय को भारत का मुख्य 'यायाधीश' नियुक्त करके सरकार ने 'यायपालिका' की स्वाधीनता पर घातक चोट की थी। यह नियुक्ति सरकार और शासक दल द्वारा एक निवृद्ध 'यायपालिका' के पक्ष में किया जा रहा आन्दोलन की चरम परिणति थी। इस प्रकार कायकारिणी के आन्दोलन में याय के उच्चतम पत्र पर नियुक्ति के मामले में एक स्वस्थ परम्परा का तोड़ डाला गया।

लोक सभ्य समिति की स्थापना नवम्बर 1914 में की गई थी। स्वयं को संगठित करने और सरकारानी कानून के विरुद्ध आन्दोलन करने और कायवाही करने का पर्याप्त समय वकालत का नहीं मिला था। लेकिन वकीलों का एक उग्र दल सरकार के अकुशल एवं भ्रष्ट तरीकों के विरुद्ध आन्दोलन में श्री जयप्रकाश के साथ एकत्र हो गया था।

इस पेशकश के उग्र प्रतिवाचन के रूप में और कानूनी सम्प्रदाय में फूट डालने के उद्देश्य से शासक दल ने स्वतंत्रता एवं प्रजातन्त्र के पक्षधर वकीलों का एक अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया जिसमें कि सरकार की नीतियाँ एवं कायवाहियों के प्रति वकीलों के समर्थन को प्रदर्शित किया जा सका। इस घटना में पूरी कानूनी विरासत को हाँ बतुत अधिक उद्दिष्ट कर डाला था।

श्रीमती गांधी के विधि मन्त्री श्री एच० आर० गांधी ने भागत द्वारा संविधान के महणके 25 वर्ष पूरे होने के अवसर को मनाने के नाम पर अप्रैल 1975 में किए गए इस सम्मेलन के उद्देश्य जगुवा थे। निमन्त्रित लोगों में प्रमुख थे, भारत के सान्सिटर जनरल श्री लालनारायण मिहता राज्या के महाधिवक्तागण

श्री रजनी पटेल, श्री वम न साठे तथा श्री आर० के० गग। कुन मिलाकर लगभग 1000 वकील इस सम्मेलन में आए। सगठनकर्ताओं ने भाग लेने वालों को किरा- ति उह विभिन्न राजकाय अतिथिगृहों में ठहराया और उनकी अच्छी खातिर की।

यह कामवाही कांग्रेस दल की उस नई युद्धनीति का अंग थी, जिसके अधीन बुद्धिवादियों के विभिन्न वर्गों में सरकार के लिए पक्षधर समयक सगठित किए जाने थे। इसी प्रकार लखको और बुद्धिजीवियों, कलाकारों अध्यापकों, छात्रों और डाक्टरों तक के सम्मेलन आयोजित किए गए। इन सम्मेलनों में भाषणों एवं प्रस्तावों के माध्यम से श्रीमती गांधी की सरकार के प्रति ममथन व्यक्त किया गया था।

सरकार द्वारा प्रेरित इस वकील सम्मेलन के अंतिम दिन एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें श्री जयप्रकाश के आंदोलन को फामिस्ट करार दिया गया था। एक प्रमुख वकील किराधी पक्ष के श्री पी० एन० लखी जिहाने किसी तरह इस विभिष्ट अधिवेशन का निमंत्रण प्राप्त कर लिया था खडे ही गए। उहान इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया उग्र प्रतिकार की धमकी दी और अंत में इस प्रस्ताव के वापिस लिए जाने में सफल हो गए।

आपातस्थिति के लागू होने के बाद जो पहली गिरफ्तारियां की गई उनमें वकीलों की संख्या बहुत कम थी। ऐसा इसलिए हुआ क्याकि सघप समिति के एक चरण वकीलों के आंदोलन से पुलिस बहुत ही कम परिचित थी। इसलिए वकीलों में सश्रिय लोगों की पहल से तयार सूची उसके पास नहीं थी। आठ वकील राष्ट्रीय स्वयं सेवक सघ के साथ अपने सम्बन्धों के कारण गिरफ्तार किए गए। राजनीतिक अथवा सघप समिति की गतिविधियों के कारण कुल चार ही पकड़े गए थे।

25 जून 1975 को आपातस्थिति लागू होने के साथ एक चौकड़ी की सहायता से स्थापित श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत निरंकुशता के पक्ष में कानून के शासन को पूरे देश में निलम्बित कर दिया गया था। चौकड़ी जिनके पाम कोई संवैधानिक सत्ता नहीं थी धमकिया डाट पट्टा और घोखाधडियों के माध्यम से माफिया की तरह काम करती थी। लैटिन अमेरिका के सैनिक गुटियों शासन की यात्रा तिलाने वाले पुलिस शासन का स्वाद इन तिनो हम मिला।

आपातस्थिति के लागू किए जाने के बाद 27 जून के संविधान की धारा 359 के अधीन राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया कि धारा 14 21 और 22 द्वारा प्राप्त अधिकारों के प्रचलनाथ अदानत में जाने के अर्थ के अधिकार आपात स्थिति की अवधि के लिए निलम्बित कर दिए गए हैं।

जिन धाराओं के प्रचलन का निलम्बित किया गया उनमें महत्त्वपूर्ण मूलभूत

अधिकार निहित है। धारा 14 भारत के प्रदश क भातर सभी ब्यक्तिया को कानून क सामन समानता और कानून द्वारा समान सुरक्षा की गारंटी देती है। धारा 21 कहती है कि कानून द्वारा निर्धारित पद्धति के सिवाय किसी व्यक्ति को उससे जीवन और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। धारा 22 निवारण नजरबंदी क ज़ीन पकड़े गए ब्यक्तियों को कुछ महत्त्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है विनाप रूप से नजरबंदी के आधार से सूचित किए जाने का अधिकार नजरबंदी क आदेश क विरुद्ध शीघ्रतम अवसर पर आवेदन देन का अधिकार और उच्च न्यायालय क यायाधीश नियुक्त किए जाने क योग्य ब्यक्तिया से वने एक सहायकार बाट नारा अपन मामल का परीक्षण कराने का अधिकार।

27 जून 1975 क राष्ट्रपति क आदेश क द्वारा इन मूनभूत अधिकारों क प्रवर्तनाय किसी अदालत से जाने का सभी ब्यक्तियों का अधिकार आपातस्थिति का अवधि क लिए छान लिया गया।

अतीत में जब भी धारा 14 21 और 22 क प्रवर्तन का किसी आपातस्थिति क दौरान धारा 359 क अधिनियम निरन्वित किया गया था तब यह निरन्वित उन ब्यक्तियों तक सीमित रहता था जिन्हें भारत सुरक्षा कानून और भारत सुरक्षा नियमों क अधिनियम जारी किए गए आदेशों क द्वारा किन्हीं अधिकारों से वंचित किया गया था अथवा किसी कानून क अधिनियम निवारक नजरबंदी बनाया गया था। 27 जून 1975 का आदेश दिए गए राष्ट्रपति क आदेश की ऐसी कोई परिसीमा नहीं थी। यह एक सार्वभौमिक आदेश था जो भारत के सभी ब्यक्तियों पर लागू था। उस आदेश का और बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई इसका व्याख्या का परिणाम यह हुआ कि दश में कानून का शासन वस्तुतः समाप्त हो गया।

वैधानिक एवं संवैधानिक संरक्षणों की जा भीड़ बाट में आई उसका उद्देश्य व्यक्तिगत स्वाधीनता विनोपकर मोसा के अधिनियम नजरबंदियों का स्वाधीनता पर चोट करना ही था। गिरफ्तारियों और नजरबंदियों से दमनकारी आदेशों के विरुद्ध जनवर्गों क प्रतिरोध से तथा विरोध का दबाव क लिए पुनिस एवं अन्य अधिकारियों द्वारा की गई क यवाही में सम्बन्धित खबरों और मताओं को पूरी तरह दबा दिया गया था। नयी प्रकार सरकार क समर्थन में संगठित सभाया और सम्मेलनों के सिवाय गण सभाओं को रोकने क उपाय किए गए थे।

कई संशोधन तो घण्टापूर्वक स्पष्ट इस उद्देश्य में किए गए थे कि प्रधानमंत्री 12 जून 1975 के इनाहावाट उच्च न्यायालय के फैसले जिसने समर्थन में उनके चुनाव का अन्ध करार दे दिया था क विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में शक्ति की गई अर्जी में सफलता प्राप्त कर सकें।

जहां तक मोसा क अधिनियम राजनातिक नजरबंदियों का प्रश्न है सरकार यह निश्चित कर लेने के लिए उत्सुक थी कि वे किसी अदालत में यह स्थापित न कर

सकें कि उनकी नजरबंदी तत्पश्चात् जयवा कानूनन असदभावपूर्ण थी। इस उद्देश्य के लिए मीसा में कुछ मशोधन किए गए। 29 जून 1975 को जारी किए गए एक अध्यादेश के द्वारा मीसा में एक उपबन्ध जोड़ा गया जिसके अनुसार किसी भी अन्य कानून में कोई भी प्रावधान हात हूँ भी नए कानून के अधीन किसी भी नजरबंदी का जमानत पर छोड़ा नहीं जाएगा। एक दूसरी धारा में उपबन्धित किया गया कि यदि किसी नजरबंदी के बारे में नजरबंद करने वाले अधिकारी ने यह घोषणा कर दी हो कि उसकी नजरबंदी आपातस्थिति का प्रभावपूर्ण ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है तो नजरबंदी का आधार जानने का अथवा अपने मामले को सलाहकार बोर्ड के सामने प्रस्तुत कराने का अधिकार नजरबंदी को नहीं रहेगा।

ऐसा न था कि नजरबंदी इस सामान्य कानूनी अधिकार पर कि कानून की इजाजत के बिना किसी का व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता निभर करने के रूप का दावा करें इसलिए 15 जुलाई 1975 को एक दूसरा अध्यादेश जारी किया गया जिसमें (धारा 18) उपबन्धित किया गया कि इस कानून के अंतर्गत नजरबंद किसी व्यक्ति को किसी प्राकृतिक कानून अथवा सामान्य कानून के अधीन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।”

28 जुलाई को मसद का एक विशेष अधिवेशन किया गया, जिसमें एक विचित्र नियम बनाया गया। इसके अधीन घोषणा की गई कि मन्त्र के अध्यादेश के द्वारा अधिष्ठित रपट के सिवाय सभ के कायवाही की किसी रपट का प्रकाशित नहीं किया जाएगा। फलतः सिर्फ मंत्रियाँ के भाषण ही अखबारों में छापे जान लगे। इस विशेष अधिवेशन में एक अधीन बहुमत की सहायता से अनक दूरगामी मबदानीक मशोधन शीघ्रतापूर्वक स्वीकार कर नियम गये।

कुछ नजरबंदियों ने 26 जून 1975 की आपातस्थिति की घोषणा को इस आधार पर चुनौती दी थी कि घोषणा असदभावपूर्ण है क्योंकि उन विषय समय किन्हीं आंतरिक गडबडियों से देश की सुरक्षा का कोई खतरा नहीं था। नजरबंदियों ने 1971 की आपातस्थिति के जारी रखे जाने को भी इस आधार पर चुनौती दी थी कि बाहरी आक्रमण में पदा हानि वाता खतरा बहुत पहले ही लुप्त हो चुका है। इस चुनौती का सामना करने के लिए सभ ने जगन्त 1975 का एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिसमें उपबन्धित किया गया कि आपातस्थिति की किसी घोषणा के लिए राष्ट्रपति का मनुष्य 'निर्णायक और अन्तिम मानी जायगी और किसी आधार पर किसी अदालत में इस चुनौती नहीं दी जा सकती। और उच्चतम न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय का यह वायक्षेत्र प्राप्त नहीं

होगा कि वह आपातस्थिति की घोषणा की अथवा ऐसी घोषणा जारी रखे जान की यावमगतता पर विचार कर सके।

10 अगस्त को मसद नं 39वें मशोधन को स्वीकार किया। इस मशोधन के एक उपबंध के अनुसार 27 अधिनियमों को मविधान की नवी अनुसूची में रखा गया। हमका अर्थ यह हुआ कि ये अधिनियम मविधान द्वारा दिये गए एक या अधिक मूनभूत अधिकारों के आधार पर किसी भी चुनौती से मुक्त हो गए। 39वें मशोधन द्वारा नवी अनुसूची में रखे गए अधिनियमों में से एक था उस समय तक यथामशोधित मीसा।

ये सब तरीके भी जिनके अधीन उन्हें बन्नी बनाया गया उन मर-जानूनी बानना का चुनौती देने में नजरबन्दियों को अथवा आपातस्थिति का बहाना लेकर सरकार द्वारा निर्धारित कठोर सीमाओं के चारों ओर भीतर नागरिकों के मूनभूत अधिकारों की रक्षा के लिए साहसिक प्रयास करने से उच्च न्यायालयों को रोक नहीं सके।

श्री कुन्तीप नायर की बन्नी प्रत्यक्षीकरण याचिका (सातवा अध्याय) पर दिल्ली उच्च न्यायालय के फर्मान ने पत्रकारों की नजरबन्दी को इस आधार पर अवध घोषित कर दिया कि सरकार उनकी नजरबन्दी के लिए कोई कारण प्रस्तुत करने में विफल रही है। न्यायाधीश महान्यत्र मत रखा कि जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भारत के मविधान के साथ पदा नहीं हुए थे बल्कि वे मूल प्राकृतिक अधिकार हैं जिन्हें मविधान ने सुरक्षा प्रदान की है और मविधान का निलम्बन उन अधिकारों को पूरी तरह समाप्त नहीं कर देता।

इसलिए 17 अक्टूबर 1975 को एक अध्यादेश जारी करके मीसा में एक धारा जोड़ दी गई जिसमें उपबन्धित किया गया कि नजरबन्दी का कोई आदेश और धारा 16 अकेले अधीन की गई कोई घोषणा जिस आधार अथवा सामग्री को लेकर जारी की गई थी उसे प्रकट करना सावजनिक हित के विरुद्ध समझा जाएगा।

आपातस्थिति प्रवर्तन के बाद राजनीतिक नजरबन्दियों की एक बहुत बड़ी संख्या में अपनी नजरबन्दी के आदेशों का चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की थीं। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय के एक पाठ ने उन लोगों की अनुपस्थिति में और बिना उनकी बात सुन आदेश दिया कि ऐसी सब याचिकाएं एक साथ वापिस ला गई मानकर रद्द कर दी जानी चाहिए। जावेदक नजरबन्दियों को पता भी नहीं लगा कि उन्होंने अपने आवदन वापिस ले लिए हैं।

बड़ी संख्या में बन्दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन पड़ी थीं। उन पर सरकार की ओर से यह आपत्ति की गई कि

मविधान की धारा 21 के प्रवर्तन के अधिकार के निलम्बित हो जाने के कारण किसी व्यक्ति का यह हक नहीं है कि वह इस आधार पर कि उसकी नजरबंदी अमदभावपूर्ण है अथवा अन्य रूप में अवैध है किसी अदालत में जाय।

अक्टूबर 1975 में मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में उच्चतम न्यायालय की एक पीठ ने उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया कि इस आपत्ति को प्राथमिक मुद्दा माना जाए, और याचिकाओं पर उनमें सत्य के आधार पर विचार करने से पहले इस मुद्दे पर फसला दिया जाए। फिर भी एक के बाद एक सात उच्च न्यायालयों ने यह निणय दिया कि धारा 21 के प्रवर्तन के अधिकार के निलम्बित हो जाने का यह असर नहीं हो सकता कि कानून का शासन ही निलम्बित हो जाए और इसलिए नजरबंदी को यह अधिकार है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका इस आधार पर दाखिल करे कि उसकी नजरबंदी मोसा के उपबन्धों के अनुसार नहीं है।

सरकार ने इन अन्तरिम आदेशों के विरुद्ध अपीलें दायर कीं और विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाओं की जाये मुनवाई को स्थगित कराने का आदेश ले लिए। इन अपीलों को मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों के एक पीठ ने मुनाया। डार्ड महीने की मुनवाई के बाद और दो महीने के और विनम्ब के बाद एक के विरुद्ध चार के अनुमत से उच्चतम न्यायालय ने फसला दिया कि धारा 21 के प्रवर्तन के अधिकार को निलम्बित करने वाले राष्ट्रपति के आदेश की दृष्टि से किसी व्यक्ति का यह अधिकार नहीं है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण के लिए अथवा अपनी नजरबंदी की वधता को चुनौती देने का न किसी अन्य आदेश के आधार पर उच्च न्यायालयों में याचिकाएँ दाखिल कर सके।

एक प्रमुख विधिवत्ता श्री बी० एम० तारकुडे ने इस फसल का यह कहकर घणन किया है 'कि भारत के न्यायिक इतिहास में किसी अदालत ने इससे अधिक विनाशकारी और बिघ्नसक फसला नहा दिया होगा। फसल का मतलब यह है कि न्यायालयों के पास कोई कार्यक्षेत्र नहीं रहा है। एक ओर न साके यह सत्य कर सकते हैं कि आपातस्थिति का घोषणा अमदभावपूर्ण की और दूसरी ओर एक बार आपातस्थिति घोषित होत ही तथा भूतभूत अधिकार निलम्बित हात ही अदालतों के पास कानून की इजाजत के बिना जीवन अथवा स्वतंत्रता में वचित किए गए व्यक्तियों की रक्षा का कार्यक्षेत्र भी नहीं रहा है। यह न्यायिक आत्म हत्या में बंध नहीं कहलाया जा सकता। श्री तारकुडे ने ज्ञापन कहा 'उच्चतम न्यायालय के रुख का देखना यह बठिनाई से ही सम्भव होगा कि देश के विभिन्न उच्च न्यायालय न्यायिक स्वतंत्रता की अपनी परम्परा को जारी रख सकें।'

प्रश्न पर गैरर और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का दो क्षेत्रों में भारतीय



यायालय ने अभि यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वाधीनता क पक्ष म जो दृष्ट रख अपनाया वह देश म घटी राजनीतिक घटनाआ स अथवा द्रस्त राष्ट्र क लिए सबसे अधिक उत्साहवधक मिद्ध हुआ ।

मीनू ममानी बनाम बबई राज्य क सेंसर अधिकारो विनोद राय के मामले म जो नवम्बर 1975 म बम्बई उच्च यायालय के मामले पेश हुआ 'यायमूर्ति डी० पी० मदन एव यायमूर्ति एस० एस० कानिया 1 रहू लखा की सामग्री का विश्लेषण करके यह मत प्रकट किया प्रस्तुत जापत्तिया सेंसरशिप आदेश के किन्ही भी प्रयोजना अथवा उद्देश्या से असम्बद्ध ह । अधिकतर चिन्तित परिणाम कल्पनापूण एव दूर की कौडी है और ऐसी दृष्टि ग्रहण की गई है जिस तकसगत दग स काम करने वाले किसी भी व्यक्ति क लिए ग्रहण करना कभी सम्भव नहीं है । जा अनुमान किए गए ह वे वास्तविकता के आधार अथवा सामान्य बुद्धि की नीव स इतने रहित है कि तक विद्रोह करता है और युक्ति को उनस धितपणा होती है ।

दूसरा राचक मामला था बडोटा क भूमिपुत्र की याचिका जिस पर उच्च यायालय न मञ्जूत मत 'दक्त किया । नवम्बर 1975 म सर्वोच्च सिद्धांत क प्रति समर्पित एक पत्रिका भूमिपुत्र के सम्पादक और प्रकाशक श्री सी० दल का कारण बताआ नाटिम लिया गया कि 26 अक्टूबर 1975 क भूमिपुत्र की सभी प्रतिया को तथा जहा वह छपता है उस यत् मुद्रिका प्रेस को भारत सरकार 10 दिन क भीतर बयो न ज त कर ले क्याकि 12 अक्टूबर 1975 को हुए नागरिक स्वतंत्रता सम्मेलन की दो रपटा को छापकर और प्रकाशित करके साविधिक आस्था को भंग किया गया है ।

गुजरान उच्च 'यायालय क यायमूर्ति ज० बी० मेहता एव यायमूर्ति एस० एच० गठ न भूमिपुत्र क सम्पादक एव प्रकाशक पर जारी किए गए मसर क एव जती क जास्था का रहू कर दिया । उनके फमल म से निम्न प्रासंगिक विचार निकाले गए है

यह सच है कि धारा 19 को जा अय बातो के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को भी निश्चित करती है साविधिक आदेश के अनुच्छेद (1) के उपअनुच्छेद (2) म उल्लिखित राष्ट्रपति क आदेश क द्वारा निलम्बित कर दिया गया है । किन्तु हमारे समाज की लाकत-दाय प्रकृति को निलम्बित नहीं किया गया है । इसनिण धारा 10 क द्वारा मूलभूत अधिकारा क निलम्बन स निरपथ मुक्त प्रम एव असहमति क अधिकार को जा लोकतन्त्रीय समाज क सत्व है हिंसा क भडक उठने और सावजनिक अनुशासन के भंग होन का रोकने की स्थिति क सिवाय निलम्बित नहीं किया जा सकता ।

जहा सरकार विरोधिया की हिंसक एव घबसात्मक गतिविधियो को दवान क

लिए राष्ट्र के प्रति जिम्मेदार है वहा विरोधी पक्ष को भी इस बात के लिए सतब रहना चाहिए कि शासक दल ऐसी गतिविधियां वा दवान के नाम पर वही सान सन्ध की नींवो को ही नष्ट न कर दे और एक सानासाही अथवा एकाधिकारवादी रूप ग्रहण न कर ल ।

मुख्य सेंसर के मागनिर्देशो पर टिप्पणी करत हुए फमल म कहा गया है कि सी भा सावतत्र म जनता पर उससे भयानक आघान नही किया जा सकता जसा मुख्य सेंसर के मागनिर्देशों के द्वारा किया गया है । चाहे हम आपातस्थिति म स गुजर रहे हा या सामान्य जीवन जी रहे हा भल ही दशा की असाधारण स्थिति की जहरत हा कि लोगो की स्वतंत्रता पर राब लगाई जाए पर मुख्य सेंसर द्वारा जारी किए गए एव ऊपर उद्धृत मागनिर्देशो को कभी मान्य नही किया जा सकता । इन मागनिर्देशो स लोकतन्त्र की जीवनधारा सावजनिक आलोचना को ही छतम कर दिया गया है और य उसका हृदय का ही छेद गए है । ऐस मागनिर्देशो को एक पक्ष के अतिरिक्त ममम के लिए भी प्रवर्तित रखना हमारी मनोवाछित लाकत क्षीय ममाज व्यवस्था का नष्ट करना है । अत हमारा मत है कि एस मागनिर्देश, जिनका नियम 48 अथवा वन 3 म निर्धारित भाविधिक प्रयोजनो म कोई उल्लेख अथवा उनम कोई सम्बंध नही है गरवानुनी जी अप्रवर्तनीय है । मुख्य सेंसर स्वयं राजा स भी बढकर राजा के प्रति वफादार मित्र हुआ है और देश म एक मूलभूत लाकतन्त्र को बनाए रखने के लोगा के प्रयासा को उसने निष्फल कर दिया है ।

डा० गुरलीमनाहर जाशी और श्री बीरेन्द्रमिह चौधरी द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक पीठ के सम्मुख प्रस्तुत कयी प्रत्याशीकरण याचिका पर अपन फमल म मुख्य न्यायाधीश श्री के० बी० अस्थाना न नजरबंदी के आदेश को अमदभावपूर्ण घोषित कर दिया और कहा कि नजरबंदी करन थाल अधिकार न अधिनियम के मूल सिद्धांतो का ही भंग कर दिया है और अपना सीमा न अतिक्रमण किया है । फमल म आगे निष्कर्ष दिया गया कि जिस अधिनियम के अधीन आदेश दिया गया था वही अवध है और नजरबंदी का आदेश जिस सामर्थ पर आधारित था वहा अधिनियम स जमगत है ।

महाविध्वंसका की इस धारणा पर कि चकितगत स्वतंत्रता का अधिकार खत्म कर दिया गया है, मुख्य न्यायाधीश ने कहा इसका अर्थ यह हुआ कि न अंधकारपूर्ण वातावरण म आरगा तीर पर काम करन की पूरी शक्ति जीर सत्त कायकारिणी को प्राप्त है । अतः इस वातावरण म जा कि अंधकारपूर्ण है हिटलर की जर्मना घूमगी और कमका भूत नागरिका के जीवन अथवा उनका चकितगत स्वतंत्रता जीर जात्ममम्मान के साथ जाखमिचौनी का सत मंत्रण और उह जानकित करेगा । जब 26 जून 1975 का आपातस्थिति की घोषणा

करते हुए राष्ट्रपति ने आदेश जारी किए थे कि धारा 15, 21 और 22 के अधीन अधिकारों के प्रवर्तन की शक्ति स अदालतों को वंचित कर लिया जाए तब उनके दिमाग में भी यह प्रतीति नहीं रही होगी।'

यह तपित्नायक है कि स्वतन्त्र भारत के जीवन में आए इस घोरतम राजनैतिक मकड़ में देश के उच्च 'यायानय अवसर की भाग पर उठ खड़े हुए और नागरिकों के लोकतन्त्रीय अधिकारों के सञ्च और साहसी मरक्षक मिद्ध हुए। व्यग्य का बात यह है कि उच्चतम 'यायालय आपातस्थिति द्वारा पगु बना दिया गया और उसने उस प्रतिगामी शासन का पक्ष लिया जो भारतीय जनता को उस लोकतन्त्रीय जीवन पद्धति से दूर हटा देने के लिए कटिबद्ध था, जिस पद्धति को उसने अपन लिए चना था।

अपने देश के इतिहास के इस कान अध्याय में एक पाठ हम यह सीखते हैं कि लोकतन्त्र का एकमात्र प्रभावी मरक्षक विनेपकर मकड़ के समय में एक स्वतन्त्र 'यायपालिका ही है और हम किसी राजनीतिक सरकार पर कभी यह विश्वास नहीं कर सकते कि वह सब परिस्थितियों में नागरिकों के लोकतन्त्रीय अधिकारों की गारंटी लेगी और उनकी रक्षा करेगी। समद एक लिखित मविधान की सष्टि है, उसकी सष्टा नहीं। सिफ विशप रूप से निर्वाचित एक मविधान सभा ही मविधान में मूलभूत परिवर्तन ला सकती है। ससद की प्रभुसत्ता इतनी दूर तक विम्लत नहीं की जा सकती कि उस सविधान के माय मनमानी करन की अनुमति दे दी जाए।

## नियति का हस्तक्षेप

और तब नियति ने हस्तक्षेप किया। अब तक एक सयानी और हिसाबी राजनीतिज्ञ जो अपनी सही समय की पकड़ के लिए प्रसिद्ध रही हैं उन श्रीमती गांधी की उस घटना क्रम पर सही मुठठी ढीली पड़ गई जिस उठोने ही गति दी थी।

हर चीज योजना के अनुसार बढ़िया चल रही थी। दश की अवस्था अच्छी हालत में दीख पड़ती थी। विशेषी मुष्ण का काप दो वष पहल की राशि से तिगुना दो अरब डालर तक पहुच गया था। लगभग पहली बार देश में औद्योगिक शान्ति थी और उत्पादन बढ गया था। शानदार फसल को घायवाद सरकार का अग्र कोप पूरे अतीत की अपेक्षा बहुत अधिक था।

उनकी सरकार ने संविधान को अपनी बगधी के नीचे कुचल डाला था और उनक बेट ने पुरानी दिल्ली की एक घनी बस्ती पर बुलडाजर चला दिया था और एक कुत्ता तक नहीं भौंका था। यह सच है कि कुत्ते नहीं भौंके थे क्योंकि उनके मुहो पर छीके बंधे हुए थे। पर तब भी उनकी गुराहट माला दूर सुनी जा सकती थी उनके द्वारा जिनके पास सुनन के लिए कान थे।

कीडो की तरह श्रीमती गांधी के चारा ओर मडराते गुप्तचरा के सबव्यापक दल ने उह विश्वास िला लिया था और उह भी इसमें रच स देह नहीं था कि जनता में अब भी वे सत्ता की भाति ही लाकप्रिय थी। और भारत जस दश में जनता ही दरअसल अब रक्षती है। विरोधी राजनीतिक दलो तक ने कह दिया था कि वे विध्वंसक तरीको का आश्रय नहीं लगे।

नागरिक और दहाती दोना क्षेत्रों में उनकी सावजनिक सभाओं में एक विशाल भीड आती थी। वह भी इस धारणा को पुष्ट ही करती थी। कोई यह बतान का साहस नहीं करता था कि भीड के भीड में लाग स्थानीय अफसरों द्वारा खीचकर लाए गए हैं। और तब जपन को और हर एक को वे यह जाश्वासन दे डालती थी कि परिवार नियोजन के नाम पर स्थानीय अधिकारियों द्वारा किए गए जत्याचारों के जा विवरण मुन जान है वे विरगधी पक्ष द्वारा बढा चढा कर कहे गए हैं और ऐसे उदाहरण इक दुक्के ही है।

जिन तानाशाहों का देवता नष्ट करना चाहते हैं उह पहल में बना देन है।

गजय के कम्युनिस्ट विरोधी चुनाव जीत उमकी पश्चिम समर्थक पेशाग को धरवा कि श्रीमती गांधी व बारे म पश्चिम की गय आचयजनर रूप म बलकर ल शक्तता से मित्रतापूर्ण सहानुभूति और प्रशंसा तक पहुंच गई थी। श्रीमती गांधी समार क शीप पर था। उन्होंने कभी भी तना आरम जावम्य अनुभव नहीं किया था। इस आशापूर्ण मन म्यनि म उह कोई सनेह नहीं था कि वे कुछ भी यहा तक कि चुनाव भी करा सकती हैं।

और इसलिए श्रीमती गांधी न तय किया कि वे नाकमभा व चुनाव करायेंगी और यह भी कि मार्च 1977 उनकी जीत लश की दानों की दृष्टि म मरस अनु कन समय है। अगल वष कामता व बलन और मानमून व टीक न हान की आशका है। इसलिए ठहरकर चुनाव का अगल वष कराना जुआ चलना ही होगा।

लश म हम समय चनाव कराने स काग्रेस ल की आन्तरिक सदन को भी रोका जा सनगा। चुनाव युद्ध की पुकार स दन म सगठन और एकता आएगी। व भारा वहमन स पद पर नौकरी और उनके शासक व जो थाडे स आलाचक है ल भी व चुप करा देंगी। इतक अतिरिक्त मार्च म चुनाव कराने म विराधी दना का भव हा उनके ननाआ को तत्काल जता म से रिहा किया जाग शक्ति सगठन का घटन ही थोडा समय मिनगा।

18 जनवरी 1977 को श्रीमती गांधी आकाशवाणी और दूरदर्शन पर बिना पूर्वनिधारित कार्यक्रम व जा लौर उ होन नोकसभा व भग कर लिंग जान लौर मार्च 1977 क मध्य म आम चुनाव किए जान की घोषणा का।

उ होन जनता स कहा कि उहान नाकमभा का भग कर लिंग जान का मिफा रिश की है और राष्ट्रपति ने उनकी सलाह मान ली है। उ हान यह भी कहा कि मायताप्राप्त राजनीतिक दत्ता की विहित राजनीतिक गतिविधिया व लिए आपात म्यिति म लौर तीन ताइ जा रही है।

गागा व लिंग यह घोषणा एक जान लश जाशवय थी। क्याकि कुछ हा समय पहल तो नाकमभा की कार्यविधि को एक वष बल लिया गया था लौर इसलिये यल हूण भी ता अगल 15 महीना तक किसी चनाव का आशा किसी का नहीं थी। बलून विजयी एकाधिकारवा व बतमान वातावरण म लाग साजन तग ये कि निकट भविष्य म क्या काइ मा चुनाव हाग।

पर इस समय क्या य दूसरी लिंग थी जी आकाशवाणी लौर दूरदर्शन पर बान रही था और जो नोकसभा व प्रति जल्य त ममपित गरिमामयी मयमित एव अनुभवमयी थी? अथवा ल मरस लय लनका भाषण लिखे बान की जाता ह? 19 महान पहन आपातम्यिति का घोषणा व कारणो का उ हान गिनाया और कहा अब प्रश्न यह है कि लन राजनानिक प्रक्रियाओ का नौटया

जाए जिन पर रोक लगाने के लिए हम मजबूर होना पड़ा था। हमारा यह भी विश्वास है कि ससदीय सरकार को जनता के सामने पहुंचना चाहिए और राष्ट्र के कल्याण एवं उसकी शक्ति के लिए निर्धारित कार्यक्रमों और नीतियों पर जनता की सही लेनी चाहिए।'

उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि वे लोकतंत्र में और जनता के अधिकारों में विश्वास रखती हैं। उन्होंने कहा 'हर चुनाव एक आस्था का काम है। सावजनिक जीवन में आई गड़बड़ियों को साफ कर देने का यह एक अवसर है। इसलिए आइये, हम जनता की शक्ति को फिर से पुष्ट करने और भारत के स्वच्छ नाम को ऊचा करने का निश्चय लेकर चुनाव में भाग लें।''

कितने उदार भाव थे य !

उस स्मरणीय भाषण में श्रीमती गांधी ने कुछ दैवी शब्द भी कहे। उन्होंने घोषणा की, परिवर्तन जीवन का पक्का नियम है। ससार में यह युग भारी परिवर्तनशीलता का युग है। समसामयिक समाज खतरों से भरा है और विकासशील देशों को इन खतरों से विदोष आशंका है। इसलिए सभी परिवर्तन धार्मिक होने चाहिए। हमारा स्वाधीनता सघष की, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की हम यही देन है।'

आकाशवाणी पर जाने से पहले ही श्रीमती गांधी ने श्री मोरारजी देसाई को छोड़ देने के आदेश दे दिए थे। श्री जयप्रकाश नारायण पहले से ही बाहर थे। अगले कुछ ही दिनों में एक एक करके अधिकतर बड़े नेताओं को छोड़ दिया गया।

मोरारजी की पहली प्रतिक्रिया थी 'लेकिन समय बहुत ही कम है। चुनाव की तयारी हम कैसे कर पायेंगे !' जाज फर्नेंडीज ने तो चुनावों का बहिष्कार करने की बकालत की। लेकिन श्री जयप्रकाश नारायण ने चुनौती को स्वीकार किया और काम में जुट गये। विरोधी पक्ष को सम्बोधित करते हुए उन्होंने मलाहदी आप लोगों को एक दल के रूप में लटाना चाहिए।

अचानक मानो सूर्य की किरणों के स्पश से धुंध साफ हो गई और राष्ट्र में सामान्य स्थिति वापस आ गई। 20 जनवरी का सरकार ने मंसूर उठा लिया जाने और आपातस्थिति के विभिन्न उपबंधों से ढील दे दी जाने की घोषणा की जिससे कि प्रतियोगी राजनीतिक दल सामान्य चुनाव गतिविधियों को चला सकें।

उसी दिन श्री मोरारजी देसाई ने एक प्रसंग सम्मेलन का बताया कि विरोधी पक्ष आने वाले चुनावों के लिए उम्मीदवारों की एक सम्मिलित सूची तैयार करेंगे। विरोधी पक्ष आत्मविश्वास की कमी के बावजूद प्रस्तुत परिस्थितियों में चुनावों में यथामुम्भव प्रशासनीय कार्य करने की आशा में था। अधिकतर प्रश्नों

विशेषकर विदेशी प्रेस का अनुमान था कि श्रीमती गांधी एक बार फिर पर्याप्त बहुमत से जीतकर लौटेंगी।

फिर भी ऐसा प्रतीत हुआ कि विरोधी पक्ष की त्वरित प्रतिक्रिया से और एक संयुक्त चुनाव नीति से श्रीमती गांधी व्यग्र हो उठीं। उह आशा थी कि विरोधी पक्ष अस्त-व्यस्त और अप्रस्तुत मिलेगा। 22 जनवरी को कानपुर की एक सावजनिक सभा में उन्होंने कहा कि विरोधी दलों की नीतियों को लेकर चुनाव लड़ना चाहिए। जब वे इतनी अलग अलग नीतियों का अनुसरण करते रहे हैं तो अब उनका इकट्ठे होना लोकतान्त्रिक नहीं है।

श्रीमती गांधी इलाहाबाद कुम्भ के मेले में गई थीं। वहाँ जाता है कि वहाँ उन्होंने गंगा में पवित्र स्नान किया और तब अपनी गुरु और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक शान्दमयी मा के दर्शन किये।

एक संयुक्त सूची की विरोधी पक्ष की युद्धनीति की श्रीमती गांधी द्वारा उग्र आलोचना और असहमति उनके पक्ष में घबराहट का पहला चिह्न थी।

यद्यपि अधिकतर विरोधी नेता छोड़ दिए गये थे लेकिन उनके अनेक कार्यकर्ता अभी भी जेल में थे। सरकार को उन्हें छोड़ देने की कोई जल्दी नीति नहीं पड़ती थी और विरोधी दलों के पास अनुभवी समर्पित कार्यकर्ताओं की बहुत कमी थी। 25 जनवरी को सरकार ने सावजनिक सभाओं पर से प्रतिबंध हटा लिया। तीन दिन बाद विरोधी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल नजरबंदियों की रिहाई के बारे में प्रधानमंत्री से मिला। श्रीमती गांधी ने उत्तर दिया 'आदेश 21 को दे दिए गये थे लेकिन राज्य हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं।'

30 जनवरी को श्री मोरारजी देसाई ने रामलीला मदान में जनता पार्टी के चुनाव-अभियान का आरम्भ किया। श्रोताओं की अभूतपूर्व संख्या और उनके दश भक्तिपूर्ण उत्साह दोनों ही दृष्टियों में यह सभा स्मरणीय है।

एक दिन पहले पटना में श्री जयप्रकाश ने एक सावजनिक सभा में कहा था मैं मीत व दरवाजे से लौटकर आया हूँ। हो सकता है ईश्वर देश के लिए कुछ काम मुझसे चाहता है। तब उहोने घोषणा की आने वाले चुनाव दलों में भविष्य का नहीं स्वयं मतदाताओं में भविष्य का नियंत्रण करेंगे।

श्रीमती गांधी के लिए दूररी और गम्भीर रूप से अधिक अशुभ घटना वह थी जिसे जगजीवन वम कहा जाता है क्योंकि इसका भारत के राजनीतिक दृश्य पर प्रचंड प्रभाव पड़ा। 2 फरवरी को श्री जगजीवनराम ने मन्त्रिमंडल से और कांग्रेस दल से अपन त्यागपत्र की घोषणा की।

श्री जगजीवनराम कांग्रेस दल में वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे जो दल का प्रतिष्ठा और उससे भी अधिक हरिजनता का शक्तिशाली समर्थन एक मत प्राप्त करते थे।

1969 के दलीय संकट में वे दलता व सांसद सिडीकेट के विरुद्ध और श्रीमती

इंदिरा गांधी के पक्ष में खड़े रहे थे और तब से आपातस्थिति के कठिन दिनों, के दौरान उन्होंने अनुरन्तपूर्वक श्रीमती गांधी का साथ दिया था, यद्यपि वे उनमें विश्वास और आस्था खोने लगी थी।

श्रीमती गांधी ने इस नाजुक समय में अपने दल के ऐसे वरिष्ठ सदस्यों की ओर से इतने चरम कदम की उम्मीद विल्कुल नहीं की थी। यह स्पष्ट है कि जगजीवन बम ने उन्हें बुरी तरह हिला दिया। उसके बाद के उनके भाषणों का सहजा और तत्व इस ओर इशारा करता है। बारी बारी से चिड़चिड़ी और रक्षात्मक वे बन उठी थी।

सरकार और दल से श्री जगजीवनराम का इस्तीफा एक से अधिक कारणों से विशिष्ट था। इस कदम ने उस भयानक गतिराश को तोड़ दिया और भय की उस काली चादर को फाड़ डाला जो मन्त्रियों को कांग्रेस दल की ओर पूरे राष्ट्र को अपने में लपेटे थी और सबका साथ राब हुआ था। इस अप्रभे श्री जगजीवनराम ने बिल्ली के गले में घण्टी बांधने का काम किया।

जब उन्होंने इंदिरा गांधी एवं उनके बेटे के द्वारा किए गए अत्याचारों एवं बेइंसानियों के क्रूर सत्य का उदघाटन किया तब वे हर मंत्री हर कांग्रेसी और देश के सामान्य जन का अंदरूनी भावनाओं को ही अभिव्यक्ति दे रहे थे। उन्होंने उदघाटित किया कि आपातस्थिति की घोषणा के प्रधानमंत्री व निणय के बारे में मन्त्रिमण्डल से कोई सलाह नहीं ली गई। उसे सिर्फ सूचित किया गया था और इसीलिए उनकी यह कायवाही गरकानूनी थी।

जगजीवन बम ने राजनीतिक विखण्डन की प्रक्रिया को गति दी जो देखते ही देखते पूरे उत्तरी भारत में व्याप्त हो गई और जिससे अन्ततः श्रीमती गांधी की हार को पूर्ण पराजय में बदल डाला। जसा कि श्रीमती गांधी ने उसे नाम दिया है श्री जगजीवनराम के विश्वासघात ने प्रधानमन्त्री को एक नपुंसक रूप की स्थिति में ला दिया। उसके बाद से लगा कि उनके भाषणों में से उनका वह जोरदार आत्मविश्वास गायब हो गया है।

श्रीमती गांधी ने शिकायत की कि श्री जगजीवनराम ने पहले ही दिन तो सरकार की आर्थिक सहयोग समिति की अध्यक्षता की थी। 2 फरवरी को प्रातः 10 बजे के लिए निश्चित कांग्रेस ससदीय बाइ की बैठक में उन्हें आना था। जब वे नहीं आए तो उनके घर पर सम्पर्क किया गया। टेलीफोन पर बताया गया कि कुछ कारणों से बाबूजी को देर लग गई है। 11:30 तक श्री जगजीवनराम अपना त्यागपत्र भेज चुके थे।

पहले दिन श्री जगजीवनराम श्रीमती गांधी से मिले थे और उनसे उन्होंने आपातस्थिति उठा लेने का अनुरोध किया था। श्रीमती गांधी के अनुसार श्री जगजीवनराम उनके साथ सिर्फ पांच मिनट रहे थे। श्रीमती गांधी ने उन्हें



वचन दिया था कि वे आपातस्थिति को उठाने के बारे में गृहमन्त्रालय से बातचीत करेंगे। और उनका अनुसार एक घंटे के भीतर ही श्री श्री अशोक मेहता से इसका जिक्र उठाने किया। उनकी शिकायत रही कि उस सक्षिप्त बैठक में भी श्री जगजीवनराम ने त्यागपत्र देने के अपने फसल का कोई संकेत उन्हें नहीं दिया।

श्री जगजीवनराम हसकर कहते हैं निश्चय ही मैंने उन्हें नहीं बताया। मैंने उन्हें त्यागपत्र देने से पांच मिनट पहले भी कुछ नहीं बताया। उन्होंने स्वीकार किया यदि वे बसा करते तो कौन जानता है कि श्रीमती गांधी ने क्या किया होता।

जब तक उनका त्यागपत्र श्रीमती गांधी के पास पहुंचा श्री जगजीवनराम एक प्रेस सम्मेलन बुला चुके थे और मंत्रिमण्डल एक कांग्रेस से अपने त्यागपत्र की घोषणा कर चुके थे तथा समान विचार के कांग्रेसियों को अपने साथ आने का आह्वान दे चुके थे।

अतीत की तरह ही लगभग तत्काल ही श्रीमती गांधी का निवास एक बार फिर उन्हें जन समर्थन देने के उद्देश्य से स्वयंप्रेरित प्रदर्शना का स्थल बन गया। इस बार ये रलिया श्री जगजीवनराम द्वारा दल त्याग के लिए उनकी निन्दा कर रही थी और श्रीमती गांधी के प्रति वफादारी की शपथ ले रही थी। प्रधानमंत्री के समर्थकों ने श्री जगजीवनराम की कायवाही को विश्वासघात और पीठ में छुरा भोक्ता बताया। 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने श्रीमती गांधी के प्रति वफादारी की शपथ लेते हुए एक वक्तव्य जारी किया। हर राज्य में हरिजन-नेता के बंदम की निन्दा करने के लिए सांजनिक सभाएं की गईं। कांग्रेस की मशौन इस विचार की धुरी पर घूमन लगी।

दिल्ली में श्री बरुआ ने कहा कि एक व्यक्ति का त्यागपत्र कोई महत्त्व नहीं रखता और उससे दल पर कोई प्रभाव पड़न वाला नहीं है। फिर भी श्री जगजीवनराम के चले जान से उत्पन्न स्थिति पर विचार करने के लिए कांग्रेस कायसमिति की एक स्वरित बैठक बुलाई गई। श्री जगजीवनराम के विरुद्ध प्रायः ज्वार की तरह निर्मित किया गया ज़िम्मे स्पष्ट हो जाता है कि जगजीवनराम ने कांग्रेस दल पर कितनी दूरगामी छाप छोड़ी।

जब चापलूस लोग राज्यों की राजधानियां से प्रधानमंत्री के प्रति वफादारी की शपथ लेने के लिए एक के बाद एक प्रतिनिधि मंडल दिल्ली ला रहे थे बाबूजी के प्रति श्रीमती गांधी का शोध आग की तरह सुलग रहा था। बाध में दरार पड़ चुकी थी और लोगों की एक नियमित धारा कांग्रेस का छोड़कर श्री जगजीवनराम की कांग्रेस पार डेमोक्रेसी में जा रही थी। हरिजनों के मत जा देश की आबादी के एक तिहाई बैठत है कांग्रेस से कटकर जगजीवनराम के दल की ओर जा रहे

थे। कांग्रेस के लिए अपने मे यह घातक प्रहार था।

कांग्रेस दल के चुनाव अभियान को आरम्भ करने के लिए पाच फरवरी को राजधानी में जा पहली सभा की गई। उरीम लोगो की मनस्थिति तथा श्रीमती गांधी के सहजे और मिजाज में आया परिवर्तन स्पष्ट हो गया था। इस सभा के आयोजन में बड़ी योजना तयारी और पैसा लगा था। मजदूरो और गरीब वर्गों के लोगो को सावजनिक वाहनो के द्वारा सभा के स्थल रामलीला मदान में लाया गया था। सगठनकत्ताओ ने दावा किया कि सभा में दो लाख आदमी थे।

अभियान का उदघाटन करते हुए श्रीमती गांधी ने जनता पार्टी को अनेक दलो की जिनमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं माक्सवादी भी शामिल हैं खिचड़ी कहकर रद्द कर लिया। बड़ी मुट्ठी उठाकर उन्होंने घायण की कि 'यदि जरूरत पड़ेगी तो हम अपना छून बहाएंगे, अपना जीवन देंगे लेकिन देश का कमजोर नहो पडने देंगे। यह देख रहा था कि उन्होंने अपना सत्तुलन खाना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विरोधी दला के लिए विल्पुल जरूरी नहीं है कि वे दूसरे दशों के लाकत-त्राय दला के गुण गाए उहे गौरवावित करें और भारत के लोकतंत्र को हीन बताय। तब अपनी आवाज ऊची करते हुए उन्होंने कहा 'यदि वे अपने दश के लोकतंत्र को पसंद नहा करत तो वे अपनी पसंद के उन देशों में जयवा जहा भी वे चाहें जाने के लिए स्वतन्त्र हैं और उन्हें जाने ही दिया जाए। हम उन्हें यहा नहीं चाहत।'

आपातस्थिति के विरुद्ध तथा राजनीतिक नजरबंदिया के बारे में विरोधी दलो की आलोचना का हवाला दत हुए श्रीमती गांधी ने कहा 'मैं यह साफ कर देना चाहती हू कि दुनिया की कोई भी सरकार और कोई भी दूसरा प्रधानमन्त्री विरोधी पक्ष को उतना बर्दास्त नहीं करेगा जितना हमने किया है।

श्रीमती गांधी ने लोकतंत्र में अपनी जास्या को फिर स्पष्ट किया और आग कहा 'भारत में प्रजातंत्र रहा है और रहेगा।' तब उन्होंने कहा कि यदि आपातस्थिति में कुछ लोगो का असुविधा दी है, तो सरकार को उसके लिए दुःख है। हम किसी के लिए कठिनाई पदा करना नहीं चाहत। और यह बात हमने आरम्भ में ही हर एक से कह दी थी।'

स्टेटमन्त के सबाददाता के अनुसार जब श्रीमती गांधी सभा स्थल पर पहुंचीं तो लगभग 200 बैठ बाजे वालो ने उनका स्वागत किया। श्रोताओ के सामने श्रीमती गांधी एवं सजय गांधी के दो विशाल चित्र लगे हुए थे।

मंच के सामने की विशाल आंदोलित भीड़ शीघ्र ही अस्थिर हो उठी और केन्द्र में स्थित भीड़ का एक हिस्सा तीन बार जाने के लिए उठा, एक बार तब

जब श्री स्वर्णसिंह ने अपना भाषण शुरू किया, अगली बार जब श्री चह्माण बोले और तीसरी बार जब श्रीमती गांधी बोल रही थी। पुलिस और कांग्रेस के स्वयं सेवक दो ओर से भीड़ को धक्का रहे थे और नीचे बैठे रह रहे थे। भीड़ की बेचनी को देखते हुए श्रीमती गांधी ने अपने भाषण को छोटा कर दिया और भीड़ को तीन बार जयहिंद का नारा लगाने के लिए कहा।

श्री जगजीवनराम ने त्यागपत्र देने चुनाव के लिए कांग्रेस की योजनाओं की डगमगा दिया। युवा कांग्रेस की इस मांग को कि लोकसभा चुनावों के लिए दलीय नामांकन में 50 प्रतिशत उनके होने चाहिए अब कूड़ेदान में डाल देना पड़ा यद्यपि उस समय श्रीमती गांधी ने और उनके कठपुतली ससदीय बोर्ड ने इस मांग को अपना आशीर्वाद दिया था। इसका फल यह हुआ कि सजय की योजना के अधीन जिन पुराने कांग्रेसियों के विस्तर बाध दिए जाने थे वे कांग्रेस की नामांकन सूची में वापस आ बैठे। कम से कम इन लोगों को तो श्री जगजीवनराम का वृत्त होना चाहिए।

श्रीमती गांधी द्वारा कांग्रेस का चुनाव-अभियान आरम्भ किए जाने के बाद छ परवरी को उसी रामलीला मदान में एक सभा में श्री जगजीवनराम और श्री जयप्रकाश वाले।

लोग दूर-दूर से इस सभा में आए। किन्तु ही लोग सुबह अपने घरों से चल कर पदल पहुंचे। पुलिस का कहना है कि जनता पार्टी की इस सभा में इसी जगह पहुंचने दिन की श्रीमती गांधी की सभा की तुलना में बहुत अधिक भीड़ थी। सरकार द्वारा नियंत्रित दूरदर्शन ने भी जनता पार्टी की सभा से लोगों को दूर रखने का प्रयास में अपना योगदान किया। उन्होंने इतवार की रात के लिए निश्चित फिल्म वक्त के स्थान पर सनाबहार बाबी को घोषित किया और सामान्य से एक घंटा पहले उभे शुरू कर दिया जिससे फिल्म का समय जनता पार्टी की सभा के समय से टकरा जाए। फिर भी उस रात को रामलीला मदान में मानवों का समुद्र उमड़ पड़ा था। श्रोताओं ने खड़े होकर श्री जयप्रकाश एवं श्री जगजीवनराम का स्वागत किया। यह बात इस देश की सावजनिक सभाओं में पहली कभी नहीं देखी गई थी।

श्री जयप्रकाश ने दोहराया कि यह सड़ाई कांग्रेस और जनता पार्टी इन दो दलों के बीच नहीं है। मुझे इनसे बहुत अधिक महत्व रखते हैं। मतदाताओं को लोकतंत्र एवं एकाधिकारवाद के बीच चुनाव करना है। उन्हें यह निश्चित करना है कि आपातस्थिति का डराने लिन फिर कभी लौटकर न आये।

श्री जयप्रकाश ने कहा कि काफी चिंतन के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि श्रीमती गांधी सत्ता स प्रेम करती हैं। कोई भी कीमत देनी पड़े वे सत्ता से चिपकी रहेंगी। उन्होंने कहा कि वे चुनावों में पानी की तरह खपया बहायेंगी। लेकिन

जनता पार्टी के पास पैसा नहीं है। उन्होंने श्रोताओं से आग्रह किया 'जीतने के लिए हमें आपके वोट भी चाहिए और आपके नोट भी चाहिए।'

श्री जगजीवनराम ने कहा कि '1969 में दल के विभाजन से पहले यह कहा जाता था कि कांग्रेस पर पांच या छह दलों का शासन है। पिछले 19 महीनों के दौरान पूरे देश पर डेढ़ दादाओं (इंदिरा और उसका बेटा) का शासन रहा है।' सभा के अंत में एक नेता ने माइक पर मजाक किया, अब आप लोग घर जाएं और बाबी देखें।' भीड़ जोर से खिलखिला पड़ी।

अब श्रीमती गांधी एक देशव्यापी शानदार चुनाव यात्रा पर निकल पड़ी। शासक दल की सहायता के लिए पूरे सरकारी यन्त्र का बस लिया गया। जब 'लदन टाइम्स' के सवादादाता ने इस तथ्य पर टिप्पणी की तो श्रीमती गांधी ने झट उत्तर दिया कि आकाशवाणी और दूरदर्शन का चुनाव के लिए इस्तमाल नहीं किया गया है। सरकार में सजय के प्रभाव के बारे में एक और प्रश्न का उन्होंने यह उत्तर दिया, एक भी सरकारी निणय से उसका कोई सम्बंध नहीं है। मन्त्रिमण्डल या मन्त्रिमण्डलीय समिति ही यह निणय लेती है।'

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एम. बी. चव्हाण का कांग्रेस दल के चुनाव अभियान में योगदान एक भाषण था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जेलों में नजरबंद लोगों का तो श्रीमती गांधी का अहसानमंद होना चाहिए। किसी और देश में तो उन्हें गोलियों का सामना करना पड़ता श्रीमती गांधी ने तो उन्हें सिर्फ नजरबंद ही किया था। श्रीमती गांधी ने जल्द ही अपने शाही अंगूठे को त्याग दिया। अपने चुनाव क्षेत्र रायवरेली में, जहां वे अपना नामांकन पत्र दाखिल करने गई थी 17 फरवरी को एक सभा में उन्होंने कहा कि जब भी वे इस नगर में आती हैं विभिन्न योजनाओं के रूप में जनता को कुछ न कुछ देने आई है लेकिन इस बार मैं आप में कुछ अर्थात् आपका मत मांगने आयी हूँ। उनके वक्तव्य में विनम्रता आनी शुरू हो गई थी।

अब तक श्रीमती गांधी देश में आर-पार चल रही जनता हवा के प्रति अत्यंत सचेत हो चुकी थी। उन्होंने लोगों की भावनाओं को छूना शुरू कर दिया। पश्चिमी बंगाल में कोटाई में 19 फरवरी को एक भाषण में श्रीमती गांधी ने कहा 'यह दल मुझे घेरने और मुझे छुरा घोंपने के लिए एकत्र हुए हैं।' आगामी सप्ताह में श्रीमती गांधी के अभियान का यही मुख्य स्वर बन गया।

जनता पार्टी ने घेरने और छुरा घोंपने के इन आरोपों पर आपत्ति तो की ही उन्हें यह डर भी लगा कि कहीं श्रीमती गांधी भय और सद्दह का और हिंसा तक का ऐसा वातावरण पैदा न कर दें जिससे सावजनिक शांति भंग हो जाए और चुनाव रद्द जाए। बार-बार के ऐसे आरोपों में उन्हें अनिष्टकर मत में दीख पड़ा और उन्होंने ऐसे तरीकों से पन्ना की जा रही स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित

करते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा।

श्रीमती गांधी की दृष्टि में सब कुछ जायज था। मत प्राप्त करने के लिए उन्होंने साम्प्रदायिक विद्वेष एवं सहानुभूति को भी जागत किया। भोपाल में, जो मुख्यतः मुस्लिम क्षेत्र है और जहां से कांग्रेस ने डा० एस० डी० शर्मा को खड़ा किया था श्रीमती गांधी ने कहा कि जनता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुघोटा भर है। उन्होंने मतदाताओं का उकसाया कि वे इस क्षेत्र से एक युवक मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा किए जान की जनता पार्टी की चाल में न फस जाए। उन्होंने यह दावा दिलाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही राष्ट्रपिता की हत्या के पीछे था। ऐसा उन्होंने इस तथ्य के बावजूद कहा कि नरहू सरकार ने पूरी खोजबीन के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस आरोप से बरी कर दिया था। पंजाब में श्रीमती गांधी ने विवक्षा का जनता पार्टी के विरुद्ध भोड़ने के लिए कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ ने पंजाबी सूबे और पंजाबी भाषा का सदा विरोध किया है।

राज्य में 27 फरवरी को श्रीमती गांधी ने घोषणा की कि जनता पार्टी की नींव गांधीजी के और सर्वोच्च के सिद्धांतों पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के सिद्धांतों पर टिकी है। उन्होंने एक महान नेता (अर्थात् श्री जयप्रकाश) पर यह आरोप लगाया कि उन्होंने पुलिस और सना को विद्रोह के लिए उकसाया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके भूतपूर्व साथी (अर्थात् श्री जगन्नीवनराम) ने उनकी पीठ में छुरा भाकने की कोशिश की।

इतना सब श्रोता हजम नहीं कर सकते थे। उन्होंने कांग्रेस विरोधी और ईश्वर विरोधी नारे लगाने शुरू कर दिए। इससे वे और भी अधिक भड़क उठीं। उन्होंने मानक में चिल्लाकर कहा जितना अधिक आप चीखें उतनी ही बड़ी जीत हमारी होगी।

## यवनिका पतन

माच के आरम्भ में यह स्पष्ट हो गया था कि मतदाता कांग्रेस-दल के विरोधी बन गए हैं। श्रीमती गांधी इस रूख को देखकर बहुत ही उद्विग्न थीं। लगभग इसी समय, कहा जाता है, श्रीमती गांधी ने एक हताश योजना सोच निकाली जिसके अनुसार चुनाव रद्द कर लिए जाने थे और देश में सैनिक शासन की घोषणा कर दी जानी थी। विश्वास किया जाता है कि उन्होंने सना प्रमुख जनरल टी० एन० रैना को अपनी इस योजना में सहयोग के लिए बुलाया। कहा जाता है कि जनरल रैना ने इस योजना में उनका साथ देने से पक्की तरह इकार कर लिया। कहा जाता है कि राष्ट्रपति भी इस मामले में उनसे सहयोग के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन इस तनावपूर्ण अवधि में मंत्रि-अधिकाारियों का आदेश दिया गया था कि वे अपनी अपनी जगह सन्न रहें।

आमतीर स जनता और कांग्रेस की चुनाव मभाए एक दूसरे के ठीक बाद होती थी। लोग कांग्रेस के वाहनों में आते थे, लेकिन जनता पार्टी की सभाओं में बैठते थे। कांग्रेस की सभाओं में या तो खिन खामोशी रहती थी या लोग कांग्रेस विरोधी नारे गगत थे।

दक्षिण में श्रीमती गांधी का कोई उल्लखनीय विरोध नहीं मिन। फिर भी वे धार्मिक एवं साम्प्रदायिक तर्कों की लकीर ही पीटती और अब तक उनका खल्ल बन चुके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में ही बोलती। 7 माच को कोचीन में उन्होंने कहा कि दक्षिण के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के बारे में नहीं जानते। उन्होंने उह चेतावनी दी कि अल्पसंख्यकों के हित और उनका भविष्य सिर्फ कांग्रेस के हाथों में ही सुरक्षित रह सकता है। दक्षिण में जान पर व धार्मिक नेताओं से मिनन का विगप ध्यान रखती थी।

उत्तर में पंजाब हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जि ह परम्परा से युद्धों एवं आक्रमणों का झलना पटा है श्रीमती गांधी बाहरी खतरे की बात करती थीं। वे कहती थीं भुट्टो जात गया है और पाकिस्तान एवं मजबूत राष्ट्र के रूप में उभर जाया है। वे अपने श्रोताओं को याद दिलाती कि हम नहीं भूल सकते कि पाकिस्तान ने एक बार भारत के साथ 'सहस्रवर्षीय युद्ध' का बात की थी। वे कहती 'आपने बहादुर सिपाही पैदा किए हैं। आइए हम इस देश का कमजोर न बनने दें और बाहरी खतरों से इस बचायें।'

श्रीमती गांधी लगता है पक्क हो रही था। 13 मार्च को लखनऊ में उन्होंने कहा बड़े मकड़ का समय है और उ होने कुछ गम्भीर घटनाओं का हवाला दिया और बानी 'इनके बारे में मैं आपको बातें बताऊंगी।' तब उन्होंने घापणा की व मुझे चारा ओर से घेरकर मार डालने की काशिश कर रहे हैं। श्री जगजीवनराम द्वारा सरकार एवं कांग्रेस में त्यागपत्र को उहान 'नीचतम कोटि का काम बताया। वे बिल्हाकर बोली उहोने प्रधानमंत्री और उनका पद से विश्वासघात किया है और उनका अपमान किया है। प्रधानमंत्री का अपमान करके उहोने देश का अपमान किया है।

व्यय श्री जयप्रकाश आश्रय करते थे कि कस एक व्यक्ति को देश के बराबर रखा जा सकता है? यदि वे प्रधानमंत्री है तो कसे वे देश के कानून और आलोचना से ऊपर हो सकती है?

हरियाणा में वसीलाल के चुनाव क्षेत्र भिवानी में बोलते हुए श्रीमती गांधी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे क्या-क्या को भूल जाए और क्षमा कर दें और कांग्रेस में अपने नये सम्बन्ध जोड़ें। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों को उहोने आश्वासन दिया कि उनकी अनिच्छित बस्तियां को नियमित कर दिया जाएगा। पुनर्वास बस्तियों में जाकर उहोने विस्थापितों को स्वामित्व के अधिकारों अधिक अच्छे जीवन और अधिक सुविधाओं का वचन दिया। मंगोलपुरी में सीधे सादे गरीब लोगों से उहोने कहा 'मैं आपकी बहन की तरह आपका वोट मागने के लिए आपके पास आई हूँ।

श्रीमती गांधी की मन स्थिति आशका से आतंक तक नीचे उतर आई। चुनाव अभियान पर निखन वाले पत्रकार जनता लहर की और आपातस्थिति के दौरान किए गए अपमानों और अत्याचारों पर लोगों के रोष की अविश्वसनीय कहानियां लेकर लौट रहे थे। सत्य और ईदग दमन एवं एकाधिकारवाद के प्रतीक बन चुके थे। जिस ढंग से अफसरों ने लोगों से व्यवहार किया था उससे लोगों की मानवीय प्रतिष्ठा पर आपात हुआ था।

नई दिल्ली में देहाती क्षेत्रों से आने वाली इन कहानियों को बुद्धिजीवी काफी मन्त्रिण दृष्टि से देखते थे। 1971 और 1972 के अपने अनुभव के आधार पर इन कहानियों पर विश्वास करने से उहोने इन्कार कर दिया था। वे जोर देकर कहते थे अंत में श्रीमती गांधी जीत जाएंगी। नाराज होकर भी लोग मत उहीका देंगे। पूरे देश के साधन उनके हाथ में हैं। इन्दिगांधी सरकार के प्रति जनता के राय की गहराई को नापने में वे विफल रहे थे। ज्यादातया का दोष स्थानीय अधिकारियों पर डालने के सरकार के कायरतापूर्ण प्रयास को धन्यवाद इस बार नौकरशाही भी कांग्रेस के विरुद्ध हो गयी थी।

प्रधानमंत्री के अपने राज्य उत्तर प्रदेश में भी जिसे इलाहाबाद के नेहरू

परिवार पर सत्ता भे गय रहा है लोग अब भिन्न भाषा बोल रहे थे। परिवार नियंत्रण की श्यान्तियों के अतिरिक्त साग मीमा और भारत मुर्गा बानू के अन्तगत की गई गिरफ्तारियां पर नाराज थे। जमाकि 1971 में था, श्रीमती गांधी गरीबा और पण्डलिना की साहसपूर्ण गरमाव अब नहीं रही थी।

लोगों की सहानुभूति पण्डवर मुक्क हुए उन नजरबन्धियों की ओर मुड़ गई थी जिन्होंने भरकारी दमन के कारण कष्ट महा था और जो अब लोकतंत्र एवं सामाज्यजन के प्रति माय के लिए लड़ रहे थे। श्रीमती गांधी अपना करिष्मा प्या चुकी थी। श्रीमती गांधी एवं उनके बेटे का यशस्वी बनाने वाले रेडियो से किए जाते सरकारी प्रचार में अब लोग का कोई विश्वास नहीं रह गया था। गांधी तक में साग सच्ची खबरा के लिए बी० बी० सी० सुनते थे।

हरियाणा में बसालाल का शमा पाचनाआ और श्रीमती गांधी की व्यक्तिगत यात्राआ के बावजूद लोग अबसर की प्रतीक्षा में थे कि कब वे राजनीतिक नक्का से शासक दल का मिदा डालें। कठिनाई से ही काई गांधी बचा होगा, जिसने बसालाल और उसके पुत्र गुधा काप्रस के नेता गुरद्व के हाथों कष्ट न महहा।

अमठी में सजय काई अजनबा नहा था। वह और उसका गुध धीरे-धीरे ब्रह्मचारी अपने विमान से आकर द्वितीय विश्वयुद्ध के जमाने की एक पुरानी हवाई पट्टी पर पहल भी उतरते थे और उहाने ग्रामीणों में उत्कण्ठा यहा तक कि आतक भापेंदा किया था। जहाज उड़ाने वाला स्वामी लोग के लिए एक असमाय बात थी। पास के रायवरको क्षत्र के जो लाम भिन्न थे, उनसे साग पूरी तरह परिचित थे और उह आश्वासन दिया गया था कि सजय चुन लिया गया ता अमठी को भी वे सब बरदान मिलेगा।

सजय न नगर में एक प्रभावशाली और आरामदेह दफ्तर खोल लिया था। वहा जीपें थी और कायकत्ताआ की भीड थी। अमठी का भूतपूर्व राजा तथा उमका पुत्र सजय के सत्रिय प्रचारक थे। इसके मुकाबल जनता उम्मीदवार एक छोटे-से कस्बे के बकील श्री रवीन्द्रप्रताप सिंह ने एक कमरे का मामूली दफ्तर बनाया था। उसके कामकर्ता और प्रचारक थे उत्तरप्रदेश के छात्र और दिल्ली एवं पंजाब जसी सुदूर जगहा से आए मुक्त नजरबन्दी। उनके पास जीपें नहीं थी। वाइसिकलें तक नहीं थी। बालन के लिए कुछ कपडे कुछ मोटा और भुन हुए चने मल में डालकर वे श्री जयप्रकाश, लोकतंत्र, मानवीय प्रतिष्ठा और वाट का कीमत के बारे में बातें करते हुए एक गांव से दूसरे गांव घूम रहे थे। गांव के लोग उनकी बातें सुनते थे। वे बोलते नहीं थे लेकिन उहाने अपना निश्चय दृढ़ कर लिया था।

एक विदेशी सवादाता ने जो उस समय अमठी गया था जब सजय और उसकी पत्नी मनका क्षत्र में प्रचार कर रहे थे और उपहार बांट रहे थे एक रोचक अनुभव बताया है। पहली बात ता यह कि सजय सवादाता से और उसके पीछे



घिसटते फोटोग्राफर से खुश नहीं था। विदेशी सवादात्मता के अनुसार मजबूत गांव वाला स अधिक बात नहीं करता था। वह बस उनका अभिवादन करता था और उन्हें मत देने के लिए कहता था। उसकी पत्नी उपहार लेकर चलती थी जिसमें अन्न चीजा के साथ विवाहित स्त्रियों का शृंगार कुकुम भी रहता था। एक गांव में सत्ता की तरह उसने एक स्त्री को कुकुम दना चाहा। उसने यह कहकर इकार कर लिया कि उम उसकी जहरत नहीं है। मेनका ने मुझसे कहा 'अपनी बटी का देना। लेकिन स्त्री ने अब भी इकार कर लिया। मेनका ने अपनी कार में स एक कलेण्डर निकाला जिस पर श्रीमती गांधी का चित्र था। उसने कहा शायद तुम अपनी झापटी की दीवार पर इसे लटकाना चाहोगी। नहीं स्त्री का उत्तर था। उसकी झोपड़ी में पहले स ही एक कलेण्डर है।

तब तक कुछ और स्त्रियां वहां इकट्ठी हो गईं थीं। लेकिन किसी ने भी मेनका से काइ उपहार स्वीकार नहीं किया। एक बीमार बच्चे को देखकर मेनका ने प्रस्ताव रखा कि इसे पास के गांव में डाक्टर के पास ले चला जाए। लेकिन मा ने इस प्रस्ताव का ठुकरा दिया।

तब मेनका ने सुझाव दिया कि यदि वह अकली जाना नहीं चाहती तो वह अपने पति का अपना साथ ले जाए। इसमें ममय नहीं लगेगा क्योंकि वह उन्हें कार में भेजगी। (मेनका ने पीछे चलते विदेशी सवादात्मता से इस काम के लिए अपनी कार में दान की प्रार्थना की थी।)

बच्चे की मां आखिर में वाली तुम क्या चाहती हो कि मेरा पति साथ चले? क्या नमक-दी के लिए? उसने एक सीत्कार की और तब मुझसे अपनी झापटी में चली गई।

चण्डीगढ़ में कांग्रेसी उम्मीदवार श्री सतपाल कपूर की सावजनिक सभाओं में लोग न चीख चिल्लाकर उन्हें बोलने नहीं दिया। जब वे बाजार क्षेत्र में प्रचार के लिए गए तो लागा न उन्हें घेर लिया और वापस जाओ के नारा में उनका स्वागत किया। दिल्ली के कुछ नेता श्री सतपाल की सहायता के लिए पहुंचे तो उनसे भी ऐसा ही खूबा व्यवहार किया गया।

एक सभा में जब भीड़ ने श्री सतपाल कपूर को बोलने नहीं दिया तो एक कांग्रेसी ने चुनाव के बाद मतदाताओं को सत्क मिलान की धमकी दी। यह धमकी कांग्रेसी उम्मीदवार के लिए और अधिक परेशानी का कारण बन गई। मंच पर स्थित कांग्रेसियों को लाग चीख चिल्लाकर चुप करा त और वे जल्दी से अपनी दुकान उठाकर गायब हो जाते।

जानधर में II मंच का श्रीमती गांधी ने जिस सभा के सामने भाषण दिया वह लोग के मिजाज और राज्य में कांग्रेस की इज्जत का मापण्ड थी। एक शानदार सभा करने के लिए उत्सुक राज्य सरकार ने पास में कस्बा गांवों में लोग

को लाने के लिए सड़के बसों का इतना काम किया था। सरकारी दफतरो न अपने कमचारियों को दोपहर बाप की छुट्टी दे दी थी जिससे वे मध्या समय सावजनिक सभा में जा सकें।

यहां तक कि सभा का समय साय 7 30 से बदलकर दिन छिपने से पहल का कर लिया गया था, जिससे लोगों को घर लौटने में देरी न हो। नगरपालिका के कमचारियों में हतरो, रिक्शा चालन वाला और तागवालो को सड़के की मध्या में जलूस के रूप में सभा के स्थल बलटन पाक में लाया गया था। अनेकों हरिजनों को मंच पर बिठाया गया था, जिसमें कांग्रेस के प्रति हरिजनों का समर्थन को प्रदर्शित किया जा सके।

मुपन वाहन और दफतर स आधे दिन की छुट्टी का लाभ उठाकर लोग आए थे लेकिन व छिन थ। कांग्रेस के वक्ताओं ने श्री जगजीवनराम के विरुद्ध जो विचार रख उ होने और उनके द्वारा किए गए 'म रहस्यो' घाटन न कि अकारियों को उनकी अपनी प्रायना पर गिरफ्तार किया था श्रीताओं का विरोधी बना लिया था और वे अस्थिर हो उठे थे। जब सभा समाप्त हुई तो व कांग्रेस द्वारा लाई गई गाड़िया में बठकर घर की ओर चल दिए और रास्ते में उ होने जनता समर्थक और कांग्रेस विरोधी नारे लगाए।

उत्तर प्रदेश में जब जनता पार्टी के कायकर्ताओं ने गावों में पार्टी के झण्डे बाटे तो लोगों ने कहा कि उ ह अपने साधन व्यथ नहीं करने चाहिए। गाववालो ने एक शरारतभरी मुस्कान के साथ बताया कि हमारे पास आपके झण्डे पहने स ही हैं। ' कांग्रेस कायकर्ता उससे पहले उनके यहां झण्डे बाट चुके थे। लागा न उन झण्डों में से सफेद हिस्सों को निकाल दिया था और हरे और नारंगी को परस्पर सीकर जनता पार्टी के झण्डे तयार कर लिए थे। कुछ क्षेत्रों में जनता पार्टी के कायकर्ताओं से कहा गया, हम जानते हैं हम क्या करना है। आप लोग गावा में जाइए जहां आपकी जरूरत है। हमारे बार में चिन्ता मत करिए। यहां आपका काम हम मभाल लेंगे।'

श्री जगजीवनराम के गठ और चुनाव क्षत्र सहमराम की आर कांग्रेसी नेताओं ने विशेष ध्यान लिया था। श्रीमती गांधी के अतिरिक्त श्री वरुभा था भीरकामिनी तथा श्री कमलापति त्रिपाठी प्रचार के लिए सहमराम गए थे। उनका वहां काले झण्डों से स्वागत किया गया था। जब कांग्रेसी कायकर्ताओं ने 'इंदिरा गांधी की जय' के नारे लगाए तो लोगों ने उत्तर दिया लोकनायक जिनदाबाद।

जब सहमराम के लागों से श्रीमती गांधी के प्रति समर्थन की अपील की गई तो उ होने दृत्तापूर्वक नहीं म जवाब दिया। लगभग हर ज्ञापनी चाय का दुकान और हर साइकिल पर जनता पार्टी के नारंगी और हरे रंग लहरा रू थ। कांग्रेस

के प्रवेश अध्यक्ष सीताराम केसरी ने झूठ मूठ फलाया कि जनता कायकर्त्ताओं न कांग्रेसी नेताओं पर घातक हमने किए हैं लेकिन लोग पर इसका कोई असर नहीं पड़ा।

बिहार के मुजफ्फरपुर चुनाव क्षेत्र न उग्र ट्रेड यूनियन नेता श्री जाज फर्नेंडीज को उनकी अनुपस्थिति में चुना। यह बडोला डायनामाइट मामले में अपराधी था और अभी तक जेल में था। उन्होंने अपने कांग्रेसी प्रतिद्वन्दी का तीन लाख से ऊपर मनो के भारी अंतर से हराया।

कांग्रेसी प्रचारक देहाती क्षेत्रों को लिए गए लाभ और सुविधाओं की तथा ग्रामीणों को लिए गए कर्जों की बातें करते थे। वल्लभ म लोग उन्हें याद दिलाते थे कि इन कर्जों को सनक लिए उन्हें कांग्रेसी कायकर्त्ताओं को रिश्वतें देनी पड़ी थी।

अंत में राज्या की कांग्रेसी सरकारें और स्थानीय प्रशासन सामूहिक रिश्वतें देने में जुट गए। पंजाब सरकार ने अपने कमचारियों का जनवरी 1977 की पिछली तारीख से दो अतिरिक्त महगाई भत्ते देने की घोषणा की। पश्चिमी बंगाल में राज्य कमचारियों का किराया भत्ता 10 से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर लिया गया। सरकार ने डाक्टरों सहायता को लगभग दुगना कर लिया और महगाई भत्ते को बढ़ाने का वचन दिया। उत्तर प्रदेश के नगरों की नगरपालिकाओं ने अपने कमचारियों को किराया भत्ता देने की घोषणा की और राशनकार्डों पर अतिरिक्त चीनी दान के आदेश भी दिए। मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने के लिए चमड़ा कमाने के कारखानों के कमचारियों को न्यूनतम वेतन बढ़ा दिए गए।

कनाटक में कुछ समय पत्न हवानूर आयोग ने राज्य में पिछले वर्गों के लिए 32 प्रतिशत नौकरियों के संरक्षण की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों को खत्ते में डाल दिया था। इन्हें अचानक वहां से निकाल लिया गया और सिफारिश किए गए 32 प्रतिशत के स्थान पर सरकार ने पिछले वर्गों के लिए 40 प्रतिशत संरक्षण की घोषणा की। मुसलमानों और ईसाइयों का भी उन्होंने पिछड़ी श्रेणी में रख दिया। केरल में सरकार ने चावल की कीमत में 25 प्रतिशत की कमी घोषित की। मध्यप्रदेश में राज्य कमचारियों को अतिरिक्त महगायी भत्त की किशतें देने का वायदा किया गया।

श्री जगजीवनराम और जनता पार्टी के नेता मतदाताओं को खुश करने के लिए सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग पर झींकते रहे, लेकिन इस बारे में वह कुछ भी नहीं कर सकते थे। घणास्पन्द नसबन्धी अभियान को रातों रात सजबब पांच सूत्रों के साथ दफना दिया गया था। फिर भी क्षमा याचनाएं घमकिया रिश्वतें, साम्प्रदायिक एवं जातीय अपीलें लोगों के क्रोध को शांत नहीं कर सकी।

श्री जयप्रकाश यह सब दख रहे थे। लेकिन सामाज्यजन की मूलभूत गरिमा आत्मसम्मान और मर्यादा के प्रति उनकी आस्था थी। उन्होंने पिछले दमन की याद उन्हें दिलाई और भावी खतरा के प्रति उन्हें आगाह किया।

राष्ट्र के मतदान पर जाने से तीन दिन पहले नई दिल्ली से उन्होंने एक अंतिम अपील जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि शासक दल अभी भी कानून का नाम जप रहा है। 'उन्हें इसमें कोई सन्देह नहीं था कि यदि मौका दिया गया तो वे इन कानूनों का इस्तेमाल लोगो के विरुद्ध करेंगे। 'यह आपका अंतिम अवसर है। यदि आप चूक गए तो 19 महीनों का अत्याचार 19 वर्षों का आतंक बन जाएगा।' श्री जयप्रकाश ने कहा कि जनता पार्टी का लक्ष्य प्रगति और सम्यक्त्व है। और 'इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वतंत्रता पहली आवश्यकता है।' उन्होंने आगे कहा, जब स्वतंत्रता खो जाती है तो सब कुछ खो जाता है।

उन्होंने कहा कि आपातस्थिति की यथावस्थाएँ एक स्वतंत्र समाज में सम्भव ही नहीं होती। लोग प्रेस, सावजनिक मत, प्रदर्शन एवं आन्दोलनों के माध्यम से इस दमन के विरुद्ध उठ खड़े हुए होते। लेकिन दुर्भाग्यवश समाज को गुलाम बना लिया गया था। उसने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। उन्होंने कहा, 'हम चाहते हैं कि हमारे अधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हों।' एक स्वतंत्रता ही उनके बसा होने की गारंटी दे सकती है।

उन्होंने प्रश्न किया 'शासक जवाबदेह कैसे हो सकते हैं जब याचिका के प्रभाव को ही खत्म कर दिया गया हो? आप भ्रष्टाचार का अन्त कैसे कर सकते हैं जब आप उसके बारे में बात कर सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? किसी भी जवाब देती कैसे आ सकती है, जब सत्ता पिछले कमरे में बठी उन लोगों के द्वारा चलायी जाती हो जो किसी भी पद पर नहीं हैं?'

उन्होंने मनदाताओं को याद दिलाया 'उन लोगों ने अन्तिम क्षण पर सुविधाएँ देकर आपको रिश्वत देने की कोशिश की है। इनमें किसी भी सुविधा से भी आप बच सकते नहीं। अजुन की तरह बनीएँ और उसीकी तरह अपनी दृष्टि का राष्ट्रीय मुद्दे से इधर उधर न हाने दीजिए। वह मुद्दा है 'स्वतंत्रता या गुलामी, लोकतंत्र या एकात्मक शासन की तानाशाही।

अन्त में 20 मार्च 1977 का नियतिपूर्ण इतिहास आ ही गया।

संघर्ष के 5 बजे तक दिल्लीवालों ने स्तम्भित करने वाला यह महाकाव्य गुन गुन किया कि दिल्ली के सशान्ति प्रदेश के सातों चुनाव-क्षेत्रों में कांग्रेस जनता पार्टी से हार गई है और वह भी भारी बहुमत में। कांग्रेस ने अन्तिम क्षण में जा गंभीर गणनाएँ की थीं उनसे उन्हें सात में से कम से कम दो स्थान जीतने की आशा बन गई थी। लेकिन यहाँ भी वे गलत सिद्ध हुए।

इसमें पूरे उत्तरीय भारत के लिए एक नया नियंत्रण कर दिया।

7 बजे मध्य्या तक समाचार एजेंसी और समाचार पत्रों के अंतर्गत इस अविश्वसनीय खबर से घमस्ते हुए कि रायबरेली में श्रीमती गांधी श्री राजनारायण से पाछे हैं। कोई इंग्लिश विज्ञापन नहीं कर गया। उनका बेटा मजदूरी भी अमरी में श्री रबी इप्रताप सिंह से हार रहा था।

8 बजे तक खबर आई कि श्री राजनारायण और श्रीमती गांधी 7 बाघ के पासना तजी में बंदूक रहा है। लेकिन सरकार द्वारा निर्दिष्ट दूरस्थान का 8 बजे की खबरी में आभ्यन्तरीय में काप्रेस की विजयों का ही जिक्र किया गया और रायबरेली एवं अमठी की अधिक महत्वपूर्ण खबरों के बारे में कुछ नहीं कहा गया। बाघ की खबरी में यह कटु गल्प बताने के लिए उन्हें विवश होना पड़ा। लेकिन इस खबर के बावजूद ही कल्याण भन्ना प्रसारित किए गए।

हर्षोत्तुल्ल भीड़ ने त्रिमकी आर्म्स बहादुरशाह जंपर माग पर किया अग्रपारों के दफ्तरी के बाहर लग विशाल चुनाव-पट्टा के बन्दन जवा पर टिकी थी इस आनन्दपूर्ण समाचार को आनिशवाजिया छोड़कर मनाया। उन्होंने एक दूसरे का बधाई दी। एक दूसरे का आलिंगन किया और प्यारी से चीख चीखकर आवाज गुंजा दिया।

मन्त्रिमण्डल की एक तात्कालिक बैठक प्रधानमन्त्री के घर रात के 10 बजे बुलाई गई और उस क्षण तक की स्थिति पर विचार किया गया। मन्त्रिमण्डल ने कायबारी राष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्ती से उम आपातस्थिति को उठा लेने की सिफारिश का आ पिटल 20 महीने और 20 दिन से कम में लागू थी।

रात के 11 बजे रायबरेली में गिनती पूरी हुई। अब कोई भाग नहीं रहा गया था कि श्रीमती गांधी उस चुनाव-पट्टा में हार गई हैं। फिर उन्होंने अपना लगन और पक्षपात के साथ पासा था। तथ्यान्वित अनिश्चितताओं के आधार पर फिर से गिनती कराने का अन्तिम क्षण का प्रयास भी विफल हो गया।

21 माघ का प्रातः जब समाचारपत्र आए तो इस खबर से दुनिया का नसा में विजली-सी दौड़ गई और देश ने हूय मनाया। आखिरकार लम्बी रात का अंत हो गया था और सूर्य फिर से चमक रहा था।

और जब इस घीक वासनी पर पर्ना गिर रहा था तो देश ने और सत्कार नहीं देना गांधी को अब भी मर के बीचों बीच खड़ा देखा। इस नाटकीय उपमहारा के लिए अब भी पश्चात्ताप रहित, अनन्य अविनत भाव से वह प्रसन्न को विरोधापन के तरीकों को मौकुरशाही का और अपने चतुर्भुज के हर व्यक्ति और हर चीज को दाय दे रही थी।

उनके चारों ओर जधर में उम दुग के खण्डहर और टूट फूट पत्थर बिखरे

पड़े थे, जिस दुग का नाम भारतीय राष्ट्रीय काग्रस था और जो अविभेग, अनश्वर और शाश्वत माना जाता था ।

इन खण्डहरों के बीच एक कान म दुवका मजय गाधी नीख पड रहा था— वह विगडा हुआ लडका जो अब भी आख तरर रहा था और जो इम भयानक विनाश के लिए सबसे अधिक जिम्मदार था ।

## उपसंहार

अपने देश के जीवन के इस भाग्यपूर्ण क्षण में एक पतना दुबला आत्मी जिसकी आवाज में नम्रता है पर हृदय में तारे की-सी शक्ति भारतीय जनता का नेतृत्व करने के लिए आगे आया। वह दुबला के माय जीव बिना डगमगाए एकाधिकारवादी के चार अधरे में से उभर लोकतंत्र और स्वतन्त्रता तक ले गया।

भारतीय जनता सावनायक जयप्रकाश का लगभग उनकी ही ऋणी है जितनी कि महात्मा गांधी की। मार्च 1977 में उभर साथ जो गुजरा वह एक दूसरी भुक्ति थी और श्री जयप्रकाश की अपन लोगों में अडिग आस्था तथा विभिन्न राजनीतिक मायनाओं का वह नेताओं के खिला और विभागों पर उनकी पकड़ ही यह समझकार ला सकती थी।

जब अर्थ नेता हिचकिचा रहे थे और डावाडोल थे उस समय 78 वर्ष के इस रण्य व्यक्ति ने उस बीड़े को उठा लिया जिस दो महीने का बीच दकर चुनाव की शकल में श्रीमती गांधी ने पूरी तरह अप्रस्तुत विराजी पक्ष के सामने उसकी खिला उड़ात हुए फेंक दिया था। डायनमिस के बंध में लगातार आन और जात हुए भी और मदा बनाति की स्थिति में रहते हुए भी श्री जयप्रकाश ने अपनी जनता का मान रक्षण करने उत्साहित करने तथा उनके नेताओं के हृदय में हिम्मत भरने का शक्ति और उसका समय निकाल लिया था।

इस मवदनशील आत्मा ने जिसने 25 जून 1975 के श्रीमती गांधी के भारी हथौड़े की चाट से मुक्त होकर निराशा में भरकर अपनी डायरी में 21 जुलाई को यह लिखा था कि मेरी दुनिया खड-खड हाकर भरे चारा ओर विखर गई है शीघ्र ही अपन को मभाल लिया। वह शीघ्र ही अपनी स्फूर्ति को फिर से प्राप्त कर लेता है और अपनी जल की कोठरी से या अस्पताल के विस्तर से श्रीमती गांधी पर गरजना जारी रखता है।

जब अपनी नजरबंदी के चार दिनों के भीतर ही उन्हें आल इंडिया मेडिकल इन्स्टीट्यूट और वहां से बम्बई के जसलोक अस्पताल भेजना पड़ा था तो बताया जाता है कि विशेषज्ञों की राय के आधार पर भारत सरकार को यह आशा नहीं थी कि श्री जयप्रकाश कुछ दिनों से अधिक जियेंगे और उसने अनिष्ट की तयारी कर ली थी और उनकी अत्यन्त तक का प्रबंध कर लिया था।

संक्रिये जीने और अपने उद्देश्य को पूरा करने के अपने एक निश्चय के कारण

श्री जयप्रकाश इन मकट से बच गए और फिर यात्राआए एवं सावजनिक कार्यक्रमों के उम्रम मकू पड़े जा उनमें आधी आयु व व्यक्ति का भी थकाने के लिए काफी था।

दश का मीभाग्य है कि अपने स्वप्न का पूरा हुआ और देश में लोकतंत्र वापिस आया देखने के लिए श्री जयप्रकाश अभी भी हमारे बीच में हैं। जनता का माग दर्शन करने के लिए तथा जनता पार्टी के नेताओं का घरकर इकट्ठा रखने और एक ही जुग के नीचे काम करने का अभ्यस्त उन्हें बनाने के लिए व अभी हमारे बीच में है।

यह एक प्रखर गाथा है और इसपर एक पृथक पुस्तक लिखी जा सकता है।

चुनाव परिणामों में भारतीय राजनीति के नक्शे का बुरी तरह अस्त व्यस्त कर डाला। परिवर्तन दूरगामी और विशिष्ट सिद्ध हुए हैं। एक सत्तम ने लगभग रातों रात आपातस्थिति से पहन की नामावली का जमगत और पुरानी कर दिया है। 19 महीनों की भयानक परीक्षा में भारतीय राजनीति में लम्बे समय से बड़ी अनक पुरानी धारणाएँ एवं अर्थ-मकेत घुनकर नष्ट हो गयीं और नए मापदण्डों या मूल्यों में उनका स्थान न लिया। जनता सरकार के आन के साथ निष्ठा सयम एवं सावजनिक कृत्य भावना जैसे शक्ति एवं मृहावर छलपूण मधुर आवाज मात्र न रहकर मंत्रियाँ एवं राजनीतिज्ञों के आचरणों में मापदण्ड बन गए हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसा हमेशा के लिए हो गया है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक जनमघा जमाती मुस्लिम लीगी पुराने बाघेसी भारतीय लोकतंत्र के एक सत्तम्य— सब एक साथ श्रीमती गांधी के एकाधिकारवादी दमन के कांड के नाच रहे हैं। 19 महीना तक जल की बोठरिया में एक साथ रह रहे हैं और उहाँ का कष्ट सह रहे हैं। व बहूत निकट से एक दूसरे को जान और समझ गए हैं। एक दूसरे के सिद्धान्तों एवं नीतियों पर निमग्न भाव में विचार करने का और व्यक्तिगत एवं जाय वानों का घिसने का और यहाँ तक कि एक दूसरे का पसन्द करने का काफी समय उन्हें मिला है। नय नतिक परिवर्तन में सम्प्रदायवादी जय शक्ति में अपनी चभन छोड़ी है।

इस प्रकार जब वे सब जनवरी और फरवरी 1977 में छूटकर आए, तो उन्होंने अपने अतीत का एक नया पन्ना पतन एक दल बनाकर एक मार्च पर काम करने का दृढ़ मन्त्र किया जिससे कि सामान्य एक घर में लक्ष्य को अपनाकर तानाशाही का सत्ता के लिए बहिष्कृत किया जा सके और इस दश में सावतन्त्र फिर सलाया जा सके।

आपातस्थिति तथा इसका दुरुपयोग एवं सत्ता के गलत इस्तेमाल से जो सबसे



बड़ा लाभ देश को हुआ वह है 70 प्रतिशत अनपढ़ा व इग राष्ट्र में आइ राजनीतिक जागृति। इस राष्ट्र का अभी दूसरे दिन तक भेड-बकरिया का राष्ट्र समझा गया था जिस चानाक राजनातिन व मकेत पर जिस वह चाहे मत देन के लिए मजबूर किया जा सकता था।

इस शुभ प्रातिविकारी परिवर्तन के लिए हम श्रीमती गांधी एवं उनके पुत्र मजबूत को धन्यवाद देना चाहिए। मानवों से पशुओं की तरह बर्तन के उनके शूर मनमान तरीका न हा जनता को बिद्रोह करन और अपने मत की शक्ति को पहचानन के लिए उकसाया। अब क्याकि जनता ने अपना शक्ति पहचान ली है इसलिए वे कभी हम हथियार पर जग नहा लगन दोगे और अब से बाद के हर चुनाव में इसका अच्छे प्रयाजन के लिए मस्तमाल करग।

अभी भी एम उन्हाहरण सामन आ चुक हैं जब मतगताओ ने अपनी इच्छा को आग्रहपूर्वक घोषित किया है और नेताओ को बताया है कि व क्या करें और क्या न करें। लाग सीधे विचार के मुजफ्फरपुर नगर से चलकर दिल्ली आए और उन्हां ज्ञान फर्नेन्डीज से अपनी बात कही और उन्हें आदेश दिया कि वे सरकार में शामिल हो जाए। इस पहल मन्त्रिमंडल में शामिल होने के श्री मोरारजी देसाई के निमन्त्रण को वे अस्वीकार कर चुके थे। श्री फर्नेन्डीज को उनके सामने जाना पडा उनसे क्षमा मागनी पना और उनकी आज्ञा का पालन करने का वचन देना पना।

श्री जगज्जवनराम भी जनता मन्त्रिमंडल में शामिल होने से अभी हिचकिचा रहे थे। उनके घर के बाहर लाग ने प्रश्न किया। लोग यह नाटक बनाने की पट्टिया लिए हुए थे। हम प्रश्न न ही वाकूजी को मजबूर किया कि वे फौरन निणय लें और मारारजी सरकार में शामिल हो जाए।

उत्तर में तो राज्य विधान सभाओं के विण नामाकन चाहने वालों ने जो भेदे दश्य उपस्थित किए उनका मतदाताओं पर क्या बुरा असर पड़ेगा इससे केन्द्र के दल के मुख्यालय के और राष्ट्रीय के सभी नेता बहुत अधिक घबड़ाये हुए थे। वस्तुतः पिछले 30 वर्षों में भारतीय राजनीतिज्ञों की सावजनिक आलाचना के प्रति इतना सर्ववर्णशील इतना समयावक और अपन जाघरण का स्पष्टीकरण देने के लिए इतना प्रस्तुत हमने कभी नहीं पाया था।

अपने क्षत्र के लाग के प्रति काप्रसी विधायकों के अतीत के दम्भी स्वकी तुलना में यह एक उत्तरेखनीय परिवर्तन था। 20 महीना के दमन के बाद अतत प्रस लगता है अति सतक भार जति आलाचक बनकर सामन आया था।

हममें तो राय नहीं है कि मजाब सनक और राजनीतिक दृष्टि से सचेत मतगता लाकतन्त्र के लिए अनिवाय है लेकिन सत्ता एक चम्पन वाली शराव है। मतगता अपनी इस नव-आविष्कृत शक्ति का दुरुपयोग न करें इसक लिए राज्य

का बन्धन हो जाता है कि वह मन्त्रात्मकता का उनकी जिम्मेदारियों की जिम्मा भी दे।

एडवर्ड ए० कार्लोविक न चेतावनी दे है कि अतिशय जनता जब राजनीति रत हो जाती है तो उसमें चण्टा का और ऐसी माँगें पेश करने की भारी गाम्भीर्य पना हो जाती है जो समाज के विकासपरक लक्ष्य की दृष्टि से नुकसानी नहीं होती। इसलिए मकड़ यह है कि सत्रिय ताकत का जनता के महभाग में शक्ति तो ग्रहण करनी चाहिए पर साथ ही यदि महभाग ऐसा विशिष्टताएँ ग्रहण कर ल जो मूलभूत रूप में विवकशून्य (अर्थात् त्रिभागीयता की विरोधी) हैं तो लोकतन्त्र का अन्विषय उपकरण उसका विनाश का मन्त्र बन जाता है।

का 30 वर्ष तक अविच्छिन्न चल काग्रेस के शासन का अन्तत उलट जाना और उसके स्थान पर समान रूप से अधिकारी और क्षमता सम्पन्न एक नई उत्साही पार्टी का आ जाना लम्बे समय से पन रहे उस मपने की उपनयिका प्रतीक है जिम्मे अनुमार्ग में एक म्यायी द्वितीय प्रणाली की स्थापना अभिप्रेत थी। और यह ममतीय लोकतन्त्र के लिए एक अन्विषय शान भी है।

किन्ती भारतीय को इस बात का अप्मोस नहा हागा कि काग्रेस ल अज भी सापक्षतया ज्या का त्यो है और नई लाकमभा में उम 154 सम्म्या की शक्ति प्राप्त है। जसल में हम मव ता यह आशा करत है कि इतिरा शासन के वान कारनामा की खोजबीन के लिए नई सरकार न जातान जायोग विठाए है अगल कुछ महीना के बीच उनका रहस्योदघाटनो की तज चमक में काग्रेस पूरी तरह विखर नहीं जाएगी। श्री मोरारजा देसाई द्वारा विरोधी ल के नता का औपचारिक मायता नी जाना और सरकार के हर बडे नियम में उनसे परामश करने का उनका वचन विगए रूप से प्रशासनाय है। इसा प्रकार जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर का यह मावजनिक वकनव्य भी तारोफ के योग्य है कि वे चाहत हैं कि काग्रेस दल बना रहे।

इसका कारण यह है कि लम्बे समय समान शक्ति का विरोधा पक्ष ही सरकार को चौकन्ना और उसके आवरण को सर्वोत्तम बनाए रख सकता है। पिछले चुनाव तक हमारी राजनीतिक प्रणाली की सबसे बडी कमजारी यही थी कि उसमें सत्ता धारी दल को कोई गम्भीर चुनौती नहीं थी। इस स्थिति में सरकार को अनुत्तर दायी और खडित विरोधी पक्ष का गर जिम्मदार बना दिया था और दाता के परस्पर स्थान बदल नन की कोई आशा ही नहा रहा थी।

लकिन क्या यह खिचडी जनता पार्टी चल पाएगा? क्या यह मिली जुली पार्टी उन सद्भावितक दबावों और बोझों को सह पाएगी जो उस समय उसपर जाएंगे जब सरकार गम्भीर और उलथी हुई आधिक समस्याओं से आमन सामन होगी? और क्या शीघ्र ही हान वाला है। दशभक्ति और एक जीवन्त विकल्प देश

को प्रदान करने की सामाज्य इच्छा मरि बनी रह ता कोई कारण नरु ति जनता पार्टी अपनी कठिनाइया पर विजय न प्राप्त कर सक और पूरी अवधि तक सरकार न चला सक ।

यह ध्यान रखने योग्य है कि आमन मकमन विगारा मे बाहर पश्चिमी यूरोप म बहुध्रुवीय राजनीतिक प्रणाली और मयुक्त सरकार अपवात् न हाकर नियम हैं और यह प्रणाली ममझीत एव समन्वय क आधार पर काम करती है । दूसरी आर हमार देश म तो विरोधी पक्ष एक सामाज्य कायक्रम एव सहमत नीति क आधार पर पहल ही एक मगठित दल बन चुका है । सरकार का मुचारु रूप म काम करना इन सब बाता स सहज हा जाना चाहिए ।

फिर यरि गहराई स सोचें ता इस दश की अरुने इतनी मूलभूत और प्राथमिक है कि विभिन्न विचारा वाल अवयवा क बाब एक सामाज्य काय पद्धति विकसित होना अपत्यावृत्त आमन होना चाहिए । विशपकर इसलिए कि बारीक मदातिक मतभेदा को यहा स्थान नही है । धार ध्यापक गरीबी बेराजगारी और जनसख्या वद्धि य तीन मूलभूत मुद्दे जहा सरकार और राष्ट्र क सामने सबसे पहले उपस्थित न वहा शीघ्रतम परिणाम दन वाली एक कामकाजी नीति ही एकमात्र उत्तर है । इस मुद्दे पर मरि त्रमण्डल म कोई मतभेद नहा होना चाहिए । फिर सभा न गाधीवाणी सिद्धांतो का अपने सामाज्य सम्बन्ध सूत्रा क रूप म स्वीकार किया है और सभी उस घोषणापत्र के प्रति वचनबद्ध हैं जिस लोकसभा के चुनावो के समय जारी किया गया था ।

उन टुच्चे झगडालू राजनीतिनो क निग जा अपने छोटे स्वाय क आगे कुछ भी सोचने म असमथ हैं यह चेतावनी वस बहुत ही स्पष्ट है यदि जनता पार्टी भारत क लोकतन्त्रीय ढांचे म एक विकल्प बनन म विफल रहती है तो मनदाता —और इस बार के सजीव और राजनीति के प्रति अत्य त सचेत मतगता हैं— वितृष्णा और निराशा स भरकर एकदलीय राज्य एव तानाशाही की ओर मुड जाएग । क्याकि जब नौ राज्यों की गर कांग्रेसी सरकारो ने मिली जुली कायक्षम सरकारें बनाने म अपनी असमथता प्रदर्शित की थी उस 1967 के प्रयोग क बाद एसा दूसरी बार होगा कि गर कांग्रेसी विरोधी पक्ष बाछित काय को निभाने म असफल सिद्ध होगा ।

वस्तुत श्रीमती गाधी और उनकी कांग्रेस यह आशा लिए बठी है कि उसकी हुई समस्याओ वाले इस विशाल देश के शासन की क्रूर वास्तविकताओं के प्रथम स्पश म ही जनता की खिचडी सरकार टूटकर बिखर जाएगी ।

आपातस्थिति ने कुछ और भी अविस्मरणीय पाठ हम सिखाए है

1 हमम से जो लोग ईमानगारी से यह विश्वास करते थे कि एक साथ

विराट उसकी हुई और तत्कालिक इस देश की समस्याओं का जवाब शायद एक उदार तानाशाही ही है उन्होंने अब समझ लिया है कि तानाशाही एक शुद्ध अनिष्ट है और चरम सत्ता, चरम रूप में भ्रष्ट बनाती है।

2 चरम सत्ता वाले व्यक्ति पर, भले ही वह सत क्या न हो विश्वास नहीं किया जा सकता और सत्ता की शक्ति के दुरुपयोग के विरुद्ध एक खुला समाज और एक मुक्त प्रेस ही एकमात्र प्रभावी गारंटी हैं। अतः सरकार और समाज दोनों की ओर से प्रेस की नींव को मजबूत करने और उसकी स्वतंत्रता के ढांच को पुनर्निर्मित करने का एकमन प्रयास होना चाहिए जिससे कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्या न हो उसे खेलने का साहस न कर सके।

सम्बन्धे भयानक सपने के दौरान हमने आतंकपूर्वक पाया है कि सावजनिक स्तर पर फैली भय की मानसिकता अथवा विवेकशील एवं सचेतनीय व्यक्तियों के साथ क्या कुछ कर सकती है। लोग कोड़े बन जाते हैं और कोड़े की चोट पर सब कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं।

यह समझकर भी हम घबरा लगा है कि सबसे ऊंचे से लेकर सबसे नीचे तक के हमारे अधिकारी भीवा मिलने पर कितने निमग्न और क्रूर बन सकते हैं, इतने कि मानव-व्यक्तित्व में निहित मानसिक रोग के तत्व उनमें उभरे दीख पड़ने लगते हैं।

लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने भले ही वे हरियाणा के बसिलाल हो या बिहार के भीताराम वैखरी या महाराष्ट्र के एस० बी० चव्हाण एवं रजनी पटेल या मध्यप्रदेश के शुक्ल बाधु लालसा का एक विवेक की पूर्ण होना का जो विचित्र दृश्य उपस्थित किया उससे हमें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है। हमें आश्चर्य इस बात से हुआ है कि कांग्रेस के छोटे पदाधिकारियों और कार्यकर्त्ताओं ने उन सबको चुपचाप बर्दाश्त कर लिया। तब शायद वे लोग भी उसी मिट्टी से बने थे।

हमने उतने जन, अमिश्रित हृदय एवं सुख की वसी अनुभूति कभी नहीं देखी थी जसी मार्च 1977 के तीसरे सप्ताह में इंदिरा सरकार के पतन पर और उसकी जगह जनता सरकार की स्थापना पर देखी गई। तुलना में रखें तो 15 अगस्त 1947 के दिन स्वतंत्रता मिलने पर देश में हर्षोल्लास की जो लहर फल गई थी, वह भी अमिश्रित नहीं थी क्योंकि उसमें भी संशय घला हुआ था कारण कि विभाजन ने उस ऐतिहासिक घटना को आनंद से वंचित कर दिया था।

लेकिन दक्षिण में जो ठोस कांग्रेस समर्थक मत पड़ा, उसका क्या स्पष्टीकरण है? इसका साफ जवाब है 'भिल्ली दूर है।'

सावजनिक सम्पर्क के माध्यमों पर सरकार के पूर्ण नियन्त्रण को धारणा कि उत्तर के लोग जिस भयानक रात में से गुजर रहे थे, उनसे दक्षिण के लोगों को पूरी तरह अनजान रखा गया। वस्तुतः दक्षिणवासियों ने इतना भी नहीं जाना

कि सरकारी ऋण के रूप में उनके एकदम चारा ओर क्या गुजर रहा है। इसलिए अपने उत्तरी श्रेणियों की तरह उग्र प्रतिक्रिया देना नहीं बल्कि बिफन रहना और लोकसभा चुनाव में उठने अतीत के ढंग पर ही मत दिए। सजय ने दक्षिण की उतनी अधिक यात्राएँ नहीं की थी जितनी उत्तरी क्षेत्रों की की थीं। हर बार जब सजय किसी नगर में जाता था तो कांग्रेस अपने कुछ हजार वोट खो देती थी। और ऐसा दक्षिण में नहीं हुआ। तमिलनाडु में ता. करुणानिधि की अघट सरकार के मुकाबले राष्ट्रपति शासन ने जनता पर अच्छा ही असर छोड़ा था।

अब संसार हट गया है और सावजनिक सम्पर्क के माध्यम मुक्त है तथा ईश्वर सरकार के भयानक कारनामों को पूरा प्रचार मिला है। इसलिए दक्षिण के मतदाता भी उत्तर के भाइयों का अनुकरण करेंगे और राज्य विधान सभाओं के अगले चुनाव में पूरी तरह बन्नाम कांग्रेस से अपना मुह मोड़ लेंगे। ऐसा होगा यदि इस बीच जनता पार्टी अपने अमलनामे का खराब नहीं कर लेती।

